

द-त्सिंगे की भारत-यात्रा

तरुण-भारत-ग्रन्थावली-संख्या १०

मराठों का उत्कर्ष ।

(न्यायमूर्ति रानाडे के 'राइज थ्राफ मराठा पावर' नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ का अनुवाद ।)

अनुवादक

भास्कर रामचन्द्र भालेराव ।

प्रकाशक

तरुण-भारत-ग्रन्थावली-कार्यालय

द्वारामंज, प्रयाग ।

स० १९२१ वि०

मूल्य १॥॥

मराठों के इतिहास पर हिन्दी में यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी होगी। इनमें रानाडे महाशय ने मराठा का सत्ता का सच्चा सच्चा स्वरूप प्रकट किया है। इस लिए, अंगरेज इतिहासियों के अमात्मक विचारों से जिन हिन्दी पाठकों के विचार भी, मराठों के विषय में, अमात्मक बन गये होंगे, उनके अम का अवश्य ही निरसन हो जायगा। यद्यपि इस ग्रन्थ में मराठों का पूरा पूरा इतिहास तो नहीं आया है—क्याकि रानाडे महाशय आगे इस काम को पूरा करनेवाले थे, परन्तु बीच ही में उनका स्वर्गवास हो गया—फिर भी मराठों के उत्थान का पूर्ण वृत्तान्त इसमें आ गया है, और प्रसंगशाली वही वही उनके पतन का भी आभास दिया गया है।

परिशिष्ट में से पहला परिशिष्ट न्यायपूर्ति तैलंग का लिखा हुआ है, जिसे स्वयं रानाडे जी ने अपने ग्रन्थ में रखा था, और दूसरा परिशिष्ट स्वयं रानाडे महाशय का ही लिखा हुआ है, यह परिशिष्ट कदाचित् रानाडेजी अपने इतिहास के अगले भाग में देते। परन्तु हमने इसको मराठी ग्रन्थ पर से लिया है। इन दोनों परिशिष्टों में पेशवाओं के समय की राज-नैतिक, धार्मिक और सामाजिक बातों पर बहुत अच्छी प्रकाश डाला गया है। इनकी सामग्री बहुत ही मनोरञ्जक, उपदेशप्रद और ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। आशा है कि हमारे इतिहासप्रेमी पाठक इस ग्रन्थ से पूरा पूरा लाभ उठावेंगे।

अनुक्रमणिका

	परिच्छेद	पृष्ठ
१	मराठों के इतिहास का महत्व	१
२	क्षेत्र कैसे तैयार किया गया ?	२३
३	बीज कैसे बोया गया ?	४२
४	बीज कैसे अंकुरित हुआ ?	६३
५	वृक्ष में कौपल निकली	८६
६	वृक्ष में फल आये	१०६
७	शिराजा का राज्यप्रस्थ	११८
८	महाराष्ट्र के साधु-महात्मा	१४४
९	जिजी	१७१
१०	अशान्ति में शान्ति की स्थापना	१६१
११	चौध और सरदेशमुखी	२०६
१२	दक्षिणी भारत में मराठे	२२५
१३	मराठों के इतिहास की कुछ चुनी हुई घातें	२३६
१४	पेशवाओं के रोजनामचों से कुछ वृत्तान्त	२७०

रीठिन लक्ष्मी प्रकाश
मरोटी-रोठवी का नाला,
धीजनर।

मराठों का उत्कर्ष ।

इतिहास को, तत्व की दृष्टि से, तुच्छ मानते हैं। उनका कहना है कि मराठों का शासन तो केवल लुटेरों की हलचल मात्र थी और यदि उनके उत्थान और पतन के इतिहास का वर्णन किया जाय तो उन्में प्रशंसा की कोई बात नहीं है। तथा उस इतिहास में ऐसे कोई भी तत्व नहीं हैं, जिनका हम प्रशंसा कर सकें। केवल लुटेरेपन और साहस-बहादुरी केवल पर ही कुछ समय के लिये प्रसिद्धि और उन्नति पाये हुए लोगों के इतिहास से किम बात भी ऐतिहासिक शिक्षा हमें मिल सकती है? और गजब की मृत्यु के अनंतर उस विशाल मुगल-साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करके उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालने वालों में से केवल वे ही अत्यंत धूर्त और चालाक थे, और इसीसे उनकी दाल गली, अतः क्या उनके उक्त गुणों पर ही मोहित होकर हम उनके इतिहास को आदरणीय मानें और उसका अध्ययन करें? हमें तो उनके इतिहास में कोई विशेषता नहीं देख पड़ती। इस प्रकार के विचार प्रगट करने वाले लोग भी बहुतायत से हैं। पर, जिन्हें अंग्रेज इतिहास-लेखकों के ग्रंथों से ही उक्त सारी बातें मालूम हुई हैं, तथा जिन्होंने अन्य इतिहास-ग्रंथों को बिलकुल ही नहीं देखा है, उन लोगों के द्वारा ही उक्त प्रकार के उद्गार सुन पड़ते हैं। मिन्टग्राटडफ साहब ने भी कई हस्त-लिखित इतिहास पढ़े थे, उन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री की भी खोज की थी, तथा मराठों के विषय में उनके मन में बड़ा आदर-भाव था, निस पर भी उन्होंने उपर्युक्त कथन की ही पूर्ति की है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि.—“यद्यपि महाराष्ट्र के हिन्दुओं का लुटेरों का सा चंचल स्वभाव कुछ समय के लिये स्थगित सा हो गया

था, तथापि उस घुम्की हुई आग ने, मुसलमान विजयी-वीरों के आपसी भागड़ों के कारण, फिर से प्रचंड-स्वरूप धारण किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि, साहाद्रि पर्वत के अरण्य की सूखी घास के एकदम जल उठने की तरह मराठे एक-एक उभड़ उठे और वह आग फैलती ही गई । जिससे बहुत दूरी पर रहने वाले लोग भी उस प्रचंड और भीषण आग को देख कर आश्चर्य चकित हो उठे ।” उक्त इतिमाह-लेखक का यह कथन यदि सत्य हो, तो फिर यही कहना योग्य होगा कि मराठों के इतिहास में कोई विशेषता नहीं है । मन्वमुच ही यदि यह सिद्ध हो जाये कि, वास्तव में उसमें चिरम्यायी और उपयोगी-नैतिक सिद्धांतों का अंश नहीं है, तो फिर कोई उसके विरुद्ध, कुछ भी नहीं कह सकता । पर, हम इस इतिहास में जिन विषयों का वर्णन करेंगे, उनसे, आशा है कि, भारतवर्ष के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वालों को अंश ही कुछ न कुछ प्रशिष्ट बातें मालूम होंगी । इन इतिहास में वर्णन की हुई बातों को पढ़कर इतिहास-शास्त्र का अध्ययन करने वाले वह सकेंगे कि, ग्राटडफ प्रभृति इतिहास-लेखकों का कथन निरा ढकोसला है । हमें विश्वास है कि इस ग्रन्थ के पढ़ने से ऐतिहासिक विद्यार्थियों को यह भी भली भाँति मालूम हो जायगा कि उक्त इतिहास-लेखकों के विधानों पर अपना अभिप्राय स्थिर करना, बिलकुल भ्रमपूर्ण होगा; और भ्रम है कि उस प्रकार का अभिप्राय स्थिर हो जाने से अगला सारा कथानक प्रसंगत जान पड़ेगा; और उसके सब भागों का पारस्परिक सम्बन्ध समझ में न आवेगा । महाराष्ट्र-मंडलरूपी विस्तीर्ण भवन बनाने के लिए जिन वीरों ने अपने

प्राण त्यागे हैं, उनकी मैसूर के हैदर-टीपू, हैदराबाद के निज़ाम, अयोध्या के शुजाउद्दौला, बंगाल के अलीउद्दीणों, पंजाब के रणजीतसिंह और भरतपुर के सूरजमल जाट से तुलना करने वालों को इस इतिहास का रहस्य कदापि ज्ञात नहीं हो सकता और सभी मराठे धीरों को एक ही श्रेणी के माननेवाले और उनके पारस्परिक भेद को न जाननेवाले पाठक ऐतिहासिक दृष्टि का महत्व कदापि नहीं जान सकते, जिससे उनके सभी विचार निरे भ्रमपूर्ण ही होंगे। यदि कोई भारत में अंग्रेजों के राज्य की जड़ जमने के लिये केवल लार्ड क्लाइव के साहसपूर्ण स्वभाव तथा चार्ल्स हेस्टिंग्स की राजनैतिक कार्यवाहियों को ही मुख्य कारण मान ले तो उसे ब्रिटिश राज्य का महत्त्व नहीं मालूम हो सकता। और, जिस प्रकार उस देश का कोई विद्यार्थी क्लाइव तथा चार्ल्स हेस्टिंग्स के साहसपूर्ण कृत्यों तथा राजनैतिक कार्यवाहियों को ही महत्त्वपूर्ण मानकर, उन्हें दी हुई ब्रिटिश राज्य की सहायता की ओर ध्यान न दे, तो उसे उनके इतिहास का रहस्य मालूम नहीं हो सकता, ठीक, उसी प्रकार मराठा-मंडल को स्थापित करने वाले पुरुषों के चरित्रों को अच्छी तरह मनन न करने वालों को भी मराठों के इतिहास का रहस्य मालूम नहीं हो सकता। यदि अंग्रेजों का विस्तृत और बलशाली राज्य, उनकी अपार संपत्ति, दृढ़ निश्चय, दीर्घ प्रयत्न, आदि न होते तो क्या उनका राज्य भारत में स्थापित हो सकता था? इसी प्रकार केवल साहसपूर्ण कार्य करने वाले, राजकार्य-कुशल और धीरों के द्वारा भी महाराष्ट्र-मंडल जैसे राज्य की स्थापना का कार्य बिल्कुल असंभव सा था। केवल लुटेरे लोगों के द्वारा, अनेक पीढ़ियों तक टिकने

वाले साम्राज्य की स्थापना कदापि नहीं हो सकती; और न वे एक बड़े राष्ट्र के राजकीय मानचित्र में, यथेच्छ परिवर्तन करने, तथा उसका स्थायी प्रभाव स्थापित करने के समान; कठिन कार्य को ही कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्यों के लिये तो किसी और ही बात की आवश्यकता हुआ करती है। औरंगजेब की मृत्यु के अनंतर स्वतंत्र बन बैठने वाले विभिन्न प्रांतों के बड़े बड़े सूबेदारों को तो किसी प्रकार की असुविधा से सामना नहीं करना पडा था, पर मराठों का राज्य स्थापित करने वालों और उनके अनंतर की द्वा पीढियों के पुरुषों को तो मुगल बादशाहत के उत्कर्षमय काल की प्रबल शक्ति से सामना करके उसके प्रबल आघात सहने पड़े थे। औरंगजेब के अनंतर उत्कर्ष पाये हुए बड़े बड़े सूबेदारों को, अपने अपने राज्य स्थापित करने के लिये, मुगल सेना से सामना नहीं करना पडा था। चरन् मुगल बादशाहत के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर ही वे मौनक पेशा करने वाले साहसी-सूबेदार, स्वतंत्र हो सके थे। उन्हें किसी भी राष्ट्रीय बल से सहायता नहीं मिली थी, जिससे उनके राज्य, स्थापित करने वाले पुरुषों के साथ ही, लुप्त हो गये। पर यदि महाराष्ट्र-मडल के विषय में विचार किया जाय, तो हम कह सकते हैं कि उनकी परिस्थिति तो कुछ और ही थी। उनकी दस पीढियों तक बराबर बढ़े बड़े नेता उत्पन्न होते रहे, और उनमें से किसी के रणभूमि पर गिरने पर उसके स्थान पर दूसरा खडा हो जाता था। इस प्रकार वे शत्रुओं के पराक्रम और कर्मवीरता की परघाह न करके महाराष्ट्र-मडल को स्थिर रख सके, और ज्यों ज्यों उन पर अधिक सकट आते गये, त्या त्या दिनों, दिन उनका उत्कर्ष-

होता गया। पश्चिमीय पुराणों में फेनिक्स नामक एक पादरी की कथा का वर्णन है। लोगों को उससे जल जाने का विश्वास है। जाने पर भी पुनः पहले से भी अधिक तेजस्वी स्वरूप धारण करने की कथा लिखी है। मराठा-मंडल की भी यही दशा थी। अथवा, उनकी दशा को देख कर श्रीहिराचरण-महिराचरण की कथा की सत्यता प्रतीत होनी है। एक बार यदि मराठे वीर पगभूत भी हो जाते थे, तो दूसरी बार वे ही पुनः सहसा हाधिया को जाई बलवान् देख पड़ते थे। इस प्रकार उनकी ध्येय-साधन के लगन के कारण महाराष्ट्र मंडल में विशेष जीवन-तत्वों के चिन्ह उपपत्तया दिखाई दिये। उनकी उक्त स्थिति और उन भित्ति रूपी तत्वों को जाने बिना उनके उत्कर्ष का कारण मालूम होना बिलकुल असंभव है। केवल साहस और लुटेरेपन के सिद्धान्त ही उस परिस्थिति की पुष्टि नहीं कर सकने अथवा आकस्मिक आग जल उठने की उपमा से भी महाराष्ट्र मंडल के पराक्रम को जतलाना ठीक किसा दृष्टे संभे के तल पर घर बनाने की तरह होगा। इसलिये हम पहले परिच्छेद में यही बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि महाराष्ट्र-मंडल का विशेष स्वरूप किस प्रकार का था, और उसमें, इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिये, विशेष नैतिक महत्व की बातें कितनी हैं। हमें आशा है कि इससे उन्हें महाराष्ट्र-मंडल की विशेषता और उसका स्थायी महत्त्व भी मालूम हो जावेगा।

१-पहले तो इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित होने के पूर्व इस देश का राज्यशासन मुसलमानों के हाथ में नहीं था। यद्यपि बारम्बार

यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से ही भारत का राज्य लिया है, तथापि सच बात तो यह है, कि उन्हें भारत का साम्राज्य, मुसलमानों से बड़ी वीरता से लड़ कर स्वतंत्र हो जाने वाले, इसी देश के निवासी राज्यशासकों के हाथ से प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों के इस देश में आने के पहिले ही कई मुसलमानों और मराठों के राज्य स्थापित हो चुके थे; और अतः मुसलमानों का राज्य नष्ट हो जाने पर चारों ओर मराठों का ही राज्य स्थापित हो गया था। अनंतर मराठों का राज्य अंग्रेजों के अधिनार में चला गया। ग्रांट डफ साहब मराठों के इतिहास के उक्त स्वरूप को जान चुके थे; और उन्होंने मराठों के उस स्वतंत्र रूप में बतला दिया है। मराठों के विषय में उन्होंने लिखा है कि, "अंग्रेजों के हिन्दुस्थान को जीत लेने के पहले ही मराठों ने उसे ले लिया था। शिवाजी भोंसले नामक प्रसिद्ध वीर के, उन लोगों के जन्म वतने के पहले ही से धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ रहा था; और उनका सामर्थ्य भी बढ़ता जाता था।" केवल बंगाल और कारोमडल के तट पर के जिन राज्यों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था, वे ही महाराष्ट्र मडल के अंतर्गत नहीं थे। वहाँ पर मुसलमान सरदारों का भी अधिकार नहीं था, वरन् अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनेवाले हिन्दू शासक ही वहाँ राज्य करते थे। उन स्वदेशीय राज्यों में महाराष्ट्र मडल ही प्रथम श्रेणी का था। मराठा के राज्य का उत्थान तो पश्चिमीय महाराष्ट्र में हुआ था; पर शीघ्र ही उनका कार्यक्षेत्र मध्य दक्षिणापथ किर्नाटक, मैसूर तथा ठेट तजापर तक का दक्षिणीय भारत बन गया था। उत्तर में काठियावाड, गुजरात, वाराणसी और

कटक की सीमा तक। का मध्यप्रदेश, तथा मध्यभारत का मालवा, प्रान्त और बुंदेलखंड, राजपूताना, दिल्ली, आगरा, दुआब और रुहेलखंड, इत्यादि प्रान्त मराठों के ही अधिकार में थे। बंगाल और अधोऽध्या प्रान्तों पर भी मराठों ने चढ़ाईयाँ की थीं, और उन प्रान्तों में मराठों का भगवां झंडा फहराने का ही था, पर ब्रिटिश सेना की रूकावट के कारण उन प्रांतों पर उनका प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। दिल्ली के तख्त पर इच्छित व्यक्ति को अभिषिक्त करने या उतारने का बल, लगभग पचास वर्षों तक, केवल मराठों ही में था। उपर्युक्त सारा प्रदेश महाराष्ट्र-मंडल के ही अधीन था, और उनका कोई न कोई सरदार, प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ का राजकाज देखता था। उन समय कई प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य भी थे, पर वे सभी, सुलह करके, महाराष्ट्र-मंडल के ही अधीन हो गये थे। मुसलमानों के राज्य हैदराबाद और मैसूर भी वास्तव में महाराष्ट्र-मंडल के शाक्षानुसार ही राजकार्य करते थे। अतः जिस मंडल का इतना भारी प्रभाव था, तथा जिमने चिरतीर्ण प्रदेश को जीत कर एक शताब्दी तक अपनी छत्रछाया में रखा था, उसी महाराष्ट्र-मंडल को एकता का रहस्य भारत के ब्रिटिश राज्य-शासकों के लिये उदा. विचारणीय विषय है। महाराष्ट्र-मंडल के मुख्यनेता तो वास्तव में पेशवा ही थे। वे केवल अपने ही देश के सैनिक नेता नहीं थे, बरन् मुगलों के राज्य-सिंहासन पर कूदियों की नाई राज्य करनेवाले बादशाहों के भी सर्वस्व थे। इसलिये यदि यह कहा जावे तो अत्युक्ति नहीं होगी कि बंगाल और मद्रास के तट के अतिरिक्त समग्र भारत का शासन महाराष्ट्र-मंडल के अधिकार में रहने

वाले हिन्दू शासकों के ही हाथ में था। उस समय मुसलमानों का प्रभाव नष्ट हो चुका था और हिन्दुओं का प्रभाव स्थापित होकर वे स्वतन्त्र शासक बन बैठे थे, अंग-प्रिटिश-शक्ति को उन्हीं के साथ लड़ कर अपना प्रभाव स्थापित करना पड़ा था।

२-महाराष्ट्र-मडल की एकता का रहस्य जानने के लिए इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि, केवल एक ही मनुष्य अथवा उसके बुद्धिमान उत्तराधिकारियों के ही द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता था, बरन् सब राष्ट्र-निवासियों के हृदयों में राष्ट्रीयता के बीज बोये जाते हैं, तथा स्वत्व की दृढ़ और गहरी भित्ति बनाई जाती है, तभी जैसे कार्य किये जा सकते हैं। बंगाल, कर्नाटक, अवध और हैदराबाद के सूबेदारों के स्वत्वों की भित्तियाँ भी उतनी दृढ़ नहीं थीं। महागाष्ट्र-साम्राज्य के उत्थान के लिये तो राष्ट्रीयकरण या राष्ट्र-संगठन ही मुख्य कारण हुआ है। यह कार्य किसी साहसी पुरुष के विजयी कार्यों से नहीं हो सकता था। अर्थात् जब सारे देश-निवासियों के हृदयों में राष्ट्रीय भावों का प्रादुर्भाव हुआ तथा वे अपनी जाति, धर्म, भेद और साहित्य-प्रेम के दृढ़ बंधनों से सुवद्ध हो गये, तभी महाराष्ट्र-साम्राज्य के उत्थान के बीज बोये गये। इस प्रकार जब उनका उच्च प्रेम-बधन दृढ़ हो गया, और अपनी एकता को और भी अधिक दृढ़ बनाने की उन्हें इच्छा हुई तब अपने राष्ट्र के लिये स्वतन्त्र राजनैतिक जीवन के बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इससे पहले तो उन लोगों में अपने स्वत्वों के विषय में जागृति हो गई, और फिर एक जाति, एक भाषा, अपने अथर्वतों के प्रति आदर

और उनका अध्ययन करने की लालसारूपी एकता-प्रवर्तक जिज्ञाना उनमें उत्पन्न हो उठी। इस प्रकार उनके हृदय में उक्त भाव उत्पन्न हो जान पर उन्हें अपनी एकता को अधिक परिपूर्ण करने के लिये अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा और आवश्यकता मालूम होने लगी, तथा उस इच्छा की पूर्ति के लिए उनमें रमाभिमान और आवेश भी उत्पन्न हो गया। भारत में मुसलमानों के आक्रमण के नाशकारक समय के अनन्तर स्वराज्य स्थापित करने का सबसे पहला कार्य महाराष्ट्र ही में हुआ; और चूँकि वही सबसे पहला प्रयत्न था, इस कारण उस साम्राज्य-रूपी भवन की भित्ति अधिक दृढ़ नहीं हो सकी। बड़े बड़े यूरोपीय राष्ट्रों में तो भित्ति की सुदृढ़ता ही विशेष प्रकार का गुण समझा जाता है। पर उसका अभाव होने पर भी महाराष्ट्र-मंडल की एकता के सत्य स्वरूप के विषय में आशंकित होना योग्य नहीं है। जगत् में ऐसे भी कई राष्ट्र हो गये हैं, जिनका उत्थान भी अचानक हुआ, और शीघ्र पतन भी, पर उनकी अपेक्षा महाराष्ट्र-मंडल में बहुत कुछ विशेषताएँ थीं। अतः हमारे कथनानुसार उसके विशिष्ट स्वरूप के विषय में आशंकित होना निरी भ्रमपूर्ण ही बात होगी। महाराष्ट्र सत्ता तो एक राष्ट्रीय हलचल थी। वह सभी वर्णों तथा सभी जातियों, अर्थात् सारे राष्ट्र का किया हुआ एक देशोद्धारक कार्य था। उसके राज्य-प्रबन्ध की दृढ़ता उद्योग श्रेणी के लोगों की अल्प नामयिक उन्नति पर ही अवलम्बित नहीं थी, वरन् उसका प्रभाव तो बिलकुल जंगली लोगों के विस्तीर्ण समाज पर भी, विशेष प्रकार से, स्थापित हो गया था। अहीर, गड़-

रिये, ब्राह्मण, अर्ब्राह्मण तथा मुसलमानों को भी उसके प्रभाव का महत्व मालूम हो गया था, और वे सभी उसके अधीन हो गये थे। कई अंग्रेज लेखकों का कथन है कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रिलकुल अभाव होता है, पर वे खुले दिल न मराठे, राजपूत तथा निक्खो में उम अभाव का नहीं बनलाते। अर्थात् उन्होंने उक्त तीनों जातियों को राष्ट्रीय-बुद्धि-गुण-संपन्न मान लिया है। राजपूतों के कई कुलों का घडा महत्त्व है और निक्खों की खालसा सेना भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वास्तव में देखा जावे तो उक्त खालसा सेना में पंजाब की बहुत ही कम मनुष्य-संख्या सम्मिलित की गई है। पर मराठों की दशा तो उक्त दोनों जातियों की अपेक्षा प्रिल-कुल ही भिन्न थी। यद्यपि उनमें भी धर्म या जाति की श्रेष्ठता के भाव थे, पर सर्वसाधारण जनो का एक ही ही राष्ट्रीय भावनाएँ हाने के कारण उक्त विषय को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। मराठे लोग छ मास तक तो राष्ट्रीय मना में सैनिक कार्य करते थे, और फिर अपने घर का वापिस लौट कर वंशपरपरामत खेती का उद्यम करके शेष समय आनन्द से बिताते थे। मराठों को अपना पुष्टेनी जायदाद के विषय में घडा अभिमान था, और यदि देखा जावे तो मराठों के स्वभाव की उस विशेषता को ही अधिक ध्यान में रखना उचित है। कई लोग बड़ी बड़ी सेनाओं के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पर तो भी उन्हें महाराष्ट्र की किसी 'पटेली' या 'दशमुखी' का जितना अभिमान था, उतना दूर देशों में, अपने वाहुल्य पर प्राप्त की हुई, बड़ी बड़ी जागीरों के विषय में भी नहीं था। जस महादजी संधिया अपने को 'पटेल' कहलान

से अधिक सम्मानित, सम्भूत थे; पर 'आलीजाह बहादुर' कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वास्तव में इस प्रकार की स्वदेशाभिमान-युक्त बुद्धि ही राष्ट्र-रचना के विशिष्ट-परिणाम को जतलाने के लिये अत्यन्त उपयोगी होती है। अपने राष्ट्र के विषय में अभिमान उत्पन्न होने ही के कारण, मराठों के राज्य का इतना विस्तार हुआ, और उनका प्रभाव स्थापित हो गया। अतः यदि कोई यह प्रश्न पूछे, कि हमें मराठों के इतिहास का अध्ययन विशेष प्रकार से क्यों करना चाहिये, तो हमारे लिये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उक्त सिद्धान्त ही अधिक उपयोगी होगा। वास्तव में देखा जावे तो मराठों का इतिहास ही एक सच्चे भारतीय राष्ट्र की रचना का इतिहास है। इस राष्ट्र ने, मुसलमानों के अत्याचार से शोचनोप-परिस्थिति प्राप्त हो जाने पर भी, अपना सिर ऊंचा उठाया। इसके बाद महाराष्ट्र-मंडल के नेताओं को अन्य सभी शक्तियों को एकत्रित करके अपने अधिकार में कर-लेने तथा दिल्ली को भारतीय साम्राज्य की राजधानी बनाने की इच्छा हुई। हदर, टीपू अयब, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल और अयोध्या के मुसलमान शासकों के इतिहासों में भी उक्त प्रकार की बातें बिलकुल दिखाई नहीं देती। उनके इतिहास तो केवल व्यक्ति-विषयक चरित्र ही है, पर शिवाजी के नाम के साथ जिस-सत्ता का दृढ संपर्क है, उसके इतिहास को तो मराठों का इतिहास कहना ही विशेष शोभा देता है।

३-कई अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने मराठों का इतिहास लिखा है, पर एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उन्होने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया। इतिहास का अध्ययन करनेवालों को

उस महत्वपूर्ण विषय से बहुत कुछ नैतिक शिक्षा मिल सकती है, यही नहीं, बल्कि उसी एक कारण के लिये मराठों के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। सोलहवीं शताब्दी के अंत तथा सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में महाराष्ट्र में जो हलचल मची हुई थी, वह केवल राजनैतिक ही नहीं थी, वग्न राज्यक्रांति के पूर्व ही वहा पर धर्मक्रांति भी हो चुकी थी। और यदि वास्तव में देखा जावे तो वहा की जनता में केवल धार्मिक और सामाजिक उन्नति की चाह बढ जाने ही के कारण वहा पर राज्यक्रांति हा गई, अत यदि धार्मिक जागृति न होती तो राज्यक्रांति भी कदापि नहीं हो सकती थी। हमें विश्वास है कि मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं पर धार्मिक अत्याचार होने ही से सारे महाराष्ट्र में हलचल मच गई जिससे शिवाजी और उनके सहायक भी उत्साहित हो गये। यद्यपि हमारा यह कथन 'सर्वथा असत्य नहीं है, तथापि हम एक इसी कारण से मराठों के उठने की बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अर्थात् केवल मुसलमानों के अत्याचारों ही के कारण मराठों का उत्थान नहीं हुआ था। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सोलहवीं शताब्दी के दक्षिण के मुसलमान शासक अत्यंत हठीले तथा अपने ही धर्म के अध-भक्त थे, और औरंगजेब भी अपने धर्म का कट्टर पक्षपाती था, तथापि उनकी धार्मिक कट्टरता ही महाराष्ट्र साम्राज्य के विकास का कारण नहीं कही जा सकती। यदि वास्तव में देखा जावे तो औरंगजेब के पूर्व ही मराठों के उत्थात का आरंभ हो चुका था। मराठों और मुगलों के युद्धों में भी मराठों की ओर से किसी बात की कमी नहीं देखी पड़ी थी, तथा अत

में तो उन्हीं की विजय हुई थी। पर सच बातें तो यह हैं कि जिस प्रकार यूरोप में, सोलहवीं शताब्दी में, धार्मिक सशोधन का कार्य हुआ था, ठीक उसी प्रकार भारत में, और विशेष कर दक्षिण में, पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दियों में, धार्मिक तथा सामाजिक पुनरुज्जीवन और सशोधन का कार्य हुआ था। पर वह धार्मिक जागृति भी केवल प्राचीन पौराणिक ब्राह्मण-धर्म के आधार पर ही नहीं हुई, वरन् जन्ममूलक वर्णभेद, आचार और सम्प्रदाय के बिल्कुल विरुद्ध, नई शैली के अनुसार ही हुई थी। किसी के ब्राह्मण हुल में उत्पन्न होने ही से वह श्रेष्ठ है या किसी अन्य जाति का कोई मनुष्य चाहे कितना ही पवित्र आचरण वाला क्यों न हो, तो भी वह अपवित्र और त्याज्य होता है, इस प्रकार के प्राचीन विचार नष्ट होकर, समाज को नैतिक शिक्षा देने के प्रोत्सर्ध ही, नूतन धार्मिक भावनाओं का उदय हुआ था। तदनुसार शुद्ध अत-करण और प्रेम के आगे संस्कार और यज्ञ-यागादि करके पुण्यप्राप्ति के मार्गों का कोई महत्त्व नहीं रहा और भक्तिभाव का पूज्य तथा कर्म के दार्मिक स्वरूप को श्रृणित दृष्टि से देखा जान लगा। महाराष्ट्र के सर्वसाधारण जनो ही के द्वारा उक्त प्रकार का धार्मिक पुनरुज्जीवन हुआ था। यद्यपि उच्च वर्णों के लोग भी उसमें सम्मिलित थे, पर उनमें किसी वान की भी विशेषता नहीं थी। उनके नेता तो साधु, कवि और तत्वज्ञानी ही थे और वे भी निम्न श्रेणी के ही थे। उनमें ब्राह्मणों का निरा शभाव भी नहीं था, पर उनकी अपेक्षा दर्जी, चढई, कुम्हार, माली, चनिया, नाई आदि ही अधिक थे, तथा भगी भी थे। इसीसे तुकाराम, रामदास, वामन

पंडित, एकनाथ, गोविदास, चावामेला, गोरा कुम्हार, नामदेव दर्जी आदि के नाम नुनरे ही जनता प्रेममय और मोहित हो जाती थी। इस बात को दो सौ वर्ष बीत जाने पर भी इस समय के महाराष्ट्र वासियों के हृदय पर उनके नामों का बहुत कुछ प्रभाव स्थापित हो गया है, अतः यह बात भी उस समय की धार्मिक हलचल की सफलता को ही बतलाती है। राजनैतिक नेता भी उन धार्मिक नेताओं के परामर्श के अनुसार ही कार्य करते थे। शिवाजी के मुख्य उपदेशक श्री-रामदासजी से और अपनी अपूर्व दृग्दर्शिता ही के कारण वे 'समर्थ' कहलाते थे। उन्हीं के परामर्श के अनुसार मराठों के राष्ट्रीय झंडे का रंग भगवा नियत किया गया था; तथा उन्हीं के उपदेश के अनुसार एक प्रकार की विशेष सम्मान-दर्शक प्रणाम करने की 'अर्थात् 'राम राम' करने की, प्रथा चल पड़ी थी अतः इन दो घटनाओं, अर्थात् 'भगवा झंडा' और 'राम राम' कह कर प्रणाम करने की प्रणाली, से भी उस समय की राजनैतिक हलचल को धार्मिक स्वरूप ध्यान में आ सकता है, तथा यह बात भी मालूम हो सकती है कि उस समय क लोगों का स्वतंत्र बचने की प्रेरणाएं किन प्रकार हुआ करती थी। धर्म और राज्य का दृढ़ सम्बन्ध हो चुका था। बाजीराव पेशवा पर धारादशी के ब्रह्मेन्द्र स्वामी की बड़ी रूपा थी, तथा विचूरकर कुल के भूत पुरुष जिट्ठल शिवाजी ता अपने गुरु की प्रेरणाओं के अनुसार ही सब कार्य रत थे। शिवाजी के शील और उनके प्रवर्तक हतु का वर्णन जर्नल मेडोज डेलर ने अपने 'उपन्यासों में बहुत ही अच्छा किया है। मराठा के इतिहास के लेखक जस्ट डफ का अर्थ पढ़ लेने ही से शिवाजी

के पराक्रम के कारण मालूम नहीं हो सकने । महाराजा शिवाजी का तो विश्वास था कि उन्हें माता भवानी ही प्रेरणाएं हुआ करती हैं । अर्थात् किसी संकट के समय, उनके शरीर में प्रवेश करके, श्रीभवानी जो कुत्र आज्ञा उन्हें देती थीं, उसी के अनुसार वे कार्य करते थे । इतिहास-सशोधकों को उन सभी धार्मिक भावनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है; क्योंकि उनका परिणाम अभी तक महाराष्ट्र-समाज पर स्थित है और उनका इतना प्रभाव स्थापित हो चुका है कि वह उन लोगों की धर्मश्रद्धा तथा भावी सुख की आशा में भी स्पष्ट रूप से देख पड़ता है । धार्मिक संशोधन के कारण पश्चिमीय यूरोप की राजनैतिक स्वतंत्रता पर जो कुछ परिणाम हुए, ठीक वैसे ही परिणाम पश्चिमीय भारत पर भी हुए हैं । इस प्रकार उनके विकास की गति शिल्प, कला, धर्म, देशी भाषा के साहित्य की वृद्धि, जाति-विषयक स्वतंत्र जीवनक्रम, स्वावलम्बन और सहिष्णुता अर्थात् सदानुभूति की वृद्धि में भी देख पड़ती है । अतः जब तक उनकी अतिसूक्ष्म चेतना उत्पन्न करनेवाले धर्मबुद्धिरूपी राज का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मराठों के इतिहास का सच्चा स्वरूप मालूम नहीं हो सकता । हमारा विश्वास है कि देशीय और विदेशीय इतिहास-सशोधक मराठों के इतिहास को जिस दृष्टि से देखते हैं, उसमें यदि हमारे उक्त कथन का भी समावेश किया जावेगा तो उस इतिहास का यह तीसरा स्वरूप अत्यन्त उपयोगी होगा ।

४-अब हमें इस इतिहास के एक और स्वरूप के विषय में कुछ लिखना आवश्यक जान पड़ता है और उसके परिणाम के देखते, यदि यह भी कहा जावे तो अत्युक्ति नहीं होगी कि

उसके कारण महाराष्ट्र-भ्राज्य की जितनी दृढ़ता हुई, उतनी ही उसकी निर्दलता भी हुई है। मराठों का इतिहास तो संयुक्त राज्यों के इतिहास की नाई है। उनके स्वराज्य स्थापित हो जाने पर उसका शासन विभिन्न मंत्रियों को सौंपा गया, जिससे महाराष्ट्र राज्य प्रस्थापक की मृत्यु हो जाने के अनंतर मुख्य शासक सदा निर्दल ही बने रहे। यद्यपि महाराज शिवाजी स्वराज्य-स्थापक थे, तथापि वे राज्य प्रबंध के विषय में राष्ट्रीय अधिकार विभाग के अनुसार ही शासन करते थे। किसी एक ही पुरुष के हाथ में राज्य-कार्य सौंप कर दूसरों से परामर्श न लेने की प्रथा उन्हें पसंद नहीं थी। उनके अष्ट प्रधान थे और वे उनके केवल परामर्शदाता ही नहीं थे, घरेलू राज्य और सेना का प्रबंध इन्हीं पर सौंपा गया था। इसी प्रथा के कारण, जिस समय शिवाजी दिल्ली के कारागृह में फँदे गये थे, और उनके देश तथा उसके अन्तर्गत गढ़ और किले मुसलमानों ने जीत लिये थे, उस समय उस विभक्त-शासन प्रथा से ही बड़ा लाभ हुआ। राज्यशासन का कार्य उनके सरदारों के हाथ में सौंपा गया था, इसी कारण कोई एक सरदार अपने तौर पर प्रबल नहीं हो सका और यदीगृह से छुटकारा पति ही वे पुनः राज्यसिंहासन पर बिठलाये गये। इसके निवारण, जब औरंगजेब के सनापति न शिवाजी के पुत्र संभाजी को वदीगृह में रखा और वहाँ क्रूरता से उनके धर्म के उनके पुत्र को अपने जनानेयाने में रखा, तब सारे मराठे सन्देश दिसिए की ओर चले दिये और योग्य अवसर पते ही उन्होंने अपने राज्य को जीत कर औरंगजेब से, उसके निये का बदला लिया। पेशवाओं के राजस्यकाल में भी उसी प्रथा का

आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब लोगों में उक्त प्रकार के चश-परम्परागत विशिष्ट गुण होते हैं, तभी संयुक्त में चिरस्थायी हो सकता है। जब तक उक्त गुण महाराष्ट्र मडल में थे, तब तक उसकी व्यवस्था के, मनोमोहक स्वरूप को देखकर आश्चर्य-चकित होना पड़ता था। अतः अल्पकाल में महाराष्ट्र मडल में उक्त गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का इतिहास हमारे देश-निवासी, तथा विदेशियों के लिये भी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

५-नैतिक दृष्टि से भी इस इतिहास का मनोरंजक स्वरूप विशेष महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य-प्रवर्ध के कारण ही महाराष्ट्र की अनेक सफटों से रक्षा हुई थी। केवल इतना नहीं, बल्कि उन सफटों के कारण वह शौर भी अविनाशवान् हा गया था। महाराष्ट्र को उक्त प्रकार के चार सफटों से सामना करना पड़ा था। वे महान् सफट ये हैं—(१) महागज शिवाजी का, दिल्ली में, कैद होना; (२) मुगलों के सभाजी के कैद करने पर राजागम का दक्षिण को चला जाना, (३) पानीपत के युद्ध में मराठों का हताश हो जाना तथा (४) नारायणराव पेशवा के मारे जाने पर जब राघोबादादा की आसुग महत्वाकांक्षा पूर्ण न हो सकी, और घर की पृथ्वी अग्नि प्रज्वलित हो गई, इधर ब्रिटिश सत्ता का बल्ले मरोठे विरुद्ध काम कर ही रहा था—पैसी दशा में पूना-दरवार के नेताओं को राज्य शासन करना पड़ा। महाराष्ट्र राज्य के लिये ये चार बड़े सफट के अवसर उपस्थित हुए, परन्तु फिर भी महाराष्ट्र ने अपना स्वर ऊँचा धनाये रखा उसकी इतिहास का अर्थ

यह बात दूसरी है कि उस राष्ट्र का राज्य अधिक काल तक स्थायी न रह सके। उसके इतिहास का महत्व केवल उसके न्यूनाधिक शासन-काल की भरपाई से ही नहीं मापना चाहिए, किन्तु जिस सगठित शक्ति और जिस सर्वमान्य प्रणाली में उस शक्ति ने राज्य किया, वह अचञ्चल ही सब के लिए शिक्षादायक और चित्तकरक है।

६-अंतिम सत्र से महत्व की बात भा-देखिये। इस समय भी यद्यपि भारत के अंग्रेज शासक ठीक पेशवा या मुगल बादशाहों की तरह हैं, अर्थात् सारे भारत में उन्हीं का शासन सर्वश्रेष्ठ है, तो भी महाराष्ट्र-नयुक्त सत्ता के अवशिष्ट भाग अब भी मौजूद है, और वे अंग्रेज सरकार की अधीनता में स्वतंत्र रूप से राज्य करते हैं। ग्वालियर, इन्दौर, धार, देवास बड़ौदा और कोल्हापुर के राज्य तथा दक्षिण महाराष्ट्र के सरदार उन्हीं अवशिष्ट राज्यों में से हैं। बम्बई प्रदेश और अन्य देशों राज्य तथा मध्य प्रांत, बरार और निजाम के राज्य में रहने वाले तीन करोड़ मराठी-भाषा-भाषी भी उसी के अवशिष्ट अंग हैं। ये सभी अंगरेजी साम्राज्य में बड़ी शान से रहते हैं। इस समय भी उनका बहुत कुछ महत्व है और यदि उनकी अन्य लोगों से तुलना की जाय तो हमारा विश्वास है कि वे उनकी अपेक्षा किसी तरह कम नहीं हैं। यदि यद्यत्काल राष्ट्रियता के तत्व के अनुसार, भारत के विभिन्न विभाग बनेंगे, और उन विभागों की विभिन्न राजनैतिक सम्थाएँ बनकर सारे भारत में अंग्रेजी सरकार के साम्राज्य शासन के सामान्य सूत्रों से बद्ध होंगी, तो उस समय भारत-दर्प जिन बातों को सिद्ध कर सकेगा, और इस देश की भावी

योग्यता जिस प्रकार की होगी, उसका विचार करते समय मराठों के इतिहास से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। विशेष कर के वर्तमान मराठों का भावी इतिहास में कौनसा कार्य करना होगा—इस बात का निर्णय करने के लिये मराठों के भूतकाल के इतिहास का बहुत कुछ उपयोग होगा।

इस प्रकार हमें जिस महाराष्ट्र-मंडल के उत्थान और विपतन का वर्णन करना है, उसका स्थायी नैतिक और तात्त्विक महत्त्व जिन मुख्य मुख्य बातों पर अवलम्बित है, उन्हीं के वर्णन में, इस परिच्छेद में, वर्णन किया है।

द्वितीय परिच्छेद ।

—०००—

क्षेत्र कैसे तैयार किया गया ?

प्रायः कई देशी और विदेशी इतिहास लेखक बंतेतुकी बातें कहा करते हैं कि मराठों का अभ्युदय तो कई आकस्मिक घटनाओं के कारण हुआ था, उनका उत्कर्ष होने के योग्य उनमें शक्ति नही थी और यदि उनका भाग्य अनुकूल न होता तो उनका नाम भी सुनाई न देता, इत्यादि । ब्राटडफ साहब ने तो मराठा की उन्नति का सहाय्य पर्वत पर के दावानल की ही उपमा दी है । उनका कथन है कि जिस प्रकार अरण्य की दावाग्नि एकाएक जल उठती है, और वह अपने आप ही बुझ जाती है, उसी प्रकार मराठों की पराक्रमरूपी अग्नि जल उठी और बुझ गई । परन्तु हमारी राय में शायद उन्होंने, केवल प्रलम्ब के शौर ही के कारण, उक्त उपमा का उपयोग किया है । क्योंकि यदि उसक विषय में पूर्ण विचार कर लेने पर उनका उक्त विश्वास हा जाता तो वे १७वीं शताब्दी से मराठों के उत्कर्ष की भित्ति जमने का वर्णन ही अपन इतिहास के प्रथम तीन भागों में न करते । अत यदि वास्तव में देखा जाये तो जल आकस्मिक बातों पर ही मराठों का उत्कर्ष अवलम्बित नहीं था । सच तो यह है कि, मुसलमानों के महाराष्ट्र पर चढ़ाई करन के पूर्व ही मराठों का कार्य आरम्भ हो गया था । उसके उत्कर्ष के सच्चे कारणों का ज्ञान प्राप्त करने

केलिये तो पंडित-प्रवर भाडारकरजी द्वारा संशोधित ताम्रपत्रों और शिलालेखों का यथावत् अध्ययन करना ही आवश्यक है। उस अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर लेने से हमें भली भांति मालूम हो जायगा कि (१) मुसलमानों के शासन के विरुद्ध सद्य से पहले महाराष्ट्र-ही-में-क्यों प्रयत्न किया गया; तथा (२) मराठों की देशस्थिति और संस्थाओं के किन गुणों के कारण उन्हें उक्त प्रयत्न में सफलता मिली।

महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थिति ही इस प्रकार की है कि, जिससे उस देश के निवासियों का उत्कर्ष अवश्य ही होना चाहिए। उक्त प्रकार का लाभ गंगा, सिंध, अथवा अन्य अरब के समुद्र या हिंद महासागर में गिरनेवाली नदियों के प्रदेशों में प्राप्त नहीं हो सकता। उस देश के पश्चिम में तो सह्याद्री पर्वत है तथा उत्तर में विन्ध्याचल और सतपुडा। उन पर्वतों की छोटी छोटी शाखाएं भी देश में चारों ओर फैल गई हैं; और उन पर्वत-शाखाओं की गोंहों और घाटियों से निकलनेवाली नदियां अंत में गोदावरी और कृष्णा में गिरती हैं। इस प्रकार सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों का चारों ओर जाल सा फैल गया है और देश भी विलकुल पहाड़ी, उग्र तथा ऊंचा-नीचा है। भूगोल की दृष्टि से कोंकण-समुद्र और सह्याद्री पर्वत के बीच का प्रदेश—महाराष्ट्र में ही गिना जाता है। पर्वत के शिखर पर के प्रदेश का 'घाट माथा' कहते हैं; और नीचे के प्रदेश को 'देश'। प्रायः सभी पहाड़ियों पर किले बनाये गये हैं, जिससे स्वभावतः ही देश की रक्षा होती है। मराठों की राजनैतिक कार्यवाहियों में उन किलों ने भी बड़े महत्व का कार्य किया है। देश का स्वरूप अच्छा है,

घोर चहा का जलवायु भी उत्तम तथा स्फूर्तिदायक है। उत्तरीय भारत के समथर या नीचे की ओर बसे हुए प्रदेशों की भाँई महाराष्ट्र की वायु कभी अत्यंत उष्ण और कभी अत्यंत शीत नहीं होती। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण पृथ्वी उपजाऊ नहीं है, पर चहा के निवासी बलवान, परिश्रमी और कष्टसहिष्णु होते हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल एक लाख वर्गमील है, घोर मनुष्य-संख्या तीन करोड़ है। उसका स्वरूप एक समतल त्रिभुज की तरह है। दक्षिण से काठवार तक का सह्याद्रि शिखर और समुद्र उस त्रिभुज का आधार हैं। सतपुडा के पारभ से ठेठ गोदावरी नदी के मुहाने तक का प्रदेश उसकी एक भुजा है और गोदावरी के मुहाने से लगाकर काठवार तक का मराठी-भाषा-भाषियों का प्रदेश उस त्रिभुज का कर्ण है। दक्षिण में महाराष्ट्र देश उत्तरीय भारत और दक्षिणीय प्रायद्वीप के बिल्कुल मारे पर है, जिससे उसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया है। मैसूर और मालवा प्रदेश की स्थिति भी ठीक महाराष्ट्र से मिलती जुलती है। पर, वे प्रदेश बिल्कुल एक ओर होने से उन्हें महाराष्ट्र की भाँई महत्व प्राप्त नहीं हुआ है।

इस देश के स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा चहा के निवासियों के स्वभावों का ह्रा उस देश के इतिहास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। उत्तरीय भारत में आर्यों की घनी बस्ती होने से चहा के मूल निवासी प्रायः निर्वल से हो गये हैं। केवल पहाड़ी प्रदेशों ही में वे कुछ शक्तिशाली देखे जाते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप में तो मूल निवासी द्रविड जाति ने अपना प्रभाव, स्थायी रूप से जमा रखा है। आर्य जाति

वहा पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सकी। महाराष्ट्र-निवासियों में उक्त दोनो जातियाँ सम्मिलित हो गईं हैं, और उन दोनो जातियों के अग्रगुण नष्ट होकर गुणों का अणु उनमें बहुत कुछ रह गया है। मराठा भाषा ही हमारे उक्त पथ का निदर्शन है। वास्तव में मराठा भाषा का मूल स्वरूप तो टाँचिडी है, पर आर्यों ने उसकी रचना में उलट-फेर कर के उन पूरे वंश को पहुँचा दिया है। उत्तरीय भारत की तरह महाराष्ट्र निवासी गारे रंग वाले, नालुक और मुसंगठित शरीर वाले नहीं हैं। परन्तु दक्षिण के द्रविड़ लोगों की नाईं वे काले और भेरे स्वरूप वाले भी नहीं हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान आर्यों में, मूल आर्य और उनके अनन्तर वहा पर गईं हुई, सीधियन नामक जाति भी सम्मिलित हो गईं हैं। अनार्यों में भी मूल-निवासी कोल, भील, और जगली 'रामोशी' नामक जाति का उच्च जाति के द्रविड़ लोगों से मिश्रण हो गया है।

मनुष्य-संख्या की उक्त दो जातियों के परिमाण-समेलन के कारण महाराष्ट्र के धर्म और सस्थाओं में जैसी समानता देखा पडती है, वैसे भारत में नहीं पर भी नहीं दिखाई देती। उन सस्थाओं में ने अधिक ध्यान में रखने के योग्य सस्था तो 'ग्रामसस्था' है। विदेशियों के आक्रमण के कारण वहा की हजारों संस्थायें नष्ट हो गईं, पर उक्त सस्था तो ऐसी दृढ़ भित्तियों पर रची गई है कि उसका स्वरूप अभी तक कायम है। अंग्रेजोंने भी इस ग्रामसस्था और पंचायत का, अपने राज्य शासन में, उपयोग किया है। ठीक उक्त सस्था की तरह दूसरी उपयोगी सस्था मिरासदारों की है। छोटे छोटे रूपक

सहृदयपूर्ण अन्तर के कारण महाराष्ट्र-निवासियों में स्वातन्त्र्य-प्रियता, पारस्परिक सहानुभूति और परस्पर सहायता करने की इच्छा, इत्यादि गुण स्वभावत ही उत्पन्न हो गये हैं। इस समय भी वे गुण उन लोगों में देख पड़ते हैं, और उनके स्वराज्य स्थापित करने के समय में भी वे ही गुण अधिक सहायक हुए थे।

महाराष्ट्र में धार्मिक कट्टरता भी नहीं देख पड़ती। तुंगभद्रा नदी के पार स्मार्त, वैष्णव आदि विभिन्न धार्मिक पंथों का जो मतभेद दिखाई देता है, वह महाराष्ट्र में नहीं है। यद्यपि महाराष्ट्र के उक्त पंथ कभी एकत्रित नहीं हुए, तथापि वे पारस्परिक ईर्ष्या से बचकर सदा उदासीन ही बने रहे। धर्म के विषय में सहनशील रहना उस देश में एक बड़ा भागी गुण है। वहाँ के ब्राह्मण और शूद्र आपस में मिल-जुल कर बड़े प्रेमभाव से रहते हैं। गुरु, गोस्वामी महंत आदि लोगों का पाखंड भी वहाँ पर नहीं देख पड़ता। वहाँ के मूल निवासी हीन जाति के शूद्र वैष्णवों साधु-सतों के मत को स्वीकार करके, क्षत्रिय अथवा वैष्णव बन गये हैं। शूद्र, भेगी आदि नीच जातियों में भी प्रसिद्ध कवि और साधु हो गये हैं, तथा ब्राह्मण जाति भी उन्हें पूजती है। सारे देश में उनके विषय में बड़ा आदर-भाव है। इस प्रकार उक्त सहानुभूतिपूर्ण परिस्थिति में रहने वाले मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता भी बहुत कुछ कम हो गई, जिससे हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक उत्सवों में बड़े आनन्द से मिलते रहे हैं। हिन्दू साधु-सतों में मुसलमान फकीरों की भी गणना क की गई है, कई साधु-सतों को तो दोनों जातिया प्रेमपूर्वक पूजते

हैं। इस प्रकार अपने मत से भिन्न धर्मपथियों का तिरस्कार न करके, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का स्वीकार करने की उदारता का गुण, कई गताचरियों से, महाराष्ट्रियों में मौजूद है, अतएव उनमें कभी पारस्परिक फूट नहीं होती और न कभी किसी प्रकार के झगड़े-बखेड़े ही होते हैं। किसी भी विषय का उग्र स्वरूप हा जाने के पहले ही, उसके विषय में शांतिपूर्वक विचार करने की देव भी उनमें है। सारांश यह है कि उनमें उक्त गुण अच्छी तरह से समा गये थे और इनमें बिलकुल सदेह नहीं है कि वे ही गुण उनकी उन्नति में बहुत कुछ सहायक भी हुए।

इस प्रकार देश का प्राकृतिक स्वरूप, लोगों का स्वभाव और संस्थाएँ अपूर्व होने के कारण वहाँ पर विदेशियों का शासन अधिक काल तक कैसे टिक सकता था ? मराठों के इतिहास से उक्त नियम की यथार्थता शीघ्र ही घात हो सकती है। वे लोग स्वभावतः ही स्वातन्त्र्य-प्रिय हैं, और यद्यपि उन्हें कभी कभी विदेशियों की गुलामी भा करना पड़ी, तथापि वे फिर से अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के कार्य को करते ही गये। किसी भी शासन का शासन, महाराष्ट्र पर, अधिक काल तक नहीं टिक सका है। भारत के अन्य प्रदेशों में भी कई राज्य देख पड़ते हैं, पर महाराष्ट्र की स्थिति बिलकुल भिन्न है। वहाँ पर तो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का ही शासन अविच्छिन्न है; और एकजुटीय शासन के विरुद्ध वहाँ के लोग सर्वदा प्रयत्न करते रहते हैं। यद्यपि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घटे पक्षपाती थे, तथापि वे सभा, एकत्रित होकर उत्तर की ओर से आये हुए शत्रुओं को हटाने का भी प्रयत्न

करते थे । कहा जाता है कि ईश्वी सन् के आरम्भ ही मं शात-वाहन अर्थात् शालिवाहन राजा ने सीधियन लोगों का पराभव किया था और ६०० वर्ष के अनन्तर चालुक्यवंशीय राजा पुलकेशी ने उन्हें फिर से हराया था । महाराष्ट्र में अनेक छोटे-बड़े राज्य थे । शिलालेखों, प्राचीन सिक्कों तथा नात्रपत्रों आदि से ज्ञात होता है कि इस देश के शासक वारम्बार, बदलते थे । नगर, पैठन, चदामी, मालखड, गोवा, कोल्हापुर कल्याण, देवगिरि, दोलताबाद आदि स्थान चालुक्य, राष्ट्र-गुप्त, और यादव राजाओं की राजधानियाँ थीं । चालुक्य, नतखडे, रुदग, मोरे, शेलार, अहीर और यादवों में भी अपना अपना अधिकार स्थापित करने के लिए झगड़ें हुआ करते थे । उन देश पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने तक वही दशा रही । लगभग १४वीं शताब्दी के आरम्भ ही से मुसलमान लोग महाराष्ट्र पर चढ़ाई करने लगे थे । इसके २०० वर्ष पहले मुसलमानों का उत्तरीय भारत पर प्रभाव स्थापित हो चुका था, जिससे उनको अधिकांश देश के जीत लेने में केवल ३० ही वर्ष लगे । परन्तु पश्चिमीय महाराष्ट्र और कोकन में प्रायः वे कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सके । हा, पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में उन्होंने कोकन पर अधिकार जमा लिया था, परन्तु मावळ या घाटमाथा को वे कभी नहीं जीत सके ।

मुसलमानों के शासन के कारण भी उक्त प्रदेश के लोगों के व्यवहार बर्ताव तथा भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पडा । उस समय भी प्रायः वह सारा प्रदेश हिन्दू किलेदारों के ही अधिकार में था । वहाँ की मुख्य-संख्या में भी कोई फर्क नहीं

पडा। बहुत ही कम मुसलमान उस देश में जाकर बस सके। वर्तमान समय में भी वहा की मुसलमान जनसंख्या बहुत ही कम है। महाराष्ट्र में मुसलमानों के शासन को कभी स्थायी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। पर उत्तरीय और पूर्वीय भारत में तो मसजिदों और कबरों को अत्यंत अधिकता हुई, हिन्दू देवालय नष्ट हो गये और हिन्दू तो खुल्लमखुल्ला अपने देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकते थे। यहा तक कि लोग अपने व्यवहार-वर्ताव में भी मुसलमानों की भाषा का ही उपयोग करने लगे। तभी से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि उत्तरीय भारत की उक्त प्रकार की स्थिति हो गई थी, तथापि महाराष्ट्र में उनका विलकुल अनुभव नहीं हुआ। वहा पर मुसलमानों के शासनकाल में भी हिन्दू धर्म और देशी भाषा की उन्नति होती रही। अतः अब हम इस बात का विचार करना आवश्यक है कि महाराष्ट्र में ही उक्त स्थिति क्यों हुई, और मुसलमानों के प्रभाव को नष्ट करके हिन्दुओं ने धीरे धीरे अपने राज्य की स्थापना कैसे की।

(१) जितने मुसलमान दक्षिण की ओर गये, उन्हें, अपना देश अधिक दूरी पर होने के कारण, हिन्दुओं में ही सम्मिलित हाना पडा। दिल्ली में तो अफगान, खिलजी, तुर्क, मुगल आदि विभिन्न मुसलमान जातियां समय समय पर, उत्तर की ओर से आती थीं, जिससे मुसलमानों के धर्म और व्यवहार-वर्ताव का एक सा ही रूप बना रहा। पर दक्षिण के मुसलमानों में उनके जानिभाई चाग्खार सम्मिलित न हो सके, अतएव वहा पर मुसलमानों की सभ्यता का अधिक प्रचार नहीं हुआ।

(२) दक्षिण के वहमनी राज्य का सस्थापक हमन दिल्ली-निवासी गगू नामक ब्राह्मण का सेवक था । उसके स्वामी ने उसके लिए, बड़े भाग्यशाली होने का भविष्य-वचन दिया था । अतः हसन ने, गगू के पूर्व-उपकार का, स्मरण करके अपना राज्य स्थापित करने पर उसे वहमनी राज्य तथा अपने को "हसन गगू वहमनी" कहलाना शुरू कर दिया । इन बातों का अर्थ यही है कि दक्षिण में उस समय मुसलमानों ने भी एक प्रकार से हिन्दू-सम्मान को मान लिया था । परन्तु उत्तरीय भारत में यह बात न हुई । अस्तु । इस प्रकार दक्षिण में मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं के सम्मानित होत पर, हिन्दुओं का बड़ा प्रभाव स्थापित हुआ, और जब हसन ने गगू को दिल्ली से बुला कर उसे सभी प्रकार के करों के वसूल करने का कार्य सौंपा, तब हिन्दुओं वा दर्जा राजकाज में और भी बढ़ गया ।

(३) फलतः भूमि कर वसूल करने और कोष की व्यवस्था दिल्ली की ओर से आये हुए ब्राह्मणों, और सत्रियों ही के हाथ में रहने लगी, जो कि आगे चल कर धीरे धीरे दक्षिणी ब्राह्मणों और प्रभू लोगों के हाथ में चली गई ।

(४) राज्य के आय-व्यय का हिसाब हिन्दुओं के अधिकार में आ जाने का फल यह हुआ कि, वहमनी राज्य नष्ट हो गया और उसकी जगह बीजापुर, बगर, अहमदनगर, बेदर और गोलकुडा में पांच स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए । इन राज्यों के हिसाब-किताब के कार्यों में विदेशीय भाषा फारसी या उर्दू का उपयोग नहीं किया गया, अर्थात् उनके आय-व्यय के चिट्ठे तो, आरंभ से लगाकर अत तक, देशी भाषा में ही लिखे जाते थे ।

पडा। बहुत ही कम मुसलमान उस देश में जाकर बस सके। वतमान समय में भी वहा की मुसलमान जनसंख्या बहुत ही कम है। महाराष्ट्र में मुसलमानों के शासन को कभी स्थायी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। पर उत्तरीय और पूर्वीय भारत में तो मसजिदों और कबरों की अत्यंत अधिकता हुई, हिन्दू देवालये नष्ट हो गये और हिन्दू तो खुल्लमखुल्ला अपने देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकते थे। यहा तक कि लोग अपने व्यवहार-वर्ताव में भी मुसलमानों की भाषा का ही उपयोग करने लगे। तभी से उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि उत्तरीय भारत की उक्त प्रणार की स्थिति हो गई थी, तथापि महाराष्ट्र में उनका विलकुल अनुभव नहीं हुआ। वहा पर मुसलमानों के शासनकाल में भी हिन्दू धर्म और देशी भाषा की उन्नति होती रही। अतः अब हमें इस बात का विचार करना आवश्यक है कि महाराष्ट्र में ही उक्त स्थिति क्यों हुई, और मुसलमानों के प्रभाव को नष्ट करके हिन्दुओं ने धीरे धीरे अपने राज्य की स्थापना कैसे की।

(१) जितने मुसलमान दक्षिण की ओर गये, उन्हें अपना देश अधिक दूरी पर होने के कारण, हिन्दुओं में ही सम्मिलित होना पडा। दिल्ली में तो अफगान, खिलजी, तुर्क, मुगल आदि विभिन्न मुसलमान जातियां समय समय पर, उत्तर की ओर से आती थीं, जिससे मुसलमानों के धर्म और व्यवहार-वर्ताव में एक सा ही रूप बना रहा। पर दक्षिण के मुसलमानों में उनके जातिभेद बरकरार सम्मिलित न हो सके, अतएव वहा पर मुसलमानों की संभ्यता का अधिक प्रचार नहीं हुआ।

(२) दक्षिण के वहमनी राज्य का संस्थापक हसन दिल्ली-निवासी गंगू नामक ब्राह्मण का सेवक था। उसके स्वामी ने उसके लिए, बड़े भाग्यशाली होने का भविष्य-कथन किया था। अतः हसन ने, गंगू के पूर्व-उपकार का स्वर्ण करके अपना राज्य स्थापित करने पर उसे वहमनी राज्य तथा अपने को "हसन गंगू वहमनी" कहलाना शुरू कर दिया। इन बातों का अर्थ यही है कि दक्षिण में उस समय मुसलमानों ने भी एक प्रकार से हिन्दू-सम्मान को मान लिया था। परन्तु उत्तरीय भारत में यह बात न हुई। अस्तु। इस प्रकार दक्षिण में मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं के सम्मानित होना पर, हिन्दुओं का बड़ा प्रभाव स्थापित हुआ, और जब हसन ने गंगू को दिजी से बुला कर उसे सभी प्रकार के करों के वसूल करने का कार्य सौंपा, तब हिन्दुओं वा दुर्जा राजकाज में और भी बढ गया।

(३) फलतः भूमिकर वसूल करने और कोष की व्यवस्था दिल्ली की ओर से आये हुए ब्राह्मणों और खत्रियों ही के हाथ में रहने लगी, जो कि आग चल कर धीरे धीरे दक्षिणी ब्राह्मणों और प्रभू लोगों के हाथ में चली गई।

(४) राज्य के आय-व्यय का हिसाब हिन्दुओं के अधिकार में आ जाने का फल यह हुआ कि, वहमनी राज्य नष्ट हो गया और उसकी जगह बीजापुर, बगर, अहमदनगर, बेदर और गोलकुडा में पांच स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। इन राज्यों के हिसाब-किताब के कार्यों में विदेशीय भाषा फारसी या उर्दू का उपयोग नहीं किया गया। अर्थात् उनके आय-व्यय के चिट्ठे तो, आरम्भ से लगाकर अत तक, देशी भाषा में ही लिखे जाते थे।

(५) एक और कारण से भी हिन्दुओं का प्रभाव मुसलमानों पर स्थापित हो गया था । सन् १३४७ में मुसलमानों ने बलवा करके, तेलगण और विजयनगर के हिन्दू राजाओं की सहायता ही से, बादशाह मुहम्मद तुगलक को परास्त किया था । वहमनी राज्य ने तेलगण राज्य को तो नष्ट कर ही डाला था, पर विजयनगर का प्रभाव दो शताब्दियों तक बढ़ता ही गया । अतः मैं पांच मुसलमान राज्यों ने, सन् १५६४ की तालीकाट की लड़ाई में, विजयनगर के राज्य को नष्ट कर डाला । उन हिन्दू राज्य का मुसलमानों के राज्यों पर बड़ा प्रभाव स्थापित हो गया था । किसी समय तो वह राज्य इतना बलवान् था कि अहमदनगर और गोलकुडा राज्यों ने मिल कर, जब उस पर चढ़ाई की, तब उसने उन दानों की दाल नहीं गलने दी । उस युद्ध के समाप्त हो जाने पर उस राज्य ने एक मुसलमान राजा को, इसलिए सुलह करने को बाध्य किया कि शत्रुहित लोगों पर व्यर्थ ही आक्रमण न किया जावे—उस सुलहनामे के अनुसार लगभग सौ वर्ष तक हिन्दू और मुसलमान राजा मित्रभाव से बने रहे ।

(६) इस प्रकार दक्षिण का राज्य प्रबल हिन्दू और मुसलमानों में विभाजित हो जाने के कारण उत्तरीय भारत की तरह, वहाँ पर मुसलमानों का अधिक प्रभाव स्थापित नहीं हुआ । हिन्दू लोग भी स्वराज्य का पूर्ण अनुभव कर रहे थे, जिससे उत्तरीय भारत-निवासियों की नाई वे विदेशियों के पूर्णतया अधीन हाकर परतन नहीं बने । उस समय यदि मुसलमान सैनिक अपने राजा से अप्रसन्न हो जाते तो विजयनगर के राजा के यहाँ पर तोकर हो जाते थे और मराठे लोग भी मुसलमान

हिन्दू रीति रिवाजों का मुसलमानों पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा।

(८) कई हिन्दुओं ने भी मुसलमानों के धर्म को स्वीकार किया था, पर उन्होंने अपने हिन्दू रीति-रिवाजों का त्याग नहीं किया, जिससे मुसलमान समाज में भी उन रीति रिवाजों का समावेश हो गया। अहमदनगर का पहला राजा वरार के पाथरी ग्राम के, एक नौमुसलिम ब्राह्मण कुलकर्णी (पट्ट-घारी) का लडका था। उस ब्राह्मण का उपनाम भैरव था, इसीसे उसके वंशज 'बहिरी-राजा' कहलाये। उस वंश के राजाओं को अपने पूर्वजों के विषय में इतना अधिक पूज्य-भाव था कि उन्होंने वरार के राजा पर चढ़ाई करके पाथरी गाँव को हस्तगत कर लिया और उसे वहाँ के ब्राह्मण कुलकर्णी को इनाम में दे दिया। वरार के इमादशाही राजवंश का मूलपुरुष भी विजयनगर राजवंश के आश्रय में रहने वाले एक ब्राह्मण का लडका था। बरीदवंश के प्रथम राजा पर भी उसकी सेना का इतना अधिक प्रेम था कि ४०० मराठे सैनिक उसी के साथ मुसलमान बन गये थे और वे लोग उसका पूर्ण विश्वासपात्र थे।

(९) उक्त परिस्थिति के कारण दक्षिण के मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता कम हो गई थी, जिससे हिन्दुओं की धार्मिक चिन्तना भी अधिक नहीं हुई। यद्यपि कभी कभी मुसलमान लोग अत्याचार भी करते थे, तथापि उन्होंने हिन्दू धर्म की अवहेलना नहीं की। अर्थात् उनके शासनकाल में हिन्दुओं का बहुत कुछ धार्मिक स्वतन्त्रता रही। मुसलमान राजाओं ने, सैनिक तथा आय-व्यय-विषयक अधिकार भी, हिन्दुओं को

राजा की सेवा करने के लिये तैयार हो जाया करते थे। यहाँ तक कि वहमनी राजा के तो २०६ मराठे ही शरीर-संरक्षक थे। बारंबार युद्ध करने का अवसर उपस्थित होने के कारण वहाँ के लोगों को युद्ध की शिक्षा और बहुत सा धन भी मिल जाया करता था। १६वीं शताब्दी में घाटगे, घोरपडे, यादव, निवालकर, मोरे, सिदे, डफले, माने आदि घटे बड़े मराठे सरदास दस दस बीस-बीस हजार सेना के सेनापति थे और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जागीरें भी दी गई थीं। मुसलमान राजाओं को तुर्क, ईरानी, पठान, मुगल आदि लोगों से कोसलाभ नहीं होता था, बरन् कष्ट ही होता था, इसीमें वे राजा उन लोगों को अपनी सेना में न रखकर प्रायः मराठों को ही रखते थे। अर्थात् मराठे सिलेदार (अश्वरक्षक) और बारगीर (अश्ववाहक) पर ही उनका बहुत कुछ निर्भर था।

(७) दक्षिण के मुसलमान राजा हिन्दू स्त्रियों के साथ विवाह भी करने लग गये थे। सातवें वहमनी राजा ने विजयनगर की राजकन्या के साथ विवाह किया था तथा सोनखेड के राजा की कन्या वहमनी वंश के छठे राजा के साथ विवाह हित हुई थी। बीजापुर के पहले राजा यूसुफ आदिलशाह ने मुकुंदराव नामक एक ब्राह्मण की बहन के साथ विवाह करके उसे अपनी पटरानी बनाया था। उसे 'बाबू जी सानुम' कहते थे, और यूसुफ की मृत्यु के अनन्तर उसी का लड़का बीजापुर की गद्दी पर बैठा था। बेदर के चरीदशाही वंश के पहले राजा ने भी अपने पहले पुत्र का विवाह साबाजी नामक मराठे की कन्या के साथ किया था। इस प्रकार उन विभिन्न जातियों में विवाह की प्रथा प्रचलित हो जाने के कारण

नर्मदा और ताप्ती नदियों के दक्षिण में अपना शासन बढाने का फिर से प्रयत्न करने लगे। बादशाह अकबर के शासन-काल से लगा कर औरंगजेब के शासन-काल तक इस प्रकार का प्रयत्न होता रहा। हिन्दुओं का तो अपनी नष्टप्राय स्वतन्त्रता को पुनर्वाप स्थापित करने के लिए ३०० वर्ष तक प्रयत्न करना पडा था। ऐसा दशा में यदि दिल्ली के बादशाहों को दक्षिण के जीत लेने में सफलता प्राप्त हो जाती, तो हिन्दुओं को और भी ३०० वर्ष तक परतंत्रता में रहना पडना, पर परमेश्वर की इच्छा तो कुछ और ही थी। वास्तव में वह नया सकट बडा भयकर था, और मुगल बादशाह ने उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये, अपने वृहद् राष्ट्र की सारी शक्ति को रचने करने का भी दृढ निश्चय कर लिया था, जिससे दक्षिण के मुसलमान राजा और उनके मराठे सरदार, उस भावी सकट से, बहुत ही भयभीत हो गये थे। मराठों का तो मिल-जुल कर काम न करने का प्राकृतिक स्वभाव ही था, अतएव युद्ध-भूमि पर, मुगल सेना का सामना करने की उनमें विलकुल शक्ति नहीं थी। इसी से उन्हें छिप छिप कर मुसलमान सेना पर छापा मारने के उपाय का ही अवलंबन करना पडा था। इस प्रकार की युद्ध-कला उन्हें बडी प्रिय थी और इस 'गनीमी कावा' के युद्ध में वे इतने चतुर थे कि इसमें उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था।

मराठों की स्वतंत्रता पर मुसलमानों ने कुठाराघात करके जो पहला सकट उपस्थित किया, उससे उन्हान बड़े धैर्य के साथ अपनी रक्षा की। उन्हें लगभग ३०० वर्ष इसी प्रयत्न में बिताने पडे; और इस अवधि में उन्हान अपने अपूर्व

पहले दक्षिण पर चढ़ाई की थी, तब इसी से सहायता मांगी थी। फलटन के निवालकर भी बहुत प्रसिद्ध थे और मालोजी के भुम्भारराव घाटगे का बीजापुर-दरबार में बड़ा प्रभाव था। कोकन और घाट पर के प्रदेशों के मोरें, शिरके और महाडिक तथा दक्षिणीय माघल के गूजर और मोहिते बड़े योद्धा और सैनिक-कला-निपुण थे। इनमें से प्रत्येक के अधिकार में दस बीस हजार घोड़-सवार भी रहाँ करते थे। १७वीं शताब्दी के आरम्भ में भोंसला घराना प्रसिद्ध हुआ। इस घराने के लोग यादव और निवालकर के सबधी थे। यादव की कन्या शहाजी की माता और निवालकर की कन्या उनकी पत्नी थी। मालोजी भोंसले उस कुल के मूलपुरुष थे। उस समय मालोजी के पुत्र शहाजी प्रथम श्रेणी के सरदार माने जाते थे। वे बड़े शक्तिशाली थे, और रंऊ को राजा तथा राजा को रंक, सरलता से, कर सकते थे। उन्होंने अहमदनगर की निजामशाही की ओर से मुगलों के साथ कई युद्ध किये थे।

इस प्रकार हिन्दुओं का प्रभाव चारों ओर स्थापित हो जाने के कारण गोलकुडा, बीजापुर, अहमदनगर और बेदर के मुसलमान राज्यों के प्रायः सारे अधिकार मराठे राजनीतिज्ञ और मराठे योद्धाओं के ही हाथ में थे। देश के सारे गव और किले केवल नाम ही के लिये मुसलमानों के अधिकार में थे, पर वास्तव में वे स्वतंत्र मराठे जागीरदारों के ही कब्जे में थे। इस प्रकार उस देश की परतंत्रता के बधनों से मुक्त करने का प्रयत्न धीरे धीरे हो ही रहा था, कि इतने में एक दूसरा ही सफट उपस्थित हो गया। दिल्ली के बादश

मनुष्य ने चादरीवी को मार-डाला और फिर मुगल सेना ने शीघ्र ही अहमदनगर को जीत कर, वहाँ के राजा को कैद कर के, उस बुरानपुर को भेज दिया। यद्यपि निजामशाही की उक्त प्रकार की दुर्दशा होगई थी, तथापि उस राज्य के नेता एकदम निराश नहीं हुए, और उन्होंने पराडे के दक्षिण में, राजधानी के लिए एक नया ही नगर बसाया। मलिक अम्बर ने जुन्नर का राजधानी बना कर पुरानी निजामशाही के एक मनुष्य को गद्दी पर बिठलाया, और आप स्वयं ही राजकाज देखने लगा। मलिक अम्बर बड़ा राजनीति निपुण और शूर पुरुष था। उसने अहमदनगर को फिर से जीत लिया, और मुगलों तथा उनके अनुयायी बीजापुर के आदिलशाही राजाओं की परवाह न करके अहमदनगर के राजकाज को, बड़े धैर्य से २० वर्ष तक सम्हाला।

मलिक अम्बर को, मुगलों से निजामशाही राज्य की रक्षा करने में, शिवाजी के पिता शहाजी, फलटन के निधालकर नाइक और प्रसिद्ध वीर लखजी जाधवराव से बड़ी सहायता मिली। यद्यपि सन् १६२० में निजामशाही राज्य का पराभव हुआ, तथापि उसका मुख्य कारण तो मुसलमान सरदारों की अकर्मण्यता ही थी। मराठे सरदार तो उस राज्य की रक्षा करने के लिए बड़ी वीरता से लड़ते रहे। केवल लखजी जाधवराव ने ही मुगलों से मित्रता कर ली थी। इस कार्यवाही के बदले में मुगलों ने सन् १६२१ में जाधवराव को १५००० घोड़ों-सवार और २००० पैदल सेना का सेनापति बनाया। मुसलमान सरदारों की अकर्मण्यता ही के कारण मलिक अम्बर की कुछ भी नहीं मिली और उसे अंत में अहमदनगर और

और शाहजहा की असरय सेना से हार मानकर उन्होंने, मुगल बादशाह के परामर्श के अनुसार सन् १६३७ में अहमदनगर की नौकरी छोडकर बीजापुर-दरवार की सेवा स्वीकार कर ली ।

इस प्रकार निजामशाही का अंत हो गया, और अहमदनगर का सारा प्रदेश दिल्ली और बीजापुर के बादशाहों ने आपस में बाट लिया । तदनुसार नासिक का कुछ भाग, खानदेश, बरार और उत्तरीयकोकन का प्रदेश मुगलों की ओर गया, और उन्होंने उस प्रदेश का प्रबन्ध करने के लिये एक सूबेदार नियत किया, और उसे सूबा-औरगावाड कहने लगे । शेष प्रदेश और मुख्यत भीमा तथा नीरा नदियों के बीच के प्रदेश पर बीजापुर के आदिलशाही राजवश का अधिकार हो गया । मुगलों ने अहमदनगर को नष्ट करने ही के लिये बीजापुर के बादशाहों से मित्रता की थी । सब से पहले सन् १६०१ ई० में उन दोनों बादशाहों में सुलह हुई थी, इसके बाद दोनों में त्रिवाह-सम्बन्ध भी हुआ । इस प्रकार पारम्परिक प्रेम बढ़ता ही गया, पर वह मित्रता अधिक काल तक नहीं टिक सकी । अहमदनगर के हस्तगत कर लेने पर मुगलों को बीजापुर के प्रदेश को भी लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई, और वे अपन पहले सम्बन्ध को भूलकर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करने लगे । बीजापुर के प्रसिद्ध राजा इब्राहीम आदिलशाह की सन् १६२६ में मृत्यु हो जाने पर, पाच ही वर्ष के अनन्तर, मुगल सेना ने बीजापुर को घेर लिया । उस समय इब्राहीम का लडका मुहम्मद आदिलशाह राज्य करता था । उसने उस घेरे को हटाया, पर मुगलों ने फिर से सन् १६३६ में बीजापुर

उसके तख्त पर बैठे हुए नये राजा को शत्रुओं के हाथ में सोंप देने के लिये बाध्य होना पड़ा, तो भी वह निराश नहीं हुआ था। वह फिर से सैनिक सामग्री एकत्रित कर ही रहा था कि इतने में सन् १६२६ ई० में उसकी अस्वामयिक मृत्यु हो जाने के कारण उसके सारे प्रयत्न जैसे ही रह गये। निजामशाही की सारी शक्ति को एकत्रित करके, उसपर आये हुए सक्कट को दूर करने के लिए, उस राज्य में केवल वहीं एक योग्य पुरुष था। पर उसकी अस्वामयिक मृत्यु के कारण निजामशाही का एक आधारस्तम्भ नष्ट हो गया, और वह राज्य डगमगाने लगा। उस समय शहाजी भोंसला ने भी उस राज्य को छोड़ दिया, और उन्होंने मुगलों से ५००० सवारों का अधिकार प्राप्त कर लिया। सन् १६३२ ई० में मलिक अमर के पुत्र ने ही निजाम को मार डाला। इस प्रकार जब निजामशाही का पूर्ण पतन हो जाने के चिन्ह, चारों ओर दिखाई देने लगे, तब शहाजी ने, पूर्व-उपकारों का स्मरण करके, अपने पुराने स्वामी को सहायता दी और निजामशाही के सिंहासन पर उसी घराने के एक मनुष्य को बिठाकर स्वयं ही राज-काज देखने लगे। उन्होंने नीरा-नदी से लगाकर चंदार के किले तक का साग प्रदेश बड़ी वीरता से जीतकर उसे अहमदनगर के राज्य में सम्मिलित कर दिया। वास्तव में, उस समय शहाजी ने इतना प्रभाव स्थापित कर दिया कि उनका पराभव करने के लिये, मुगलों को २५००० सेना भेजनी पड़ी। लगभग चार वर्ष तक, अर्थात् सन् १६३२ से १६३६ तक, तो उन्होंने मुगलों की दाल नहीं गलने दी, पर शत्रुओं के अत्यंत बलवान् होने के कारण अंत में वे कुछ भी नहीं कर सके,

उस समय पुर्तगालवालों का भी प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। १६वीं सदी की तरह उनका प्रभाव नहीं था। केवल कोकन का किनारा ही उनके अधिकार में था। वे केवल उतने ही प्रदेश को च्वा कर चुपचाप बैठे थे। उस समय अगरेजों का तो राजनैतिक क्षेत्र में विलकुल ही महत्व नहीं था। उन्होंने केवल सूत में ही एक छोटी सी कोठी खोल रखा थी।

उक्त सभी घटनाओं के विषय में विचार करने में ज्ञात होता है कि शिवाजी के जन्म के समय, और उनकी बाल्या-चम्या में, दक्षिण में केवल मुगलों का ही प्रभाव था। उस समय मुगल ऐसे प्रबल हो गये थे कि दक्षिण का कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं सकता था। काबुल से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक जोर कुमाऊ के पहाड़ों से महाराष्ट्र तक चारों ओर उनका प्रभाव स्थापित हो गया था, अतएव महाराष्ट्रीय राजा भी उनसे बहुत डरते थे। जब सन् १२१६ में अलाउद्दीन ने दक्षिण पर चढ़ाई की थी, तब महाराष्ट्र पर जिस प्रकार का सकट उपस्थित हुआ था, ठीक वैसे ही संकट, ३०० वर्षों के बाद, उस देश पर फिर से उपस्थित हो गया। पर महाराष्ट्र की उस समय की स्थिति, पहले की अपेक्षा विलकुल भिन्न थी। हिन्दुओं ने सन् १२१६ के संकट के आगे तो अपना सिर झुका कर अपनी रक्षा कर ली थी, पर इस बार उनमें थोड़ी सी शक्ति भी जा गई थी। परतत्रतारूपी कठिन शिक्षा द्वारा वे बहुत कुछ चातुर्य प्राप्त कर चुके थे। विदेशी प्रभाव को तो वे बहुत कुछ नष्ट कर चुके थे, पर दासत्व के कारण उन्हें कई अमहनीय दुःख सहने पड़े थे। उस समय न्याय,

पर चढाई कर दी, तब मुहम्मद को मुगलों के साथ सुलह करने के लिये बाध्य होना पडा। उसने दिल्ली के बादशाह को २० लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया, और शहाजी को मुगलों के सिपुर्द कर दिया। वास्तव में मुगल बादशाह को पूर्ण आशंका थी कि शहाजी फिर से निजामशाही राज्य को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है और इसीसे उसे मुहम्मदशाह के हाथ से लेकर अपने अधीन कर लिया था। पर कुछ दिनों के बाद शहाजी ने फिर से बीजापुर-दरबार की नौकरी को स्वीकार कर लिया, और उस दरबार ने उन्हें कर्नाटक प्रदेश की ओर नियत किया। यह मौका पाकर शहाजी ने वहाँ पर अपनी वीरता से बहुत सा प्रदेश जीता और अपने उत्तराधिकारियों के लिये, कावेरी नदी के तट पर, एक छोटा सा राज्य भी स्थापित किया। इधर बरार और बेदरशाही के राज्य तो पहले ही बीजापुर और अहमदनगर के राज्यों में सम्मिलित हो गये थे, पर केवल गोलकुडा का राज्य ही उस समय स्वतंत्र था। अतः मुगलों ने उस ओर अपनी दृष्टि फेंकी। उक्त समाचार पाते ही गोलकुडा के राजा ने मुगलों को कर देना स्वीकार करके अपनी रक्षा कर ली। इसके बाद मुगलों ने उस राजा पर युद्ध के व्यय का भारी बोझ रख दिया, पर उतना धन देने का सामर्थ्य तो उसमें नहीं था, अतः जब शाहजहा के पुत्र औरंगजेब ने गोलकुडा राज्य की राजधानी हैदराबाद पर एकदम चढाई करके, वहाँ के राजा को गोलकुडा के किले में कैद किया, तब उसने बेवश होकर उस भारी कर को देना स्वीकृत कर लिया।

कर प्रत्येक मनुष्य उस 'संकट' के निवारण करने का प्रयत्न करने लगा। जब अलाउद्दीन ने चढ़ाई की थी, तब लोगों के मन की दशा उक्त प्रकार की नहीं थी। उस समय मुसलमान लोग पहली ही बार दक्षिण की ओर गये थे, अतः उन्हें उनके अत्याचारों का ज्ञान नहीं था। परन्तु गत ३०० वर्षों में उन्हें इस बात का पूरा अनुभव हो गया, अतएव वे फिर से अपने देश में मुसलमानों को आश्रय देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त गत ३०० वर्षों में ज्यों-ज्यों मुसलमान जाति हिन्दुओं पर धार्मिक अत्याचार करती गई, त्यों-त्यों हिन्दुओं का धार्मिक अभिमान भी जागृत होता गया। इसी से उस समय लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देने को तैयार हो गये थे। प्रिंक्स साहब न मैसूर का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना की चर्चा की है। उनका कथन है कि मेरे इतिहास के लिए मेकेंजी साहब की एकत्रित की हुई हस्तलिखित सामग्री में सन् १६४६ की लिपी हुई एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मिली थी। उसमें धर्म और नीति का हास और बड़े बड़े पुरुषों पर आये हुए संकटों का उदा ही हृदयद्रावक वर्णन था। अन्त में यह भविष्य-कथन भी उसमें था कि, "ईश्वर की कृपा से उस दुःखदायी समय का अन्त होगा, परतंत्रता से उस देश की शीघ्र ही मुक्ति होगी, और उस समय चारों ओर आनन्द ही आनन्द उमड़ पड़ेगा। कुमारी कन्याएँ गीत गायेंगी, तथा आकाश से पुष्प-वर्षा होगी।" महाराजा शिवाजी ने ही अपने बुद्धि-बल और बाहु-बल पर दक्षिण को विदेशियों की गुलामी से मुक्त किया

आय-व्यय तथा दरवार इत्यादि के सब कार्य उन्हींकी भाषामें हुआ करते थे और प्रादेशिक प्रबंध भी उन्हीं के अधिकार में था। उनके सेनापतियों ने रणभूमि में भी सफलता प्राप्त की थी, और राजनैतिक कार्यों में, उन्हीं के राजनीतिज्ञों से, परामर्श लिया जाता था। मुरारराव और शहाजी भोंसले तो बीजापुर-दरवार के मुख्य आधार-स्तम्भ ही थे और गोलकुडा का सारा शासन भी मदन पंडित के ही अधिकार में था। पश्चिमीय घाट, पर्वतों पर के किले, और मावल प्रदेश मराठे सरदारों के ही अधीन था। वृष्णा नदी के उद्गम-स्थान से ठेठ वारना नदी तक का सारा घाट-माथा चंद्रराव मोरे के अधिकार में था। दक्षिणीय कोकन सावत के, फलटन निवालकर के, तथा सितारे के पूर्वीय भाग डफले और माने के हाथ में थे। पूना प्रांत के 'मावल' से लेकर पूर्व में वारामती-इदापूर तक का सारा प्रदेश भोंसले के अधिकार में जागीर के तौर पर था। घोरपंड, घाटगे, महाडिक, मोहिते, मामुलकर आदि मराठे सरदारों के आश्रय में भी बहुत से घुड़सवार, पैदल आदि फौज रहा करती थी। गोलकडा, बीजापुर और अहमदनगर के दरबारों में भी सच्चे शूर और योद्धा तो केवल मराठे ही थे और उन मराठे वहादुरों ने अनेक शस्त्रधारी मुगल सैनिकों का सामना करके उनके बल का अनुमान कर लिया था। उस समय महाराष्ट्र की उक्त स्थिति होने के कारण जब मुसलमानों ने दूसरी बार दक्षिण पर चढ़ाई की, तब लोगों के मन में नई भावनाओं की जागृति हो उठी और गत ३०० वर्षों में मुसलमानों के किये हुए धार्मिक अत्याचारों का चित्र उनके सामने खड़ा हो गया, और भागी सकट से सचेत हो

कर प्रत्येक मनुष्य उस संकट के निवारण करने का प्रयत्न करने लगा। जब अलाउद्दीन ने चढ़ाई की थी, तब लोगों के मन की दशा उक्त प्रकार की नहीं थी। उस समय मुसलमान लोग पहली ही बार दक्षिण की ओर गये थे, अतः उन्हें उनके अत्याचारों का ज्ञान नहीं था। परन्तु गत ३०० वर्षों में उन्हें इस बात का पूरा अनुभव हो गया, अतएव वे फिर से अपने देश में मुसलमानों को आश्रय देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त गत ३०० वर्षों में ज्यों ज्यों मुसलमान जाति हिन्दुओं पर धार्मिक अत्याचार करती गई, त्यों त्यों हिन्दुओं का धार्मिक अभिमान भी जागृत होता गया। इसी से उस समय लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देने को तयार हो गये थे। विल्क्स साहब न मसोर का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना की चर्चा की है। उनका कथन है कि मेरे इतिहास के लिए मेकेंजी साहब की एकत्रित की हुई हस्तलिखित सामग्री में सन् १६४६ की लिपी हुई एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मिली थी। उसमें धर्म और नीति का हास और बड़े बड़े पुराणों पर श्राय हुए सफ़टों का बड़ा ही हृदयद्रावक वर्णन था। अन्त में यह भविष्य कथन भी उसमें था कि, "ईश्वर की कृपा से उस दुःखदायी समय का अन्त होगा, परतन्त्रता से उस देश की शीघ्र ही मुक्ति होगी, और उस समय चारों ओर आनन्द ही आनन्द उमड़ पड़गा। कुमारी कन्याएँ गीत गायेंगी, तथा आकाश से पुष्प-वर्षा होगी।" महाराजा शिवाजी ने ही अपने बुद्धि बल और बाहु-बल पर दक्षिण को विदेशियों की गुलामी से मुक्त किया

आय-व्यय तथा दरवार इत्यादि के सब कार्य उन्हींकी भाषामें हुआ करते थे और प्रादेशिक प्रबंध भी उन्हीं के अधिकार में था। उनके सेनापतियों ने रणभूमि में भी सफलता प्राप्त की थी, और राजनैतिक कार्यों में, उन्हीं के राजनीतिज्ञों से, परामर्श लिया जाता था। मुरारराव और शहाजी भोंसले तो बीजापुर-दरवार के मुख्य आधार-स्तम्भ ही थे और गोलकुडा का सारा शासन भी मदन पंडित के ही अधिकार में था। पश्चिमीय घाट, पर्वतों पर के किले, और मावल प्रदेश मराठे सरदारों के ही अधीन था। वृष्णा नदी के उद्गम-स्थान से ठेठ वारना नदी तक का सारा घाट-भाथा चंद्रराव मोरे के अधिकार में था। दक्षिणीय कोकन सावत के, फलटन निवालकर के, तथा सितारे के पूर्वीय भाग डफले और माने के हाथ में थे। पूना प्रांत के 'मावल' से लेकर पूर्व में धारामती-इदापूर तक का सारा प्रदेश भोंसले के अधिकार में जागीर के तौर पर था। घोरपडे, घाटगे, महाडिक, मोहिते, मामुलकर आदि मराठे सरदारों के आश्रय में भी बहुत से घुडसवार, पैदल आदि फौज रहा करती थी। गोलकुडा, बीजापुर और अहमदनगर के दरबारों में भी सच्चे शूर और योद्धा तो केवल मराठे ही थे और उन मराठे वहादुरों ने अनेक शस्त्रधारी मुगल सैनिकों का सामना करके उनके बल का अनुमान कर लिया था। उस समय महाराष्ट्र की उक्त स्थिति होने के कारण जब मुसलमानों ने दूसरी बार दक्षिण पर चढ़ाई की, तब लोगों के मन में नई भावनाओं की जागृति हो उठी और गत ३०० वर्षों में मुसलमानों के किये हुए धार्मिक अत्याचारों का चित्र उनके सामने खड़ा हो गया, और भारी सकट से सचेत हो

कर प्रत्येक मनुष्य उस संकट के निवारण करने का प्रयत्न करने लगा। जय अलाउद्दीन ने चढाई की थी, तब लोगों के मन की दशा उक्त प्रकार की नहीं थी। उस समय मुसलमान लोग पहली ही बार दक्षिण की ओर गये थे, अतः उन्हें उनके अत्याचारों का ज्ञान नहीं था। परन्तु गत ३०० वर्षों में उन्हें इस बात का पुरा अनुभव हो गया, अतएव वे फिर से अपने देश में मुसलमानों को आश्रय देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त गत ३०० वर्षों में ज्यों ज्यों मुसलमान जाति हिन्दुओं पर धार्मिक अत्याचार करती गई, त्यों त्यों हिन्दुओं का धार्मिक अभिमान भी जागृत होता गया। इसी से उस समय लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक दे देने को तैयार हो गये थे। विल्स साहब ने मसोर का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना की चर्चा की है। उनका कथन है कि मेरे इतिहास के लिए मेकंजी साहब की एकाग्रित की हुई हस्तलिखित सामग्री में सन् १६४६ की लिपी हुई एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मिली थी। उसमें धर्म और नीति का हास और बड़े बड़े पुरुषों पर श्राये हुए सफ़ाओं का बड़ा ही हृदयद्रावक वर्णन था। अन्त में यह भविष्य-कथन भी उसमें था कि, "ईश्वर की कृपा से उस दुःखदायी समय का अन्त होगा, परतत्रता से उस देश की शीघ्र ही मुक्ति होगी, और उस समय चार्ग और आनन्द ही आनन्द उमड़ पड़ेगा। कुमारी कन्याएँ गीत गायेंगी, तथा आकाश से पुष्प-वर्षा होगी।" महाराजा शिवाजी ने ही अपने बुद्धि-बल और बाहु-बल पर दक्षिण को विदेशियों की गुलामी से मुक्त किया

आय-व्यय तथा दरवार इत्यादि के सब कार्य उन्हींकी भाषामें हुआ करते थे और प्रादेशिक प्रबंध भी उन्हीं के अधिकार में था। उनके सेनापतियों ने रणभूमि में भी सफलता प्राप्त की थी, और राजनैतिक कार्यों में, उन्हीं के राजनीतियों से, परामर्श लिया जाता था। मुरारराव और शहाजी भोंसले तो बीजापुर-दरवार के मुख्य आधार-स्तम्भ ही थे और गोलकुडा का सारा शासन भी मदन पंडित के ही अधिकार में था। पश्चिमीय घाट, पर्वतों पर के क़िले, और मावल प्रदेश मराठे सरदारों के ही अधीन था। वृष्णा नदी के उद्गम-स्थान से ठेठ वारना नदी तक का सारा घाट-भागा चंद्रराव मोरे के अधिकार में था। दक्षिणीय कोकन सावत के, फलटन निवालकर के, तथा सितारे के पूर्वीय भाग डफले और माने के हाथ में थे। पूना प्रांत के 'मावल' से लेकर पूर्व में वारामती-इंदापूर तक का सारा प्रदेश भोंसले के अधिकार में जागीर के तौर पर था। घोरपंडे, घाटगे, महाडिक, मोहिते, मामुलकर आदि मराठे सरदारों के जाश्रय में भी बहुत से घुडसवार, पैदल आदि फौज रहा करती थीं। गोलकुडा, बीजापुर और अहमदनगर के दरबारा में भी सच्चे शूर और योद्धा तो केवल मराठे ही थे और उन मराठे वहादुरों ने अनेक शस्त्रधारी मुगल सैनिकों का सामना करके उनके बल का अनुमान कर लिया था। उस समय महाराष्ट्र की उक्त स्थिति होने के कारण जब मुसलमानों ने दूसरी बार दक्षिण पर चढ़ाई की, तब लोगों के मन में नई भावनाओं की जागृति हो उठी और गत ३०० वर्षों में मुसलमानों के किये हुए धार्मिक अत्याचारों का चित्र उनके सामने खड़ा हो गया, और भारी सकट से सचेत हो

से दुनिया की ओर लगाया। शिवाजी के जीवन में कई सकट-पूर्ण अवसर उपस्थित हुए थे और यदि उस समय वे कर्मपथ से विचलित हो जाते, तो उनकी सारी भावी आशाएँ नष्ट हो जातीं। पर उन सभी अवसरों पर उन्होंने ईश्वर को ही सच्चा मार्ग-दर्शक जानकर उसकी प्रार्थना की। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर हमारे अन्तःकरण में प्रेरणा करके हमारे ऊपर आये हुए सकटों से मुक्ति पाने का अवश्य ही मार्ग बतलावेगा। इसीसे ईश्वर-प्रार्थना करते समय, उनके शरीर में एक प्रकार की शक्ति का संचार हो जाता था, और उस समय वे जो कुछ कहा करने थे, उसे उनके मंत्री लिख लेते थे। शिवाजी का उन बातों पर बड़ा विश्वास था। और उनके अनुसार ही वे अपना बर्ताव रखते थे। उन बातों के अनुसार, चाहे कोई कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो, पर वे उसे अवश्य ही पूरा करते थे। यहाँ तक कि वे उन शत्रुओं पर विश्वास रखने के कारण ही औरंगजेब के हाथ में जाकर दिल्ली के कारागार में केद्व रहे। और, उनपर विश्वास रखने के ही कारण वे कालरूपी अफजलग्या के साथ लड़ने के लिये नैयार हो गये थे। उनके तीन बार राज्य-त्याग की, और शरीर में किसी शक्ति के संचार करने की, बातें पढ़कर हम कह सकते हैं कि उन्होंने, भौतिक बातों की ओर ही ध्यान देकर अथवा कोई गुप्त हेतु सिद्ध करने के ही उद्देश्य से, कोई कार्य नहीं किया था, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि, शिवाजी के हाग जा कुछ कार्य हुए, वे मनुष्य-जीवन के अत्यन्त उदात्त स्वभाव की स्फूर्ति के कारण ही हुए थे।

सुनकर आशाओं से उमड़ उठा था । शिवाजी को छुटपन ही से महाभारत और रामायण की कथाएँ सुनने का चाव था । अतः जहाँ कहीं पर कथा या किसी प्रसिद्ध पौराणिक का पुराण होता था, वहीं पर, उसे सुनने के लिये, वे कोसों पदल ही चलकर जाते थे । शिवाजी बड़े श्रद्धालु थे और उनका वह गुण कभी कम नहीं हुआ । इस धार्मिक श्रद्धा के ही कारण, केवल स्वहित साधने से सन्तुष्ट न रहकर, उन्होंने अपने देश और देशभाइयों के प्रीत्यर्थ कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की बात मन में ठानी । उनका यह भी विश्वास था कि अपने हित की चिन्ता न करके दूसरों का हित साधने ही के लिये मेरा अवतार हुआ है । ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और असीम धार्मिक श्रद्धा के बिना, मनुष्य के मन में उक्त प्रकार के उच्च भाव कदापि उत्पन्न नहीं हो सकते । अर्थात् शिवाजी के श्रद्धापूर्ण स्वभाव ही के कारण उनमें अत्यंत उत्साह, उत्पन्न हो गया था । हा, वाट्यावस्था में उन्हें उस उत्साह का महत्व मालूम नहीं हुआ था । इसीसे उनके वाट्यावस्था के कार्यों में कोई तारतम्य नहीं देखा पड़ता है । परन्तु ज्यों ज्यों उनकी अवस्था चढ़ने लगी, त्यों त्यों उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते गये कि “किसी विशेष कार्य को करने ही के लिये परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है, और उस कार्य को मुझे करना ही होगा ।” उन्होंने अपने जीवन में तीन बार, प्राप्त किये हुए राज्य-वैभव को त्याग कर, मोक्ष-प्राप्तिके लिये वन में रहना ही पसन्द किया था । परन्तु उक्त तीनों अवसरों पर उनके गुरु और मंत्रियाँ ने उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण दिलाकर, बड़े प्रयत्न से, उनका मन फिर

के नेता बनने थे, उसी समय तुकागम, रामदास, एकनाथ स्वामी, जयरामस्वामी आदि महात्माओं ने लोगों के धर्मगुरु बनने का कार्य स्वीकार कर लिया था। उन धर्मोपदेशकों के स्थापित किये हुए नये धर्म पथों में ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी उच्च-नीच जातियाँ सम्मिलित हो गईं थीं। पठरपुर तो विट्ठल-भक्तों का दूसरा धंकु टही बन गया था। महलों लोग बहुत दूरी पर से, प्रति वर्ष पठरपुर की यात्रा करने के लिये जाया करते थे। बड़े बड़े नगरों और छोटे छोटे ग्रामों में भी सदासर्वदा कथा-पुराण हुआ करते थे। जय अकबर का बहू किया हुआ जजिया कर औरगजेब ने फिर हिन्दू प्रजा से लेना आरंभ कर दिया, तब सवाई जयसिंह ने औरगजय को जा उपदेश दिया, उससे यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि कथा-पुराणों का लोक समाज पर कैसा प्रभाव था। राजा जयसिंह ने औरगजेब से कहा था कि, "परमात्मा केवल मुसलमानों का ही देव नहीं है। वह एक है, और सारे प्राणियों का रक्षक है। मुसलमान और मूर्तिपूजक हिन्दू दोनों उसी के बालक हैं, अतः हिन्दुओं को कष्ट देना मानों परमेश्वर की इच्छा का अपमान करना ही है।" जयसिंह के उक्त उपदेश में बड़े ही उदार तत्व भरे हैं। और वास्तव में उक्त धार्मिक तत्वों की उस समय पूर्णतया जागृति हो गई थी और नू कि वे लोगों के मन पर प्रतिबिम्बित हो गये थे, इसलिए मराठों के व्यवहार वर्तमान में घडा परिवर्तन हो गया था। कई मुसलमानों पर भी उक्त तत्वों का प्रभाव स्थापित हो गया था। इसी उदार-मतवादिना के कारण अबुलफजल और फैजी ने महाभारत तथा रामायण के अनुवाद किये थे। अकबर, वादशाह ने तो

शिवाजी के चरित्र का यह स्वरूप विदेशी इतिहास-लेखकों को विलकुल ही मालूम नहीं हुआ। शिवाजी को, उनके समय के लोगों में, 'आदर्श पुरुष' माना गया है। इसका कारण केवल उनका साहस और शूरता ही नहीं, बरन् उनकी उपर्युक्त प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति ही है। महाराष्ट्र का लोकसमाज सर्वदा शांत रहता है, जब उसकी धार्मिक भावनाएँ जागृत की जाती हैं, तभी लोक-समाज में चेतना उत्पन्न होती है। गत ३०० वर्षों में मुसलमान धर्म के सहवास के कारण महाराष्ट्र में धार्मिक विषय में, बहुत कुछ हलचल मच गई थी, नये नये धार्मिक मतों का चारों ओर प्रचार हो रहा था। रामानन्द, रामानुज आदि प्रसिद्ध वैष्णवाचार्यों के प्रतिपादित धार्मिक तत्वों को लोग स्वीकार करने लग गये थे, और इसे प्रकार के उदार धार्मिक तत्व लोगों के मन पर प्रतिबिम्बित हो गये थे। परमेश्वर के घर उच्च-नीच का कोई भेद नहीं होता, अतः सभी जातियाँ मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। रामानन्द, कबीर, रामदास, रोहिदास, सूरदास, नानक, चैतन्य आदि प्रसिद्ध महात्मा भी उक्तसिद्धान्तों का ही प्रचार कर रहे थे। साथही मुसलमानों के धर्म के सहवास से हिन्दुओं के तैंतीस करोड़ देवताओं के विचार नष्ट हो रहे थे, और "एक देव केशवो वा शिवो वा" के तत्व का प्रभाव लोक-समाज पर पड़ता जाता था। महाराष्ट्र में तो उक्त धार्मिक सुधार का कार्य बड़ी शीघ्रता से हो रहा था और साधुसंत चारों ओर राम रहीम को मानने, जाति-भेद के विचार को त्याग देने और परमेश्वर पर विश्वास रखकर भ्रातृभाव से रहने का उपदेश करते फिरते थे। जिस समय शिवाजी राजनैतिक विषय में मराठों

ही हो गया था। इसी से उनमें अपूर्य शूरता का आविर्भाव हुआ था। उस आवेश के ही कारण वेलोंगों के मन को अपने वश में कर सकें थे। जर्थात् केवल राजनीतिज्ञता के ही बल पर उन्होंने स्वराज्य की स्थापना नहीं की थी, किन्तु जाध्यात्मिक प्रभाव भी इसके अिये कारणीभूत हुआ था।

इसके अतिरिक्त महाराज शिवाजी का विश्वास था कि जब तक महाराष्ट्र-भंडल में एकता नहीं होगी, तब तक मुसलमानों के अत्याचारों से स्वदेश की मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि शहाजी और दादोजी कौडदेव को उक्त बात का महत्व कैसे मालूम नहीं हुआ? शिवाजी के हतभाग्य पुत्र समाजी को उपदेश करने के लिये समर्थ रामदासजी ने जो पद्य लिखे थे, उनमें उन्होंने शिवाजी के विषय में अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट किये हैं। मराठों में एकता करके स्वदेश और स्वधर्म विषयक दायित्व का उन्हें पूर्ण ज्ञान कराने ही के लिये शिवाजी ने अत्यन्त परिश्रम किये थे, तथा महाराष्ट्र को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कराने के लिये वे बराबर प्रयत्न करते रहे। यदि शिवाजी के उक्त उद्देश के विषय में विचार किया जावे तो उनके द्वारा जो आक्षेपपूर्ण कार्य हुए हैं उनका भी अच्छी तरह से खुलासा हो जायगा। महाराज शिवाजी को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो गई थी कि यदि मराठे सरदार अपन हित की ही ओर ध्यान दे कर, अपनी छोटी सी जागीर की रक्षा करने, या उसे बढाने के लिये आपस में ही झगडने लगेंगे तो जिस प्रकार ४०० वर्ष पूर्व अफगानों ने महाराष्ट्र को जीत लिया था, उसी प्रकार मुगल भी उसे धर दबायेंगे। सचमुच वह समय ही इस

हिन्दू और मुसलमान धर्मों के सत्य सिद्धान्तों को चुन कर, एक नया धर्मपंथ स्थापित किया था, और इस प्रकार धार्मिक मतभेद को मिटाने का प्रयत्न किया था। शाहजहा के बड़े पुत्र दाराशाह ने भी उपनिषद् और गीता के अनुवाद करवाये थे। इस प्रकार उस समय नये विचारों का प्रचार हो रहा था। कबीर ने उत्तर में और शेख मुहम्मद ने महाराष्ट्र में उन्हीं उच्च तत्वों का प्रचार किया था। उस समय, उन्होंने दोनों धर्मों के अंधभक्तों की उपेक्षा की और इस समय भी उन साधुओं को हिन्दू मुसलमान बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं।

उस समय महाराष्ट्र की उक्त परिस्थिति थी। चारों ओर धर्म-जागृति हो जाने के कारण लोगों ने आर्य-धर्म के शुद्ध सिद्धान्तों के अनुसार अपने आचरण को सशुद्ध करने का निश्चय कर लिया था, और उनके भ्रमपूर्ण सिद्धान्त नष्ट हो रहे थे। उन नये तत्वों से लोगों के मन प्रभावान्वित हो जाने के कारण, सभी बातों को स्वीकार करने के लिये, वे बाध्य नहीं किये जा सकते थे। अर्थात् पहले की तरह लोग जबरदस्ती किसी बात को मानने के लिये तैयार न थे, इस कारण जनता को, मुसलमानों के धार्मिक अत्याचार अत्यन्त असहनीय मालूम होते थे। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को धार्मिक अत्याचार न करने देने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। कोल्हापुर और तुलजापुर की देवियों के उपासकों ने तो यही बात मन में ठान ली थी तथा भाट और गोंधली (कीर्तनिये) लोगों को इस विषय में सर्वदा जागृत करते रहते थे।

रामदास, तुकागम आदि सत्पुरुषों के सहवास में रहने के कारण शिवाजी के अन्दर तो उक्त शक्तिका पूर्णतया संसार

अपने स्वार्थ को त्याग देने के लिए तैयार हो गये। मुसलमान राजाओं में भी, आपस में, युद्ध कराने का शिवाजी ने जो प्रयत्न किया उसमें भी उनका एक मात्र वही उद्देश था। यद्यपि किसी समय उन्हें हार जाना पड़ा था, तथापि उन्होंने महाराष्ट्र मंडल में एकता करके, उनके मन में साम्राज्य-निपयक विचार उत्पन्न कराने के अपने उद्देश को कभी नहीं छोड़ा। उस उद्देश को साधने के लिये उन्हें कई बार असफलता भी मिली, तौ भी अन्त में उनके लगाये हुए वृक्ष में, उन्हीं की इच्छा के अनुसार, मीठे फल भी लगे। साथ ही उन्होंने जिस भवन का निर्माण किया था, वह इतना दृढ़ था कि बहुत काल तक वह वैसा ही बना रहा, और यद्यपि विदेशियों के आक्रमणों के कारण मुगल बादशाहों के बलवान राज्य भी नष्ट हो गये, तथापि शिवाजी के स्थापित किये हुए साम्राज्य ने विदेशियों को अपने बल का परिचय भली भाँति करा दिया।

तीन शताब्दियों तक परिश्रम करके, तैयार की हुई जमीन में खराब-रूपी वृक्ष के बीज बोने का वर्णन समाप्त करने के पहले, हमें यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात की चर्चा करनी आवश्यक है। शिवाजी में जैसी चमत्कारपूर्ण आकर्षण-शक्ति थी, वैसी तौ मानव जाति के सच्चे पुरुस्कर्ताओं में ही देख पड़ती है, केवल लुटेरों या धर्मान्धों में वह कभी दिखाई नहीं दे सकती। जिन लोगों को भावी सुख की आशा और इच्छा थी, उनके मन महाराजा शिवाजी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिये थे और जिन जातियों पर देश का सम्पूर्ण हिताहित निर्भर रहता है, उन्हीं प्रधान जातियों के नेताओं को उन्होंने अपने मंत्रि-मंडल के लिये चुना था। शिवाजी के दर्शन करने

प्रकार का था कि सभी लोगों को अपने देश की रक्षा के लिये एक रूप से प्रयत्न करना आवश्यक था। इसी से, जिन लोगों ने उस एकता में बाधाएँ डाली उन्हें—हिन्दू-मुसलमान, शत्रु-मित्र, देशी और विदेशी आदि भावों को अपने मन में न ला कर—शिवाजी ने अच्छी तरह से दड दिया।

यदि वास्तव में देखा जावे तो हिन्दुओं की पारम्परिक फूट ही के कारण भारत में विदेशियों का प्रवेश हुआ है। हिन्दुओं की तो व्यवस्थित रूप, या एकता से, कार्य करने की आदत ही नहीं है। विशिष्ट नियमों के अनुसार शान्तिपूर्वक कार्य करने, नेता के आज्ञानुसार चलने अथवा अपनी भूलमान लेने का उपदेश उन्हें कभी नहीं आता। उक्त दुर्गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे, अतएव यदि शत्रुओं की व्यवस्थित सेना के आगे उनकी दाल नहीं गली, तो इसमें आश्चर्य मानने की कोई बात नहीं है। इसी से महाराज शिवाजी, हिन्दुओं के उक्त दोषों को नष्ट करके, छोटी-छोटी-वार्ता से लेकर बड़े-बड़े राजनैतिक कार्यों में भी, समाज के हित में अपना हित, समाज की उन्नति में अपनी उन्नति, और समाज के अपमान ही में अपना अपमान, मानने के भावों की जागृति करने का प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु घाटगे, मोरे, घोरपडे आदि मराठे सरदारों को तो अपने स्वार्थ के आगे अन्य-सारी-वार्ता तुच्छ सी जान-पड़ती-थी। उन्हें समाज-हित के विषय में कोई चिन्ता नहीं थी। अतः उन लोगों को युक्ति, प्रयुक्तियों के बल पर बलहीन किये गिना, शिवाजी का उद्देश पूर्ण नहीं हो सकता था। इसलिये जब उन्होंने उन लोगों का पराभव किया, तभी अन्य सब मराठे-सरदार, समाज-हित के प्रीत्यर्थ

घस्तु पर धावा करने के पूर्व पीछे की ओर हट जाता है, उसी प्रकार, उन्होंने पीछे हटकर फिर से अधिक क्रोधित हो आरगजेय पर चढ़ाई कर दी, और उसका पूर्ण पराभव करके दक्षिण को जीत लेने की उसकी सारी आशाएँ नष्ट कर डाली। जिस प्रकार शिवाजी की घोरता और प्रत्येक मनुष्य पर अपना प्रभाव डालने की शैली अनूठी थी, उसी प्रकार, उनका आत्मसम्पन्न भी अपूर्व था। उस समय की शिथिलता और राजाओं की क्रूरता को देखते तो शिवाजी में स्वसयमन की शक्ति होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। यद्यपि युद्ध की नुसिधा और द्रव्य के लालच से उनकी सना ने अनेक निन्दनीय कार्य भी किये थे, तथापि उनमें गाय, अगला और गरीब प्रना को कभी कष्ट नहीं दिये। स्त्रियों का तो वे बड़ा आदर करते थे, और यदि किसी युद्ध में कोई स्त्री उनके पंज में फँस जाती तो वे उसे आदर के साथ उसके पनि क पाल पहुँचा देते थे। शिवाजी न, जीते हुए प्रदेश, कभी किसी को जागार में नहीं दिये। उनका विश्वास था कि यदि लोगों का जागारें क्षी जायगी तो वे जागोरदार, सारे राज्य को अपने अधिकार में लेकर, बलवान् हा जायेंगे, और फिर वे आपस में लडाइ भगडे मचेंगे, तथा स्वराज्य की नींव निर्बल पड जायगी। उनका मंत्रियों ने समय समय पर, उक्त प्रकार की जागारें देने के लिये उन्हें सूचित भी किया, पर, शिवाजी ने उस कथन की ओर तिलकुल ध्यान नहीं दिया। अब यदि शिवाजी के उक्त आदर्श को उनके उत्तराधिकारी भी अपने सामने रखते ता जिस राष्ट्र रूपी भवन की नींव उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से जमाई थी, उसी

ही एक साधारण मनुष्य भी स्वदेशप्रेम से युक्त हो जाया करता था। मावले और हेडकरी लोग, केवल लूटने ही के लिये, शिवाजी के प्राणों के लिए अपने प्राण दे देने को तैयार नहीं हो गये थे और कुछ अवसरो पर तो शिवाजी ने मुसलमानों के द्वारा भी अपना-कार्य करा लिया था। तानाजी और सूर्याजी मालुसरे, बाजी, फसलकर, नेताजी पालकर, आदि मावले, बाजी देशपांडे, वालाजी आवजी आदि प्रभू मेरोपत, आबाजी सोनदेव, अप्पाजी दत्तो, रघुनाथ नारायण-जनार्दनपंत हनमंते आदि ब्राह्मण, प्रतापराव गूजर, हवीरराव मोहिते, संताजी घोरपडे, घनाजी जाधव और परसेजी भोंसले, उदाजी पवार, खंडेराव दाभाडे के पूर्वज आदि मराठे शिवाजी की सेना में थे। उनमें से किसी ने भी शिवाजी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया था। यह उदाहरण किस बात का दिग्दर्शक है? क्या शिवाजी के अपूर्व गुण और शक्ति को ही उसका मुख्य कारण नहीं कह सकते? जब शिवाजी दिल्ली में मुगलों के कारागार में कैद हो गये थे, तब भी उक्त सरदार अपने कर्तव्य का स्मरण करके अपने नियत कार्य भली भांति करते रहे, और जब महाराज शिवाजी कारागार से मुक्त होकर अपने देश को लौट आये, तब भी उन्होंने उनके प्रभात्र को स्थापित करने में सहायता दी। और जब, शिवाजी की मृत्यु के अनंतर, मुगल सेना ने दुष्ट और दुराचारी पुत्र संभाजी को मार कर रायगढ में शाहू को कैद कर लिया तब भी उक्त सरदार और उनके उत्तराधिकारी, मुगलों के साथ, बड़ी धीरता और धैर्य से युद्ध करते रहे। उस समय यद्यपि उन्हें दक्षिण में, पीठे की ओर, हटमा पडा, तथापि जैसे सिंह अपनी भक्ष्य

घन्तु पर धावा करने के पूर्व पीछे का शोर हट जाता है, उसी प्रकार, उन्होंने पीछे हटकर फिर से अधिक क्रोधित हो आरगजेव पर चढ़ाई कर दी, और उसका पूर्ण पराभव करके दक्षिण की ओर लेने की उसकी सारी आशाएँ नष्ट कर डालीं। जिस प्रकार शिवाजी की धीरता और प्रत्येक मनुष्य पर अपना प्रभाव डालने की शैली, अनूठी थी, उसी प्रकार उत्तम आत्मसंयम भी अपूर्व था। उस समय जो शिवाजी और राजाशाही कूरता को देखते तो शिवाजी में स्वसंयम की शक्ति जाना पड़े ही आश्चर्य की बात है। यद्यपि युद्ध की सुविधा और द्रव्य के लालच से उनकी सेना ने अनेक निन्दनीय कार्य भी किये थे, तथापि उन्मत्त गाय, अगला आर गरीब प्रजा का कभी कष्ट नहीं दिये। स्त्रियों का तो वे बड़ा आदर करते थे और यदि किसी युद्ध में कोई स्त्री उनके पक्ष में फँस जाती तो वे उसे आदर के साथ उसके पति के पास पहुँचा देते थे। शिवाजी ने, जीते हुए प्रदेश, कभी किसी को जागार में नहीं दिये। उनका विश्वास था कि यदि लोगों का जागार दी जायगी तो वे जागारदार, सारे राज्य को अपने अधिकार में लेकर, बलवान् हा जायेंगे, और फिर से आपस में लड़ाई भगडे मन्वगे, तथा स्वराज्य की नींव निर्बल पड जायगी। उनका मंत्रियों ने समय समय पर उक्त प्रकार की जागार देने के लिये उन्हें सूचित भी किया, पर, शिवाजी ने उस कथन की ओर तिलकुल ध्यान नहीं दिया। अत यदि शिवाजी के उक्त आदर्श को उनके उत्तराधिकारी भी अपने सामने रखते तो जिस राष्ट्र रूपी भवन की नींव उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से जमाई थी, उसी

का प्रत्येक भाग अलग-अलग न हो जाता; और वह भयन
इतनी जल्दी कदापि नष्ट नहीं होता।

'स्वायत्त्याग' के साथ साथ जागृत धर्माभिमान, अपने
आत्म-विश्वे हुए महान् कार्य में ईश्वर के सहायक होने का
पूर्ण विश्वास और इसके साथ ही अपूर्व धैर्य तथा साहस,
मराठा का भ्रातृप्रेम से जकड़ कर उन्हें विजयश्री दिलाने की
अपूर्व शक्ति, उस समय की आवश्यकताओं को शांति ही
'मालूम' कर लेने की दूरदर्शितापूर्ण बुद्धि, अनेक संकटों के
उपस्थित होने पर भी एक बार 'हाथों में' लिये हुए कार्य को
पूर्व करने की दृढ़ता, यूरोप अथवा भारतवर्ष के किसी भी
इतिहास-प्रसिद्ध पुरुष में न दिखाई देनेवाला प्रसगावधान
और योजनाशक्ति, सच्चा स्वदेशाभिमान और दयापूर्ण न्याय
करने की इच्छा आदि गुण छत्रपति शिवाजी में मौजूद थे;
और इसी कारण वे एक ऐसे राज्य को स्थापित कर सके,
जिसने उनके सभी हेतु पूर्ण करके दिगंत-व्यापिनी कीर्ति
प्राप्त की; और भारत के इतिहास में मराठों का नाम अजर-
मर कर दिया। यहाँ तक हमने मराठा-साम्राज्य के संस्थापक
के लभाव का सक्षेप में वर्णन किया। इनमें उनके स्वभाव
का हमको बहुत कुछ ज्ञान हो गया। अब इस वीर नायक
का चरित्र भली भाँति हमारी समझ में आ जायगा, और
उसके किये हुए अनेक कार्यों के स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय
करने में हमें किसी बात की अशुविधा नहीं होगी।

चतुर्थ परिच्छेद ।

बीज कैसे अंकुरित हुआ ?

पिछले परिच्छेद से, हमारे पाठकों को, जिन घोरखर ने मराठों को विखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र साम्राज्य स्थापित किया, उस अद्वितीय पुरुष के अनेक अपूर्व गुणों का, ज्ञान हो गया होगा। यदि कोई कहे कि शिवाजी महाराज का यदि उदय न हुआ होता तो 'मराठाशाही' का प्रादुर्भाव ही न होता, तो उनका उक्त कथन सर्वथा भ्रमपूर्ण ही होगा। हा, इनमें कोई सदेह नहीं कि यदि शिवाजी को चारों ओर से सहायता न मिलती, तो वे अकेले महाराष्ट्र को परतपना से मुक्त नहीं कर सकते थे। यर्थात् यदि जमीन ही अच्छी न हानी तो उनका घोया हुआ वाज मूख जाता या नड जाता। मुगल-शासन का कष्टप्रद अनुभव प्राप्त करके भा यदि उस समय के लोग शिवाजी को सहायता करने के लिये आनदपूर्वक तैयार न हो जाते, तो उनके ममान बडे बुद्धिमान पुरुष के प्रयत्न भी निष्फल हो जाते। शिवाजी के विस्तारपूर्ण चरित्र ने देशी और विदेशी इतिहास-लेखकों को इतना अधा घना दिया है कि, उन्हें शिवाजी के सहायकों का महत्व मिलकुल ही मालूम नहीं होता। निम्न-देद शिवाजी में, उनके समकालीन पुरुषों की बुद्धि, शक्ति और महत्वा-

कांक्षा विशेष रूप से विकसित हुई थी, परन्तु इसके अतिरिक्त और कोई विशेषता उनमें नहीं थी। हा, उक्त इतिहास-लेखक इस बात का बिलकुल ही विचार नहीं करते कि यदि शिवाजी के बोये हुए बीज को उस समय के कर्मवीर पुरुष सिंचित कर के उसकी रक्षा करते, तो महाराष्ट्र राज्यवृद्धि की उत्पत्ति कैसे हो सकती थी? अतः जहाँ बड़े इतिहास-लेखकों को भी उस समय के लोगों की शिवाजी का दी हुई सहायता का महत्व मालूम नहीं होता, वहाँ यदि हमारे पाठकों को उसका महत्व मालूम न हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अन्तु। शिवाजी के चरित्र और उनके समय की परिस्थिति का यथाथ ज्ञान कराने के लिए हम, इस परिच्छेद में, उनके समय के प्रसिद्ध प्रसिद्ध शूर योद्धाओं, राजनोतियों तथा धर्मोपदेशकों के सक्षिप्त चरित्र लिखते हैं। यद्यपि उन पुरुषों के चरित्र लिखने के लिये यथायोग्य सामग्री प्राप्त नहीं है, तथापि जो कुछ सामग्री इस समय प्रस्तुत है, उसी के आधार पर हमें उनके चरित्रों पर यथार्थ प्रकाश डालना आवश्यक है। उन लोगों के कार्यों में ही शिवाजी के चरित्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ था, और अब भी, हमारा विश्वास है कि, हम उन लोगों को कभी भूल नहीं सकते।

हमें जिन पुरुषों के चरित्रों पर प्रकाश डालना है उन सब में जीजाबाई का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के प्राचीनतर प्रसिद्ध कुल-यादववंश-में हुआ था। उस समय उनके पिता एक बड़े प्रतिष्ठित मरदार थे। जीजाबाई के विवाह की कथा भी बड़ी आश्चर्यजनक है।

उस कथा से भी उस समय के लोगों का स्वाभिमान और दृढ़ स्वभाव का अच्छा परिचय मिलता है। एक बार मालोजी के पुत्र शहाजी और जीजाबाई बड़े आनन्द से खेल रहे थे। उनके उम्र खेल को बड़े आश्चर्यभास से देख कर जीजाबाई के पिता जाधवराव ने मालोजी से कहा —“देखो तो, यह जोड़ा कैसा अच्छा खेल पडता है?” तब मालोजी ने उस बात को ध्यान में रख कर अपने पुत्र का विवाह जीजाबाई के साथ करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु जाधवराव को मालोजीराव जैसे नीची श्रेणा के मराठे के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने की बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने उस प्रस्ताव का निषेध किया। मालोजी उस अपमान को नहीं सह सके और वे जाधवराव की शक्ति का साक्ष्य विचार न करके, उनके घमड़ को हरण करने का उद्योग करने लगे, अन्त में जाधवराव को अपना ध्वस्त पूर्ण करना ही पडा। अस्तु केवल इसी बात से उनके धैर्य और स्वाभिमान का पता चल सकता है। जिस प्रकार जाधवराव अपने को देवगिरि के यादव राजघराने का बतलाते थे, उसी प्रकार शहाजी भी अपने को उदयपुर के राजपूत राजकुल का मानते थे। जीजाबाई का जन्म एक बड़े कुल में हुआ था, और विवाह भी एक प्रतिष्ठित कुल में ही हुआ। परन्तु उनका उद्वृत्त केवल उक्त बातों पर नहीं था, वरन् उनके आन्तरिक गुणा के ही कारण वे अद्वितीय कहलाईं। और यदि किसी साधारण कुल में ही उनका जन्म होता, तो भी उनके अपूर्व आन्तरिक गुण कदापि गुप्त नहीं रह सकते थे। जाधवराव मालोजीराव के किये हुए अपमान को कभी नहीं

भूले; इसीसे वे सदासर्वदा भोक्तों से द्वेष किया करते थे। जब अहमदनगर और दौलताबाद के राजदरवारों की सारी शक्तियां गहाजी के अधीन हो गईं, तब तो जाधवराव के हृदय की द्वेषाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी, और उन्होंने मुगलों से मित्रता करके शहाजी को अहमदनगर की रक्षा न करने के लिये बाध्य किया। उस समय गहाजी ने पेशवा हो कर, अपनी स्त्री जीजाबाई को, उसके पिता के कारागार में अकेली ही छोड़ कर, आप बीजापुर की ओर चल दिया, पर उस दशा में श्री जाधवराव उनका पीछा करते ही रहे। उस समय जीजाबाई पर तो एक महान् सकट ही उपस्थित हो गया था। उन्हें किसी का भी सहारा नहीं था। परन्तु वे अपने धैर्य के बल पर ही अपना समय बिताती रहीं। उस दशा में उन्हें परमंत्रता से होनेवाले अपमान का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। उसी समय शिवनेर के जिले में, उनके पवित्र कोख से, महाराज शिवाजी का जन्म हुआ। अतः वे शाल शिवाजी के कारण अपने सारे कष्टों को भूल गईं। जिन देवी भवानी ने, सकट के समय, उनकी और उनके छोटे बालक की रक्षा की, उन्हीं देवी भवानी पर पूर्ण विश्वास रख कर उन्होंने शिवाजी का पालन किया। कुछ समय के अनंतर वे, शहाजी के आज्ञा के अनुसार, पूना में रहने लगीं। उस समय दादोजी कोंडदेव शहाजी की पूना प्रांत की बार्गीर वा प्रवेश करते थे। शिवाजी के जीवन का बहुत कुछ के शास- पास के पहाड़ी प्रदेश में ही के चल- (वान्, सहनशील और धैर्य गतिरि- जीजाबाई ने उन्हें, उस दुःख

उन्हें शिक्षा भी दी। शिवाजी का अपनी माता पर अत्यंत प्रेम था। उनके पिता शहाजी सर्वदा बीजापुर और तंजौर की ही ओर रहा करते थे, जिससे अनायास ही उन्हें अपनी माता के सुखद सहवास का लाभ होता था। वे प्रत्येक कार्य अपनी माता के परामर्श के अनुसार ही करते थे। जब माताजी किसी कार्य के लिए उनका अभिनंदन करतीं, तभी वे अपने परिश्रम को सफल मानने थे, और नई चढाई करने के लिये उत्साहित हो जाते थे। जीजाबाई के मधुर उपदेशामृत पान के ही कारण वे अधिक धार्मिक और कर्मण्य बन गये थे। वे उन्हें महाभारत और रामायण की युद्ध कथाएँ सुनाया करती थीं। शहाजी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट की, पर शिवाजी ने उनकी बड़ी प्रार्थना कर के उन्हें उस कार्य से विरत किया। जब शिवाजी दिल्ली को गये, तब भी उन्होंने मारा राज्यकार्य उन्हीं को सौंपा था। वे जब किसी कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिये चलते थे, तब पहल अपनी माता से आशीर्वाद मांगते थे; और वे भी "परमेश्वर तुम्हारे सहायक है और तुम्हें अथवा ही सफलता प्राप्त होगी" यह कह कर उन्हें धैर्य दिलातीं, और कार्य को पूर्ण करने के लिये विदा करती थीं। यह एक अमिट सिद्धान्त है कि माता अपने बालक के कर्मल अन्तःकरण पर जैसा प्रभाव डालती है, वैसा ही वह भविष्य में उन जाता है। माता की सुशिक्षा ही के कारण नपोलियन आदि नररत्न इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गये हैं। और वास्तव में महागात्र शिवाजी के उदय का भी मुख्य कारण उनकी माता ही थीं। जीजाबाई के ही द्वारा उन्हें अनेक अलौकिक गुण प्राप्त हुए थे और जीजाबाई

वाग भी दादोजी के समय में ही तैयार किये गये थे। उनके देखने से दादोजी की बुद्धिमत्ता का भली भाँति परिचय हो जाता है। दादोजी का शासन भी बड़ा कड़ा था। एक बार अपने स्वामी शहाजी के वाग से एक आम लेने की उन्हें इन्क़ा हुई। परन्तु तुरन्त ही उन्होंने मालिक की आज्ञा के बिना आम तोड़ने का विचार रोक लिया, और इस पाप के प्रायश्चित्त में पास के लोगों से अपना दाहना हाथ काट डालने की आज्ञा दी, पर उन लोगों ने उनका कहना नहीं माना, और उन्होंने दादोजी को समझाने का क्रम उनके हाथ की रक्षा की। परन्तु उन्होंने उस पापी हाथ को, सदय लोगों के सामने रखने के लिए, अपने अँगरूके में दाहिनी वाह का रगना ही छोड़ दिया। आगे चलकर शहाजी के अनुरोध से उन्हें उस भ्रम को त्याग देना पड़ा। दादोजी की केवल यही आन्तरिक इन्क़ा थी कि शहाजी और मालोजी की तरह शिवाजी भी एक बलवान् सरदार बन। उस समय उनके मत में, शिवाजी की तरह, ममा मराठे सरदारों में एकता करके, स्वदेश को मुगलों के कष्ट से छुड़ाने का विचार उन्नत नहीं हुआ था। परन्तु जब उन्हें उक्त कार्य को पूर्ण करनेवाली, शिवाजी की आन्तरिक शक्ति का परिचय हो गया, तब उन्होंने अपने आग्रह को छोड़ दिया, और अन्त में यह आशीर्वाद देकर कि 'तुम्हारे आरम्भ किये हुए सत्कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त है,' उन्होंने परलोक का मार्ग लिया। ज़मीन के कर और राज्य-प्रवध के कार्य में तो शिवाजी ने दादोजी की देव की प्रथा का ही अनुकरण किया था। अतः यदि वास्तव में देखा जाये तो उच्छृङ्खल तरुण शिवाजी को 'यदि' दादोजी के

नदृश, मगदर्शन न मिलता, तो उनके द्वारा स्वराज्य-वृद्ध फटापि न लगाया जा सकता, और न वह चिन्हायी ही हाता।

तो रणा किला जाने कर और रायगढ़ को किलेपन्दी करके महाराष्ट्र-राज्यरूपी भवन की नींव का पत्थर अभी शिवाजी ने रखा ही था, कि इतने में दादोजी फारुशी शरीरान्त हो गया। दादाजी ने लगभग १० वर्ष तक शहाजी की जानीर का प्रयत्न किया। इस अवधि में उनके सहायक लोगों भी अपने अपने कार्यों में चतुर हो गये थे। इधर ज्यों ज्यों स्वराज्य बढ़ता गया, न्यों न्यों शिवाजी को उनसे बड़ी सहायता मिली। आपाजी मानदेव, रघुनाथ बल्लान, शमराजपत, बडे पिंगले (मोगेपत पिंगले के पिता) आदि लोगों को राज्यप्रबन्ध और सैनिक शिक्षा दादोजी के द्वारा प्राप्त हुई थी। वे लोग शिवाजी को सदा उत्साहित किया करते थे। इनके अतिरिक्त आपाजी दत्तो, निराजी पंडित, रघोजी सोमनाथ, दत्ताजी गोपीनाथ, रघुनाथपत और गगाजी मगाजी आदि लोगों से भी, स्वराज्य स्थापित करने में शिवाजी को बड़ी सहायता मिली थी। महाराष्ट्र में, स्वदेश को यवनों के चरणों से छुड़ाने के लिए, जो नई हलचल मच गई थी, उनके लिये प्रत्येक युक्ति या उपाय यही लोग सुझाते थे। उनके बतलाये हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिये शिवाजी के बलवान् और धैर्यशाली बालमित्र येसाजी बक, तागाजी मालुसरे, घाजी फसलकर आदि मावले वीर तैयार हो जाते थे। उन मावले वीरों को सहायता देने के लिये फिरमोजी सरसाला, सभाजी, कायजी, माणकोजी दशमुख, गोमाजी नाइक, नेमाजी पालकर, सूर्याजी मालुसरे, हिरोजी फर्जंद, देसजी गाडवे आदि मावले भी नदा सदा तैयार रखा

करते थे । उनके अतिरिक्त महाड के मुरार वाजी प्रभू, हिरमावल के वाजी प्रभू और हवसान के वालाजी आघजी चिटनी आदि मुख्य मुख्य प्रभू जाति के वीर भी उन लोगों में मन्तव्य लिन हो गये थे । मुरार प्रभू और वाजी प्रभू तो पहले मुगल के पास नौकर थे । परन्तु शिवाजी ने उनके शौर्य को देखकर उन्हें अपनी सेना में रख लिया था । शिवाजी में ऐसे अग्रगण्य थे, जिनके कारण उनके शत्रुओं को भी, उनसे मित्रत्व करके, उनकी सेवा करने की इच्छा होती थी । शिवाजी पहले तो मुख्यतः ब्राह्मण, प्रभू और मावलों से ही सहायता मिली थी । बीजापुर और अहमदनगर के दरबारों में नौकर करनेवाले मुख्य मुख्य मराठे सरदारों ने उस समय उन विलकुल ही सहायता नहीं दी । केवल इतना ही नहीं, वे तो उनको हराने का भी यथाशक्ति प्रयत्न करते रहे । तब उनके उक्त कार्यों के कारण, घेवश होकर, शिवाजी को उनका दंड देना पड़ा । उन लोगों में वाजी मोहिते नामक शहाजी के एक सम्बन्धी थे । परन्तु शिवाजी को, सूफे को जीत लेने के समय, उसे भी कैद करके कर्नाटक की ओर भेज देना पड़ा ।

मुधोल के वाजी घोरपडे ने भी बड़ी नीचता की । उसने बीजापुर-दरवार के उफसा देने से, शहाजी को पकड़ने के लिये एक गुप्त पड्यत्र रचा । पर शिवाजी ने उसे उस दुष्ट काम का श्रच्छा बदला चुकाया । जावली के मोरे ने भी शिवाजी को मार डालने के लिये बीजापुर-दरवार के भेजे हुए एक ब्राह्मण को अपने प्रदेश में आश्रय दिया था, पर जब शिवाजी को उक्त समाचार मालूम हो गया, तब उन्हें अपनी रक्षा के लिये मोरे का नाश करना पड़ा । यद्यपि मोरे का नाश करने के लिये

वहें पुरे उपाय को स्वीकार करना पडा था, तथापि उसके नये केवल वे ही उत्तरदाता नहीं, कहे जा सकते। नीच बुद्धि को दण्ड देने के लिये कमा कमी नीच मार्गों का भी चतन करना पडता है। काटे से ही काटा निकालना पडता है। गाडी के मामले, कौकन के दलरी और शृ गारपुर शिर्के ने शिवाजी के महान कार्य में अनेक विघ्न उपस्थित किये थे; इससे उन्हें, उनको भी घर दवाकर, अपन अधीन लेना पडा था। फलतः क निगलकर, भ्रसत्रड के माने आराव घाटगे आदि बड़े बड़े मराठे लोग भी स्वदेश का शर करनवाले शिवाजी प्रभृति नये दल के साथ, बीजापुर और से युद्ध करते थे।

इसने ज्ञात होता है कि शिवाजी की उस 'नई' राष्ट्रीय चाल का सारा भार केवल मध्यम श्रेणी के लोगों पर ही पडा। पुराने मराठे सरदारों ने पहले उस कार्य में विलकुल योग्यता नहीं दी, पर ज्यों ही शिवाजी को अपने कार्य में मदद मिलने लगी, त्याही वे लोग भी उनके पक्ष में मिलित हो गये। प्रतापराव गूजर, हरीरराव मोहिते, नीजी निगलकर, समाजी मोरे, सूर्यराव काकडे, सताजी पडे, धनाजी जाधव, खडेराव दामाडे परसेजी रुपाजी आते, नेमाजी शिंदे आदि लोग, शिवाजी के अंतिम समय में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब उस राष्ट्रीय कार्य में सफलता प्राप्त के लिये उक्त बड़े बड़े लोग तैयार हो गये तब छोटे लोग भी उनके लिये अपना आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गये। पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि जिन लोगों को हम मूढ समझते हैं, उन्हीं लोगों ने 'स' से पहले

महाराष्ट्र को स्वतंत्र प्रान्त का कार्य अपने हाथ में लिया; और जब उनके उम्र कार्य में सफलता प्राप्त होन के चिन्ह देख पड़े, तब समाज के नेता कहलानेवाले लोग भी उनमें सम्मिलित हो गये ।

कुछ मुसलमान लोगों पर भी उस नई हलचल का अच्छा प्रभाव पडा था। दर्यासुरंग नामक एक मुसलमान ही शिवाजी की जल-सना का मुख्य सरदार था। उसने मुगलों के सिद्दी जलसनाध्यक्ष को खूब ही छुकाया। शिवाजी की पठान सेना का सेनापतित्व भी इब्राहीमिया नामक एक मुसलमान सरदार के ही हाथ में था। शिवाजी बीजापुर और गोलकुडा के दरवारों से निमाले हुए मुगल सिपाहियों को भी अपने पास नौकर रख लेते थे। उन्होंने उन सिपाहियों की एक स्वतंत्र पलटन बनाई थी।

शिवाजी के यहा कितने ब्राह्मण, प्रभू, मराठे और मावले थे, तथा एक दूसरे के मुकाबले उनका क्या परिमाण था, आदि बातों का धरुन ग्राट डफ साहब ने अपने इतिहास में दिया है। उनका कथन है कि शिवाजी की सेना में मुख्यतः २० ब्राह्मण, ४ प्रभू और १२ मावले तथा मराठे, सरदार थे। मुगलों और बीजापुर के दरवारों में भी १४ मराठे सरदार थे। ब्राह्मण सरदारों में से पडितराव और न्यायाधीश नामक दो अधिकारियों के अतिरिक्त शेष सभी को राज्य-प्रपत्र के अतिरिक्त, यथासमय सैनिक कार्य भी करने पडते थे। उन लोग ने वे कार्य अच्छी तरह से किये थे। यद्यपि ग्राट डफ व मर्या मराठी घसरों में लिखी हुई मर्या से नहीं मिलती तथापि विभिन्न जातियों के उपर्युक्त परिमाण में कोई विद्व

अनर नहीं जान पड़ता है। चिटनीस की घसर में शिवाजी क यहा ५० ब्राह्मण और प्रभू सरदारों तथा ४० मराठे सरदारों की चर्चा की गई है। पर घसर के अंत में उन्होंने ४५ ब्राह्मणों और ७१ मराठों के नाम लिखे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि शिवाजी के समय में सभी जातियों के कुल १०० मनुष्य अधिक प्रसिद्ध थे और मुर्गलों को हराकर रायगढ़ में स्थापित किये हुए हिन्दू साम्राज्य के तो वे ही सभ्ये आधार थे। इस छोटे से इतिहास में उन सभी लोगों के चरित्र लिखना विलकुल हा असंभव है। यदि हम उनके चरित्रों का दिग्दर्शन मात्र भी करावें, तो भी यह ग्रंथ विस्तृत हो जायगा। अतः जिन लोगों ने अपने नाम प्रत्येक महाराष्ट्रीय के हृदय पटल पर सदा के लिये अंकित कर दिये हैं, जिनकी कीर्ति का नाम महाराष्ट्रीय कन्नियो ने किया है, और जिनके अलौकिक कार्यों का वर्णन घसरकारों ने अपनी घसरों में लिख कर उनके नाम विरस्ययी बना दिये हैं, उन्हीं चुने हुए वीर पुरुषों के चरित्रों का हम यहा पर वर्णन करेंगे। इससे हमारे कथन का यह उद्देश नहीं है कि अन्य लोगों का महत्व कम है। नहीं, उन लोगों ने भी अपनी योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य करके स्वदेश के उद्धार में भाग लिया था। उस समय ब्राह्मणों में हनुमते बड़े प्रसिद्ध थे। जिस प्रकार दादो जी का उद्धार को शहाजी का पूना की जागीर का प्रबंध साँपा गया था, वही प्रकार कर्नाटक प्रांत के प्रबंध का कार्य नारोपंत हनुमते को दिया गया था। नारोपंत की तरह उनके पुत्र रघुनाथपंत और जिनार्दनपंत भी बड़े बुद्धिमान थे। शिवाजी के भाई व्यंकोजी को, तर्जौर प्रांत में, एक नया राज्य

स्थापित करने में विशेषतः रघुनाथपत ने ही सहायता की थी । परन्तु जब उनमें और व्यकोजी में अनबन हो गई, तब वे जिजा दुर्ग को लेकर अर्काट, बेलूर और मैसोर प्रांत के थोड़े से प्रदेश का ही प्रबंध करने लगे । उन्हीं के अनुरोध से शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश पर चढाई की थी और उस चढाई के समय रघुनाथपत ने अपने हाथ का सारा प्रदेश शिवाजी को सौंप दिया था । जब औरंगजेब ने सभाजी को कैद करके मराठों के सभी किलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब मराठों को दक्षिण की ओर भाग जाना पड़ा, और उस सकट के अवसर पर उन्हें दक्षिण के उक्त प्रदेश कैही कारण, बड़ी सहायता मिली थी । उस समय मराठे सरदार कुछ समय तक तो जिजा की मजबूत किलेबन्दी के आश्रय में ही रहे, और वहीं पर औरंगजेब से बदला लेने की तैयारी भी करते रहे । इसके बाद उन्होंने फिर से स्वदेश को लौट कर औरंगजेब को हराया । रघुनाथपत के भाई जनार्दनपत तो शिवाजी की ही सेना में थे और वे अनेक युद्धों में मुगलों के साथ लड़ें थे । इस प्रकार वे पिता-पुत्र महाराज शिवाजी के बड़े सहायक हुए थे । उनके सदृश वीर और राजनीतिज्ञ पुरुष जगत् में चिरले ही होंगे ।

मोरोपत पिंगले तो शिवाजी के दाहिने हाथ ही थे । उन्होंने उत्तरीय कोंकण और वागलान में शिवाजी के शासन को स्थापित किया था । उस महत्वपूर्ण कार्य के बदले शिवाजी ने उन्हें अपना पेशवा बनाया था । वे दुर्ग बनाने और सेना को तैयार करने के कार्य में बड़े चतुर थे । मोरोपत के पिता कर्नाटक में शिवाजी के पास नौकर थे । उन्होंने कुछ दिनों तक

अपने पिताजी के पास रहकर फिर कर्नाटक प्रदेश को छोड़ दिया था और म्प्रदेश में आकर सन् १६५३ में शिवाजी की सेना में नौकरी कर ली थी। उस समय उनकी अवस्था बहुत कम थी। मोरोपत के पहले शामराजपत पेशवा थे। जब वे फोकन प्रदेश के सिन्धी और भावत की बग़ावत को नहीं मिटा सके, तब शिवाजी ने उस कार्य को करने के लिये मोरोपत को ही भेजा था। मोरोपत ने बड़ी वीरता से उस कार्य को पूरा किया। उस समय के प्रायः सभी युद्धों में मोरोपत ने भाग लिया था। शिवाजी के अनन्तर वे अचिर दिनों तक जीवित नहीं रहे। जय बालाजी त्रिश्ननाथ को ग़ाहू महाराज की ओर से सन् १७१३ में पेशवा का पद मिला, तब तक वह कार्य मोरोपत के ही बग़ावतों के हाथ में था। राजनैतिक बातों में मोरोपत ही शिवाजी के मुख्य परामर्शदाता थे और उस समय के प्रसिद्ध सेनापति भी वे ही थे। उनके सदृश बुद्धिमान और सच्चा राजभक्त कम से कम उस समय के लोगों में तो दूसरा कोई भी नहीं था।

आजाजी सोनदेव भा हनुमते और पिगले की ही श्रेणी के थे। उन्होंने केवल अपन ही प्रदेश का प्रबन्ध नहीं किया, वरन् अन्य प्रदेशों पर चढाईया भी की थी। उन्होंने सब से पहले कल्याण प्रदेश पर चढाई की। मुगल सेना उस प्रदेश को गारम्भार जीत जाती थी, पर आजाजी सोनदेव के बँकन सुबा का तो वही सैनिक स्थान था। मोरोपत की तरह वे भी दुर्ग-निर्माण में बड़े निपुण थे। जब शिवाजी दिल्ली को गये, तब, उनके पीछे, राज्यशासन के कार्य में जीजाबाई को योग्य परामर्श देने के लिए आजाजी सोनदेव और मोरोपत

ही नियंत्रित किये गये थे । पहले तो शिवाजी मुजूमदार के पद पर थे; पर शिवाजी के राज्याभिषिक्त हो जाने पर, उनके पुत्र अष्टप्रधानों में अमात्य बनाये गये थे ।

राघोवहाल अत्रे ने भी सिद्धियों के साथ युद्ध करने में बड़ी कीर्ति प्राप्त की, और चन्द्रराव मोरे का पराभव करने में वे ही अगुआ बने थे । शिवाजी ने उनकी वीरता देखकर उन्हें अपनी पठान सेना का सेनापति बनाया था ।

उस समय अप्पाजी दत्तो भी बड़े प्रसिद्ध थे । वे पहले तो पत सचिव और फिर सुग्नीन बनाये गये थे । पन्हाला और रायगढ के जीतने में उन्होंने बड़े परिश्रम किये थे; और कोकन की लडाइयों में योग दिया था । उन्होंने कर्नाटक पर पहिली चढाई करके हुवली-नगर को लूटा था । कोकन के उत्तरीय प्रदेश का प्रबन्ध तो आबाजी सोनदेव और मोगेपत को सौंपा गया था, तथा तल-कोकन की व्यवस्था अप्पाजी दत्तो के हाथ में थी । शिवाजी के दिल्ली चले जाने पर उन्होंने जिन लोगों को अपने राज्य की रक्षा करने का कार्य सौंपा था, उन्हीं में अप्पाजी दत्तो भी थे ।

दत्तोजी गोपीनाथ मंत्री थे; और वारुनीस का कार्य भी उन्हीं के अधिकार में था । शिवाजी के मरेलू कार्यों का प्रबन्ध भी वे ही किया करते थे । जिस समय शिवाजी ने उनकी अपना बकील बनाकर अफजलखानों के पास भेजा था, उस समय उन्होंने बड़े महत्त्व का कार्य किया । महाराम बापू वांकोल भी इन्हीं दत्तोजी गोपीनाथ के वंशज थे, जो प्राणों बलि कर महाराष्ट्र इतिहास में एक बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए ।

राघोजी सोमनाथ को बरार प्रदेश के जीतने का कार्य सौंपा गया था। वे कभी कभी कोरुन के युद्धों में भी भाग लिया करते थे। राघोजी के पिता सोमनाथ डगीर (मुशी) थे, और पर-राष्ट्रों से स्वराज्य-विषयक हिताहित-संबंधी कार्य उन्हें को सौंपे गये थे। सोमनाथ की मृत्यु हो जाने पर शिवाजी ने वे दोनों कार्य जनार्दन हनुमते को सौंपे थे।

नीराजी रावजी न्यायाधीश थे, और उनके पुत्र प्रल्हाद, शिवाजी की ओर से, गोलकुडा के दरवार में बनील थे। राजाराम के शासन-काल में इन्हीं प्रल्हादराव ने, जिजी के घिर जाने पर भी, उसकी रक्षा की, जिससे राजाराम ने उन्हें पतप्रतिनिधि बनाया था।

उस समय प्रभूजानि के जितने वीर और राजनीतिज्ञ प्रसिद्ध थे, उनमें मुरार वाजी, वाजी प्रभू और वालाजी आवजी बहुत ही प्रसिद्ध हो गये हैं। मुरार वाजी पढरपुर के किलेदार थे। जब दिलेरखा ने पढरपुर को घेर लिया था, तब इसी वीर ने बड़े शौर्य से आत्म-त्याग करके उस नगर की रक्षा की थी। (वाजीप्रभू पहले शिवाजी के शत्रुओं की ओर थे, पर पीछे से वे महाराज शिवाजी के बड़े विश्वासपात्र हो गये थे) जब शिवाजी को पकड़ने के लिये बीजापुर के सरदार आये, और उनको शिवाजी के पन्हाले से रायगढ़ की ओर चले जाने का समाचार मालूम हुआ, तब वे लोग शिवाजी का पाछा करने लगे। उस समय लोगों को उनके रायगढ़ तक, सुरक्षित रूप से, पहुँचने में उड़ी-चिन्ता हुई। वह एक बड़ा ही सक्रम्य अजसर था, जिसे वाजी प्रभू ने ही सम्हाला था। महाराजा

शिवाजी के रायगढ तक सुरक्षित रूप से पहुँच जाने की तापें जब तक सुनाई नहीं दी, तब तक मुसलमान सेना का मार्ग वे बड़ी दृढता के साथ राके रहे, और मार्ग के एक कठिन मोर्चे पर केवल १००० सैनिकों के साथ वे बड़ी वीरता से उटे रहे। र्याजापुर सरदारों की असह्य सेना ने उस समय कई युक्तियों का अवलम्बन किया, पर उस बहादुर ने उसको एक कदम भी आगे की ओर बढ़ने नहीं दिया। यद्यपि बड़ी बुरी तरह स घायल होकर वह वीर लाहलुहान हो गया था, तथापि रागणा किले की तापों के शब्द सुनाई देने तक, उसने राणभूमि को नहीं छोड़ा, और अंत में तापों के शब्द सुनकर ही, उस वीर ने अपन प्राण त्यागे। धन्य है उस स्वामिभक्त और स्वदेशाभिमानी वीर को ! यदि ऐसे ऐसे वीररत्न शिवाजी के सहायक न होते, तो केवल उनके हाथ से क्या हो सकता था ? अतः यदि ग्रीस के इतिहास में, जर्जिज की 'असह्य सेना' के सामने ३०० स्पार्टन लोगों के थर्मापली में क्रिय हुए पराक्रमों को पढ़ कर आश्चर्य माननेवाले लोग राजा प्रभू को लिओनिडस कहें, तो वह सर्वथा योग्य ही होगा।

बालाजी आचजी हवशियों के आश्रित एक सरदार के वंशज थे और बालाजी विश्वनाथ की भांति उन्हें भी अपनी रक्षा करने के लिये अपने निवास-स्थान को त्याग देना पड़ा था। सन् १६४८ में शिवाजी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा करने उन्हें अपना मुख्य चिटनीस बनाया था। उनके पुत्र और नाती ने भी राजाराम के समय में, बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये थे। "चिटनीस की बखर" जो प्रसिद्ध है, उसी वंश के एक पुरुष ने लिखी है।

मावले सरदारों में से येमाजी कक माँतलों की पैदलपलटन के मुख्य सेनापति थे। उन्होंने शिवाजी के शासन काल के श्रारम्भिक दिनों में, प्रदेशों को जीतने में, बड़ी सहायता की थी। वे और तानाजी स्वदान्मर्दा महाराज शिवाजी के ही साथ रहा करते थे। जब शिवाजी ने अफजलखा का वध किया, और शाहशताखा के घर में घुस कर उस पर चढ़ाई की, तब भी वे दोनों उन्हीं के साथ थे। इसके श्रतिरिक्त जब शिवाजी दिल्ली को गये थे, तब भी उन्हीं ने उनका साथ नहीं छोड़ा था।

तानाजी मालुमरे और उनके भाई सूर्याजी ने सिंहगढ को जीतने में श्रपूर्ण पराक्रम किया था। वे दोनों भाई अपने प्राणों की चिन्ता न करके, किले पर चढ गये, और उसको उड़ी वीरता से विजय किया। इन प्रकार 'गढ' (किला) तो प्राप्त हो गया, किन्तु तानाजी 'सिंह' चला गया। सिंह-गढ-विजय का वर्णन करते हुए महाराष्ट्र कवियों ने इन उभय-यधुओं की कीर्ति का गाँन करके उनके नाम श्रमर बना दिये हे।

वाली फसलकर की मृत्यु कोकन में सावतों के युद्ध में हुई थी। फिरगोजी नरनाला चाकन के किलेदार थे; और सन् १६०४, ई० में उन्हीं ने वह किला शिवाजी को सौंप दिया था। जा लोग पहले शत्रु थे, और फिर शिवाजी के परम मित्र बन गये, उन्हीं में घाजी फसलकर भी एक थे। जब मुगलों ने चाकन को फिर से ले लिया, तब उन्हीं ने घाजी फसलकर को भी अपनी नौकरी के लिये धुलाया। पर फसलकर ने उनको, चिन्नी-चुपडी घातों को नहीं माना, और उन्हीं ने महाराज शिवाजी की ही सेना में नौकरी कर ली।

संभाजी कावनी और रघुनाथपंत ने जावली की चढाई में मुख्य भाग लिया था। इसी चढाई में चन्द्रराव मोरे की हत्या हुई थी। जिस प्रकार येमाजी कंक पैदल सेना के मुख्य अधिकारी थे, उसी प्रकार नेनाजी पालकर भी घुडसवारों के मुख्य मरदार थे। शिवाजी के अन्य सभी सन्तानों की अपेक्षा वे बड़े साहसी और दृढ़ थे। उन्होंने अहमदनगर, जालना और औरंगाबाद तक के पूर्वीय प्रदेश को लूटा था, और जहां कहीं कोई संकट उपस्थित होता, वे वही पर उपस्थित हो जाया करते थे।

प्रतापराव गूजर भी घुडसवारों के ही एक सेनापति थे। शिवाजी ने बागलान की मुगल सेना तथा पन्हालपोरी की बीजापुर-सेना के पराभव करने का कठिन कार्य उन्हीं को सौंपा था। उन्होंने अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार उस कार्य का बहुत अच्छी तरह पूर्ण किया। शिवाजी ने मुगल बादशाही सेना के साथ सुलह करके औरंगाबाद में अपनी जो सेना रखा थी, उसके नेता प्रतापराव ही थे। बीजापुरवालों की सेना का ठीक ठीक पीछा न कर सकने के कारण शिवाजी ने उन्हें बहुत कुछ कहा-सुना था। वह बात प्रतापराव के हृदय में लग गई। अतएव जब फिर से बीजापुर की सेना से उनकी मुठभेड़ हुई, तब वे उस पर बड़ी बुरी तरह से दृष्ट पड़े, और यद्यपि उस युद्ध में बीजापुर भी मना को हार जाना पड़ा, तथापि उस कार्य के पूर्ण करने में प्रतापराव को तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभू, बाजी फसलकर और सूर्याजी काकडे की तरह अपन प्राणों की आहुति देनी पड़ी।

उस समय खडेरराज दाभाडे, परसोजी भोंसले, सताजी घोरपडे, धनाजी जाधव आदि शूर पुरुष नवीन रूप से चमकने लगे थे। शिवाजी के अनंतर उनकी मन्त्री-योग्यता जनता को मालूम हुई। उनमें से पहले दो पुरखों ने तो वरार में मराठों के राज्य की जड़ जमाई, और दूसरे दो पुरुषों ने औरंगजेब को हराकर महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिये आरम्भ किये हुए युद्ध का अन्तिम उद्देश पूर्ण किया।

इस प्रकार इन लोगों के बल और बुद्धि की सहायता से ही शिवाजी स्वराज्य को स्थापित कर सके थे। उनमें से कोई भी वीर सकट के समय अपने कर्तव्य-मार्ग से नहीं डिगा। इनमें से किसी ने भी आपत्ति के समय अपने स्वामी को धोखा नहीं दिया; और न कोई शत्रुओं की शरण गया। यही नहीं, किन्तु अनेक वीरा ने केवल यही कह कर कि "मैंने अपना कर्तव्य ही किया है", विजय प्राप्ति के समय अपने प्राण आनन्दपूर्वक त्याग किये। इस स्वार्थत्याग की कथा से उक्त लोगों का महत्व तो मालूम होना ही है, परन्तु उसके साथ ही शिवाजी पर उनका अपूर्व प्रेम और जिन महान् कार्य के लिये वे प्रयत्न करते थे, उनकी भी सच्ची महत्ता मालूम हो जावेगी। उन लोगों के परिश्रम के बल पर जिन राज्य की स्थापना हुई थी, उसकी सीमा को उत्तलाना भी अत्यन्त आवश्यक है। जय सन् १६७४ ई० में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, उस समय स्वराज्य की सीमा बहुत कुछ बढ़ गई थी। शहाजी की पूना प्रदेश की जागीर, पूना, सूबा, इदापुर और वारामती परगने, मावल का सारा भाग, नाइ, सितारा, ऋहाड तक का सितारा जिले का सारा पश्चिमीय भाग,

के चरित्र का और उनके समय की परिस्थिति का पाठकों को पूर्ण परिचय नहीं होगा। चिटनवीस की वस्त्र में तो कई साधु महात्माओं के नामों का उल्लेख किया गया है। पर उनमें चिंचवड के मोरयादेव, निगडी के रघुनाथ स्वामी, वेदर के विठ्ठलराव, सिंगाटे के चामन जोशी, दहिताने के निंवाजी वाग, धामणगाव के बोधलेवावा, चडगाव के जयराम स्वामी, हैदगवाड के केशवस्वामी, पोलादपुर के परमानंद बाबा, संगमेश्वर के अचलपुरी और पाडगाव के मनीवावा, उस समय, बहुत प्रसिद्ध थे। देह के तुकाराम बाबा और चाफल के रामदास स्वामी ने तो महाराष्ट्रीयों के धार्मिक ससार में बड़ी हलचल मचा दी थी। शिवाजी ने रामदासजी को ही अपना धर्मगुरु बनाया था और वे कभी कभी व्यावहारिक विषयों में भी उनसे परामर्श लिया करते थे। इन उभय महात्माओं ने महाराष्ट्रीयों के धार्मिक मतां में जो कुछ परिवर्तन किया, उसका वर्णन तो हम एक स्वतंत्र परिच्छेद ही में करेंगे, पर यहाँ पर केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने शिवाजी के द्वारा प्रचलित राष्ट्रीय हलचल को धार्मिक स्वरूप देकर महाराष्ट्र-समाज में सर्वसाधारण के हित के लिये स्वार्थ-त्याग करने की इच्छा उत्पन्न कर दी थी। शिवाजी का यह उद्देश्य नहीं था कि महाराष्ट्र का उद्धार करने में अपना ही सुख-सघे, वरन् गो ब्राह्मणों का पालन और स्वधर्म की प्रतिष्ठा रखने ही के लिए वे प्रयत्न करते थे। इन उद्देश्यों का लोगों पर प्रभाव डालने के लिये ही शिवाजी ने, रामदासजी के उपदेश के अनुसार, अपने राष्ट्रीय भंडे का रंग भगना रखा था। सांसा-

रिफ सुघों का त्याग करनेवाले मुनि, सन्यासी आदि पुरुष भगवे कपड़े ही पहिनते हैं। हिन्दुओं का विश्वास है कि भगवा रग मुप के त्यागन का चिन्ह होता है, इसीस रामदासजी ने उस रग को पतद किया था। रामदासजी के कथनानुसार ही विदेशियों क प्रभाव को जतलान्वाली 'सलाम' करने की प्रथा बन्द हुई थी, और 'रामराम' कहने की प्रथा प्रचलित की गई थी। उन्हीं के अनुराध से शिवाजी ने पहले न मुसलमाना नाम बदल कर अपने कर्मचारिया क लिये सरकृत नामों की श्रायोजना की था, और पत्र-व्यवहार की प्रथा भी बदल दी थी। एक दिन ता शिवाजी ने अपना सारा राज्य श्रीरामदासजी को समर्पण कर दिया था; पर रामदासजी ने उन्हीं से उस राज्य का प्रपध करने के लिये कहा। पर एक वार जय शिवाजी ने श्रीरामदासजी से, अपने इष्ट देव श्रीरामजी की पूजा-नैवेद्य के लिये, थोडी सी जमीन स्वीकार करने के लिये बडा अनुरोध किया, तब उन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली। परन्तु उन्होंने जान बूझ कर वही जमीन मागी, जो उस समय तक विदेशियों के ही अधिकार में थी। ऐसा करके रामदास स्वामी ने इस बात का सकेत दिया कि स्वदेशोद्धार न कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ।

महाशष्ट मार्राज्य के प्रमातकाल के समय उदित होनेवाले जित मुप्य मुप्य पुरुषों के चरित्रों का हमने उल्लेख किया है, उनसे हमारे पाठकों को उस समय की परिस्थिति का अच्छी तरह से ज्ञान हो जायगा। यदि हम झकेले शिवाजी का ही चरित्र लिखत, तो उससे मुप्य बात का पता नहीं चल सकता था। उन लोगों के ही कारण शिवाजी के सैनिकों में

स्वीकार करा लीं। इस प्रकार बीजापुर के युद्धों में सफलता प्राप्त हो जाने के कारण शिवाजी का बड़ा प्रभाव स्थापित हो गया, जिससे उनके शासन का प्रदेश भी बढ़ा, और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। फिर भी, मराठों में एकता करके उनके प्रदेश की रक्षा करने का उनका मूल विचार बिल्कुल नहीं बदला। बीजापुर-दरवार के साथ उनको जो लड़ाइयाँ हुई, उनका इतिहास ही शिवाजी के शासनकाल का दूसरा भाग है। इस प्रकार बीजापुर-दरवार को हरा देने के बाद उन्हें दक्षिण पर चढ़ाई करनेवाले मुगलों से सामना करना पड़ा। इसलिए मुगलों के साथ की हुई लड़ाइयों का इतिहास ही शिवाजी के शासनकाल का तीसरा भाग है। सन् १६६२ ई० से उन युद्धों का आरंभ हुआ, और सन् १६७२ में मुगलों का पराभव हुआ। इस प्रकार, नवीन रूप से स्थापित की जाने वाली मराठशाही के प्रभाव को स्वीकार करने के लिये शिवाजी ने मुगलों को बाध्य किया। सन् १६७४ ई० में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। उस समय से उनके शासनकाल के चौथे और अंतिम भाग का आरंभ होता है। इस भाग में उनकी सारी आशाएँ और मनोरथ पूर्ण हो गये, अतएव शिवाजी के शासनकाल की पूर्णविस्था का भी चिह्नी भाग है। उस भाग के इतिहास से उनके चरित्र और स्वभाव को अर्थात् तरह से ज्ञान हो जाता है। उस भाग में उन्होंने जिस प्रकार की शासन-प्रणाली का अवलमन किया और जिने राजनैतिक तत्वों का आदर्श रखा किया, उन्हीं से उनकी सब योष्यता मालूम हो सकती है। शिवाजी ने अपने कर्तव्य मुरा उद्देश में तो कभी परिवर्तन नहीं किया। मराठों

विपरी हुई शक्ति को एकत्रित करने की अपनी रक्षा करना ही उनका मुख्य ध्येय था; और जिस इच्छित प्रदेश में उन्हें उक्त ध्येय को सिद्ध करना था, उस प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार, सीमा भी बढ़ती गई; तो भी उनका मुख्य उद्देश्य अभी नहीं बढ़ता । अपने पड़ोसियों से अपनी जागीर की रक्षा करते हुए, अचानक प्रातः किये हुए नय, प्रदेश का मुगलों के कंधों से उखाड़ना उनके लिए आवश्यक था, यद्यपि उनके मूल उद्देश्य स्वराज्य का प्राप्ति के लिए प्रातः ही गया । इस प्रकार उनके शासन की सीमा बढ़ती गई; और उन्हें विभिन्न स्थानों के मराठे सरदारों से एकता करने का अन्तः प्रयत्न मिला, परन्तु उनका उपर्युक्त उद्देश्य तो कायम ही था । उन्हें बीजापुर अथवा मुगल बादशाह से युद्ध करने की विलक्षण इच्छा नहीं थी; और यदि वे बादशाह पश्चिमी महाराष्ट्र को हस्तगत कर लेने की इच्छा न करके कर्नाटक और उत्तरीय भारत के अपने प्रदेशों पर ही शासन करते रहते, तो शिवाजी उनसे कदापि युद्ध न करते । हा, गोलकुंडा राज्य की रक्षा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था । मुगलों की सनातन और भगाने के कार्य में बीजापुर-दरबार को उन्होंने सहायता भी दी थी । अतः यदि मुगल बादशाह शिवाजी के शासन के प्रदेश को कष्ट न पहुँचाते, तो वे मुगलों के मातृलोक राजा भी बनने के लिये तैयार हो जाते । यहाँ तक कि मुगल बादशाह को स्वामित्व को स्वीकार करने के लिये तैयार भी थे, पर मुगलों ने उन्हें कपट से वहीं पर फँद कर लिया । यद्यपि मुगलों ने उनके साथ इस प्रकार कपट का व्यवहार किया, तथापि वे उनके साथ मुलह करने के लिए तैयार हो

का मित्र था। सोध ही वह घडा उद्वर्त और बेपरवाह
 भी था। उसकी पत्नी की उमर का यह आचरण अच्छा नहीं
 लगता था। अतः एक बार उमने उसे समझाने का प्रयत्न
 किया, पर उस अपराध के बदले उसे दुष्ट ने उस अबला स्त्री
 को तोप से उड़ा दिया। परन्तु जब उस नीच मनुष्य की
 मृत्यु हो गई, तब उसके तीन पुत्र आपसे में भगड़ने लगे।
 उस समय उन्होंने शिवाजी से निपटारा करने के लिये कहा।
 शिवाजी ने उन तीनों भाइयों को कैद करके पुरंदर पर अपना
 अधिकार कर लिया। इस कार्य के लिए ग्राट डफ ने शिवाजी
 का विश्वासघाती जतलाया है, पर यह उनका भ्रम है। इस
 बात को तो ग्राट डफ ने भी मान लिया है कि शिवाजी ने
 उन तीनों लड़कों को अच्छे अच्छे पारितोषिक देकर उधरों
 चम्था को पहुँचाया था। परन्तु बखरकारों ने तो लिखा है
 कि, उन तीनों भाइयों के भगड़ों के कारण निज को कष्ट होने
 के डर से किले के सैनिकों ने ही शिवाजी को उक्त परामर्श
 दिया था। उन तीनों भाइयों में से दो भाई तो उस वक्त पर
 राजी भी थे। अस्तु। बखर के इस वर्णन को पढ़ने से
 शिवाजी की निर्दोषिता ही सिद्ध होती है। वास्तव में उक्त
 किला, नाके पर होने के कारण, शिवाजी ने लिया था। ग्राट
 डफ के कथनानुसार विश्वासघात से नहीं लिया, और
 वहाँ के सैनिकों के परामर्श के बिना लिया था।

शिवाजी ने, अपने मद्देय के नियमानुसार, ये किले म
 व्यर्थ रक्तपात करके नहीं लिये थे। इससे भी यही जा
 पड़ता है कि उनकी जागीर के आसपास रहनेवाले लोगों के
 उन पर कितना विश्वास था। जब उन्होंने हिरडेमाचल प्रदेश

का रोहिद किला, और सहाद्री की धोयी के उत्तर में कल्याण से लगाकर दक्षिण के लाहगढ, रायरी-और प्रतापगढ तक के सारे किले जीत लिये, तब उनके शासनकाल के घिज्यों का पहला भाग समाप्त हो गया । उन्होंने कल्याण के किले को जरे जीत लिया, तब बीजापुर-दरवारों की आखें खुलीं और वे शहाजी को कष्ट देकर शिवाजी को हलचलों को बढ़ करने का प्रयत्न करने लगे । उन्होंने शहाजी को कर्नाटक से वापस बुलाकर उन्हें कैद कर लिया । शिवाजी को जब शहाजी के शरीर को घक्का पहुँचने की आशना हुई तब उन्होंने किले जीतने के काय-को बढ़ कर दिया, और बीजापुर-वालों का बढ़ता लेने के उद्देश से, वे मुगल-बादशाह शाहजहा से जा मिले । उक्त समाचार ज्यों ही बीजापुर वालों की मालूम हुआ, त्यों ही उन्होंने शहाजी को छोड़ दिया । शिवाजी ने मुगलों के पक्ष में शामिल होने के पहले-उनसे चौथ और सरदेश-मुखी के स्वतन्त्र मागे थे, और शाहजहाँ ने भी शिवाजी के दिली आने पर इन विषय में विचार करने का घचन दिया था । पर शाहजहा के जीवन-काल में इस विषय का फैसला नहीं हो सका । उक्त घटनाएँ सन १६५२ ई० में हुईं, और उसी साल शिवाजी के शासन-काल का पहला भाग समाप्त हुआ ।

जब तक शहाजी कारगार में रहे, तब तक शिवाजी ने कोई हलचल नहीं मचाई । पर, सन् १६५७ ई० में, उनके मुक्त होते ही शिवाजी फिर से हलचल करने लगे । इस लिए बीजापुर-दरवार ने मुगलों से सुलह करके शिवाजी को दवाने का निश्चय किया । उसी समय से शिवाजी के शासनकाल

सन् १६६१-६२ में बीजापुर के बादशाह ने स्वयं ही शिवाजी पर चढ़ाई की, पर उसे युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ। इसका आगे भी एक वाचप-युद्ध का उक्त क्रम धीरे धीरे जारी रहा। उसी समय के लगभग शिवाजी ने नई-जलसेना तैयार करके जजीटे-के-अतिरिक्त समुद्र तट के सभी किले जीत लिये। इस प्रकार बीजापुर-दरबार ने अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देख, हताश होकर, सन् १६६२ ई० में शहाजा को मध्यस्थ बनाकर शिवाजी के साथ सुलह की। उस सुलहनाम के अनुसार शिवाजी का जीता हुआ सारा प्रदेश उन्हीं के अधीन रखा गया। शिवाजी के शासन-काल के पहले भाग के अत म चारन स लगाकर तीरा-नदी तक का सारा प्रदेश, उनकी निज-की जानार और पुरदर से लेकर कल्याण तक के, सह्याद्रि पर्वत के, सभी किले उनके अधिकार में थे। परन्तु दूसरे भाग के अत में कल्याण से लेकर गोवा तक का, कोकन का सारा प्रदेश और उसी काकन-प्रदेश के समानान्तर घाट पर का भीमा से लगाकर वारना तक का, उत्तर-दक्षिण-१६० मील लम्बा और सह्याद्रि से पूर्व और १०० मील चौड़ा प्रदेश शिवाजी को और मिला। उनके शासनकाल के तीसरे भाग के अत में बीजापुर-दरबार ने, उस सुलहनाम के भंग करके, फिर न शिवाजी पर चढ़ाई कर दी। उस समय शिवाजी के सेनापति प्रतापराव गूजर ने उस सेना को मार भगाया, परन्तु उसका पीछा न करके उसे सुरक्षित-रूप में अपने प्रदेश को चले जाने दिया। परन्तु शिवाजी ने उस असामयिक दयाभाष के लिए प्रतापराव को बहुत कुछ रुहा सुना। यह बात प्रतापराव के मन में ऐसी लगी कि, जब बीजापुर

की सना ने फिर से शिवाजी के प्रदेश पर चढ़ाई की तब ये उस पर बुरी तरह से दूट पड़े, और शत्रु सेना के साथ बड़ा वीरता स लड़ते लड़ते अपन प्राणों को न्योछावर कर दिया । इसके कुछ दिनों बाद जब मुगलों ने आकर बीजापुर को घेर लिया, तब बीजापुर के बादशाह ने अत्यन्त प्रिय-पूर्वक शिवाजी से सहायता माँगी । उस समय शिवाजी ने उनका सारे अपराधा का भूल कर उन्हें सहायता दी और मुगलों के प्रदेश में युद्ध छेड़ कर, उनकी सना पर, पीछे की ओर, स तथा इधर-उधर की ओर से हमला करके उनको बीजापुर से अपने घेरे को हटाने के लिये बाध्य किया । शिवाजी के इस उदारतापूर्ण आचरण के कारण ही बीजापुर का राज्य २० वर्ष तक टिक सका । वास्तव में हमें इन घटनाओं का वर्णन शिवाजी के शासनकाल के तीसरे भाग में करना चाहिए, परन्तु इस परिच्छेद में उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन मात्र इस हेतु स करा दिया है कि जिससे बीजापुर दरबार के साथ होनेवाले सभी सभामों का सविस्तर वृत्तान्त पाठकों को एक ही जगह मिल जाय ।

१०५

11070103/3 1 27

छठवां परिच्छेद ।

वृत्त में फल आये।

सन् १६६२ ई० से शिवाजी के शासन-काल के तीसरे भाग का आरंभ हुआ। इस समय तक शिवाजी ने मुगलसना की हलचलों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। हा, १६५७ में उन्होंने एक बार जुन्नर शहर का लूटा था। इस एक चढाई के अतिरिक्त इन दोनों पक्षों में, सन् १६६२ तक, शत्रुता उत्पन्न करने वाली और कोई घटना नहीं हुई थी। शाहजहाँ बादशाह के समय में तो शिवाजी उसकी शरण में जाने के लिये भी तैयार हो गये थे, इसमें उनका केवल यही मुख्य उद्देश नहीं था कि बीजापुर-दरबार को भय दिखा कर अपने पिता का लूटकाग कर लिया जावे, वरन् उन्हें शाहजहाँ से अपने स्वत्वा की स्वीकृति भी कर लेनी थी। तदनुसार बादशाह ने भी उन्हें वचन दे दिया था। इस विषय में उनकी यही शर्त थी कि, शिवाजी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर स्वत्व-प्राप्ति की प्रार्थना करे। और गजेब ने भी, बीजापुर के घेरे का इलाकर, दिल्ली के नख्त का प्राप्त करने के लिए अपने भाई पर चढाई करते समय, शिवाजी के कान्त के स्वामित्व को स्वीकृत कर लिया था। इनके अतिरिक्त उराने युद्ध भी इन्ड्या प्रकट की थी कि शिवाजी जुने हुए मर दारों सहित, बादशाह को तौकरी का हवीकार करके, तर्मादा

क दक्षिण गाले यादशाह के प्रदेश में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें; पर मुगल-साम्राज्य के अधिकार प्राप्त होते ही वह उन सारी बातों को भूल गया । जय सन् १६६१ ई० में मुगल सेना ने शिवाजी के उत्तरीय सैनिक स्थल कल्याण पर एका-एक चढ़ाई करके उसे जीत लिया, तब शिवाजी बीजापुर घाली के युद्ध में उलभं हुए थे, इससे वे मुगल सेना को उस अपगन्ध का प्रायश्चित नहीं दे सके । परन्तु जब उन्होंने सन् १६६२ ई० में बीजापुर-दरवार से सुलह कर ली, तब उनके सेनापति नेताजी पालकर ने औरंगाबाद के पास की मुगल सेना पर चढ़ाई कर दी और मोरापत पेशवा ने भी जुधर के उत्तर में मुगलों के दक्षिण फिले जीत लिये । इस प्रकार दोनों थोर से युद्ध छिड़ गया । मुगलों के सरदार शाहस्ताम्बा ने पूना और चाफन ले लिया; और पूना में अपनी फौज का डेरा जमा दिया । एक दिन शाहस्ताम्बा पूना के महल में आनन्दपूर्वक पड़ा हुआ था, कि इतने में शिवाजी ने रात को उन पर चढ़ाई करके उसका किये का बदला चुकाया । मुगल घुडमवारों न लिहगढ तक शिवाजी का पीछा किया, पर नेताजी पालकर ने उन्हें मार्ग में ही घर कर उन्हें मार भगाया । यह घटना सन् १६६३ ई० में हुई । सन् १६६४ ई० में शिवाजी ने उस समय क व्यापार क मुख्य केन्द्र सुरत नगर पर पहली चढ़ाई की । यद्यपि उन्हें उस प्रदेश के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, तथापि उन्हें मार्ग में किसी असु-विधा से सामना नहीं करना पडा । उसी समय मराठा की जल-सेना ने सुरत से मक्का की ओर जाने वाले यात्रियों के कुछ जहाज़ पकड़ लिये । सन् १६६६ ई० में मराठा क एक

दूसरे सैनिक दल ने गोवा के दक्षिण की ओर के एक सपत्तिशाली बंदर को लूट लिया, जिससे उत्तरीय कनारा प्रदेश में शिवाजी का प्रभाव अन्धरी तरह ने स्थापित हो गया । शाहस्ताखा ने तो, पराजित हो जाने के कारण, फिर कभी फिर नहीं उठाया । जब शिवाजी के आगे शाहस्ताखा की दाल नहीं गली, तब दिल्ली के बादशाह ने उसे वापिस बुला लिया, और शिवाजी के प्रभाव को नष्ट करने के लिए रणपंडित राजा जयसिंह और दिलेरखा को भेज दिया । उन दोनों वीरों के सैनिक दल ने मराठों के प्रदेश में घुसकर पुरन्दर के किले को घेर लिया, इसलिए महाड़ के मुरारवाजी देशपांडे नामक प्रभू सरदार ने बड़ी शूरता से उस नगर की रक्षा की । यहाँ तक कि उस समर-वीर ने अपने प्राण त्याग करके भी उस प्रचंड मुगल सेना का सामना किया, और उसे नीचा दिखाया । चम्पर-लेखक अथवा ग्राट डफ ने इस बात का कोई कारण नहीं दिया है कि, उस समय शिवाजी को दिल्लीख़वर के आश्रित, प्रमुख हिन्दू सरदार राजा जयसिंह की शरण में जाकर, मीठी बातों के द्वारा अपने कार्य को साध लेने का परामर्श क्योंकर दिया गया था ? पर इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि, शिवाजी ने निराश होकर के ही उस मार्ग का अवलम्बन नहीं किया था । चम्पर-लेखक का कथन है कि माता भवानी ने शिवाजी के मन में प्रेरणा की थी कि, राजा जयसिंह परमेश्वर का लाडला भक्त है, और उसके साथ युद्ध करने में सफलता नहीं होगी, अतः मित्रता करके ही अपने उद्देश को पूर्ण करना ठीक होगा । परन्तु क्या जिस वीर ने अफजलगढ़ और शाहस्ताखा जैसे प्रभावशाली मुगल सर-

दारों को माग 'भगाया था और जिस नरसिंह के रणधुरधर सगदारों ने किसी नेता या किल का आश्रय न हाते हुए भा सारे महाराष्ट्र में फैली हुई औरगजेय के सैन्य-समुद्र को पीछे हटा दिया था, वह प्रत्यक्ष 'वीर-नसावतार शिवाजी जयसिंह स युद्ध करने को असमर्थ था ? सच तो यह है कि जब कभी शिवाजी ने रण्य सेना-नायक बनकर शत्रुता पर चढ़ाई की, तब उन्हें वगजर सफलता मिलती रही, यहा तक कि ज्यो ज्यो कठिन सकट उन पर आते थे, त्यों त्यों उनका शौर्य और स्भ अधिकाधिक बढ़ती जाती थी । ऐसी वशा में भी, जब कि शिवाजी ने जानबूझ कर जयसिंह की शरण जाकर प्राय सारे किले और प्रदेश उने सांप दिये, तब उन्हें और उनके साथियों को अवश्य ही कोई राजनैतिक दाव मावा हागा । कदाचित् शिवाजी ने सोचा हो कि, याडी ढेर के लिये जयसिंह की शरण जाने ने, दिल्ली में प्रविष्ट हाकर उहा के बडे दरवार में अपने रिचार प्रकट करन के लिये अवसर मिलेगा, अथवा कम से कम बडे बडे राजपूत सगदारों से परिचय हो जायगा । साथ ही अपनी बडी बडी नामनाए पूर्ण होने में भी, स्वार्थत्यागे से सपादित की हुई जयसिंह की भिन्नता से, बहुत कुछ सहायता मिल सकने का भी उन्हें विश्वास हुआ हागा । साथ और सरदशमुखी के स्वत्व प्राप्त करने के लिये तो वे लगातार प्रयत्न कर ही रहे थे । परन्तु शाहजहाँ और औरगजेय ने उनके उन स्वत्वों की रक्षाति नहीं दी थी । उन स्वत्वा को प्राप्त कर लेन का उन्हें विश्वास था, इसीसे कदाचित् उन्होंने सोचा है कि कुछ समय के लिये जयसिंह की दाह गहने स, उक्त स्वत्व अधिक

क्रिया । इस प्रकार गढ तो हस्तगत हो गया, पर उसके लिए तानाजी जैसे सिंह को अपनं प्राण त्यागने पड़े ! सिंहगढ के जीत लेने के अनंतर शिवाजी ने पुरंदर, माहुली, वग्नाला, लोहगढ और जुन्नर के किले भी जीत लिये । उन्होंने जेजुरी पर भी चढ़ाई की थी, पर सिद्दी की मजबूत जल-सेना के कारण वे कुछ भी नहीं कर सके । उन्होंने फिर से सुरत को लूटा, और सुरत से लौटते समय, मार्ग में उनका पीछा करने वाले मुगल सरदारों से, उनकी मुठभेड हो गई । यद्यपि मुगल सेना उनकी सेना से बहुत बड़ी थी, तथापि शिवाजी के घुड-सवारों ने, मुगल सेना को हराकर, सुरत की लूट का द्रव्य रायगढ को सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया । प्रतापराव गूजर ने भी खानदेश में घुस कर, बरार के विलकुल पूर्वीय भाग तक, सब प्रदेशों पर कर लगाया । इसके पूर्व मराठों ने दिल्ली के बादशाह के प्रदेश से चौध और सरदेशमुखी कभी वसूल नहीं की थी । मोरोपत पेशवा ने भी सन् १६७१ ई० में बागलान के सालहेर आदि किले जीत लिये । परन्तु सन् १६८२ ई० में ही मुगलों ने सालहेर को फिर घेर लिया, अतएव मराठों ने बड़ी वीरता से नगर की रक्षा की, तथा मोरोपत पेशवा और प्रतापराव गूजर ने उस असह्य शत्रु-सेना का भारी सामना कर के उसको पूर्ण पराजित कर दिया । सन् १६७३ ई० में शिवाजी ने फिर से पन्हाला जीत लिया । उन्नी साल अफ्गाजी दत्तो ने हुवली नगर को लूटा । शिवाजी ने कारवार की ओर अपनी जल सेना को भेज कर उस ओर के समुद्र तट का सारा प्रदेश जीत लिया, और गोलकुडा के राजा की भाँति वेदनूर के राजा से भी कर वसूल किया । इधर बीजापुर-

दरबार की भेजी हुई सेना को प्रतापराव ने अच्छी तरह से छुकाया और जय बीजापुर-दरबार ने सन् १६७४ ई० में फिर से अपनी सेना को भेजने की धृष्टता की, तब हंसाजीराज मोहिते ने बीजापुर के मुख्य द्वार तक उसका पीठा किया । इस प्रकार अनेक युद्ध करके शिवाजी न केवल चार ही वर्ष में, फिर से अपने सारे प्रदेश को वापिस ले लिया और बहुत सा नया प्रदेश भी जोता । उत्तर में सूरत तक, दक्षिण में हुबली-वेदनूर तक और पूर्व में बरार, बीजापुर और गोलकुडा तक उनके राज्य का विस्तार हो गया । इनके अतिरिक्त वे ताप्ती नदी के दक्षिण और मुगलों के प्रदेश से चौध और सरदेश-मुखी भी वसूल करने लगे तथा गोलकुडा और वेदनूर के राजाओं को अपने अधीन करके उनसे भी खिराज लेने लगे । अर्थात् बरार लखकों के कथनानुसार, उन्होंने तीन मुसलमान बादशाहों को अपने अधीन करके समार को दिखला दिया कि हिन्दू सम्राट्-पद के लिये नर्वया वे ही योग्य हैं । उक्त विचार से ही, उनके तीस वर्ष के देशकार्य का महत्त्व ध्यान में लाकर, उनके मंत्रियों ने गड़े ठाटवाट से उनका राज्याभिषेकौत्सव मनाया, और हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना की । उस समय के दक्षिणी भारत की परिस्थिति को देखते हुए लोगों के मन में स्वराज्य-विषयक विचार उत्पन्न कराना अत्यन्त आवश्यक था । इसी उद्देश्य से विशेष कर, शिवाजी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया गया । अवश्य ही यह उद्देश्य पूर्ण हुआ, और औरंगजेब ने जय जय दक्षिण पर चढाई की, तब तब वहा के सभी मराठे सरदारों ने एकत्रित होकर स्वराज्य की रक्षा करने की भरसुक चेष्टा की ।

उसी समय से शिवाजी के शासन का चौथा और अंतिम भाग आरंभ हुआ । राज्याभिषेकोत्सव मनाने के कारण चारों ओर आनंद और उत्साह फैल गया । और नये, स्थापित किये हुए हिन्दू साम्राज्य के सम्मानार्थ सहाय्य पर्वत और समुद्र तट के प्रत्येक किले से तोपें दागी गईं । अपने शासन के इस चौथे भाग में शिवाजी को बहुत कुछ शानि सुख प्राप्त हुआ । मुगल सेना बीजापुर और गोलकुडा के राज्यों को जीतने में फंसी रही, अतएव उसने शिवाजी को कोई विशेष कष्ट नहीं दिये । गोलकुडा पर मुगल सेनापति ने चढ़ाई की, पर हजीरराव मोहित की सहायक सेना समय पर पहुंच गई, अतएव उसे पीछे हट जाना पड़ा । शिवाजी के आश्रय के ही कारण कुछ समय तक गोलकुडा राज्य जी रत्ना हो सकी । शिवाजी ने जब कांटेक पर चढ़ाई की, तब गोलकुडा के राजा ने उनकी सहाय्यार्थ अपनी फौज भेजी । उस चढ़ाई में शिवाजी ठेठ तजौर तक जा पहुंचे । मार्ग में उन्हाने घेलोर किले को भी जीत लिया, जिजी के किले की मरम्मत की, आर मैसोर के मार्ग पर अपनी फौज की छावनियां स्थापित की । उधर मुगल सेना बीजापुर के पास ही डटी हुई थी । जब उसने बीजापुर को घेर लिया, तब वहां के आदिलशाही राजा और उनके मंत्रा बड़े घबड़ाये । उन्हें अपनी रत्ना का कोई उपाय नहीं देख पड़ा, और फिर उन्होंने शिवाजी से सहायता चाही । उस समय शिवाजी ने भी, पूर्व-द्वेषभाव को भूल कर, उनकी सहायता के लिये अपनी सेना भेज दी । तदनुसार शिवाजी की सेना त सुरन से लगा कर बुरहानपुर तक के मुगल-प्रदेश को विध्वंस करके पीछे की ओर से और

दाहनी-बाईं ओर से मुगल सेना पर आक्रमण किया । इस प्रकार कैंची में पड़ जाने से मुगल सेना को, धीजापुर का घेरा हटा कर, औरंगाबाद की ओर, चले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा । चौथे भाग के यहीं मुख्य मुख्य युद्ध हैं । महाराज शिवाजी को उस समय थोड़ी सी विश्रान्ति मिल गई, इसलिये उनको राज्य-प्रघथ की ओर भी ध्यान देने के लिए अग्रसर मिला । उस अवसर में उन्होंने राज्य-विषयक जो कुछ सुधार किये, और राज्य-प्रघथ की जिस नई शैली का प्रचार किया, उन्ही के कारण वह भाग अधिक महत्वपूर्ण बन गया है । शिवाजी न जिन सुधारों या प्रथाओं का प्रचार किया, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । हा, यहाँ पर सिर्फ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि, शिवाजी अपने शासन-काल के पहले भाग के अंत में सिर्फ चाकन स लेकर नीरा नदी तक के छोटे से प्रदेश के स्वामी थे, परन्तु अपने अन्त समय में वे ही शिवाजी ताप्ती नदी के दक्षिणी प्रदेशों में अत्यन्त बलवान् राजा हा गये थे; और ताप्ती स लगकर कावेरी नदी तक के सभी हिन्दू और मुसलमान राजा, उन्हें सम्राट् मान कर उनके अधीन हा गये थे ।

सातवाँ परिच्छेद ।

शिवाजी का राज्यप्रबंध ।

शिवाजी की सैनिक योग्यता के इतिहास से हमें उनकी श्रेष्ठतर बुद्धि के एक ही भाग का ज्ञान होता है, परन्तु राज्य का सुप्रबंध करने के लिये जो आवश्यक गुण उनमें थे, और जिनके लिए हमारे मन में उनके विषय में अधिक पूज्यभाव उत्पन्न हो जाता है, उनका भी यहां पर विचार करना आवश्यक है । नपोलियन की तरह शिवाजी भी अपने समय की राजनैतिक संस्थाओं के उत्पादक और रचयिता थे । उन्हीं संस्थाओं के कारण प्रायः उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती रही, और उनके अनन्तर, महाराष्ट्र पर जितने भयंकर संकट उपस्थित हुए, उनमें अपनी रक्षा करके, और मुगलों से लगातार बीस वर्ष तक युद्ध करके, महाराष्ट्र फिर से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सका । शिवाजी की स्थापित की हुई राजनैतिक संस्थाएँ, उनके पूर्व की हिन्दू और मुसलमानों की राज्यप्रबंध शैली से विलक्षण भिन्न थी । अतएव उनसे उनकी अपूर्व कल्पनाशक्ति और अनुपमेय बुद्धि चानुर्य का अच्छी तरह से पता चल सकता है । इस लिए हमें उन संस्थाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिये । इसके अतिरिक्त अपने आरम्भ किये हुए या संगठित किए हुए कार्य में फूट या कुप्रबंध का प्रवेश न होने देने के लिये भी वे बहुत सावधान रहा करते

थे । परन्तु उन्हीं के उद्भवाधिकारियों ने, उनके अनंतर, जब महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़कर फिर से स्वराज्य स्थापित किया, तब उनकी आदर्श शासन-पद्धति का अनुकरण न करके, प्राचीन प्रणाली का अवलंबन किया । फलतः आपस में फूट हो गई; और कुप्रबंध का बीज जम गया । हम पहले ही लिख चुके हैं कि, शिवाजी ने अपने ही अधिकार में, सारभारत पर, एक ही राज्य के स्थापित करने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की थी । किन्तु उनका सारा प्रयत्न इसी उद्देश्य से था कि लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करा जाय, वे अपनी रक्षा करने और अपना स्वतंत्र व्यवस्थापित करने का यत्न कर सकें, और राष्ट्र के नाते से उनमें एकता स्थापित हो जाय । अन्य राष्ट्रों का नाश करने की उन्होंने कभी इच्छा नहीं की । गोलकुंडा, बेदनूर और बीजापुर के बादशाह से भी उनकी मित्रता थी, और उनके अधिकार के तैलंगन, मैसूर और कर्नाटक प्रांतों में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया । उन्होंने द्रविड देशों की अपनी पैतृक जागीर भी अपने सौतेले भाई व्यंकोजी को सौंप दी थी । मुगलों के प्रदेशों से चौध और सरवेशमुष्ठी के स्वतंत्र प्राप्त करके ही वे चुप हो गये थे । वे 'स्वराज्य' (अपने अधिकार का प्रदेश) और मुगलों के प्रदेश को (स्वराज्य का बाहर विदेशियों के अधिकृत प्रदेश को) बिलकुल भिन्न मानते थे । उन्होंने जिन राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना की, वे केवल महाराष्ट्र देश के राज्यशासन के ही लिये थीं । फिर भी महाराष्ट्र देश के बिलकुल दक्षिणी प्रदेश के जितने दुर्ग उनके अविभक्त में थे, उनके प्रबंध के लिये भी उन्होंने इस प्रथा का अवलंबन किया था । उन्होंने अपने प्रदेश को

प्रांतों (जिलों) में विभाजित किया था, और पूना के पास की पैत्रिक जागीर के अतिरिक्त उनके अधिकार में निम्न प्रांत भी थे.—१ मावल प्रांत—वर्तमान मावला, साम्बड, जुनर और सेडताल्लुके तथा उनके आस पास के १८ पहाड़ी किले, २ चाई, मितारा और रुहाड प्रांत—वर्तमान सितारे जिले का पश्चिमी भाग और उनके आसपास के १५ पहाड़ी किले, ३ पन्हाला प्रांत—वर्तमान कोल्हापुर रियासत का पश्चिमी भाग और १३ पहाड़ी किले; ४ दक्षिण कोकन प्रांत—वर्तमान रत्नागिरि जिला और ५८ पहाड़ी किले तथा जलदुर्ग; ५ थाना प्रांत—वर्तमान उत्तरीय कोकन प्रदेश और १२ किले; ६, ७ त्रिपुरा और चागलान प्रांत—वर्तमान नासिक जिले का पश्चिमी भाग और ६२ पहाड़ी किले । इन प्रांतों के अतिरिक्त उनकी सना की छावनियाँ अगले प्रांतों में थीं,—८ यनगड प्रांत—वर्तमान धारवाड जिले का दक्षिणी भाग और २२ किले, ९, १०, ११ वेडनूर, कोल्हापुर और श्रीरंगपट्टण—वर्तमान मेंनेार प्रदेश और १८ किले, १२ कर्नाटक प्रांत—वर्तमान मद्रास अहाते में सम्मिलित कृष्णा नदी का दक्षिणी । प्रदेश और १८ किले, १३ बेलोर प्रांत—वर्तमान अर्नाट जिला और २५ किले; और १४ तजौर प्रांत तथा ६ किले । सत्यादि की सभी श्रेणियों पर छोटे-बड़े किले बने हुए थे, और पश्चिम में समुद्र तट तक और उन किलों के पूर्वीय प्रदेशों तक के बीच क प्रदेश की चौड़ाई ५० मील से लगाकर १०० मील तक की थी ।

वचन में लिखा गया है कि शिवाजी के अधिकार में २८० किले थे । पहाड़ी किले और उनके आसपास के प्रदेश को अपने राज्य का ही भाग मानना शिवाजी की राज्यप्रणाली

का एक तत्व था । नये किले बनाने और पुरानों की मरम्मत करने के लिये भी वे बहुत सा धन खर्च करते थे । उनके किलों पर बहुत सी सेना और युद्ध-सामग्री रहती थी । इन किलों की सूची यह थी कि, इनके काग्य शत्रुओं का चढाईयों की चिन्ता न रहती थी, और भीतर सुरक्षित रूप से रह कर बाहर के शत्रुओं पर यथावत् गोलाबारी की जा सकती थी । इन्हीं किलों के द्वारा मराठा ने पहले-पहल ऐने ऐने शूरता-पूर्ण और साहसयुक्त रणकोशल दिखाया है कि जो उनके इतिहास में अत्यंत मनोरंजक माने जाते हैं । इन्हीं किलों की मजबूत शक्ति में नारा महाराष्ट्र प्रदेश एकत्रित रूप से बँधा हुआ था, और मरुट के समय इन किलों ने उसकी रक्षा की । भित्तर के किन्ने पर जय औरगजेब की अमरय सेना ने धारा किया, तब मराठे तोग कई मास तक उस किले के आश्रय से उड़ी वीरतापूर्वक लड़ते रहे, और यद्यपि अन्त में वह किला शत्रुओं के हस्तगत हो गया था, तथापि छत्रपति राजाराम के समय में वर्तमान अधि-नरेश के पूर्वजों ने ही सब से पहले शत्रुओं से उसे ले लिया था । तोरणा और रायगढ़ तो शिवाजी की बाल्यावरधा के ही पराक्रम के फल थे, और शिवनेरी किला उनका जन्म-स्थान ही था । बाजी प्रभु की वीरता से पुरंदर किला प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । इधर रोहिडा और सिंहगढ़ के किले अछिनीय योद्धा तानाजी मालुसरे के पराक्रम का परिचय कराते हैं । सिद्दी जोहार की प्रचंड सेना से डकर लेने के लिए पन्हाले का किला प्रसिद्ध है । रणशूर बाजी प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति देकर रागणा किले की घाटी के मार्ग को बड़ी हिम्मत से रोक था, और इस लिए वह किला

भी इतिहास प्रसिद्ध हो गया है। मालवन का किला और कुलावा की छावनी, ये दोनों समुद्री युद्ध करनेवाली मराठी जलसेना के मुख्य स्थान थे। अफनलखा के बंधन के कारण प्रतापगढ़ किला प्रसिद्ध है, तथा माहुली और सालरो में मावल वीरों ने मुगल सनापनिया से सामना करके उन्हें हरा दिया था, इस कारण ये किले भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। शिवाजी के अधीनस्थ इन किले की पूर्वोक्त सीमा कल्याण, भिवडी, वाई, कृष्णाड, मूपा, खटाव, वारामती, चाकण, शिरजल, मिरज, तासगाव और कोल्हापुर के किलों से घिरी हुई है।

इन किलों ने शिवाजी को समय समय पर जो सहायता दी, उनसे यह कहा जा सकता है कि उनके सुप्रबंध और रक्षा करने में उन्होंने जितना परिश्रम किया वह सब सार्थक था। प्रत्येक किले पर एक रक्षक नियत था और उसी के अधिकार में उसकी जाति के कुछ सहायक रखे जाते थे। इन्हीं सब के हाथ में किले के आस-पास के विभिन्न तटों की रक्षा का कार्य सौंपा जाता था। इसके अतिरिक्त देशस्थ, कोकनस्थ और कृष्णाड इन तीनों ब्राह्मण-श्रेणियों में से सूबेदार अथवा सबनीस पद पर एक ब्राह्मण कर्मचारी रखा जाता था। साथ ही कार खानीस नामक एक प्रभू जाति का भी कर्मचारी रहता था। इन दोनों कर्मचारियों को किले पर के रक्षक की कई कार्यों में सहायता देनी पड़ती थी। रक्षक (हजरतदार) और उसकी नीचे के मराठे कर्मचारियों के हाथ में किले की सेना के प्रबंध का कार्य सौंपा जाता था। ब्राह्मण सूबेदार प्रदेश के प्रबंध का कार्य करते थे, और किले के आस पास के ग्रामों पर भी इन्हीं

की हुकूमत रहा करती थी । प्रभू कारग्यानीस के अधिभार में घास-दाना, गोला-बारूद आदि युद्ध-सामग्री के अनिश्चित किले की मरम्मत रखने का भी कार्य था । इस प्रकार उन तीना जातियों को एक ही स्थान पर विभिन्न कार्य सौंपे गये थे, अतएव उनमें पारस्परिक प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया था, और द्वेष-भाव उत्पन्न होने के लिये कोई कारण नहीं था । पर्वतों के आसपास के प्रदेशों की बड़ी सावधानी से रक्षा की जाती थी, और किले के पास के जंगलों की रक्षा करने का कार्य प्रजा के रामेशा आदि निम्न जातियों के हाथ में सौंपा जाता था । दिन में और रात में पहरा देने और रक्षा करने के लिये प्रत्येक सिपाही को आवश्यक सूचनाएँ भी दी जाती थीं । किले के छोटे बड़े हान या उसके महत्व की दृष्टि से, वहाँ पर न्यूनाधिक सत्ता रखी जाती थी । नौ सिपाहियों के ऊपर एक 'नाइक' नियत किया जाता था । बंदूक, तलवार, तीर, भाले, पट्टे, बर्छी आदि हथियार सैनिकों को दिये जाते थे । वेतन में प्रत्येक सिपाही को, उसके दर्जे के अनुसार, नकद अथवा अन्य प्रकार का नियत द्रव्य दिया जाता था ।

यहाँ तक हमने केवल पहाड़ी किलों और उनके आसपास के प्रदेशों की व्यवस्था का वर्णन किया । अब राज्य के अन्य प्रदेशों की व्यवस्था का वर्णन करना आवश्यक है । जिस प्रकार वर्तमान ब्रिटिश राज्यप्रबन्ध में ताल्लुकों की शैली है, उसी प्रकार उस समय भी राज्य के अन्य प्रदेश महाला (परगनों) और प्राता में विभाजित किये गये थे । एक महाल की वार्षिक आय लगभग पान लाख से लेकर सत्रा लाख तक

हुआ करती थी। दो या तीन महालों का एक सूबा और उसका अधिकारी सूबेदार कहलाता था। उसका वार्षिक वेतन चार सौ 'हान', अर्थात् मासिक १०० रुपये होता था। मुगलों की राज्यप्रबंध-प्रणाली में 'मालगुजारी' का कार्य गांव के पटेल, कुलकरनी (पट्टचारी) अथवा जिले के देशमुख या देशपांडे को सौंपा गया था। पर शिवाजी ने उस प्रथा का अवलंबन नहीं किया। यद्यपि गांव और जिलों के उक्त हकदारों के हक भी पूर्ववत् उन्हीं के हाथ में रखे गये थे, परन्तु मालगुजारी की व्यवस्था का नारा कार्य उनके हाथ से निजाल कर सूबेदार और महालदार के हाथ में दे दिया था। ये लोग अपने सूबे या अपने महाल का प्रबंध स्वयं ही करते थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दो-तीन गांव के पीछे कमाविसदार नामक एक और कमचारी नियत किया जाना था, जो मालगुजारी वसूल करने का कार्य करता था। महालों अथवा गांवों के ठेके पर देन, अथवा उनकी मालगुजारी किसी एक ही जमींदार से वसूल करने, की प्रथा महाराज शिवाजी को मिलकुल पसंद नहीं थी।

पैदल और घुड़सवारों की पलटना के अधिकारियों और अन्य लोगों के अधिकारों की जिम्मेदार व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार जिले पर के सैनिकों और उनके अधिकारियों के पद नियत किये गये थे। दस सिपाहियों पर एक नाइक, पांच नाइकों पर एक हवलदार, दो हवलदारों पर एक जमादार और ऐसे दस जमादारों के अविचार में एक हजार सैनिकों का एक दल रखा जाता था। फिर उस दल पर 'हजारी' नामक एक अधिकारी नियत किया जाता था। इस प्रकार के सात हजारी एक सरनौबत के अधिकार में रहते थे, और इस

प्रकार एक मात्रों का पलटन तैयार हो जाती थी । सवारों में 'वारगीर' और 'सिलेदार' नामक दो श्रेणियाँ थीं । पच्चीस वारगीर अथवा सिलेदार एक हवलदार के अधिकार में रहा करते थे । इस प्रकार के पाँच हवलदारों पर एक जुमाला, दस जुमालों पर एक हजारि और पाँच हजारियों पर एक 'पचहजारी' नियत था । उन सब पर फिर सवारों के सरनौबत का अधिकार था । पच्चीस सवारों के लिये एक भिस्ती और नालबंद नियत किया जाता था । पैदल और सवारों की प्रत्येक पलटन के मराठा अधिकारी के नीचे एक एक ब्राह्मण सतीस और प्रभू नारगनीस अथवा ब्राह्मण मुजूमदार और प्रभू जमिनीस होता था । वारगीरों के घोड़ों को, वर्षाकाल में छावनियाँ में ही बांध रखते थे, और उन स्थानों पर उनके लिए चर्दी ग्राम का अच्छा प्रवध किया जाता था । सैनिक लोगों के रहने के लिये भी अलग अलग सुविधाजनक कोठरियाँ बनाई जाती थीं । सना के अधिकारियाँ और सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था । 'पागा हजारि' का वेतन १००० होना और 'पागा पचहजारी' का २००० होना नियत था । पैदल सेना के हजारि को ५०० होना, वेतन-स्वरूप दिये जाते थे । पैदल सिपाहियाँ का वेतन ३ रुपये से लगाकर ६ रुपये तक नियत था और सवारों के वारगीरों का वेतन छे रुपये से लगाकर बीस रुपये तक, योग्यता के अनुसार, दिया जाता था । सेना के लोगों को वर्ष में आठ मान मुत्तकीरी पर रह कर मुगला के प्रदेशों से बसूल की हुई चीन्हा और सरदेशमुखी की आमदनी पर अपना निर्वाह करना पड़ता था । उस समय वे अपने साथ अपने बाल-बच्चों

को रुझाए नहीं रख सकते थे। किसी नगर के लूटने पर प्रत्येक सवार अथवा सिपाही को अपनी लूट का हिसाब देना पड़ता था। नये सवार अथवा सिपाही को, सेना में भर्ती होने के पहिले, अपने अच्छे आचरण के विषय में, अपने परिवृत्त सिपाहियों अथवा सवारा की जमानत देनी पड़ती थी। सैनिक अधिकारियों को चूक चौथ और सरदेशमुर्गी की वसूली का हिस्सा देना पड़ता था, अतएव उन्हें पेशगी वेतन दिया जाता था। उस समय नौकरी के बदले जमीन की आय अथवा स्वयं जमीन ही नहीं दी जाती थी। शिवाजी के सैनिक नियम यद्यपि बहुत कठोर थे, परन्तु फिर भी लोग उनकी सेना में घड़ी खुशी से भर्ती हो जाया करते थे। विजया-दशमी के मुहूर्त पर जब सैनिकों की भर्ती होने लगती, तब घाटमाथे के भावले, कोकन के हेडकरी, महाराष्ट्र के धारगीर और सिलेंदार शिवाजी के राष्ट्रीय झंडे की ओर दाड पड़ते थे, और उनके नेतृत्व में शत्रुओं का सामना करने की अपेक्षा अन्य किसी प्रकार की नौकरी करना उन्हें पसंद ही नहीं आता था।

शिवाजी ने अपने राज्य में दो विशेष बातों का प्रचार किया। एक तो नौकरों को नफ़द वेतन देना, और दूसरे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा स्वयं ही जमीन का कर वसूल कराना। उन्होंने उक्त दोनों प्रथाओं में, प्राचीन प्रथाओं की अपेक्षा जो कुछ परिवर्तन किया, उसका वर्णन वररकारान भी दिया है। उक्त दोनों प्रथाओं का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था। उनका विश्वास था कि पहले के राज्यप्रबंध में गड़बड़ी होने का मुख्य कारण यही था

कि गाँवों और जिलों के जमींदारों को भूमि-कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। जमींदार लोग अपनी प्रजा से आवश्यकता से भी अधिक धन बटोरते थे, पर सरकारी कोष में कभी पूरा धन जमा नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त वे लोगों में भगड़े फैलाते और सरकारी आशाओं का भी उल्लंघन किया करते थे। अतः प्राचीन प्रणाली के अनुसार जमींदारों के हाथ में जो कार्य थे, उन्हें करने के लिये शिवाजी ने वैतनिक कर्मचारी—रमात्रिसदार, महालकर्मी और सूत्रेदार नियत किये थे। खेती फसल पर धान्य अथवा नकद रूपों के रूप में लगान लगाने का कार्य रमात्रिसदार को सापा जाता था। खेती की जमीन को अन्ध्रा तरह न नापकर, किसानों के नाम के सहित, सरकारी कागजों में दर्ज करत थे, और हर साल किसानों की ओर से सरकारी लगान देने के विषय में कबूलियत लिखा ली जाती थी। यदि लगान धान्य के रूप में वसूल करने की शर्त होती, तो कुल उपज पर दो-पचमाश से अधिक नहीं लिया जाता था। शेष तीन-पचमाश पैदावार किसान के लिए छोड़ दी जाती थी। अनाल के दिनों में, अथवा कम वर्षा होने पर, रूपकों को तकावो क लिये बहुत सा धन भी दिया जाता था, जिस ज़िमान लोग चार पाच वर्ष तक, नियत क्रिस्तों में, चुका सकते थे। प्रत्येक सूत्रेदार को फौजदारी और मालगुजारी के कार्य सौंपे जाते थे। दीवानी या लेन-देन के भगड़े विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं गिने जाते थे, और यदि उक्त प्रकार के भगड़े होते तो सूत्रेदार गाँवों के पर्वों के द्वारा, और यदि अधिक भगड़े का मामला होता तो अन्य स्थानों के पर्वों के द्वारा, उनका फैसला करा दिया करते थे।

अत्यंत पराक्रमी लोगों के ही अधिकार में रहा करता था। इस बात में भी महाराष्ट्र साम्राज्य के नष्ट हो जाने का बीज मिल सकता है। शिवाजी को यह बात पहले ही से मालूम हो गई थी, इसीसे उन्होंने अष्ट-प्रधानों में किसी के भी अधिकार वशपरंपरागत रखने का प्रवचन नहीं किया था। उन्होंने अपने हा शान्ति काल में माणिकोजी दहातोंडे, नेताजी पालकर, प्रतापराव गूजर और हरीराव मोहिते नामक चार विभिन्न सेनापति नियत किये थे। पहले पेशवा के अधिकार को लेकर उन्होंने वह अधिकार मोगोपत पिंगले को दिया था। पंत अमात्य के अधिकार का भी वही हाल था। इनके सिवाय अन्य अधिकार भा किसी एक ही कुटुम्ब में वशपरंपरा के लिए न रखने का प्रवचन किया था। शाह महाराज के शासन-काल के आरंभ में भी उक्त बात की ओर ध्यान दिया गया था, पर अत में पहले तीन पेशवा-वालाजी विश्वनाथ, 'पहले' वाजीराव और वालाजी वाजीराव की बुद्धिमत्ता और 'कर्तव्य-परायणता के कारण पेशवा का पद उन्हीं के वश में, आनुवंशिक तौर पर, कायम रहा। परिणाम यह हुआ कि उनके अनंतर के अन्य राजनीतिज्ञ प्रायः अकर्मण्य निरले, और उनका पतन होता गया, तथा राज्य के अधिकार एक से विभाजित न होने के कारण शासन की एकता नष्ट हो गई। पेशवाओं के शासनकाल में अष्टप्रधानों के अधिकार नष्ट हो गये और राज्य-प्रवचन की दशा शिवाजी के आदर्श की तरह न रह सकने के कारण, चारों ओर कुप्रवचन और गडबडी फैल गई, तथा राष्ट्र का जीवन-मरण मुख्य अधिकारी की ही योग्यता पर अवलंबित रहा। इस घातक परिणाम का दाप शिवाजी को

शासन-प्रणाली पर नहीं मढ़ा जा सकता, वरन् हमें यह मन्ते हैं कि, उस प्रथा का उल्लंघन करने ही के कारण आगे चल कर शिवाजी के उद्देशों पर पानी फिर गया ।

एक और बात में भी शिवाजी अपने समय में बहुत आगे थे । उन्होंने अपने किसी उड़े से उड़े अधिकारी को भी, उसकी कर्तव्यपरायणता के बदले, अथवा किसी सैनिक कर्मचारी को पराक्रम के बदले, जागीर के रूप में, जमीन कभी इनाम में नहीं दी । पेशवा और सेनापति आदि उच्च श्रेणी के अधिकारियों से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों अथवा सिपाहियों तक को उन्होंने उनका नियमित वेतन, फिर चाहे वह द्रव्य के रूप में या अन्य किसी रूप में, सरकारी खोप से देना प्रबन्ध कर दिया था । सभी कर्मचारियों के वेतन नियत कर दिये गये थे, और वे प्रायः नियमित समय पर मिलान्तरते थे । शिवाजी को जमीन दान की प्रणाली पसन्द नहीं थी । इसका मुख्य कारण यही था कि, सुदृशा और मनुद्देश्य में भी जागीरदार लोगों के हाथ से उस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है । जागीरदारों को अपनी अपनी जागीरों में प्रभाव स्थापित करने की इच्छा होना विलकुल स्वाभाविक है, और उस जागीर से उनके प्रदान का वंशपरम्परागत सबन्ध भी हो जाता है । आखिर वह सम्बन्ध तथा प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है । बाद को आगे चल कर यदि कभी उनकी जागीर उनसे ले लेने का कारण उपस्थित होता था, तब उसके लिये बड़े प्रयास करने पड़ते थे । मुख्य राज्यशासन में अलग रह कर स्वतन्त्र शासन स्थापित करने की ओर भारत के लोगों की बड़ी प्रवृत्ति थी ।

(१) पहाड़ी किले—जिनके आधार पर शिवाजी के राज्य का भवन रचा गया था, और जिन्हें उन्होंने अधिक महत्व प्रदान किया।

(२) किसी एक ही घराने में राज्य का बड़ा पद वंशपरम्परा के लिये प्रचलित रखने की प्राचीन प्रथा का पालन करना।

(३) सैनिक अथवा माली कर्मचारियों को, उनके कार्यों के लिए जमीन या जागीरें देने की प्रथा की रोक।

(४) जमीन के कर घटाने करने का कार्य जिलों अथवा गावों के जमींदारों को न सौंप कर सरकारी नौकरों से कराने की प्रथा।

(५) टेके पर गाव देने की प्रथा की रोक।

(६) अष्ट-प्रधाना की संस्था नियत करके उनमें राज्यशासन के विभिन्न कार्यों को बांट देना, और उनमें से प्रत्येक का राज्य से प्रत्यक्ष संबंध बना रखना।

(७) राज्यशासन में सैनिक विभाग की अपेक्षा अन्य विभागों को अधिक महत्व प्रदान करना।

(८) ब्राह्मण, प्रभू और मराठों को राज्य के छोटे-बड़े सब कार्य यथानियम सौंप कर पारस्परिक प्रेम रखने की शैली।

शिवाजी के पश्चात् महाराष्ट्र-साम्राज्य का विस्तार 'स्वराज्य' की सीमा के बाहर इतना अधिक फैल गया कि पूर्व की ओर कटक तक का प्रदेश, पश्चिम की ओर काठियावाड़, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में तम्रौर तक का सारा

प्रदेश उसमें आ गया था। ऐसी दशा में, इसमें कोई संदेह नहीं कि, शिवाजी की शासन-प्रणाली की कुछ बात पूर्ववत् ही जारी रखना सम्भव नहीं था। शिवाजी ने राज्य में, अर्थात् महाराष्ट्र में, राजा, प्रजा, सैनिक और अधिकारी एक ही जाति के थे। इनके अतिरिक्त वे सभी लोग राजभक्ति के भाव से एक रूप बन गये थे। परन्तु वह दशा फिर उसी प्रकार की नहीं रही; क्योंकि राज्य का विस्तार भारत के अन्य दूर-दूर के प्रदेशों में भी हो गया। ऐसी दशा में जित लोग विजैताओं से सभी बातों में भिन्न पड़ गये, और सेना में भी सिर्फ वेतन-भोगी लोग ही नहीं विशेष होने लगे। अतएव उनके मन में सैनिक अधिकारी अथवा राजा के प्रतिनिधि के विषय में अधिक प्रेम और पूज्यभाव नहीं रहा। इसीसे, यदि शिवाजी की उक्त प्रणाली का भारत के अन्य प्रदेशों में प्रचार न हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहाड़ी प्रदेश और उनके आसपास के अन्य प्रदेशों का महत्व तो केवल महाराष्ट्र ही क लिये था। गुजरात अथवा मालवा के सपाट प्रदेशों में तथा महाराष्ट्र के पूर्वीय भाग में उक्त राज्य-प्रणाली की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं था। इसी प्रकार जमीन का कर सरकार के द्वारा ही वसूल करने, तथा जमींदार और रैयत का स्वत्व छीन लेने, की प्रथा का भी उन दूर-दूर के प्रांतों में प्रचार नहीं हो सकता था, क्योंकि वह प्रथा उन प्रांतों की प्राचीन राज्यशासन-प्रणाली के बिलकुल विरुद्ध थी। अतः इस प्रकार की बातों में शिवाजी की प्रथा का उल्लंघन करने के लिए उनके उत्तराधिकारी शासक दोषी नहीं कहे जा सकते। ती भी, उक्त बातों के अतिरिक्त, अन्य

वातों का अनुकरण न करने की उन्हाने बड़ी भारी भूल की। इसमें सन्देह नहीं। उक्त भूल का मुख्य कारण यही है कि, उनके उत्तराधिकारियों में से किसी को भी शिवाजी की शासनप्रणाली की उपयोगिता नहीं देख पड़ी, और प्रत्येक ने अपने समय की सुविधाओं के अनुसार, राज्यशासन में मनमाने परिवर्तन किये, जिससे उस सगठित राष्ट्र में कुप्रबंध और गड़बड़ी फैल गई, और वह इतना अधिक उगमगा गया कि, पहले ही सफ़ट स उसके नष्ट हो जाने के चिन्ह दिखाई देने लगे।

शाहू महाराज के शासन-काल में अष्टप्रधानों के द्वारा राज्यशासन चलान की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु ज्यों ही पेशवाओं ने अन्य कर्मचारियों का प्रभाव कम करके अपना महत्व बढ़ाया, त्या ही वह प्रथा कम होने लगी, और अंत में पूना में पेशवा की गद्दी स्थापित हो जान पर वह विलकुल ही नष्ट हो गई। शाहू महाराज के अनंतर पेशवा पद के नीचे-वाले दो अधिकारियों—पत-अमात्य और पत-सचिव—का तो विलकुल ही लोप हो गया और वे केवल मराठी दरबार के जागरदार ही हो गये। पेशवा ने उनके स्थानों पर अन्य लोगों को भी नियत करने की चिन्ता नहीं की और न उनमें वैसे करने की हिम्मत ही थी। फलतः वे ही सब कार्यों के अधिकारी बन बैठे। वे स्वयं ही सेनानायक, आयव्यय के मंत्री और पर राष्ट्रीय मंत्रों के कार्य करने लगे। इस प्रकार सारा शासन-भार जब एक ही व्यक्ति पर आ गया, तब यदि राष्ट्र में शिवाजी की प्रणाली का सा बल न रहा, तो इसमें आश्चर्य मानने की कोई बात नहीं।

शिवाजी के आदर्श का अनुकरण न करके, राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों के पद वंशपरम्परा के लिए कायम रखने की प्रथा का अवलंबन करके भी उनके वंशजों ने बड़ी भारी भूल की। पेशवा का ही पद जब वंशपरम्परा के लिए कायम हो गया, तब अन्य कर्मचारियों की भी वेंसी ही दशा हो जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। इसका कोई नियम नहीं कि पिता की कर्तव्य-परायणता और बुद्धि वंशपरम्परागत-रूप से पुत्र में भी पाई जाय। अतएव कई अधिकार कर्तव्यभ्रष्ट और शयोग्य लोगों के हाथ में चले गये। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र का धीरे धीरे पतन होने लगा। पेशवाओं की चार पाठी तक ता आनुवंशिक स्वतंत्र्य के तौर पर उनकी शक्ति कायम रही, पर अन्य अधिकारियों में तो यह बात भी नहीं पाई गई। कई छोटे छोटे अधिकारियों ने अपनी कर्तव्य-परायणता के बल पर बड़ी योग्यता प्राप्त की, पर वे प्रशासन-मंडल में सम्मिलित नहीं किये गये। उदाहरणार्थ, नाना फडनवीस केवल फडनवीसी का कार्य करनेवाले अधिकारी थे और मुख्य प्रधान बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। इसी प्रकार महादजी संधिया दूनरी श्रेणी के सरदार थे, पर वे अपने पराक्रम के बल पर, अपने सम नामधरु लोगों में बड़े बलवान् समझे जाते थे, फिर भी उक्त ठेका पुरुषों, और उन्हीं के समान अन्य लोगों, का भी प्रधान मंडल में प्रवेश नहीं हुआ था। साथ ही वे एक दूसरे का, अपने अधिकार के बल पर, या कपट से, नीचे गिराने का भी प्रयत्न करने लगे थे। सेना के बड़े बड़े अधिकारी सेनापतिया न भी अपने प्रांतों में ही स्वतंत्र राज्य स्थापित करना आरंभ कर दिया था। यहाँ नहीं, बल्कि

वे अपनी इच्छा के अनुसार अन्यो के साथ सन्धि और विग्रह भी करने लगे थे । अष्टप्रधानों के द्वारा राज्यशासन करने की प्रथा में, समय और पारस्थिति के अनुसार, कुछ परिवर्तन अवश्य किया जा सकता था, परन्तु शिवाजी के अनन्तर, दा ही पीढियों के शासन-काल में, जो वंशपरम्परागत प्रथा का अवलमन किया गया, वह यदि न किया जाता, तो उपर्युक्त अनिष्ट दशा बहुत कुछ बच सकती थी ।

शिवाजी का यह सिद्धान्त था कि अपने पराक्रम के बल पर बड़े बड़े प्रदेश जीतनेवाला को भी व देश जांगर में न दिये जायें । परन्तु उनके वादवाले शासकों ने इस सिद्धान्त की अवहेलना करके भी बड़ी भारी भूल की । हा, शाह के राज्यासीन होने के पूर्व जो घटनाएँ हुई, उनसे वे अवश्य ही उक्त सिद्धान्त का उल्लंघन करने के लिये बाध्य हो गये थे, क्योंकि सभाजी की मृत्यु के अनन्तर प्रायः सारा महागढ़ फिर से मुगलों के अधीन हो गया था, और उनके भाई राजाराम तथा उनके सहायक मन्त्रिमंडल को दक्षिण की ओर चल देने के लिये बाध्य होना पड़ा था । अवश्य ही उन्हें स्वराज्य स्थापित करने का कार्य पुनः आरम्भ ही करना था । अतएव उस समय जो लोग अपने पराक्रम के बल पर प्रसिद्ध हुए, उन्हें उनको इच्छा के अनुसार ही रखना आवश्यक था । अर्थात् इस विषय में राजाराम या उनके मन्त्रियों पर उक्त दोष मढ़ना ठीक न होगा । इसके सिवाय, राजाराम के समय की कठिन परिस्थिति शाह महाराज के शासनकाल के आरम्भ तक कायम थी । परन्तु जब महागढ़ की राजगद्दी पर शाह के

आसिन हो जान पर, राज्य को बढ़ाने के लिये, मराठों ने अन्य प्रदेशों पर चढाई करना आरम्भ किया, तब जागीर देने की प्रथा के प्रतिबन्ध करने का अच्छा मोका था । परन्तु उस समय भी प्रत्येक शूर सरदार का अपने पराक्रम से प्रदेश जीत कर, जागीर प्राप्त करने का श्रवसर दिया ही गया । इस लिए धान्तव में यह कहने में बिलकुल अत्युक्ति नहीं होगी कि, उक्त भूल इसी समय की गई । पिलार्जी और दमाजी गायकवाड गुजरात प्रदेश के राजा बन बैठे, नागपुर के भोंसले अपने ही प्रांत में चलवान हो गये, तथा सधिया, हेलकर और पयारी ने भी मालवा प्रदेश, और उत्तरीय भारत में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिये । ये सरदार अपनी जागीरों के बदले में कुछ कर स्वरूप महाराष्ट्र के मुख्य अधिकारी पेशवा को दे देते थे; और सितारे की नद्दा का प्रधानत्व नाममात्र ही के लिये रह गया था । उक्त जागीरें जब वशपरपग के लिये कायम हा गईं, तब महाराष्ट्र की सुव्यवस्थित शासन प्रणाली में पूर्णतया धक्का पहुँचा । जिन लोगों ने अपने पराक्रम से वे जागीरें प्राप्त कीं, वे तो बड़े स्वामि-भक्त बने रहे, पर उनके वशज अपनी जागीर में पेशवा या सितारेवालों का हस्तक्षेप करना पसन्द नहीं करते थे । इस प्रकार, शिवाजी के उपर्युक्त सिद्धान्त का उल्लंघन ही महाराष्ट्र के नाश का मुख्य कारण हो गया ।

जिले या गावों के जमींदारों की सहायता न लेते हुए भूमिकर वसूल करने की शिवाजी की प्रथा का तो उनके वशजों ने भी अनुकरण किया था, और पेशवार्थी के शासन-

काल, अर्थात् नाना फडनवीस की मृत्यु तक, ठेके से वसूल करन की प्रथा का श्रवणन नहीं किया गया। परन्तु अन्तिम पेशवा बाजीराव के शासन-काल में तो उक्त प्रथा का महाराष्ट्र में भी प्रचार हो गया। मालवा, गुजरात और उत्तरी भारत के मराठों के प्रदेशों में तो ठेके की प्रथा का प्रचार पहले ही था। इसका मुख्य कारण यही था कि उस ओर मराठों के राज्य की जड़ पूर्णतया दृढ़ नहीं हो पाई थी। अन्तु। केवल उक्त प्रणाली में ही शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने उनका भलो भाति अनुकरण किया। परन्तु मराठे, ब्राह्मण और प्रभु, इन तीन जातियों में राज्य के अधिकार वाटने के विषय में शिवाजी ने जो प्रथा प्रचलित की थी, उसका तो उनके उत्तराधिकारी शासकों ने बिलकुल ही अनुकरण नहीं किया। शिवाजी के शासन-काल में जिस प्रभु जाति के गीरों ने अपूर्व कार्य किये थे, उसके वंशजा का तो बालाजी बाजीराव पेशवा के शासन काल से बिलकुल ही अभाव हो गया। केवल सयाराम हरि नामक प्रभु जाति का एक ही वीर रघुनाथराव पेशवा की सेना में उडा कर्मचारी था, और उसी का नाम उस समय 'के' इतिहास में दिखाई पड़ता है। हा, बड़ौदा और नागपुर के राज्यों में इसी जाति के लोगों के राज्यशासन और सैनिक प्रबंध के कार्य सौंपे गये थे। रुदा जाता है कि शिवाजी के समय में कोकणस्थ ब्राह्मणों का नाम भी नहीं सुन पड़ता था, परन्तु बखर लेखकों का कथन है कि उन्होंने तीनों धिभागों के ब्राह्मणों को सूबेदार अथवा किल्ले के सेनापति का पद दिया था। शिवाजी, और उनके पुत्र संभाजी तथा राजाराम के शासन काल में दशस्थ ब्राह्मणों ने उडे महत्वपूर्ण कार्य किये थे। पर शाहू के शासनकाल में

पेशवा के महत्त्व प्राप्त कर लेने पर वह स्थिति विलकुल पलट गई । बाद का जय राघोजा दादा और माधवराज पेशवा के बीच झगड़ें होने लगे, तब मुरयन देशन्थ जागीरदारों ने ही राघोजा का पक्ष लिया । उस समय से पेशवा के राज्य में देशस्थों का महत्त्व विलकुल कम हो गया ।

यदि सैनिक पदों के विषय में देखा जाये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे फ़ुल मराठों के ही अधिकार में थे । हा, सेना के अधिकारण कर्मचारी और सैनिक अग्रस्थ ही मराठा जाति के थे । मराठे सरदारों की भाँति शिवाजी के ब्रह्मण सरदार उड़े पराक्रमी थे, और पहले पेशवा के शासन-काल तक चर्चा कायम रही । मराठों के अस्यत बलवान सेनापति तो पहले राजीराज पेशवा के ही निरीक्षण में तैयार हुए थे । राजीराज के बड़े बड़े मराठे योद्धा सरदारों ने दूर दूर के प्रदेशों में स्वतंत्र राज्य स्थापित किये, और जय सितारे की गद्दी को भी हिला देने योग्य उनका प्रभाव बढ़ गया, तब पेशवा ने, उनसे सामना करने के लिये, दक्षिण में ब्राह्मण सरदार घनान की राजनैतिक चाल का अवलंबन किया, और उसी समय से पटवर्धन, फडके, रास्ते, गोमन्ते आदि घराणों के ब्राह्मण धीरे प्रसिद्ध हुए, पर वे युद्ध-कला-निपुण स्त्रिया और हारकर की सेना का कभी सामना नहीं कर सके । अग्रस्थ ही इस प्रकार मराठा में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया, और अन्य कारणों के साथ महाराष्ट्र साम्राज्य का नाश होने का यह भी एक कारण हुआ ।

उपर्युक्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश-साम्राज्य-सत्ता से सामना करने के पूर्व मराठी राज्य में जो निर्यतता आ गई थी, और उसका जो पतन होना आरम्भ हो गया था, उसका मुख्य कारण यही था कि शिवाजी के उत्तराधिकारी शासकों ने उनकी राज्यपद्धति का अनुकरण नहीं किया। बाद को जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश-शासन स्थापित हो गया, तब अंगरेजों ने उस समय की प्रचलित शासन-प्रणाली का त्याग ही कर दिया, और बड़ी बुद्धिमानी से, शिवाजी के नियमों का अनुकरण किया। उन्होंने सैनिक विभाग अन्य विभागों से अलग रखा, और अन्य विभागों को तरह सैनिक विभाग के महत्व को नहीं बढ़ाया। साथ ही सैनिक अथवा अन्य किसी कार्य के बदले जमीन-जायदाद देने की प्रथा को बन्द कर दिया, और अपने नौकरों को रतन देने का ही नियम स्वीकार किया। वे छोटी-बड़ी सरकारों नौकरियों के विषय में वशपरम्परा-प्राप्त अधिकार को बिलकुल नहीं मानते। राज्यशासन का कार्य भी, किसी एक ही पुरुष पर न सौंप कर, मंत्रि-मंडल पर सौंपा गया है। जमींदार अथवा किसानों से ज़मीन का कर ठेके की प्रणाली बसूल न करके सरकारी कर्मचारियों के ही द्वारा लिया जाता है। प्रजा में से प्रायः सभी जातियों के लोगों को, उनकी योग्यता के अनुसार, सरकारी नौकरियाँ देने की व्यवस्था की गई है। अतः उपर्युक्त राजनैतिक तथ्यों का अनुकरण करने ही के कारण इन गिने अंग्रेज हम समय भारत जसे विस्तृत राष्ट्र का शासन ऐसी उत्तमता-पूर्वक कर रहे हैं कि, उनकी शासन-प्रणाली का निरीक्षण करनेवाले देशी और

विदेशी लोग भी उनकी अपूर्व-शासन-पद्धति को देखकर, चकित हो जाते हैं। इस प्रकार शिवाजी की आयोजित शासन-प्रणाली की उपयोगिता, केवल उनकी सफलता ही में नहीं, बल्कि उन लोगों की सफलता से भी प्रकट होती है कि, जिन्होंने अपनी सत्ता उस साम्राज्य पर स्थापित की है कि जिसे शिवाजी ने सगठित करने का प्रयत्न किया था, और जो उनके आदर्श पर न चल सकने के ही कारण पतनाचम्बा को प्राप्त हुआ ।

प्रकार मराठों को राजनैतिक स्वतंत्रता किसी एक ही पुरुष के प्रयत्न से, अथवा एक ही शताब्दी में, नहीं मिली, उन्हीं प्रकार मराठों की धर्मोन्नति में भी बहुत सा समय लगा था; और कई साधु-महात्माओं के उपदेशों से उस कार्य की पूर्ति हुई थी। मुसलमानों के द्वारा महाराष्ट्र के हस्तगत किये जाने के पूर्व ही धार्मिक सुधार का कार्य आरम्भ हो गया था। जय देवनिरि में जाधव राजा राज्य करते थे, तभी साधु ज्ञानेश्वर जी ने श्रीभगवद्गीता पर प्रसिद्ध टीका 'ज्ञानेश्वरी' मराठी में लिखी थी। बह्माल राजा के समय मुकुंदराज नामक प्रसिद्ध कवि हुए, और उसी समय उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ 'विवेकसिंधु' लिखा। बारहवीं शताब्दी में जितने मराठी ग्रंथ लिखे गये, उन सब में मुकुंदराज का ग्रंथ सर्वोच्च है। जय मुसलमानों की चढ़ाइयों होने लगीं, तब धार्मिक जागृति का कार्य रुक गया, पर कुछ समय बाद महाराष्ट्र जनों का बुद्धिचातुर्य फिर उत्तेजित हुआ। महाराष्ट्र-साम्राज्य के उदय के समय में तो वहां साधु-परंपरा चारों ओर फैल गई थी। इस प्रकार यह कार्य लगभग २०० वर्ष तक उन्नत ही होता गया, पर धीरे धीरे उसका भी पतन होने लगा, और उसके अंत होने के साथ ही मराठों की राजनैतिक स्वतंत्रता भी नष्ट हो गई। अतः यदि यह कहा जावे तो अत्युक्ति नहीं होगी कि महाराष्ट्र में धर्म-जागृति का कार्य लगभग ५०० वर्ष तक होता रहा। इस अवधि में लगभग ५० साधु पुरुष उत्पन्न हुए, और उन्होंने सारे महाराष्ट्र पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर दिया। अतः यदि उन साधु-महात्माओं के उक्त प्रभाव को देख कर ही महीपति को उनके चरित्र लिखने की स्फूर्ति हुई

जैसा कि हमने ऊपर कहा है, उनमें से आधे से भी अधिक साधु ब्राह्मणों के थे। श्रेणी के थे। ब्राह्मण सुधारकों में स कई लोगों की वशपरम्परागत शुद्धता कलकित हो गई थी, जिसमें वे कृत्रिम, रुकावट का निषेध करने के लिये तैयार हो गये थे। ज्ञानदेव, उनके भाई और वहन मुक्ताबाई का जन्म तो उनके पिता के सन्यासी बन जाने पर हुआ था। जब उनके गुरु रामानंद को मालूम हुआ कि सन्यास-धर्म की दीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी की सम्मति नहीं थी, तब उन्होंने ज्ञानदेव के पिता को, अपने ग्राम में वापस जाकर, पत्नी के पास रहने की आशा दी। इस प्रकार उस सन्यासी की सतति को सभी जाति के लोगों ने बिलकुल ही नीच जाति में समझा, और सब लोग उनसे घृणा करने लगे। ब्राह्मणों ने योग्य समय पर उनके यज्ञोपवीत संस्कार का भी निषेध किया। वे बालक जीवन भर उस अज्ञात स्थिति में ही रहे, पर लोग उनकी जातिहीनता की ओर ध्यान न देकर उल्टे उनका आदर ही करने लगे। दूसरे महात्मा मालोपत का तो एक नीच जाति की स्त्री के ही साथ विवाह हुआ था। उसके विवाह होने के समय तक तो किसी को भी उसकी जाति का पता नहीं चला, पर पति ने उसका त्याग न करके उसके साथ फेंबल व्यवहार रखना ही छोड़ दिया और जब, उसकी मृत्यु के अनंतर, वे प्रचलित प्रथा के अनुसार उमदा अंतिम संस्कार करने लगे, तब एक अत्यन्त अस्मत्कार दिखाई दिया, जिससे उनके कट्टर शत्रुओं को पता हो गया कि वे दोनों जन्मकाल ही से

परन्तु कुछ काल बीत जाने पर वे पाद्री अपने को धर्म सचक न समझ कर स्वामी, राज्यशामक, ऐहिक और पापमार्थिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा ईश्वर और मनुष्यों के बीच में अपने को मध्यस्थ मानने लगे। उन मध्यस्थता का उन्धाने अनेक धार्मिक व्यवहारों और सस्कारों में उपयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ काल बीत जाने पर बहुतनी कुप्रथाओं का प्रचार हो गया, और उनपर लोगों को जो पहले श्रद्धा थी, वह नष्ट हो गयी। कपट-विद्या में चतुर पोप और उनके व्यसनाधीन कार्डिनल्स (मार्गोपदेशकों) के भौतिक प्रभाव की रक्षा के लिये, कर्मचारियों ने कर के रूप में धर्मादाय के रूप में नहीं—'पीटर्स पेन्स' लेना शुरू किया, और इन्डलजन्सोंज (दान के आदेशपत्र) प्रकाशित किये। लूथर ने उन अधिकारियों के विरुद्ध जब आवाज़ उठाई थी, उस समय तो उस कुप्रथा का अत्यन्त उग्र स्वरूप हो गया था। पश्चिमीय भारत के धार्मिक सुधार भी लूथर के यूरोपीय धार्मिक सुधारों के ही स्वरूप के थे। भारत में प्राचीन अधिकार और प्राचीन संप्रदाय, महत्वाकांक्षी विशप और कुर्जियों में नहीं, वरन् ब्राह्मण जातियों में ही दृढता से स्थित हो गये थे, और यहां के साधु-महात्मा बड़े धैर्य से ब्राह्मण जाति की उक्त प्रभुता के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे इस बात का प्रतिपादन करते थे कि मनुष्य के आत्मा की उन्नति उसके किसी खास काल में जन्म लेने या किसी खास सामाजिक स्थिति पर ही अवलंबित नहीं है। उक्त सिद्धांत का अनुभव करने में इन धर्मोपदेशकों को अपने जीवन रूप और अपनी शिक्षा से ही सहायता मिली थी।

अत रग्नते हैं, और मका तथा पढरपुर की यात्रा भी करते हैं । करीब, नानक और माणिक प्रभु जैसे महाप्रसिद्ध साधुओं को भी हिन्दू और मुसलमान, जाति के लोग समान भाव से ही पूज्य मानते हैं । इन उदाहरणों से ज्ञात हो जावगा कि उक्त साधुओं के चरित्रों से मनुष्यों का पारमार्थिक स्वभाव यद्वा ही उदार र्धन गया है । और जाति-वन्नन भी बहुत कुछ ढीले हो गये हैं ।

उक्त उदार शिक्षा का यह परिणाम हुआ है कि उससे धर्म-निपयक बातों में जाति महत्व का बिलकुल ही विचार नहीं रह गया है । हा, सामाजिक विषयों में तो उसका महत्व अवश्य हा है, पर वह भी बहुत ही कम है । दक्षिणीय भारत के ब्राह्मण और उनके जाति-निपयक विचित्र विचारों से यदि महाराष्ट्रीय लोगों के विचारों से तुलना की जावे, तो हमारे उक्त कथन की पुष्टि हो सकती है । दक्षिणी भारत में यदि ब्राह्मण के मार्ग स चाडाल चला जावे, तो उसकी पर-छाईं स भी वह मार्ग अपवित्र हो जाता है; अत उसकी पर-छाईं स भी ब्रह्म घृणा की जाती है । पर महाराष्ट्र में यह बात नहीं पाई जाती । वहा बडी बडी धार्मिक यात्राओं में अन्तिम दिन पर जो 'गोपालकाला' नामक प्रसाद-ग्रहण होता है, उसमें सब जाति के लोग समान रूप से आनन्द-पूर्वक साथ ही प्रसाद-ग्रहण करते-हुं । यूरोप की तरह भारत क इस भाग से भी प्रायः वह विचार जाते रहे कि, इश्वर और मनुष्य के बीच में, पुजारी ही एक मात्र प्राप्ति करा देनेवाला आवश्यक साधन है । अथवा ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता इश्वर-निर्मित ही है; अतः अन्य जातियों को उसकी सेवा और पूजा करना ही

यही इच्छा रहती है कि उस पर प्रीति और भक्ति हो। इतना हान पर वह उसकी जाति के विषय में कोई विचार नहीं करता।” पर इस उच्च ज्ञानापदेश का उन हठा ब्राह्मणों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। साधु चाखामेला पर उन्होंने वहाँ के मुसलमान कर्मचारी के पास नालिश कर दी, और उसने, वाइबल के 'पायलेट' की भाँति, चाखामेला का बाँध कर बैलों के द्वारा खिचवाते हुए मार डालन का दंड सुनाया। परन्तु ईश्वर ने बड़ी चमत्कारपूर्ण घटना से उन्हें उस सकट से छुटाया, और उन अत्याचारी ब्राह्मणों को निराश किया। वेल अपने स्थान पर से तनिक भी नहीं हट सके। इसी प्रकार वहिराम भट्ट की कथा भी बड़ी आश्चर्य-जनक है। वे शाखा थे, पर उन्हें जब सनातनधर्म में शांति न मिली, तब उन्होंने एकेश्वरी मत से अपने अन्तःकरण को सतुष्ट करने के लिए मुसलमान धर्म को स्वीकार किया। पर उस दशा में भी इच्छित शांति न मिल सकने के कारण उन्होंने फिर से सनातन-धर्म में प्रवेश किया। जब ब्राह्मण और मुसलमान दोनों जानियाँ धार्मिक परिवर्तन के कारण उन्हें दोष देने लगीं, तब उन्होंने अपने को हिन्दू और मुसलमान कहना भी ब्याज दिया। वहिराम भट्ट ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं मुसलमान बन गया हूँ, और मेरी मुसलमानी भी की गई है, अतः यदि मुझे ब्राह्मण बनाना चाहते हो तो बनाओ। इसी प्रकार मुसलमानों से कहा कि मेरे फान में जो छेद है, उन्हें नष्ट कर दो। जब तक वे नष्ट न हो जावें, मैं मुसलमान नहीं हूँ वरन् हिन्दू हूँ। हिन्दू धर्म को स्वीकार किये हुए मुहम्मदी लोग श्रेष्ठ मुहम्मद के अनुयायी कहलाते हैं। वे लोग रमजान और एकादशी की

ऊपर रहने लगा, और मुसाफिरों को अनायास ही खूब पानी मिलने लगा । इन उदाहरणों से महाराष्ट्रीय साधु-महात्माओं की शिक्षा का महत्त्व बड़ी मनोरञ्जकता के साथ मालूम हो जाता है ॥

कान्हावा पाठक की भी एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है । उनका अपने पुत्रों पर अत्यन्त प्रेम था । काशी के एक ब्राह्मण को उनका यह आचरण अच्छा नहीं मालूम हुआ, और उसने इस विषय में उनका निषेध किया । अतएव कान्हावा ने अपने पुत्र को उठा कर एक कुएँ में डाल दिया, और उन्हें कुछ भी पश्चात्ताप नहीं हुआ । इस घटना को देख कर वह ब्राह्मण अत्यन्त आश्चर्य चकित हुआ । इस उदाहरण से यह मालूम होता है कि कोग ब्राह्मण्य अत भी व्यर्थ ही है । कोगे ब्राह्मण्य से मन की समता का अभ्यास नहीं होता, और सुख-दुःख के विषय में उदासीनता भी, उत्पन्न नहीं होती । एकनाथ तो आजीवन अपने कुटुंबियों में ही रहे । वहीं दशा तुकाराम और नामदेव की भी थी । हा, यह घात शलग है कि उनके दुर्भाग्य से उन्हें एकनाथजी की धर्मपत्नी के समान स्त्रियाँ नहीं मिली थीं । इसी प्रकार बोधलेशवा, चौखामेला, दामजीपत, भानुदास, दानों कुम्हार साधु और अन्य भी कई साधु अपने कुटुंब ही में रहते थे । ज्ञानदेव के पिता ने अपनी पत्नी के परामर्श के बिना सन्यास लिया था; अतः उनके गुरु, रामानन्द ने उन्हें फिर से अपने घर को लौटा कर अपनी पत्नी के साथ जीवन विताने की आज्ञा दी थी । उक्त सभी बातों से यह निश्चय होता है कि उन समय के साधु महात्माओं को गृहस्थाश्रम की पवित्रता अच्छी तरह से ज्ञात थी । प्रायः लोगों में यह एक भ्रम फैला रहता है

वाहिए । इन विचारों के न रहने के साथ ही साथ अब सभी श्रेणियों के स्त्री-पुरुषों का प्रायः यह विश्वास हो गया है कि, हीन जाति में जन्म लेने पर भी ईश्वर पर दृढ़ भक्ति और प्रेम रखने से मोक्ष-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ सकती ।

इसके अतिरिक्त यूरोप के सुधारकों को यह पसन्द नहीं था कि मठ-स्थानों की जाय, और पादरी लोग अविवाहित रहें, तथा स्त्रियों को, सृष्टि-नियम के विरुद्ध, ससार से अल्लिप्त रह कर सन्यासी का भेष दिया जाय। ठीक इसी प्रकार महा-राष्ट्र के भी सभी साधु-महात्माओं को अत उपवासदि करके शरीर को कष्टित करने, व्यर्थ तप करने और आजीवन यात्रा करते रहना पसन्द नहीं था । इसी प्रकार उनके यह भी पसन्द नहीं था कि, योग-साधन करने से चिकि योगियों को अद्भुत क्षमताएँ करने की शक्ति प्राप्त होती है, अतः उमकी प्राप्ति के लिये अत्यन्त कठोर नियमों और व्रतों का पालन करके शरीर को कष्टित किया जाय । वलिक इसके खान पर महाराष्ट्र के साधु-महात्माओं ने भक्ति ही को प्रधानता दी है । भक्ति और योग की स्पर्धा का सज से अच्छों उदाहरण तो घमड में मस्त बनने हुए चांगदेव और ज्ञानदेव का मिलन है । एक बार चांगदेव अपनी योग-शक्ति के बल से व्याघ्र पर बैठ कर और साँपों का जोड़ा अपने हाथ में लेकर ज्ञानदेव से मिलन गया । ज्ञानदेव ने एक दीवार पर बैठ कर उसे चला दिया, अतएव चांगदेव का घमड खूब हो गया । इसी प्रकार ज्ञानदेव ने, योग-शक्ति के बल पर, छोटा सा शरीर धारण करके एक गहरे कुएँ का सारा पानी पी लिया, अतएव नामदेव ने अपनी भक्ति के बल पर उसे कुएँ में इतना पानी भर दिया कि वह

यूरोप के सुधारका ने उस कष्ट-नायक बढप्पन और दासता से राष्ट्रीय बुद्धि को मुक्त कर दिया । यूरोप का इतिहास पढ़ने वालों को उन सुधारकों की स्थायी सफलता-का भली भाँति ज्ञान है । उन सुधारकों की ही सहायता से उच्च नीच लोगों को वाइयल के पढ़ने में कोई असुविधा नहीं रही । उस समय तक विद्यादान का अधिकार केवल धर्माधिकारियों के ही हाथ में था । परन्तु उक्त प्रथा से उनके अधिकार कम हो गये । भारत में भी ठीक उसी प्रकार का परिवर्तन हुआ । जय साधु महात्माओं ने अपनी भाषा में ही ग्रन्थ लिख कर, और कथा-कीर्तन करके, लोगों को उद्देश्य दत्ता प्रारम्भ किया, और स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण शूद्र, आदि सब लोगों के लिए जब बड़ी उदारता के साथ गुप्त-ज्ञान-भांडार खोल दिया गया, तब प्राचीन सम्स्कृतभाषाविश्व-पंडितों को अत्यंत आश्चर्य हुआ । परन्तु उन पर विजय प्राप्त करने में उन साधु-मनों को बहुत से कष्ट और दुःख उठाने पड़े । सब से पहले ज्ञानदेव ने ही उक्त मार्ग का अवलंबन किया, और फिर एकनाथ, रामदास, नामदेव, तुकाराम, वामन पंडित, मुक्तेश्वर, श्रीधर, मोगापत आदि न भी उन्हीं का अनुकरण किया । अतिम 'चार' पुरुष धर्मगुरु की अपेक्षा ग्रन्थ-लेखक और कवि के ही नाते विशेष प्रसिद्ध हैं, तो भी उनकी कविता स्फूर्ति का मूल कारण उक्त महात्मा लोग ही हैं ।

यद्यपि वाइयल की तरह वेदों और शास्त्रों का अनुवाद उन्होंने अपनी भाषा में, नहीं किया, तथापि इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है । उनको ज्ञात था कि, बुद्ध की धर्मक्रांति के कारण वेदों और शास्त्रों की अपेक्षा रामायण, महाभारत,

कि गृहस्था का त्याग कर देने से जगत में दुःख अथवा चिन्ता का नाम-निगान तक न रहगा, इस भ्रम को दूर करके लोगों को सच्चे मार्ग पर लाने का उन सन्त-महात्माओं ने यथाशक्ति सूप प्रयत्न किया। साधु स्त्रियों के चरित्र तो इनमें भी अधिक मन-रजक है। देवताओं में उनकी श्रद्धा और भक्ति बहुत ही अपूर्व थी, अतएव देवता उन्हें, उनके दैनिक कार्या में भी, सहायता करते थे। जब कभी वे स्त्रियां धार्मिक कार्य के लिए घर से बाहर जाती, तो देवता स्वयं अनक भेष धारण करके उनके घर पर उनके कार्य करते थे, जिससे घर के लोगों को उनके बाहर चले जाने के विषय में कोई आशंका न हो। इस प्रकार वे साध्वी स्त्रियां स्वच्छन्दतापूर्वक कथा कीर्तन और परमात्मा की भक्ति में अपना समय दे सकती थीं। इस प्रकार की अनेक आख्यायिकाएँ साध्वी स्त्रियों के चरित्रों में लिखी हैं। हा, इन कथाओं से कोई यह कह सकता है कि, तब तो परमात्मा की भक्ति बहुत ही सस्ती है, जब कि वह स्वयं आकर हमारे गृह-कार्य भी कर देता है। परन्तु हमारी सम्मति में इन आख्यायिकाओं का उच्च नैतिक भाव ही लेना चाहिए। वास्तव में इन साधु महात्माओं ने गार्हस्थ्य जीवन की पवित्रता भली भाँति सिद्ध कर दी थीं। प्राचीन वैराग्य प्रणाली पर सर्वसाधारण सदाचार और नीति के सिद्धांतों की यह परक अपूर्व विजय समझना चाहिये। प्राचीन काल में यूरॉप में प्रायः सार ग्रन्थ लैटिन भाषा में लिखे जाने थे, जिससे उन भाषा का महत्व बढ़ गया और लोगों को भी बड़ी कठिनाई प्रतीत हुई। साथ ही प्राचीन पांडित्य की गुलामी से भी उकता उठे थे। परन्तु

प्रथा की और भी अधिक वृद्धि हुई । अतः मैं जब यहाँ के मूल निवासी जगली लोग आर्या में सम्मिलित हो गये, तब तो उनकी पत्थरों की पूजा का भी यहाँ पर प्रचार हो गया, और उन अनार्यों के देवता आर्य देवताओं से भिन्न गिने जाने लगे । परन्तु साधु महात्मा उक्त जगली विचारों को कभी नहीं मानते थे । जब उन्हें मूर्तियों में देवताओं के गुण नहीं देख पड़े, तब वे मूर्ति पूजा का निषेध भी करने लगे थे । तुकाराम और रामदासजी ने भी उन जगली मूल-निवासियों के देवताओं और उनकी भयंकर पूजा—होम हवनादि—का वहिष्कार किया था । भानुदास के चरित्र में लिखा है कि, एक बार विद्यानगर का राजा एक देवी की पूजा करना था । अतएव भानुदासजी न राजा से कहा कि आपकी देवी पठरपुर में मेरे देवता का सेवा करती है, और भाड़ू लगाता है, तब राजा ने उनके कथनानुसार वहाँ जाकर देखा तो वह बात सत्य पाई । दोश्रोर सतों के चरित्रों में भी लिखा है कि, एक बार काली-देवी को मनुष्यों और पशुओं की बलि दी जाती थी, अतः जब उस भूठ प्रथा को नष्ट करने के लिये सतों ने निषेध किया, तब देवी ने भी भयभीत होकर बलि न देने की आज्ञा दी । इस कथन से शान्त हो जावेगा कि हमारे साधु-सतों ने भक्ति का प्रचार करने के लिए मूर्ति पूजा का किस प्रकार उपयोग किया । सच तो यह है कि जब तक उपर्युक्त विषय को ध्यान में नहीं रखा जायगा, तब तक इस घान का पता नहीं चलेगा कि हमारे धर्मोपदेशक साधु महात्माओं का हमारी महदरपूर्ण राष्ट्रीय हलचल से क्या सम्बन्ध था ।

नागनाथ शिव की, जनार्दन स्वामी और नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय की, मोरया गोस्वामी और गणेश नागनाथ गणपति की पूजा किया करते थे। यदि वे साधु महात्मा किसी दूसरे देवता के देवालय में जाते, तो जिस मूर्ति की वे पूजा नहीं करते, उनके दर्शन भी नहीं करते थे। अतएव वह मूर्ति उनके इष्टदेव का भेष बनाकर उन्हें दर्शन दिया करती थी। इस प्रकार की अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ साधु-महात्माओं के चरित्रों में लिखी हुई हैं। इन साधु महात्माओं में से प्रत्येक का विश्वास था कि सर्वव्यापी ईश्वर एक ही है। परन्तु वे किसी को उक्त सिद्धांत के विषय में आशंकाएँ वा वादविवाद नहीं करने देते थे। परन्तु यूरोप की तरह इस देश में मूर्तियों का भूग कभी नहीं किया गया। हमारे साधुओं का तो यही विश्वास था कि हमारे पूजित ईश्वर के अनेक रूप अतः में एक ही देवाधिदेव ब्रह्म में मिल जाते हैं। लोग बहुत प्राचीन काल से उक्त बात पर विश्वास रखते हैं। यद्यपि वैदिक काल में इन्द्र, वरुण, मरुत् और रुद्र इत्यादि देवताओं की यज्ञ-यागादि में अलग-अलग प्रार्थनाएँ की जाती थीं, तथापि वे सब एक ही सृष्टिकर्ता के विभिन्न रूप माने जाते थे। इसी सिद्धान्त के अनुसार साधु महात्माओं की मूर्तिपूजा का महत्व भी समझना चाहिए। वास्तव में उन साधु महात्माओं को मूर्तिपूजक कहना मानना उनके विचारों की भावों का विपर्यास करना ही होगा। वैदिक काल में मूर्तिपूजा बिलकुल ही प्रचलित नहीं थी, परन्तु जयसे अचतारों के विचारों का आभिर्भाव हुआ, तभी से उक्त प्रथा प्रचलित हुई है। इस अतिरिक्त जैन और बौद्धों की साधु-पूजा के कारण तो उस

प्रथा की और भी अधिक वृद्धि हुई । अंत में जब यहा के मूल निवासी जगली लोग आर्यों में सम्मिलित हो गये, तब तो उनकी पत्थरों की पूजा का भी यहा पर प्रचार हो गया, और उन आर्यों के देवता आर्य देवताओं से भिन्न गिने जाने लगे । परन्तु साधु महात्मा उक्त जगली विचारों को कभी नहीं मानते थे । जब उन्हें मूर्तियों में देवताओं के गुण नहीं देख पड़े, तब वे मूर्ति-पूजा का निषेध भी करने लगे थे । तुमाराम और रामदासजी ने भी उन जगली मूल-निवासियों के देवताओं और उनकी भयंकर पूजा—होम-हचनादि—का बहिष्कार किया था । भानुदास के चरित्र में लिखा है कि, एक बार विद्यानगर का राजा एक देवी की पूजा करना था । अतएव भानुदासजी ने राजा से कहा कि आपकी देवी पढरपुर में मेरे देवता की सेवा करती है, और भाड़ लगाता है, तब राजा ने उनके कथनानुसार वहा जाकर देखा तो वह बात सत्य पाई । दो और मनों के चरित्रों में भी लिखा है कि, एक बार काली-देवी को मनुष्यों और पशुओं की बलि दी जाती थी, अतः जब उस भूठ प्रथा को नष्ट करने के लिये संतों ने निषेध किया, तब देवी ने भी भयभीत होकर बलि न देने की आज्ञा दी । इस कथन से शार्त हो जावेगा कि हमारे साधु-संतों ने भक्ति का प्रचार करने के लिए मूर्ति पूजा का किस प्रकार उपयोग किया । सच तो यह है कि जब तक उपर्युक्त विषय को ध्यान में नहीं रखा जायगा, तब तक इस धान का पता नहीं चलेगा कि हमारे धर्मोपदेशक साधु महात्माओं का हमारी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हलचल से क्या सम्बन्ध था ।

परन्तु हमारे देश के सुधारक साधु महात्माओं और यूरोप के तत्कालीन प्रोटेस्टेंट सुधारकों में एक बड़ा भारी अंतर देख पड़ता है। वैदिक काल से अब तक आर्यों के देवताओं में प्रीति, तेज, माधुर्य, प्रकाश आदि गुणों की ही कल्पना की गई है। हा, उनके चरुण, रुद्र जैसे प्रभावशाली और भय उत्पन्न करनेवाले देव भी थे, परन्तु साधारणतः ईश्वर के उत्तम गुणों का ही ध्यान और स्मरण करने की ओर लोगों की अभिरुचि थी। अरब के शैमिटिक लोगों की बात अलग है। उनके धर्म का यह भाव-था कि, ईश्वर बहुत दूरी पर है, वह बड़ा उग्र स्वरूपवाला है, उसका वैभव सहज ही में नहीं दिखाई दे सकता, और यदि दिखाई भी दे, तो वह अस्पष्ट रूप ही में देखा पड़ेगा। साथ ही वह मनुष्य को, उसके पाप के बदले, कठोर दंड देने वाला है। वह एक ऐसा न्यायाधीश है जो प्रसन्न होने के बदले दंड देने की ओर विशेष ध्यान रखता है। यदि वह अपने भक्तों पर प्रसन्न भी होता है, तो भी वह उन्हें भयभीत ही रखता है। परन्तु क्रिश्चियन धर्म ने ऐसे धार्मिक विचारों को खान नहीं दिया। इनके धर्म में ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर के ईसा मसीह का अवतार लिया है, और मानवजाति के हित के लिये अनेक सख्त नहकर, उनके पापों को क्षम्य ही प्रयत्न किया। ग्रीस, रोम या भारतवर्ष के आर्यधर्म को ऐसा करने की कभी आवश्यकता नहीं हुई। हमारे यहां तो ईश्वर को न्यायाधीश और शासक की अपेक्षा माता, पिता, भाई और प्राणप्रिय सखा ही के रूप में विशेषकर माना गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि, वह न्याय नहीं

करता था वह-शामक, नहीं, मन्-न्याय या दंड करते समय उसम माता-पिता के सदृश प्रेम भी होना है। अर्थात् जिस प्रकार माता-पिता अपने पुत्रा को, अपराध-करने और फिर उस पर पश्चात्ताप करने पर, क्षमा प्रदान करते हैं उसी प्रकार ईश्वर भी करता है। इसी से साधु-महात्माओं ने उपदेश और चरित्रों में परमेश्वर का जितना दयालु स्वरूप प्रकट किया गया है उतना कमठ ब्राह्मणों के विचारों से नहीं देख पड़ता। साधु-महात्मा, लोग को विश्वास दिलाने हैं कि, हम ईश्वर दिखाई देता है, हम उसकी बातें, सुनते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, और-वह हमसे सर्वदा मिलता रहता है। साथ ही वे कभी कभी यह- भी कहा करते थे कि, ईश्वर कभी किसी से बातचीत नहीं, करता; परन्तु वास्तव में जान पड़ता था कि, जिस प्रकार हमें किसी-दृश्य वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान हो जान पर आनन्द होता-है, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन से उन्हें भी आनन्द हुआ करता था। यामी और वेदार्ता लोग कहा करते हैं कि समाधि लगाने-से उनका ईश्वर से तादात्म्य हो जाता है, परन्तु नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और ज्ञानदेव को अनेक प्रयत्न करके ईश्वर का थोड़ी देर तक दर्शन करना पसन्द नहीं था, बल्कि वे-ईश्वर के सदा सर्वदा अपने पास ही रहने का अनुभव करते थे; और इस प्रकार प्रति दिन के दृशन से उन्हें जो आनन्द होता था, उसे वे यामी वेदान्त के ब्रह्मानन्द से भी अधिक बतलाते थे। उन लोगों के चमत्कार-पूर्ण कार्यों पर हमारा विश्वास चाहे भले ही न हो, पर उनके उक्त कथन पर तो हमें विश्वास रखना ही होगा। किश्चिन्त-मत्तानुयायी देशों में, ईसामसीह के जन्म

और मृत्यु के विषय में जितना प्रेम और आनन्दभाव प्रकट होता है उतनाही, यद्यत् उससे भी अधिक, आनन्द और प्रेम भाव अन्तःकरण में प्रतिदिन ईश्वर का दर्शन करने से होता है। हमारे साधु-महात्माओं का यही एकमात्र वैभव था; और सभी उच्च-नीच लोग, स्त्री और पुरुष आजन्म शान्ति-प्रदायक एकमात्र इसी अमूल्य वस्तु का सचय करते थे।

ईश्वर और मनुष्य के इस सवध का यह परिणाम हुआ कि, ईश्वर-विषयक-ज्ञान-प्राप्ति के लिये, लोग भक्ति को ही मुख्य साधन समझने लगे। यहां तक कि वष्णुव लोभ तो भक्ति ही को अपने धर्म का मुख्य आधार समझन लगे। महीपति-लिखित सम्पूर्ण सन्त-चरित्रों में वाद्य पूजा और उनके सब विधि-विधान तीर्थ-यात्रा, तीर्थ स्नान, आत्मनिग्रह, उपवास, विद्याउर्जन, ध्यान इत्यादि सभी साधनों की अपेक्षा भक्ति-भाव और श्रद्धा को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। उक्त साधनों का तो केवल शरीर और मन से ही सम्बन्ध होता है, पर भक्ति का सम्बन्ध ठेठ ईश्वर से ही होता है। परमात्मा भाव का भूखा है। जिस प्रकार भोजन, पान, निद्रा इत्यादि कार्य स्वाभाविक होने के कारण, अनायाम् हुआ करते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त सब विधि विधान भी सहज ही हो सकते हैं। अर्थात् आत्मा का उनसे कोई सवध नहीं है। परन्तु जब हमारी सारी इन्द्रिया, हमारे सारे शरीर को भीतर और बाहर से व्याप लेनेवाले ईश्वर के अग्नितत्व का अनुभव करके उन्मत्त ब्रह्मा तन्द के समुद्र में स्नान करती हैं, तभी हमारा श्रेष्ठ तीर्थ-स्नान होता है। ईश्वर को इच्छा के हर्म पालने वाले हैं, हम सर्वथा ईश्वर के ही अधीन हैं, हमारा अपना

कुछ भी नहीं हैं। यही निष्काम भक्ति हमारा सच्चा यज्ञयोग और दान है। ईश्वर के सम्मुख आत्म निवेदन करना ही हमारा आत्मनिग्रह है, और उसके वैभव का गुण-गान करना ही हमारा सच्चा चिंतन है। ज्ञानार्जन, योगशक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, द्रव्य, बालवशे, जमीन-जायदाद इत्यादि इसके सामने कोई चीज नहीं—यहां तक कि मातृसुख का भी इसके सामने कोई महत्व नहीं है। ईश्वर और उसकी सृष्टि, अर्थात् प्राणिमात्र, पर प्रेम रखना ही आवश्यक है। एक बार नामदेव कुट्टाड़ी न एक वृक्ष का छाल निकाल रहा थे, पर जब उन्होंने कुट्टाड़ी मारने पर उस वृक्ष से रक्त बहते हुए देखा, तब वे उड़ें हुए और उस कुट्टाराघात के कारण वृक्ष को जो दुःख हुआ था, उसका अनुभव करने के लिये स्वयं उन्होंने अपने ही कंधे पर कुट्टाड़ी से घाव कर लिया। इसी प्रकार जब शरमुहम्मद के पिता ने उनसे कमाई का व्यवसाय करने के लिये कहा, तब उन्होंने पहले अपनी उंगली ही को छुरी से काट लिया, जिससे प्राणिहिसा के कष्ट का स्वयं उनको अनुभव ही। आखिर उस दुःख का अनुभव ही ज्ञान पर उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, और जिस संसार में अपने पेट-पालन के लिये आरा को सनाता पटता है, उस संसार से व धिरक्त हो गये। एक बार तुकारामजी को पक्षियों से खेत की रक्षा करने के लिये कहा गया, अतएव उन्हें देख कर पक्षी उड़ गये। उस समय तुकारामजी ने साचा कि मेरे किसी दाप ही के कारण वे पक्षी उड़ गये हैं ! शायद कुछ लोगों को इन महात्माओं के मन की उदारता और "पार्थत्याग पर विश्वास नहीं होगा, पर उसकी सत्यता का विषय में सचमुच ही कोई आशंका नहीं है, और

ऐसे ही आदर्शों से पारमार्थिक श्रेष्ठता की राष्ट्रीय उच्च भावना उस समय लोगों में जागृत हुई थी। चाहे वर्तमान समय में उतनी नम्रता और स्वार्थत्याग, शिथिलता और सहनशीलता उपयोगी न समझी जाय, पर इन साधु-महात्माओं का हुए चूकि दो सौ से भी अधिक वर्ष बीत गये हैं; अतएव उनका वर्णन करते समय हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छित वस्तुओं का ही विचार करना समुचित न होगा।

हमारे साधु-महात्माओं के आचार-विचार और संभाषण की शैली क्या थी, और मुसलमान-धर्म के सदृश युद्ध प्रधान धर्म का सामना करते हुए, आये हुए संकट को टाल कर, उन्होंने किस प्रकार विजय प्राप्त किया, इसका वर्णन भी बहुत ही मनोरंजक है। नामदेव, एकनाथ, रामदास आदि के चरित्रों में तो ऐसी घटनाओं की खूब ही भरमार है। यह बात भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि, कई मुसलमानों ने भी हिन्दू धर्म को स्वीकार किया था, जिससे वे इतन प्रसिद्ध हुए कि उस समय के अथ लोकोक्तों ने हिन्दू महात्माओं की तरह मुसलमान सतों का भी यश गाया है। उस समय के हिन्दुओं ने मुसलमान सतों का सम्मान करने में बड़ी उदारता दिखा लाई थी। उदाहरण-स्वरूप शेखमुहम्मद और कबीर के नाम ही पर्याप्त हैं। इसी प्रकार तुकाराम और एकनाथ पर भी मुसलमान धर्म का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उर्दू भाषा में भी काव्य-रचना की। उन कविताओं के उच्चतम कष्ट मुसलमानों को भी मान्य हैं। अब समर्थ रामदासजी के शिष्य उद्धर पर बेदर में एक संकट उपस्थित हुआ, तब रामदासजी ने भी उक्त मार्ग का ही अनुसरण किया था। बेदर के बादशाह

के संवक दामाजीपत की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार जब अकाल पडा, तब उन्होंने सरकारी धान गरीब लोगों को बांट दिया। इस अपराध के लिए जब उन्हें दंड मिलने का समय आ पहुँचा, तब एक विचित्र प्रकार से उस धान का मूल्य सरकारी कोष में जमा हो गया, और दामाजी 'सकट' से मुक्त हो गये। पर-धर्मीय राजाओं के झगडा में अत में साधु-महात्मा ही विजयी हुए। उनकी विजय युद्ध या विरोध से नहीं, बरन् देश पर पूर्ण विश्वास रखन से ही हुई। उस समय मुसलमानों के अल्ला और हिन्दुओं के राम को लाग एक ही मानने लगे थे, और पारम्परिक द्वेष को त्याग कर एकता की प्रवृत्ति बढ चली थी। इसके बाद जब शिवाजी रगभूमि पर उपस्थित हुए उस समय तो वह एकता अपना पूरा पूरा काम कर रही थी। पण्तु फिर भी मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता पूर्णतया नष्ट नहीं हुई थी, और यदा कदा वह जोर पकडती ही थी।

इस प्रकार धार्मिक हलचल के मुख्य भागों का हमने वर्णन किया। उक्त हलचल या जोर पन्द्रहवीं शताब्दी, अर्थात् ज्ञान-देव के जन्मकाल से लेकर गत शताब्दी के अन्त तक, एकसा बना रहा, जिससे धीरे धीरे पारमार्थिक सद्गुणों की उन्नति होती गई। इसी हलचल के कारण हमें देशी भाषा का अमूल्य साहित्य मिला है, और जाति-पाति के भ्रमपूर्ण विचारों का बल भी उसी हलचल के कारण कम हो गया है। शूद्र जाति को पारमार्थिक शिक्षा देकर और समाज में उसका महत्व बढा कर ब्राह्मणों की श्रेणी में, उसी हलचल ने, बिठाया है। इसी हलचल से कुटुम्ब-विषयक पवित्रता बढी, और त्रियो

की योग्यता म भी वृद्ध हुई, और पारस्परिक एकता की शिक्षा मिली। इसी हलचल से हिन्दू-मुसलमानों में मेल होना का विचार पैदा हुआ, और आशिक रूप से उसकी पूर्ति भी हुई। इसी हलचल से पूजा-अर्चा, व्रत-नियम, अध्ययन, तीर्थयात्रा, इत्यादि की अपेक्षा ईश्वर-भक्ति और भजन भाव का महत्व विशेष रूप से सिद्ध किया, अनेक देवताओं और मतमतान्तरों को बुराइयों को घटाया। इस प्रकार राष्ट्र की आचारशक्ति और विचारशक्ति को श्रेष्ठ बनाने में इस हलचल का बहुत उपयोग हुआ। इसी धार्मिक हलचल ने विदेशी शासन के स्थान पर एकता का 'स्वराज्य' स्थापित करने के उस महान् कार्य में महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया जिसको करने के लिए भारत की और कोई जाति तैयार न हो सकी थी। 'महाराष्ट्र धर्म' के यही मुख्य विचार हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं विचारों को लेकर श्रीनमर्थ रामदास स्वामी ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र सम्भाजी को, अपने पिता का अनुकरण करत हुए, इस धर्म के आचार और प्रचार, का उपदेश किया था, कि जो उदारता और सहिष्णुता से परिपूर्ण है; और पूर्ण आध्यात्मिक होते हुए भी मूर्तिपूजा का विरोधी नहीं है।

नवम परिच्छेद ।

जिजी ।

मराठा इतिहास के दूसरे महान् सङ्कट को, जो शिवाजी की अनामयिक मृत्यु के पश्चात् दक्षिण में दिखलाई पड़ा, उनके समय के बहुत ही कम लोगों ने अनुभव किया था। पहला सङ्कट तो उस समय प्रतीत हुआ था, जब कि शिवाजी ने, बिना किसी शर्त के, राजा जयसिंह के अधीन होकर दिल्ली को जाना स्वीकार किया था, और वहाँ वे कैद कर लिये गये थे। उस समय वे अपनी चतुरता और सोभाग्य से ज़ सिर्फ़ बच ही निकले थे, बल्कि स्वयम् और द्वाजेव से यह भी स्वीकार करवा लिया था कि दश में शिवाजी एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है कि जिससे उस समय तक सन्धि रखना ही उचित है, जब तक उसको बिलकुल मद्रियामेट न कर दिया जावे। शिवाजी दक्षिण के सम्बन्ध में और द्वाजेव के दाव-घातों से खूब परिचित थे। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम चारह वर्ष में देश को आर द्वाजेव के आक्रमणों को सहन करने के लिए ही तैयार किया था। दक्षिण की मुसलमानों रियासतों के भीतरी भगड़ों का भुलाकर शिवाजी ने गोलकुडा और बीजापुर के मुलतानों से ऐसी सन्धि कर ली थी कि जिससे वे दूसरों पर आक्रमण करने और बाहरी आक्रमणों को रोकने में एक दूसरे के सहायक रहें। इन बातों रजिया

ने मुगल आक्रमणों से बचने में उपर्युक्त सन्धि से लाभ भी उठाया था, और शिवाजी की इस सहायता के लिये कुछ रुपया भी बतौर नजराने के देना स्वीकार कर लिया था। शिवाजी ने भविष्य का अनुमान कर अपनी विजय और सन्धि के द्वारा दक्षिणी भारत के भीतर कावेरी की घाटी में एक नवीन मोर्चा बाध रखा था कि जिससे आवश्यकता पड़ने पर उससे लाभ उठा सकें। सह्याद्रि घाट के पार्वतीय दुर्गों और अन्य पर्वत-श्रेणियों की मरम्मत करा दी थी, और सरदारों का अधीनता में सामुद्रिक नाविक शक्ति भी अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ायी जा रही थी। इससे बढ़ कर उन लोगों की शक्ति थी, जिनको उन्होंने बहुत समय तक एककोशल सिखलाया था, और वे उनके साथ प्रत्येक जगह जाने के लिए तैयार रहते थे, एवम् विश्वासपात्रता और पूरी सफलता के साथ उनकी इच्छाओं को, जरासा सकेत पाने पर, पूरा करते थे। इसके सिवाय रवतत्रता के विचार भी शिवाजी ने सर्वनाधारण के हृदयों में पैदा कर दिये थे। ये सब बातें उन शक्ति की मुख्य अवलम्ब थी, जिसको शत्रु और मित्र प्रायः सभी प्रकार के लोग दक्षिणीय भारत में सर्व से बढ़कर मानते थे। चकि शिवाजी की मृत्यु असामयिक और अचानक होगई, इसलिए वे अपने उत्तराधिकारी के लिए पूरा प्रबन्ध न कर सके। उनका ज्येष्ठ पुत्र उनसे बड़ी वृष्टता के साथ पेश आया था और वह उनकी आज्ञा न मान कर मुगल सरदारों की शरण में चला गया था। मुगल कम्प से वापस आने पर शम्भाजी को पन्हाला के किले में नजरबन्द रखा गया। रायगढ़ के मंत्रिगण जानते थे कि शम्भाजी अपने

आचरण और स्वभाव के कारण शिवाजी के आरम्भ किये हुए कार्य को सम्पादन करने में श्रेयोभ्य है। इसलिये उन्होंने उसे अलग करके छोटे लडके राजाराम को राज्यसिंहासन पर बैठाना चाहा। इस अपसर पर उड़ी भूल यह हुई कि रायगढ़ के मंत्रियों ने शीघ्रता में आकर फौज की सम्मति न ली। चूकि सेनापति हेम्योरराज मोहिते उनकी गुप्त मन्त्रणा में सम्मिलित नहीं हो सके, इस लिये मंत्रियों को असफल होना पड़ा। शम्भा जा फौज की सहायता से पन्हाला से निकल आया और रायगढ़ के मंत्रियों के विरोध को द्वाकर राजगद्दी पर अपना आसन जमा लिया। इस सफलता पर उसने जिस कूटनीति का अद्यत्मन किया, उससे पता लगता है कि वह आनेवाली विपत्ति के समय में राष्ट्र का नेता होने की योग्यता न रखता था। उसने अपनी सतिली मा को भूषा मार डाला, पुराने पेशवा, सामन्त और सचिव को कैद किया और शिवाजी के समय के मन्त्री को मरवा डाला। अस्तु, इसके शासन-काल में ऐसे अत्याचार बराबर होते रहे और इसने शीघ्र ही अपने पिता के समकालीन बड़े बड़े महान् पुरुषों को स्नेह से विमुख कर दिया। शम्भाजी स्वभावतः धीर था और इस लिये यह भा ख्यात होता था कि इन अत्याचारों के होते हुए भी, वह अपने पंडोसियों के सामन युद्ध में मरठों को प्रतिष्ठा को बनाये रखेगा, किन्तु ये आशाएँ पूरी न हुईं। उसकी शराबपियो और विलासिता की आदत न शांति ही उसको नमजोर कर दिया और अपने कृपापात्र 'कलुशा' नामक एक व्यक्ति के उपदेशों के कारण वह जादू टाना और भूत-प्रेत का बहुत बड़ा श्रद्ध-विश्वासी बन गया। अतएव,

ने मुगल आक्रमणों से बचने में उपर्युक्त सन्धि से लाभ भी उठाया था, और शिवाजी की इस सहायता के लिये कुछ रूपया भी बतौर नजराने के देना स्वीकार कर लिया था। शिवाजी ने भविष्य का अनुमान कर अपनी विजय और सन्धि के द्वारा दक्षिणी भारत के भीतर कावेरी की घाटी में एक नयी मोर्चा ग्राह्य रखा था कि जिमसे आवश्यकता पड़ने पर उससे लाभ उठा सके। सह्याद्री घाट के पार्वतीय दुर्गों और अन्य पर्वत-श्रेणियों की मरम्मत करा दी थी, और सरदारों की अधीनता में सामुद्रिक नाविक शक्ति भी अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ायी जा रही थी। इससे बढ़ कर उन लोगों की शक्ति थी, जिनको उन्होंने बहुत समय तक रणकोशल सिनलाया था, और वे उनके साथ प्रत्येक जगह जाने के लिए तैयार रहते थे, एतम् विश्वासपात्रता और पूरी सफलता के साथ उनकी इच्छाओं को, जरासा सकेत पाने पर, पूरा करते थे। इसके सिवाय रवतत्रता के विचार भी शिवाजी ने सर्वसाधारण के हृदयों में पैदा कर दिये थे। ये सब बातें उन शक्ति की मुख्य अवलम्ब थी, जिनको शत्रु और मित्र प्रायः सभी प्रकार के लोग दक्षिणीय भारत में सब से उदर मानते थे। चकि शिवाजी की मृत्यु असाध्यिक और अचानक होगी, इसलिए वे अपने उत्तराधिकारी के लिए पूरा प्रबन्ध न कर सके। उनका ज्येष्ठ पुत्र उनसे बड़ी धृष्टता के साथ पेश आया था और वह उनकी आज्ञा न मान कर मुगल सरदारों की शरण में चला गया था। मुगल कम्प से वापस आने पर शम्भाजी को पन्हाला के किले में नजरबन्द रखा गया। रायगढ़ के मंत्रिगण जानते थे कि शम्भाजी अपने

आचरण और स्वभाव के कारण शिवाजी के आरम्भ किये हुए कार्य को सम्पादन करने में श्रेयोभ्य है। इसलिये उन्होंने उसे अलग करके छोटे लडके राजाराम को राज्यसिंहासन पर बैठाना चाहा। इस अवसर पर बड़ी भूल यह हुई कि रायगढ के मंत्रियों ने शीघ्रता में आकर फौज की मम्मति न ली। चूकि सेनापति हम्पीरराव मोहित उनकी गुप्त मन्त्रणा में मम्मिलित नहीं हो सके, इस लिये मंत्रिया को असफल होना पडा। शम्भा जी फौज की सहायता से पन्हाला से निकल आया और रायगढ के मंत्रियों के विरोध को दवाकर राजगद्दी पर अपना आसन जमा लिया। इस सफलता पर उसने जिस कूटनीति का अवलम्बन किया, उससे पता लगता है कि वह आनेवाली विपत्ति के समय में राष्ट्र का नेता होने की योग्यता न रखता था। उसने अपनी सातेली मां को भूखों मार डाला, पुराने पेशवा, सामन्त और सचिव को फँद किया और शिवाजी के समय के मन्त्री को मरवा डाला। अस्तु, इसके शासन-काल में ऐने अत्याचार बराबर होते रहे और इसने शीघ्र ही अपने पिता के रामकालीन बड़े बड़े महान् पुरुषों को रनेह से विमुक्त कर दिया। शम्भाजी स्वभावतः वीर था और इस लिये यह भी ख्यात होता था कि इन अत्याचारों के होते हुए भी, वह अपने पड़ोसियों के सामने युद्ध में मराठा को प्रतिष्ठा को बनाय रखवेगा, किन्तु ये आचार्य पूरी न हुई। उसकी शरावपोरी और विलासिता की आदत न शाप्र ही उसको कमजोर कर दिया और अपने कृपापात्र 'स्तुशा' नामक एक व्यक्ति के उपद्रवों के कारण वह जादू-टाना और भूत-प्रेत या बहुत बड़ा अन्ध-विश्वासी बन गया। अतएव,

शम्भाजी के शासनकाल का वर्णन करना व्यर्थ है। उसको देश का शासक कहने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चूंकि उसने अष्ट प्रधानों को तोड़ दिया था, इस लिए वह कौंसिल तो किसी काम की जिम्मेदार रही नहीं थी। फौजी और मुल्की मामलों में भी नीति को भुला दिया था। सिपाहियों को नियमानुकूल तनखाह न दी गई, पहाड़ी किलों में न तो फौज ठीक रखी गई, और न रसद का सामान ही प्रस्तुत किया गया। जिलों की मालगुजारी वसूल करने का काम अधिक सपरा अदा करनेवाले ठेकेदारों को सौंपा गया। प्रत्येक प्रान्त में राज्यघिटोह फैल गया और उसी समय औरंगजेब ने दक्षिण का हिन्दू-मुसलमान रियासतों को अधीन करके, अपने जीवन के सब से बड़े कार्य को पूरा करने की इच्छा से, तीन लाख सशस्त्र सैनिकों को लेकर हमला किया। भारतवर्ष की धन-शक्ति और जन-शक्ति, काबुल-फन्धार से लेकर बङ्गाल तक, इस काम के लिए लगा दी गई और उनसे सर्वोच्च श्रेणी के हिन्दू-मुसलमान अनरदारों (सरदारों) की अधीनता में काम लिया गया। जब शम्भाजी के यहाँ यादशाह के एक लड़के ने भाग भर शरण ली, तो उसने उसको अपने यहाँ से कुशल-स्मिन्त निकल जाने का अवसर देकर इस नये संकट के दूर करने का साधन अपने हाथों से खो दिया। पुराने मंत्रियों ने उसको इस संकट से सचेत किया लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। औरंगजेब की फौज ने दक्षिण में आकर तीन वर्ष के भीतर ही गोलकुडा और बीजापुर को विजय कर लिया और शम्भाजी को अत्यन्त असहाय अवस्था में सुगमता के साथ गिरफ्तार कर लिया, एषम निर्दयता के साध इस मार डाला

समस्त मैदानों को विध्वंस करके, बिना युद्ध के ही, सत्र पहाड़ी किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय मोचा ही न गया था। अन्त में रायगढ़ पर कब्जा हा गया और शम्भाजी की लीं और वच्चे, औरङ्गजेब के कम्प में रखे गए। इस तरह, औरङ्गजेब अपने समस्त जीवन भर जिस बात को स्वप्न देखता रहा था, वह कैथल पांच वर्ष के भीतर ही प्रत्यक्ष हो गया। नर्मदा से लेकर तुङ्गभद्रा तक सारा देश उसके चरणों के सामने अपनी सिर झुकाता था। ऐसा मालूम पड़ता था कि शिवाजी और उनके सहस्रारी व्यर्थ ही में अत्र तक अपनी जान लड़ाते रहे थे। यह उड़ा तूफान, जिसकी रोक-धाम के लिए शहोजी और शिवाजी न साठ वर्ष तक प्रयत्न किया था, अन्त में देश को समस्त वस्तुओं को यहा कर ले ही गया, और उसके रकने के कोई लक्षण न दिखलाई पड़े। बीजापुर और गोलकुडा के पुराने शासक बड़ी बड़ी दूर पर कैद थे और शम्भाजी का कम-उम्र लडका औरङ्गजेब के कम्प में गिरफ्तार था।

परन्तु, जिस समय देश का भाग्य अत्यन्त ही नावस्था को पहुँच गया था और सब कुछ हाथ से जाता रहा था, वस्तुओं कोई आशा भी शेष न रह गई थी, उस समय, इन्हीं आपदाओं के कारण, शिवाजी की शिक्षा पाये हुए देशभक्तों के दले ने धान-जन-विधान, अर्थात् किन्हीं प्रकार के साधन न होने पर भी, औरङ्गजेब को फौज समेत देश से बाहर निकालने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पुनर्प्राप्त करने का पूरा निश्चय कर लिया था। इस दले का सरदार शम्भाजी का

छोटा भाई राजाराम था, जिसको शम्भाजी ने रायगढ के किले में कैद कर रक्खा था, और जिसने अपने भाई के कतल के बाद रायगढ विजय होने के पूर्व ही छुटकारा पा लिया था। राजाराम की अवस्था उस समय बीस वर्ष की थी, परन्तु उसके अन्दर उसके पिता के समस्त गुण—माहस और चतुरता, विलास-हीनता, नम्रता, हृदय की विशालता, और सब से बढ कर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का बल, आदि गुण मौजूद थे। उसने जीवन-पर्यन्त अपने को शाहू का, जो उस समय औरङ्गजेब की कैद में था, राज-प्रतिनिधि ही जाहिर किया; और शाहू के अधिकार को स्थिर रखने के लिए उसने कभी राजनिहासन पर पैर भी नहीं रक्खा। शिवाजी के बनाये हुए न्यायाधीश नीराजी रावजी का बड़ा लड़का प्रह्लाद नीराजी, ऐसे समय में उसका प्रधान मंत्री था। यद्यपि शम्भाजी के शासनकाल में वह अपने पद से अलग था, और राजकार्य में किसी प्रकार का योग न देता था, केवल चुपचाप सब मामलों को देखता रहता था, तथापि बुद्धिमान होने के कारण मराठों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। मि० ग्राट-डफ़, जो ब्राह्मणों के प्रशंसा करने वालों में नहीं हैं, वह भी प्रह्लाद को एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। ब्राह्मण राजनीतिज्ञों की पक्ति में यह पुरुष भी स्वार्थत्याग का एक बहुत ही उत्तम आदर्श रखने वाला था। राजाराम की तरह प्रह्लाद भी अपने राष्ट्रीय कार्य को अधूरा ही छोड कर इस असार ससार से चल बसा था। परन्तु दोनों को अपने जीवनकाल में इस बात पर सन्तोष था कि उन्होंने अपनी आंखों से उस सङ्कट को, जो बादल की भांति

पर छाया हुआ था, बहुत कुछ दूर कर दिया था और तम विजय पाने के लिए केवल समय की देर थी। इन-द्विपियों में से रघुनाथपन्त हनुमन्ते भी था। यह शहाजी करनाटकवाली जागीर के सब से पुराने ब्राह्मण कारकुन लडका था और अपने स्वार्थत्याग तथा विचार-स्वातंत्र्य लिए मशहूर था। इसने वेङ्कोजी को तंजौर में और राजी को रायगढ में, चालचलन की दुबस्ती के लिए, कुछ शिवाण दी और जब सङ्घट का सामना आ पडा, उसने प्रह्लाद नीराजी का साथ दिया और राजाराम उसके साथियों की रक्षा के लिए जिंजी के किले को, शहाजी की तंजौरवाली जागीर के अन्नगंत था, मरम्मत देवा किया। प्रथम पेशवा मोरोपन्त पिंगले के पुत्र पर को पहले ही से जिंजी के किले को प्रत्येक रीति कर रखने के लिए रवाना किया गया। इन ब्राह्मण नेताओं जिनको दक्षिण में इधर-उधर गनीमी कार्य की लडाइयों र रखा गया था, सब से अधिक सुयोग्य और प्रसिद्ध पुर के वर्तमान पन्त अमात्य अराने का पूर्वज रामन्त अमात्य था। रामचन्द्रपन्त, आगजी सोनदेव का था, जो शिवाजी के समय में मोरोपन्त पिंगले के साथ ही का प्रधान मंत्री और फौज का सरदार था। उस ना बडा विश्वास था कि उसको समयानुकूल प्रत्येक रने का अधिकार दिया गया था और राजाराम तथा राठे, सरदार, जिनको राजाराम के साथ, दक्षिण की आ पडा, अपने चालबच्चों को उसके ही निरीक्षण में गढ में छोड गये।

मराठा राज्य का एक यही प्रतिनिधि वहा रह गया था, जिसने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार न की थी। दूसरा ब्राह्मण नेता, शङ्कराजी मल्हार का नाम भी उल्लेखनीय है, जिसको शम्भाजी ने 'सचिव' के पद पर नियत किया था। इसने जिजा की प्रस्थान करनेवाले सरदारों का साथ दिया और थोड़े समय के पश्चात् बनारस को चला गया। जब शाहू का राज्याधिकार मिला, तब उसने मैयदों और मराठों के बीच सन्धि कराने में विशेष रूप से सेवा की थी। इस सङ्घटन के समय जो प्रसिद्ध ब्राह्मण नेता हुए, उनमें सितारा जिले की श्रीधरियासत के पन्त-प्रतिनिधि घराने के पूर्वज परशुराम ज्यम्बक, किन्हेई के कुलकर्णी और भार के पन्त-सचिव घराने के पूर्वज शङ्कराजी नारायण भी थे। ये लोग रामचन्द्रपन्त के मुख्य सहायकों में से थे और इन्होंने अपने देशवासियों के विश्वास को बड़ी रूपा के साथ निभाया। मराठा जाति के नेताओं में मुख्य उत्तरदायित्व सन्ताजी घोरपडे और धनाजी धादवे का समझा जाता था। इन्होंने सन् १६७४ ई० में पन्हाला के समीप हमीरराव मोहते की अधीनता में एक पराजय को विजय में परिणत करके प्रथम बार नामवरी पैदा की थी और तीस वर्ष तक बराबर इन्होंने मराठों की प्रतिष्ठा को बनाये रखा, और तमाम मुगल सेनाओं का साहसपूर्वक सामना करते रहे। यद्यपि ये दोनों 'राजाराम और प्रह्लाद' नीराजी के साथ जिजा की चले गये थे, परन्तु शत्रु का सामना करने को यह आपस में तय हो चुका था कि ये दोनों वृद्धि हो में श्रींकर मुगलों को मुकौबिलों करें और उनको कर्नाटक पर आक्रमण करने से रोकें, जिससे वे जिजा पर दबाव न डालें।

संकेत। निःस्सन्देह वे बिना रुपया पैसा, और किसी प्रकार की आर्मदनी का आश्रय लिये बिना ही लड़ते थे। उनको सिपाही, घुडसवार, रतद, गोला-थारूद और खर्च के लिए द्रव्य इत्यादि जमा करने की खुद ही फिक करनी पडती थी और इसलिये उन्होंने बहुत कुछ जियादती से भी काम लिया। वे लोगों समस्त मुगल शक्ति के मुकाबिले युद्ध करते थे। इन्होंने मुगल सेना पर ऐसा आतक जमा दिया था कि शताब्दी खतम होने के पहले ही मराठा लश्कर अपने देश में आकर गुजरात, मालवा, खानदेश तथा बरार पर हमला करने के योग्य हो गया, और मुगल सम्राट की फौज को बहुत कुछ कमजोर कर दिया। इस स्वाधीनता के सप्राप्त होने के पूर्व ही सन्ताजी घोरि-पंडे को, एक उसके निजी शत्रु ने, धोखे से मार डाला, परन्तु उसके अन्य तीन भाइयो ने मुगलों के मुकाबला करने का काम अपने उत्तरदायित्व पर जौरी रक्खा और गुर्ती तथा मूद नौमिक रियासतों की नाव डाली। हां, धनाजी यादव अवश्य ही तब तक जीवित रहा, जब तक कि वसन शाहू को अपने देश में आकर गद्दी पर बैठा हुआ न देख लिया।

अन्य मराठा सरदारों में खण्डेराव दामाडे का दर्जा भी श्रेष्ठ है। इसका पिता शिवाजी की नोकरी में तलेगाव को पटेल था। वह भी राजाराम के साथ जिंझी को चला गया था। यही पहला मराठा सरदार था, जिसने दक्षिण स बाहिर गुजरात और खानदेश जैसे बादशाही सूबो पर आक्रमण किया। उसके साथियों में से एक ने, जो धार और देवास के पवार वंश का अधिष्ठाता हुआ है, मालवे में प्रवेश किया। खंडेराव दीर्घकाल तक जीवित रहा, और बालोजी विश्वनाथ के साथ

देहली के सम्राट से 'चौथ' और 'सरदेशमुखी' की मनद भी लेने गया था। अन्य मराठा सरदारों में, जिन्होंने उस समय जी तोड़ कर काम किया, आठवले, सीधोजी नायक, निम्वालकर, परसेजी भोंसले, (नागपुर के राजाओं के पूर्वज), नेमाजी शिन्दे के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दीर्घकालीन युद्ध के समय में थोरात, घाटगे, थोके, महार्णव, प्राठरे, काकडे, पाटनकर, बांगर, कदू और अन्य सरदारों ने भी बड़ी अच्छी शिवा प्राप्त की, और भविष्य में देश के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए। राजाराम के मंत्रियों ने इन सरदारों को मुगल-इलाके से चौथ और सरदेशमुखी, वसूल करने का अधिकार दे दिया था। इस लिए परसेजी भोंसले ने गोंडवाना और वरार से चौथ वसूल करने की मनद प्राप्त कर ली थी। निम्वालकर घरांन की गणथडी का सूया मिल गया था। दाभाडे लोगों को गुजरात और खानदेश पर अधिकार था और अन्य सरदार कर्नाटक तथा तत्कालीन अन्य विजित मुगल सुबों में नियत किये गये थे।

प्रभु सरदारों में दे आदमी मुख्यतया उल्लेखनीय है, जिनमें से पहला खडो बल्लाल चिटनीस है। यह शिवाजी के मुख्य मंत्री बालाजी आचजी का लडका था। इसके पिता और चाचू को यद्यपि शम्भाजी ने बड़ी निर्दयता से मरवा डाला था तथापि वह सदैव शम्भाजी के साथ विश्वासपात्रता और राजभक्ति का वर्तान करता रहा। यही नहीं, बल्कि पार्वगीड की लडाई में उसने बहुत बड़ी वीरता दिखलाई। इस लिए शम्भाजी का वह बहुत बड़ा कृपापात्र बन गया। शम्भाजी के मृत्यु के पश्चात् वह राजाराम के साथ जिञ्जी को गया, परन्तु

जय बेलारी नामक स्थान में मुगल सूबेदार ने उन सब छद्म-
 वेषधारी लोगों को घेर लिया, तब परण्डो बहाल, बड़े
 आत्मोत्सर्ग के साथ, अपने तमाम साथियों को आगे भेज कर,
 स्वयम् उस स्थान पर डटा रहा। उसको मुगलशासक ने
 रूढ़ कर बड़ी निर्दयता से सताया, किन्तु वह उसकी राज-
 प्रीति को सरा भा टिगा न सका। उमने मुगल फौज के मराठे
 सरदारों को फोरून प्रान्त की अपनी जागीर देने की प्रतिज्ञा
 करके, उनके द्वारा राजाराम को जिंजी से कुशलपूर्वक निकाल
 जाने की चेष्टा की। वह गाह के दिल्ली से सनाग वापस आने
 और उसके पूर्वजों की राजगद्दी पर आसीन हान के समय
 जीवित रहा। दूसरा प्रभू सरदार प्रयागजी नामक था।
 ये औरंगजेब ने जय एक बार बहुत सी सेना के साथ कई
 दिनों तक सिताग शहर को घेर रखा था, तब इसी सरदार
 बड़ी धीरता के साथ शहर की रक्षा की थी।

यहाँ वे दशमक ब्राह्मण, मराठा और प्रभू सरदार थे,
 जिनोंने विपत्ति के तुफान से न डगमगा कर जीवन-पर्यन्त
 पत्नीय स्वतंत्रता का स्थापित रगने का पुग निश्चय कर लिया
 और दक्षिण में बचाव का कोई आश्रय न पाकर जिंजी क
 ले में चले गये थे। राजाराम ने वहा अपनी अष्टप्रधान
 मिति स्थापित की, कचहरिया खोली, और सुयोग्य कर्म-
 रियों का इनाम और जागीरें दीं। इस प्रकार उसने सेना-
 नेयों को मुगला के मुभावले युद्ध करने की आज्ञाप उसी
 तौर दी, कि जैसे वह अब तक अपने समस्त देश का अधि-
 न हो। उसने अपने उक्त सरदारों को, अपनी तमाम शक्ति
 अर्पित करके, सिर्फ दक्षिण के छे सूबों में ही नहीं, वरन्

सुलह कर ली । अतएव कुछ शर्तों पर मुगल फौज को वापस जाने का मौका दिया गया । औरंगजेब ने अपने मंत्री के इस कार्य को नापसन्द किया, और अपने पुत्र को वापस बुला कर बुलफिकारखाना की अधीनता में एक नयी फौज रेवाना की । परन्तु इस फौज के द्वारा घेरे का काम शीघ्र नहीं हो सका; अतएव सेन्ताजी इसी बीच में वहाँ से मुक्त होकर शीघ्र ही बीजापुर में गयी । फौज पर मँडराने लगा और सूबेदार कासिमखान को दोडेरी नामक स्थान पर परानित करके अपने अधीन कर लिया ।

इसी प्रकार सरदार हिम्मतखान को घेर कर पराजित किया । आखिरकार मन् १६६७ ई० में फिर घेरा डाला गया, और जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, राजाराम के कुशल समेत निकल जाने के बाद जनवरी सन् १६६८ ई० में कित्त पर बादशाह का अधिकार हो गया । राजाराम शीघ्र ही सतारा में रामचन्द्रपन्त से जा मिला । परसोजी भोसले, हैवतराव निम्वालकर, नेमाजी शिन्दे, आठवले, आर शमशेर, बहादुर इत्यादि समस्त सरदार एक एक करके अपने देश में वापस आ गये । यद्यपि उस समय धनाजी जाधव दक्षिण में भेराठा के अधिकृत स्थानों की रक्षा करने के लिए था, परन्तु लडाई का दखलनादिक और द्रावडी देश से हट कर दक्षिण की ओर फिर गया था । समुद्री किनारों के किले मराठों के पक्षपाती बने रहे, और कान्हाजी आंगरे की अधीनता में मराठे बराबर द्रावतकोर से बम्बई तक के किनारों पर लूट मार करते और समुद्र का बहुत सा सामान अपने कब्जे में लेते रहे । साधन्त लोग भी राजभक्ति से नहीं डिगे ।

सन् १६३६ ई० में राजाराम अपनी तमाम फौज के साथ पानदेश, गङ्गधडी, वरार और वागलान में दाखिल हुआ, और उन भागों में चौध और सरदेशमुखी का कर नियत किया। सतारा वापस आने पर उसने अपने चार सरदारों को, अर्थात् दाभाडे को वागलान में, शिन्द को पानदेश में, भोंसले को वरार में और निम्बालकर को गङ्गधडी में स्थायी तौर पर नियत किया।

सन् १७०० ई० में औरङ्गजेब ने उन समस्त किलों को, जो मराठों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे, बरपाद करने का निश्चय किया। इस काम के लिए एक दस्ता फौज अलग करके अपनी अधीनता में रखा, और जुलफिकारया को राजाराम की फौज से मदान में दो दो हाथ करने की आज्ञा दी। एक-एक करके किले विजय किये गये, और अन्त में उसने सतारा पर घेरा डाल दिया। यद्यपि प्रयागजी प्रभू ने चिरहाल तक बड़ी गुरी के साथ किले की रक्षा की, किन्तु अन्त में मुगल सम्राट ने उसको जीत ही लिया। इसी समय राजाराम सिंहगढ में मर गया; और चूँकि शाह उस वक्त मुगलों की ही क़ैद में था, इसलिये उसके दस वर्ष के बालक को गद्दी पर बठा कर रामचन्द्रपन्त पुर्य की तरह कार्य संचालित करता रहा। धनाजी की कताटक से वापस बुला लिया गया, और रामचन्द्रपन्त तथा धनाजी के अनुशासन में मराठे सरदार, उडे जोश के साथ, समस्त देश से चौध, सरदेशमुखी और घास-दाना बसूल करते हुए लडते रहे। दूसरी ओर औरङ्गजेब ने भी अपना कार्य जारी रखा, और आगामी चार वर्ष तक एक के बाद दूसरा किला विजय

करता रहा। यह एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन था। किलों से निकाले जाने पर मराठे खानदेश, वरार और गुजरात के मैदानों पर आक्रमण करते हुए फैलते चले गये, वल्कि एक दल ने नर्मदा को पार कर के मालवा पर डेगु-डरडा जमा दिया। अन्न में सन् १७०५ ई० में औरङ्गजेब के सैनिक और मुल्की मंत्रियों ने मगठा से सुलह करने की सम्मति दी और औरङ्गजेब को यश तक राजी कर लिया कि उसने मराठों के दक्षिण के छै सूबों में मगदेशमुखी वसूल करने की आज्ञा इस शर्त पर दी कि वे उन समस्त सूबों में शांति रखन क जिम्मेदार हों। उसने शाहू के साथ उच्च मराठा, शिन्दे और जाधव, घराने की दो लड़कियों से, जिनके पिता बादशाही नौकरी में थे, विवाह करने का प्रबन्ध करा दिया, और अक्कलकोट, इन्दापुर-निवास तथा वारामती नामक जागीरों को दहेज में दिया। चूकि मराठों ने इससे भी अधिक लेने की इच्छा प्रकट की, इन्तलिफ यह समस्त बातें व्यर्थ सिद्ध हुई। मगलों की ओर से लड़ाई सुस्त पड़ गई और मराठो ने पिमला की पुनर्वा विजय करके अपने राजा शिवाजी और उसकी मा ताराबाई का निवासस्थान बना दिया। पावनगढ़, वसन्तगढ़, सिंहगढ़ और रायगढ़ तथा सतारा पर दुबारा कब्ज कर लिया और तत्पश्चात् घनाजी ने पूना और चाकन को स १७०७ ई० में वापस ले लिया। इस तरह औरङ्गजेब न अप समस्त चेष्टाओं में असफल होकर शाहू से एक पत्र, मरा के राजा का हसियन से, मराठा सरदारों के नाम लिपवाय इसमें बादशाह से सुलह करने की शिक्का दी गई थी। औरङ्गजेब की अन्तिम चेष्टा थी, और यह भी व्यर्थ सिद्ध हुई।

औरङ्गजेब के जीवन में शाह की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी न किया गया। सन्धि की लालसा, और शाह का उसकी इच्छा से पत्र लिखना, दानों इस्वान के प्रमाण हैं कि औरङ्गजेब हम तीस वर्ष के युद्ध को, जहां तक मराठों का इससे सम्बन्ध था, अपनी ही भूल का कारण समझता था। उसकी शानदार फौज प्रयोग्य प्रमाणित हुई, अथवा मारी गई। उसका खेमा तक लूटा गया और वह स्वयम् कद हो जाने के डर से भयभीत रहता था। जब औरङ्गजेब अहमदनगर में मरने लगा, तो उस समय उसने अपने जीवन की असफलता पर जो पश्चात्ताप किया, वह निष्कारण नहीं था। चेचारा औरङ्गजेब उस समय उदासहृदय अपनी समस्त आशाओं तथा अभिलाषाओं की समाप्ति पर शोच करता हुआ काल का प्रास हुआ।

औरङ्गजेब की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् उसका लड़के आजिमशाह ने, जुलफिकारखा की सम्मति से, शाह को इस शर्त पर स्वतंत्र किया कि अगर मराठा उसके अपना राजा स्वीकार कर लें तो उसके पितामह शिवाजी का स्वराज्य, अर्थात् सुल्तान-बीजापुर से फूतह किया हुआ देश, उसको दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भीमा तथा गोदावरी के बीच की जागीर दे दी जावेगी। मराठा सरदारों ने शाह को राजा स्वीकार किया, और सन् १७०२ ई० में सतारा में उसको राजतिलक किया गया। वस, उस समय से कुछ वर्षों के भीतर ही, समस्त मराठों के पुराने अधिष्ठित स्थानों पर, कालहापुर जिले को छोड़ कर, जो राजाराम की सन्तान के अधीन था, शाह का अधिकार हो गया। दक्षिण के मुगल शासक ने छै सौ में शाह की चौथ और सरदेशमुखी वसूल

करने के हक को मान लिया और दस वर्ष के भीतर ही भीतर
 बालाजी विश्वनाथ पेशवा और नवदेराव दाभाडे ने चौथ और
 सरदेशमुखी एवम् स्वराज्य की नियमानुकूल सनद प्राप्त कर ली।
 इस प्रकार बीस वर्ष का यह स्वाधीनता का युद्ध अन्त में
 बड़ी खुशी के साथ समाप्त हुआ। इन परिणामों पर दृष्टि
 डालते हुए यह मानना पड़ता है कि यह बीस वर्ष का समय
 मराठा इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यतीत हुआ। शिवाजी
 को साम्राज्य की समस्त सेना से ऊँची नहीं लड़ना पड़ा था।
 वास्तव में जब मुगलों के नरदार जयसिंह ने शिवाजी पर
 बड़ा दबाव डाला, तो बड़े आत्मत्याग के साथ उन्होंने सम्राट्
 की अधीनता स्वीकार की, इसके अतिरिक्त उनको दक्षिण
 की दो मुसलमानी राज्यों की सहायता प्राप्त थी, और वे
 उनको मुगलों के विरुद्ध लड़ा सकते थे। इन सब में एक बात
 और भी थी, और वह यह कि, वे अपने पहाड़ी किलों के
 भीतर ही रहते हुए लड़ा करते थे। इन सब बातों पर विचार
 करते हुए यह कहना पड़ता है कि ने मराठे देशभक्त, जिन्होंने
 स्वाधीनता के संग्राम को संचालन करने में सफलता दिखलाई,
 बहुत कम सुविधा रखते थे। उनका कोई भी, शिवाजी की
 तरह, ऐसा नेता न था जो अपने व्यक्तिगत वस्त्र और साहस
 से बहुत बड़ी अजेय शक्ति रखता हो। उनको सारी बादशाही
 फौज के साथ, जो स्वयम् सम्राट् और इज्जत की ही अधीनता
 में थी, प्रोग जिनके लिए समस्त भारतवर्ष के साधन प्राप्त
 थे, लड़ना पड़ा। शिवाजी की निर्दयता के कारण मराठों के
 अत्यन्त उपयोगी सरदार मारे जा चुके थे, और समस्त कि
 बचाव की दृष्टि से निकम्मे थे। उनका राजा मुगलों के हाथ

में केंद्र था, और उनको घर से निकल कर दूरस्थित स्थानों में शरण लनी पड़ी थी। बिना कर, बिना फौज, और बिना किसी प्रकार की आमदनी के साधनों के, इन्होंने फौज भरनी करने का प्रबन्ध किया, किला को वापस लिया और विजय प्राप्त करने की चेष्टाएँ कीं। फल यह हुआ कि इन्होंने, न केवल मराठ्य ही प्राप्त किया बरन् दक्षिण और कर्नाटक में चौध और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। उद्युत न लोग, जैसे राजाराम, प्रह्लाद नीराजी, मन्ताजी धारपड इत्यादि, जिन्होंने इस युद्ध की नींव डाली थी, बीच ही में परलाकयामी हो गये थे, परन्तु उनके स्थान में दूसरे मनुष्यों ने वैसी ही निष्ठा और सफलता के साथ कार्य का सम्पादन किया। अगर औरगजेर दक्षिण पर आक्रमण करके मराठा को इस युद्ध के लिए विवग न करता, तो सम्भव है कि एक वायारण सी रियासत पश्चिमीय महाराष्ट्र में तजोर की तरह स्थापित हो जाती और मुगल सम्राट् उसके नरदार को अपने उमरावों में सम्मिलित करने में सफल हो जाता। शिवाजी की युद्धप्रियता का जोर दूसरी ही पीढ़ी में टूटा पड़ जाता और भिन्नता का भाव, जो इस कष्टर जोरों से है, अपना काम फिर आरम्भ कर देता और मराठा राष्ट्र की रचना बिलकुल असम्भव हो जाती।

इन समस्त सङ्घर्षों को दूर करने, और लोगों में एक नवीन शक्ति उत्पन्न करने का श्रेय औरगजेर की महत्काराणा को ही देना चाहिये। उसने महाराष्ट्र के लोगों को सूर इत्तेजित किया। इस बीस वर्ष के युद्ध ने ही मराठों की राष्ट्रीयता और देशभक्ति को सगठित कर दिया, और उनकी आत्मा

सन्तानों से भी भारतवर्ष के दूरस्थित स्थानों में विजेताओं के रूप में ले गया । इस लिए इस युद्ध ने शिवाजी के प्रारम्भिक प्रयत्नों और उनकी कारगुजारियों से भी बढ़ कर काम किया । केवल लुटेरे और डाकू जैसे युद्ध में, इस प्रकार के शत्रु के विरुद्ध, कभी भी सफलता प्राप्त न कर सकते थे । यह उच्च कोटि की नैतिक शक्ति ही थी, जिससे उत्तम वर्ग के लोगों की शूरवीरता, अष्टसहिष्णुता, शासनदक्षता, आशावादिता और आकाक्षाएँ दिन दूनी रात चौगुनी होती गईं । वह विश्वासपात्रता, जिसमें बाल-परावर भी अन्तर कभी नहीं आने पाया, वह उच्च आदर्श, जो समय, स्थान अथवा व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त था, वह प्रातृभाव, जो सार्वजनिक सङ्घट्ट के समय उत्पन्न होता था, और वह आत्मत्याग का बल, सर्वसाधारण के हितों की आकाक्षा, तथा अन्तिम विजय की सच्ची कामना, इस लिए होती थी कि, यह एक स्वराज्य-स्थापना का धार्मिक कार्य था । इन्हीं सद्गुणों के कारण देश के शुभचिन्तकों ने अपने देश को ऐसे सकट से बचा लिया, जिसका भारतवर्ष में कोई दूसरी जाति मुकाबल न कर सकती । वह स्वतंत्रता का युद्ध क्या था—मानों उपर्युक्त सद्गुणों को सिखाने के लिये एक महाविद्यालय था, जिसमें कठोर, किन्तु उपादेय, शासन के साथ शिक्षा मिली । इस दृष्टि से मराठा-इतिहास में सर्वत्र यह "स्वाधीनता का संग्राम"—बड़े मार्गों को समझा जावेगा ।

दसवां परिच्छेद ।

अशान्ति में शान्ति की स्थापना ।

बीस वर्ष के स्वाधीनता के युद्ध की समाप्ति पर, जैसा पिछले परिच्छेद में वर्णन किया गया है, शाहू को स्वतन्त्रता मिली और वह मराठों के माननीय नेता को हंसियत से, अपने दादा शिवाजी की प्रतिज्ञा, जो महाराष्ट्र को संगठित करने की थी, पूरी करने के लिए दक्षिण में वापस आया। यद्यपि जिस उद्देश्य से यह युद्ध मुगल सेना के विरुद्ध छेड़ा गया था, वह सिद्ध हो गया। परन्तु भिन्न भिन्न दलों के मुखिया, जिनमें से प्रत्येक स्वयं ही लड़ने को तैयार हुआ था, अपनी अपनी स्वतन्त्रता को हाथ से गौना नहीं चाहते थे। इसलिए देश में उस समय एक प्रकार की गड़बड़ी मच गई थी और लगातार कई वर्षों तक शान्ति को स्थापित रखना अन्भव मालूम पड़ता था। औरङ्गजेब की मृत्यु के अनन्तर मराठों का सहकृत रूप में काम करने का विचार भी जाता रहा था, और बादशाही फौज की विश्वहलता ने स्वाधीनता के पश्चात् मराठा देशभक्तों की एकता को दूर कर दिया था। ऐसा मालूम होता है कि मुगल सम्राट् के भत्रिया ने मराठा सरदारों में शान्ति और सुशासन के नाम पर फूट पड़ा करने के लिए शाहू को स्वतन्त्र किया था। शाहू के लौटने पर इन दत्तवन्द नेताओं ने, जो राजाधर्म के साथ काम कर चुके थे,

रक्खा था, लोगों में से जाती रही थी। शाहू के जीवन का सर्वोत्कृष्ट भाग कैदी की दशा में व्यतीत हुआ था। और यद्यपि पीछे से उसकी कैद उतनी कष्टदायक नहीं थी, परन्तु उसने मुसलमान सरदारों को, जिनके बीच में वह सयाना हुआ था, विलास-प्रियता को अङ्गीकृत कर लिया था। उनको यह आशा न थी कि वह अपने पूर्वजा की भाँति मुगलों की उपेक्षा करते रहने में सफलमनोरथ हो सकेगा। अतएव वह मुगल साम्राज्य के रईसों में गणना होने की शर्त पर सन्धि करने को राजी था। उसमें शूरवीरता एवम् हृदय और मस्तिष्क की खूबियाँ बहुत सी थी, परन्तु अपने पिता और पितामह की भाँति सङ्गठन करने की शक्ति और कार्य में लगे रहने का बल, जिसके बिना अशान्ति की दशा में शान्ति स्थापन करना असम्भव था, उसके अन्दर न था। मुगल शासन कुछ पहाड़ी किलों को छोड़ कर समस्त दक्षिण पर शासन करते थे और उनकी सेना, यद्यपि वह शक्तिहीन थी, परन्तु मैदान में फिर भी सामना करने के लिए आ सकती थी। इस दशा में स्वाभाविक, अथवा बाहरी साधनों से भी, शाहू स्वयम् इस योग्य न था कि अपनी चेष्टा से काम करने का कोई उपाय निकाल सकता, और न कोई उसके सेनाध्यक्षों ही में ऐसा दूरदर्शी था कि जो उस समय उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता। पहले कुछ वर्षों तक तो यही मालूम पड़ता था कि जुलफिकारखाँ की चेष्टा ही सफल होगी। मराठा लोग फूट, ईर्ष्या और अनेकानेक भ्रान्तियों के कारण सगठित रूप में कोई प्रयत्न ही न कर सकते थे। यह अवसर, जो हाथ लग चुका था, अगर कुछ विशाल बुद्धि के महान् पुरुष आता

न बढ़ते, तो व्यर्थ ही जाना रहता । परन्तु शाहू के भाग्य से उसके सिद्धासनारूढ होने के आरम्भिक काल में ही उस और लोगों का ध्यान जाने लगा था । उस समय केवल साहस और बल की ही आवश्यकता न थी; क्योंकि वह काफी से उपादा मौजूद था । उस समय तो उस सगठन की आवश्यकता थी, जो लोगों को प्रचण्ड देशभक्ति से प्रेरित करके अनैक्य दूर रखता, और सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर कर उन उद्देश्यों की ओर ले जाता, जिनको पचास वर्ष पूर्व शिवाजी ने कार्य में परिणत कर आगामी सन्तानों को वसीयत के तौर पर छोड़ रखा था । उन लोगों में, जो उस समय आगे बढ़े थे, घालाजी विश्वनाथ ने सर्वसम्मति से अपने लिए वह स्थान प्राप्त किया । उनके अन्दर वे समस्त गुण मौजूद थे, जिनकी उस समय महाराष्ट्र को आवश्यकता थी । उसने आवाजी पुरन्दरे ने, जो पुरन्दरे वंश का अधिष्ठाता था, घनाजी पन्त की सेवा में अपनी तरह कारकुन नियत करा दिया था । यही दोनों घनाजी जाधव के प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों के मुख्य मंत्री थे । इनमें एक देशस्थ और दूसरा कोकणस्थ ब्राह्मण था । दक्षिण के ब्राह्मणों ने पूर्व ही से शिवाजी के राज्य और बल को सगठित करने में विशेष भाग लिया था, और इनमन्त, पिंगले, आवाजी मोनदंब तथा प्रह्लाद नीराजी इत्यादि ने रणक्षेत्र में बड़ी योग्यता प्रदर्शित की थी । मराठा राज्य के आरम्भिक साठ वर्षों में कोंकण के ब्राह्मणों ने कोई बड़ा कार्य न किया था; परन्तु इस समय बुद्धि और क्षमता दिखलाने का सुअवसर देख कर उनमें से कुछ योग्य पुरुष, देशसेवा के निमित्त, अपनी भाग्य की परीक्षा के लिए आगे

पहले ही शिवाजी ने दक्षिण के हिन्दू और मुसलमान शासकों की सम्मति से, उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया था और कर लेकर सहायता और संग्रहा करने की पद्धति का जारी कर दिया था। कुछ मुगल सूरों से भी उन्होंने अपना हक वसूल किया था। सगदेशमुल्की ना मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी पर पैतृक अधिकार के रूप में थी। किन्तु उसके पीछे 'चौथ' का स्वत्व उन राज्यों की सलाह से नियत किया गया, जिनको गहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने की शर्त पर फौज रखने के लिए एक निश्चित रूप में रुपया देना स्वीकार था। यही मुख्य सिद्धान्त था जिसके आधार पर शिवाजी ने काम करना आरम्भ किया, और जो प्रागे चलकर नाना से वर्ष के बाद मारकीन-आव् बेलेंजली के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ।

जय स्वाधीनता का युद्ध समाप्त हो गया, और मराठे मरवाठ, कर्नाटक, गङ्गखडी, वरार, खानदेश और गुजरात तथा मानसरोवरी सीमाओं पर जा डटे, तब उपर्युक्त पद्धति का विचार भी स्वाभाविक ही अधिक विस्तृत हो गया, और जो लिंगा-पट्टी मुगल सूबेदारों से हुई, उसमें बालाजी विश्वनाथ और शाहू के अन्य मंत्रियों को सुधार की बहुत कुछ आवश्यकता मालूम हुई। युद्ध के दौरान में चौथ और सगदेशमुल्की के विषय में बातचीत ही क्या हो सकती थी, और युद्ध की समाप्ति पर प्रथम तो स्वराज्य को प्राप्त करना, अर्थात् शाहू के लिए देश का वह भाग अपने अधिकार में लाना, जिस पर उनके पितामह शिवाजी रायगढ़ में राज्याभिषेक के समय सन् १६०८ ई० में अधिष्ठित थे, आवश्यक था। राजाराम की मृत्यु के बाद

औरङ्गजेब ने मराठ्य के कुछ हिरसे पर शाह को स्वतंत्र रीति-
कार किया था और त्रिगंघ के समय बहेज के रूप में मराठ
और इन्दापुर को पुरानी जागीर एवम् अकलकोट तथा नेवासा
के महाल दे दिये थे। तत्पश्चात् औरङ्गजेब ने शाह से, मराठों
सरदारों के नाम, युद्ध को रोकने और सम्राट की अधीनता
स्वीकार करने के विषय में पत्र लिखाये। शाह के द्वारा इस
कार्य का सम्पादन कराना इस बात का प्रमाण है कि वह शाह
को समस्त मराठे सरदारों का, जो मुगलों के विरुद्ध उस समय
युद्ध कर रहे थे, नायक मान चुका था। सन् १७०५ ई० में इस
युद्ध का अन्त करने की इच्छा से औरङ्गजेब ने दक्षिण के छे
स गों में सरदेशमुखी प्रसूल करने का अधिकार समर्पित किया
और इस पर मराठे सरदार एक कोफी तांदाद में सवारों
को रज कर शान्ति स्थापित करने के लिए राजी हुए। यह
पहला अवसर था जब कि औरङ्गजेब ने प्रत्यक्ष नियमा-
नुकूल रूप से, सरदेशमुखी को, जिसे शिवाजी ने ५० वर्षों
पूर्व उपस्थित किया था, स्वीकार किया। किन्तु इस स्वीकृति
संशुद्ध भी लाभ नहीं हुआ। क्योंकि मराठे सरदारों ने अपनी
शर्तों को पढ़ा लिया, और परिणाम यह हुआ कि युद्ध जारी
रहा। औरङ्गजेब की मृत्यु के अनन्तर, पारस्परिक कलह के
कारण, उसके लड़कों ने शाह को स्वतंत्र करके उनकी मातृ-
भूमि में ही मेज देना उचित समझा, और उनसे कह दिया
कि अगर दक्षिण में उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिये तो सम्राट
का पुत्र आजिमशाह और मुगल सेना का अध्यक्ष जुलफिकार
या—देना भीमा और गोदावरी के बीच का सम्पूर्ण इलाका,
जिसको शिवाजी ने विजय कर लिया था, उनकी अर्पित करे।

खर्च ही हो जाती थी। यह चौथ वसूल करने का स्वरूप यद्यपि मराठे सरदारों को दे दिया गया था, तथापि दिल्ली के राज्य को इससे कोई हानि नहीं होती थी। क्योंकि पूरी आमदनी का ७५ फी सदी भाग प्रधान सरकार के कोष में पहुँच ही जाता था। परन्तु देश की अत्यन्त हीनावस्था के कारण सरदेशमुखी और चौथ हा समस्त आमदनी को उकार जाती थी। और बादशाही खजाने में केवल नाममात्र के लिए ही मुल्य जाता था। यही कारण है कि चौथ और सरदेशमुखी की सनदों के होते हुए भी झगड़ा बना रहा। जहाँ मराठा फौज काफ़ी होती थी वहाँ मराठों की सरदेशमुखी और चौथ सनदों से वसूल कर ली जाती थी, और तीन-चौथाई अंश मुगल शासकों के वसूल करने को शेष रह जाता था। अवश्य ही वे लोग उसके वसूल करने में असमर्थ रहा करते थे। इसलिए सम्पूर्ण सत्ता धीरे धीरे मराठों के ही हाथ में चली गई।

मराठों के हाथ में सम्पूर्ण सत्ता आ गई, इसमें संन्देह नहीं, किन्तु यह परिवर्तन भी कुछ कम कष्टदायक न हुआ। बादशाह ने सनदें तो दे दी थी, किन्तु उसके सूबेदारों से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराना टेढ़ी चीर थी। निजामुल्मुल्क, जो सैयदों के पश्चात् दक्षिण का सूबेदार हुआ, इन रियायतों के देने में, जो उसके स्वामी ने दवाव से मराठों को दी थी, राजी न था, इसलिए आगामी बीस वर्ष तक बराबर मराठे सरदारों को निजाम से झगड़ना पड़ा। इस सुदीर्घ झगड़े में बालाजी के पुत्र ब्राजीराव, (दूसरे पेशवा) ने बडा नाम पैदा किया। पहले तो निजाम कुछ राजी सा हो गया, और शाह की पाई हुई उक्त रियायतों को मजूर कर लिया। परन्तु

सैयदा के पदच्युत होने के बाद निजाम ने कोल्हापुर के राजा का अपन हाथ में लिया; और उसका पक्ष लेकर शाह के दरबार में बसूल करनेवालों का राकने की चेष्टा की। परन्तु इन विरोधों को भी दूर करने में बाजीराव का सफलता निला, और सन् १७२२ ई० में उन्होंने दूसरा नया फरमान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात् निजाम ने शाह के हक सरदेशमुखी और चौथ पर इस कारण से आपत्ति की कि, उन्होंने दक्षिण में शान्ति स्थापित करने का भार लेकर उसमें सफलता प्राप्त नहीं की। फिर देने में झगडा मचा, और उसको दूर करने के लिए शक्ति का उपयोग करना पडा। परन्तु अन्त में हुदराबाद के समाप-वर्ती इलाके में चौथ और सरदेशमुखी का स्वतंत्र छोड़कर अन्य इलाका में यथावाग्य परिवर्तन करके, निजाम को बादशाह के द्वारा स्वीकृत की हुई रियायतों का मान लेने पर राजी कर हो लिया। परन्तु निजाम ने सन् १७३० ई० में राजा कोल्हापुर का पक्ष लेकर फिर इस सरदेशमुखी और चौथ के हक पर झगडा आरम्भ किया। परन्तु पेशवा की विलक्षण बुद्धिमत्ता के कारण निजाम को फिर नीचा देखना पडा। और जो सहायता उसने राजा कोल्हापुर का देना स्वीकार किया था, वह उसका बन्द कर देनी पडा। कोल्हापुर के राजा को शाह के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधि ने पराजित किया, और कोल्हापुर तथा सतारा के राजाओं के बीच नई सन्धि स्थिर हुई, जिसके अनुसार समस्त मराठ्य और दक्षिण के छै सूबों पर सरदेशमुखी और चौथ बसूल करने का अधिकार शाह का ही बना रहा; और राजा-कोल्हापुर को दक्षिण में चारना और तुङ्गभद्रा नदी के बीच के प्रदेश पर हा

सन्तोष करना पडा। इस प्रकार तीन लड़ाइयाँ और दा इकरारनामों के बाद सन् १७३२ ई० के लगभग मुगल सम्राट् की दी हुई उन सनदों की पूरी पूरी पुष्टि हुई, और तब से फिर सभी विरोधी शक्तियाँ मराठों की सत्ता मानन के लिए बाध्य हुई। यद्यपि भगड़े के कारण बिलकुल निर्मल नहीं हुए, परन्तु इसक बाद फिर निज़ाम और पेशवा के उत्तराधिकारियों में सम्राट् के द्वारा मिले हुए उक्त स्वत्वों के उचित और अनुचित होने का प्रश्न नहीं उठा।

सन् १७२३ ई० में मराठे सरदारों और तत्कालीन निज़ाम सलाहतज्ज में लड़ाई हुई। निज़ाम पराजित हुआ, और नन्दिन होन पर पानदेश और नासिक का सम्पूर्ण इलाका मराठा को मिल गया। सन् १७६० ई० में फिर एक भगड़ा हुआ, और उसमें भी मराठा फौज ही सफल मनारथ हुई, जिसस अहमदनगर की और का इलाका और अहमदनगर का किला पेशवा के राज्य में सम्मिलित हो गया। सन् १७६० ई० में इसी प्रकार फिर भगडा हुआ और शोलापुर तथा, बीजापुर के जिले पेशवा को मिले। मराठों को जो युद्ध करनाटक में करना पडा, वह निज़ाम के साथ न होकर सावनूर के नधारी से हुआ। यह युद्ध पेशवा बाजीराव और उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने बराबर जारी रक्खा। तीन बार युद्ध होने पर बीजापुर, धारवाड और बेलगाँव के प्रान्त क्रमशः पेशवा के राज्य में सम्मिलित होते गये। यह कर्नाटक युद्ध सावनूर के नधारी के पतन हो जाने पर भी, हैदर और टीपू स, जो कि मैसूर में सन १७६० से १७६० ई० तक राज्य करते रहे, जारी रहा। अन्त में परियाम यह हुआ कि मैसूर के मामलों

ने हार खाई, और मराठों का राज्य तुङ्गभद्रा नदी तक पहुँच गया। पुर्तगीजों और जैज़ीरे के सिद्धियों से बाजीगव पेशवा के भाई चिमणार्जुन शरपा और तीसरे पेशवा गालाजी राजी-राय की जो लड़ाइयाँ हुईं उनमें भी सफलता प्राप्त हुई। इन समस्त उपायों से एक ही शताब्दी के भीतर सम्पूर्ण मराठा-प्रदेश मराठा मंडल के अधीन हो गया। राज्य की यह वृद्धि यद्यपि अनेक लड़ाइयों की विजय का फल थी, परन्तु इसकी नींव वास्तव में चौथ और सरदेशमुषी का स्वत्व ही था। इन भगदों के कारण 'सरगड्य' ने धीरे धीरे मूर उठाई की, और प्राचीन सनद के अनुसार वह जितना था उससे कहीं अधिक बढ़ गया। इसके सिवाय चौथ तथा सरदेश-मुषी बमल करने का स्वत्व जो पहले इस सनद के अनुसार ताप्ती नदी के दक्षिणीय छै मूर्गों तक परिमित था, बीस वर्ष के उपरान्त इन्हीं शर्तों पर समस्त राज्य में फैल गया। उत्तर का समस्त इलाका गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना, घुन्देलखण्ड, दुआच, नीमच, गोंडवाना, सम्भलपुर, उडीना, आगरा, दिल्ली, अवध और बङ्गाल इत्यादि प्रान्त भी उसके अन्तर्गत आ गये। राज्य के इस विस्तार और प्रभाव पर एक परिच्छेद अन्यत्र लिखा जावेगा, परन्तु जो कुछ आवश्यक विषय था, उसका वर्णन ऊपर हो चुका है। सरदेशमुषी और चौथ के स्वत्व ने मराठे सरदारों को राज्य के विस्तीर्ण और स्थापित करने में वह काम दिया, जो कि गत शताब्दी में कर लेकर सेना रखवाने की सन्धि-प्रणाली और भिन्न भिन्न विजयों ने घृष्टिभ गवर्नमेंट को दिया है। इस उन्नति की रामकहाना में सब से बढ़कर मनो-

इससे प्रगट होता है कि मदरान प्रान्त में मराठा आवादी २,३०,००० थी। इसमें अगर हम मैसूर को चीन तथा ट्रायनकोर की २०,००० मनुष्यसंख्या मराठों की सम्मिलित कर लें, तो सब मिलकर अर्थात् लाख २,५०,००० होती है। इसका विवरण नीचे दिया जाता है—

(१)	गञ्जाम	२०५
(२)	विजगापट्टम	३६४
(३)	गोदावरी	६३४
(४)	कृष्णा	१४१४
(५)	नीलोर	८०७
(६)	कुडापा	३६७३
(७)	करनूल	४०८७
(८)	बेलारी	१४१६६
(९)	चिङ्गलपट्ट	१६३५
(१०)	उत्तरी अरकाट	११६६२
(११)	दक्षिणी अरकाट	१६५७
(१२)	तञ्जौर	१४४२१
(१३)	त्रिचनापली	१७६६
(१४)	मदुरा	१६४३
(१५)	तिनेवली	८३७
(१६)	सालेम	१६०६
(१७)	कोयम्पटूर	५५०
(१८)	नीलगिरी	७३०
(१९)	मलाघार	१६०
(२०)	दक्षिणी	

(२१)	मद्रास (शहर)	४२३८।
(२२)	पदुकोटा	६६०

इससे जान पड़ता है कि इस प्रान्त में एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें कोई छोटी सी मराठा आबादी ऐसी न हो जिसने स्थायी रूप में वहा अपना घर न बना लिया हो । दक्षिणी कनारा, मलापार, कोचीन और ट्रावनकोर नामक स्थान जहा मराठों की डेढ लाख आबादी है, वास्तव में समुद्री किनारे पर से जाकर उपनिवेश बनाये गये थे । सत्रहवीं शताब्दी में शहाजी और उनके पुत्र रेड्डीजी ने, जो शिवाजी के मौतेले भाई थे, वस्तुतः जिन राजनैतिक उपनिवेशों की स्थापना की थी, उनसे उपर्युक्त आबादियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में तञ्जा और उसके आस पास के जिले, उत्तरीय अरकाट, सलेम और शहर मद्रास, में शहाजी और उनके पुत्र के साथ आये हुए मराठा लोगों की आबादी बहुत अधिक है । ट्रावनकोर के राजा ने, तञ्जा का नाम 'मराठों का दक्षिणीय गृह' रक्खा था । सो ठीक ही है । यद्यपि पचास वर्ष से अधिक हुए, अंगरेजी सरकार ने, राज्य के चारिभ न हॉन के कारण, इसको सरकार की इलाके में सम्मिलित कर लिया है । परन्तु वहा की रानियों का अब तक सरकार की ओर से एक बड़ी रकम पेन्शन के तौर पर मिलती है, और उनकी निज की जायदाद भी बहुत कुछ है । जिस समय सन् १६६६ ई० स १६७५ ई० के बीच में इस राज्य की बुनियाद रक्खी गई थी, उस समय तञ्जा जिले में दक्षिणी अरकाट के कुछ हिस्से और समस्त त्रिचनापल्ली सम्मिलित था । इन सैनिक उपनिवेशवालों में ब्राह्मण और मराठा दोनों जाति के लोग

के आश्रित मुहम्मदअली का पक्ष लिया, और फरासीसियों के सहायकों के हाथ से हानि उठाई। मुरारराव घोरपडे ने ऐसे समय में, जब अंगरेज राजा की सहायता करने में असमर्थ थे, तञ्जौर को लूटा। इसके पश्चात् फरासीसियों के सेनाध्यक्ष लाली ने भी लूट मार की, परन्तु उस समय अंगरेज सहायता पहुंचान में सफल होगये। इत समस्त लूटार्यों में तञ्जौर की फौज में मणकोजी की अधीनता में अङ्गरेजों का पक्ष लेकर फरासीसियों का खूब सामना किया।

यद्यपि अङ्गरेजों का पक्ष लेकर तञ्जौर के राजाओं ने यह सब कुछ त्याग दिया, तथापि नवाब मुहम्मदअली अपने मन में तञ्जौर के धन-वैभव का देखकर ईर्ष्या-रखता था। केवल अङ्गरेजों के बीच में पडने से राजा ने सन् १६६२ ई० में नवाब का आधिपत्य स्वीकार किया; और अङ्गरेजों की जमानत पर चार लाख रुपया 'कर' देना मजूर किया। तत्पश्चात् सन् १७७१-ई० में नवाब ने मद्रास-सरकार की सहायता से प्रतापसिंह के पुत्र तुलसाजी पर चढाई की। तुलसाजी ने सन्धि की प्रार्थना की। परिणाम यह हुआ कि उसकी रियासत का वैभव मारा गया, और तञ्जौर राज्य की आमदनी भी कम हो-गई तथा रियासत पर बहुत सा कर्ज भी हो गया। इस दूसरे सन्धिपत्र के अनुसार राजा के हितों को, नवाब मुहम्मदअली और उसके अङ्गरेज साहूकारों के लाभों का विचार रख कर, खूब नष्ट किया गया। यही अंगरेज साहूकार मद्रास सरकार की नीति के सचलाक थे। सन् १७६२ ई० की प्रतिष्ठा, जिसके मूल-से अङ्गरेज तञ्जौर की स्वाधीनता के उल्लंघनाता थे, भङ्ग कर दी गई। सन् १७७३ ई० में नवाब ने

अपने अङ्गरेज मित्रों के साथ मेल कर लिया, और फिर अन्याचार करना प्रारम्भ कर दिया। उसने राजा को कैद कर शहर पर अधिकार कर लिया, और उसकी रियासत को अपने राज्य में मिला लिया। ये समस्त बरवादी और विश्वासघात के काम, मद्रास सरकार ने अपने उत्तरदायित्व पर, नवाब के अङ्गरेज ऋणदाताओं के लाभों के लिए, किये थे। कम्पनी के डॉइरेक्टर्स को इसका कुछ ज्ञान न था, और उनको इन अन्यायपूर्ण कामों का पता लगा, तो उन्होंने मद्रास-सरकार की कार्रवाई का बड़ी घृणा को दृष्टि से देखा, और शीघ्र ही मद्रास के गवर्नर को वापस बुला लिया। इसके बाद उन्होंने तुलसाजी को फिर उस ही पैठक रानगी पर बैठाने का निश्चय किया, और इसके लिए आश्रय प्रदान किया। सन् १७७६ ई० में उन आज्ञाओं का पालन किया गया, परन्तु नवाब के तीन वर्ष के शासन में ही देश इतना चोंपट हो गया था कि उसको, किसी न किसी अश में, पूर्ण की भांति वैभव सम्पन्न होने में दस वर्ष लगे। इस बीच में अङ्गरेजों की हैदराबली के साथ लड़ाई छिड़ गई, और हैदराबाली ने अभागोत्तम और प्रान्त पर, सन् १७८२ ई० में, बदता लें के लिए लूट मार की। इन कठिनाइयों और कष्टों में तुलसानी ग्यारह वर्ष तक राज्य करके सन् १७८७ ई० में मर गया। चूकि नज़्जोर अपने मुख्य महाराष्ट्र केन्द्र से अलग हो गया था, इसलिए मराठों की चढाइयाँ और विजयों से नज़्जोर को कोई लाभ न पहुँचा, और वह बराबर अङ्गरेजों तथा हैदराबली से दवा रहा। इन बीस वर्षों के समय में उसने एक कण उठाये कि भविष्य में डीरू के पतन और दक्षिणी भारत

में शास्त्रि स्थापित होने पर भी वह अपनी पूर्व-स्थिति को न पहुँच सना । उसको अपने भीतरी भूगलों से भी हानि सहनी पड़ी । तुलनाजी के सातले भाई अमरसिंह ने उसके दत्तक पुत्र को राज्य से अलग कर दिया । मद्रास सरकार का कर्ज रियासत पर इस समय इतना बढ़ गया था, प्रायः राज्य की आगवनी इतनी घट गई थी, कि राजा अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सकता था । तुलनाजी के दत्तक पुत्र मरफाजी को डच मिश्रों मिन्टर प्रार्थन न उड़ी सहायता दी, और मरफाजी ने डाइरेक्टरों ने उसका गद्दी प्राप्त करने का स्वयं स्वीकृत किया । सन् १७६८ ई० में उसको गद्दी मिल गई तथा अमरसिंह को पेंशन लेकर अलग हान के लिए विपन्न हाना पडा । मारकीन शासक वेलजली ने जब टीपू की मृत्यु के पश्चात् मैसूर का प्रबन्ध किया, तो सरफोजी को इस वान पर राजी कर लिया कि वह अपनी रियासत में शासन को छूट कर नाम मात्र के लिए राजा बना रहे, और रियासत की मालामुजारी में से नियत की हुई पेंशन ल लिया करे । फलतः वह अपनी इस शान और पेंशन से चैन उडाता हुआ सन् १८३३ ई० में मर गया, और उसके बाद जब उसका पुत्र सन् १८४५ ई० में निःसन्तान मर गया, तब तञ्जौर की रियासत को कम्पनी ने जब्त कर लिया और रानियों को पेंशन देकर उनके महलों में ही रहने दिया । उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई थी, परन्तु वीरकाल तक मुकदमेबाजी करने के पश्चात् वापस मिल गई ।

मराठों के इस छोट्टे सेनिक उपनिवेश का यह सक्षिप्त वर्णन है । मराठा-मदल के सरदार मुगलों की शक्ति का मुका-

पला करके बीस वर्ष तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे और अन्त में स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली, परन्तु तक्षौरवाले, अपनी केन्द्रित शक्ति से अलग रहने के कारण, अपनी रक्षा के लिए कर्नाटक के भूगडों में ही पड़े रहे। इसके बाद प्रधान स्वतंत्र मराठी रियासतों में से तक्षौर का नाम चारिज हा गया। निःसन्देह यदि यह रियासत भी मराठा-मडल से अपना सम्बन्ध न तोड़ती, तो उन चढाइयों में इस रियासत को भी बड़ा लाभ हुआ होता, जो मराठा-मडल की ओर से सन् १७६२ से सन् १७६२ ई० तक होती रही, और जिनमें उनको 'सदैव सफलता प्राप्त होती रही। यही नहीं, बल्कि उन चढाइयों में हैदर और टीपू सुलतान को भी एक बहुत भारी कर और मुल्क देने के लिए बाध्य होना पड़ा था, तब नहीं उन चढाइयों का जोर कुछ कम हुआ। तक्षौर के समान गुत्ती रियासत की भी वैसी ही दुर्दशा हुई। यह रियासत भी मराठा-मडल से अलग रह कर अपना अलग ही स्वार्थ साधने का प्रयत्न करती रही। दक्षिणी भारत के इस मराठा सैनिक उपनिवेश के वृत्तान्त से जो उपदेश लिया जा सकता है, वह यही है कि, मराठा साम्राज्य की प्रबलता उसकी संग्रशक्ति में ही थी, और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी एक टेढ़ी खीर थी। मराठा साम्राज्य की शक्ति और उसकी दुर्बलता का उदाहरण उपर्युक्त वर्णन से भली भाँति सिद्ध हो जाता है।

तेरहवां परिच्छेद ।

मराठों के इतिहास की कुछ चुनी हुई बातें ।

परिशिष्ट (१)

(यह निबंध परलोकवासी माननीय काशीनाथ न्ययक तैलगजी ने ता० १७ सितम्बर १८६२ ई० को 'डेकन कालेज यूनियन' की सभा में पढ़ा था ।)

केप्टन जेम्स ग्राट डफ रचित 'मराठों का इतिहास' प्रमाण-भूत है, और उसका बहुत सा भाग उनकी पत्रवित्त की हुई वस्तुएँ तथा असली पुराने कागजों के आधार पर लिखा गया है । उस सामग्री में स कर कागजों की प्रतिलिपियाँ बवाई की "लिटररी सोसाइटी" में भी रखे जान की बात उक्त महाशय ने स्वीकार की है । उनका चेला करना तत्कालीन परिस्थिति के देखते सर्वथा योग्य ही था, क्योंकि जिस असली साहित्य के आधार पर उक्त महाशय ने अपना ग्रंथ लिखा, उसकी प्रामाणिकता के विषय में जांच करने के लिये मराठा-इतिहास-जिज्ञासुओं के लिये यह एक अच्छा साधन हो गया । पर दुर्भाग्य की बात है कि उस सखा को बंद हुए बहुत दिन बीत गये; थोर उक्त महाशय की उन प्रतिलिपियों का भी कहीं पता नहीं ! लिटररी सोसाइटी के अनंतर रायल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित होगई, जिसकी एक शाखा बवाई में भी

हां, पहले माधवराव पेशवा के समय उस प्रणाली का अवलंबन अर्घ्य किया गया था। महाराजा शिवाजी के राज्य-प्रवचन की रास बात 'केबिनेट कौंसिल' अर्थात् अष्ट-प्रधान मंडल की स्थापना है। उन अष्ट-प्रधानों में से एक को पंडितराव कहते थे। अन्य प्रधान या मंत्रियों तथा बड़े अधिकारियों की तरह पंडितराव को जो कार्य सौंपे जाते थे, उनका उल्लेख शिव-राज्याभिषेक शाके १ ज्येष्ठ कृष्णा १३ मंगलवार (सन् १६७४ ई०) को लिखे हुए एक प्राचीन पत्र में निम्न प्रकार से किया गया है—पंडितराव को राज्य के धर्म-विषयक सभी कार्यों में देख-भाल करनी चाहिये, धर्मशास्त्र के अनुकूल लोगों का यत्न है या नहीं, इस बात की जांच करके दुराचारियों को दंड और विद्वानों का आदर करना चाहिये। धर्मशास्त्र की तीन शाखाएँ—आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त—अर्थात् यत्न, दीवानी और फौजदारी तथा अपराधी ठहराये जाने पर प्रायश्चित्त देने के बारे में जो हुकम होते थे उन पर उन्हीं के हस्ताक्षर हुआ करते थे। शांति तथा अन्य धार्मिक कार्य और सरकारी धर्मादाय का कार्य भी उन्हीं के हाथ में था। चिटणीस-कृत शिवाजी-चरित्र में लिखा है कि, मंत्रिमंडल की रचना तथा मंडल के कर्तव्य-कर्म, पुरानी परिपाटी के अनुसार ही, महाराज शिवाजी ने निश्चित किये थे।

सन् १७१६ ई०, राज्याभिषेक शाके ४०, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी गुरुवार का, शम्भू छत्रपति महाराजा कोल्हापुर का लिखा एक आज्ञापत्र प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा है,—राजा का यह भी एक कर्तव्य है कि, अधर्म की ओर से लोगों को परावृत्त किया जाय, प्रजा में धर्म-प्रीति बढ़ाई जाय, और इन

प्रकार उन्हें परलोक में शाश्वत सुख का लाभ प्राप्त कराया जाय। इन्हीं से उस आशापत्र में एक यह भी नियम लिखा गया है कि, धर्म के विरुद्ध नास्तिक मतों का प्रचार कहीं पर भी न होने देना चाहिये; और यदि कहीं वैसा सुनाई पड़े, तो शीघ्र ही स्वयं तदुकीर्ण करके उस मत के प्रचारक को दंड देना चाहिये जिससे उन अधर्म-कर्मों को कोई न करे, और वे नष्ट हो जायें।

उक्त वर्णन से ज्ञात होना है कि, मराठे राजा अपनी प्रजा के धार्मिक कर्मों का नियमन करना अपना स्वत्व अथवा कर्तव्य मानते थे, और उस राज-कर्तव्य का पालन करने के लिये सर्वदा ब्राह्मण ही मंत्री नियत किये जाते थे। वे कर्तव्य-कर्म केवल कागजी घोड़े की तरह ही नहीं थे, वरन् उन पर वास्तव में अमल भी किया जाता था। उदाहरणार्थ—महाराजा शिवाजी के अनन्तर उनके पुत्र सभाजी गद्दी पर बैठे। उनका कलुशा नामक एक प्रिय मित्र था। उसे कवजी (रुविजी?) भी कहते थे। उसने अनेक घोर पाप किये, और वह बड़ा दुराचारी भी था। एक रात उसने सभाजी को सलाह दी कि, बड़े बड़े विद्वान् ब्राह्मणों को—जो अपने को छै शान्नों के गुरु कहलाते हैं—प्रायश्चित्त दिलाना चाहिये। तदनुसार सभाजी ने भी हुक्म दे दिया। धर्म-विषयक सारे कार्य पंडितराव मंत्री के हाथ में थे। उन्होंने सभाजी को उसके लिये बहुत कुछ समझाया; पर उन्होंने एक बात भी न मानी। तब बेचारे ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त लेना पड़ा। वास्तव में ब्राह्मणों के कोई अपराध, प्राप्त सामग्री न, ज्ञात नहीं होते, और न उनके ज्ञात करन के कोई साधन ही हैं।

मुसलमान हूँ और मुझे तुम्हारे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अतः अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने पवित्र तीर्थ काशी जाकर वहाँ के पंडितों से फैसला करा लाओ। उसका पालन कराना मेरा काम होगा” अनंतर वे लोग काशा गये। वहाँ पर पंडितों की बड़ी भारी सभा हुई और बहुत कुछ विवाद होने पर निर्णय किया गया कि प्रभू असला क्षत्रिय है, वेदानुकूल कर्म करने का उन्हें अधिकार है और गायत्री मंत्र भी वे पढ़ सकते हैं। तब ऊँची ब्राह्मणों को विश्वास हुआ और उन्होंने प्रभुओं को वैदिक कर्म करने से नहीं रोका। अस्तु ।

शिवाजी के पिता शहाजी के विवाह की चमत्कार-पूर्ण घटना से भी उक्त प्रकार का एक और उदाहरण ज्ञात होगा। शहाजी के पिता मालोजी और माका चिटूजी निजामशाही के मनसबदार लखजी जाधवराव के यहाँ पर नौकर थे। सन् १५६८ ई० में जाधवराव के महल में रंगपंचमी का उत्सव हुआ। उस समय मालोजी भौंसले अपने पुत्र शहाजी को भी साथ ले गये थे। शहाजी की अवस्था उस समय ५ वर्ष की थी। अतः उस स्वरूप-सुंदर ताम्र-मूर्ति को जाधवराव ने अपनी तीन वर्ष की कन्या के पास बिठलाया। उस समय जाधवराव स्वाभाविक ही बाल उठे, “इतने बालकों की जोड़ी कहीं अच्छी मालूम होती है।” इसके बाद उन्होंने कन्या से विनोदपूर्वक कहा, “शहाजी तरा दुलहा है—क्या यह तुम्हें पसंद है ?” यह सुन कर मालोजी और चिटूजी ने वहाँ पर उपस्थित लोगों से कहा, कि इन बालकों के विवाह के विषय में जाधवराव ने अनुकूल मत दिया है, और इस बात के आप साक्षी हैं। परन्तु जाधवराव की पत्नी को वह बात नहीं भाई, और

उन्होंने उन दोनों भाइयों को नौकरों से हटा दिया । तब उन्होंने दो तीन हजार सिपाहियों की एक पलटन तैयार की, और फिर वे दौलताबाद के निकट एक स्थान पर पहुँचे, तथा कुछ सुँथर मारकर वहाँ की एक मसजिद में डाल दिये, और निजाम जो एक पत्र लिखा कि, जाधवराज और हम में एक करार हुआ है । उस करार के अनुसार यदि आप विवाह संबंध करने में सहायक न होंगे, तो इस मसजिद की तरह अन्य मसजिद भी हम नष्ट कर डालेंगे । अतएव निजाम ने जाधवराज को विवाह के लिये बाध्य किया, और उन दोनों भाइयों का अपना-आपना देकर, अपनी ही दर-भाल में, बड़े धूम-धडाके के साथ, विवाहोत्सव कराया । उस संबंध में कई घातें अपूर्व और अपवादक भी हुईं, पर इससे यह बात निश्चिन्ना है कि विवाह के त्रिपय में भी हिन्दू प्रजा मुसलमानों से सहायता लेती थी ।

पेशवा के युद्ध की वखर से भी ज्ञात होता है कि, धार्मिक विषयों में न्याय-व्यवस्था ही जाती थी, और उस पर पूरा पूरा अमल भी किया जाता था । एक बार तलेगाव की एक ब्राह्मण स्त्री से एक मुसलमान का संबंध हो गया । तब वहाँ के ब्राह्मणों ने इस बात की नाना फडनवीस में शिकायत की और "अप ब्राह्मण नष्ट हो चले" इत्यादि घातें कर कर उन्हें उत्तेजित किया । नाना को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर अंत में उमकी जाच करने के लिये पंच नियत किये । ज । मुसलमानों ने पंचों का अपनी ओर मिला लिया और यह मामला असत्य सापित करने का प्रयत्न कोशिश, कर लगे, तब सौ दो सौ ब्राह्मण पूना पहुँचे । उस समय पेशवा पेशवा के

युद्ध के लिये जाने को तैयार थे। परन्तु वे लोग दोपहर के समय हाथ में मशालें लेकर पेशवा के तबू के पास पहुँचे, और 'हरहर महादेव' की गर्जना की। पेशवा के पूछने पर उन्होंने कहा, आपके राज्य में अंधेर है और अन्याय हा रहा है, इसीने हमने दिन में मशालें जलाई हैं। इस पर पेशवा ने नाना फडनवीस को बुलवा कर पच्चों और उस अपराधी स्त्री की जाच की। पहले तो उस स्त्री ने चुप्पी साध ली, पर अंत में जब उसे दंड का भय दिखाया गया, तब उसने अपराध को स्वीकार किया। दण्ड में अपराधी मुसलमानों को तो गधे पर उलटा चढ़ाकर घस्ती में घुमाने और फिर उसे हाथी के पैरों में बँधवा कर मरवा डालने का हुक्म हुआ, और स्त्री को प्राणदंड देना उचित न समझ कर देशनिकाले की सजा दी गई।

उक्त घटना से मराठे राजाओं के धार्मिक अधिकारों का हाल बात हो सकता है। वे राजा शासक और धर्मगुरु के नाते कानून बनाते थे। पच्चों के द्वारा अपने निरीक्षण में फैसले करवाते थे। अन्यान्य सरकारी कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों के द्वारा होते थे, और कर्मचारियों के द्वारा नियंत्रण की पाबन्दी की देखभाल हुआ करती थी। जिन कागजों में उक्त घटना का उल्लेख है, उनमें महाराज शिवाजी से लग कर दूसरे माधवराव पेशवा के समय तक की घटनाओं की चर्चा की गई है। जो मराठे राजा धार्मिक अधिकारों के द्वारा फैसले करते थे वे क्षत्रिय माने जाते थे। जो ऐतिहासिक सामग्री अब तक प्रकाशित हुई है, उसमें ऐसे विषयों पर बहुत कुछ उल्लेख पाया जाता है। परन्तु उसमें शिवाजी के विषय में

जो कुछ लिखा गया है उससे ज्ञात होना है कि शिवाजी के क्षत्रिय हान की गान, राजनैतिक और उपयोगिता की दृष्टि से ही, समर्थनीय है, तो भी इस विषय में तत्कालीन सभी लोगों का एकमत नहीं था। सभामद और चिचनवीस रचित शिवाजी के चरित्रों में लिखा है कि, शिवाजी के घराने के मूलस्थान का खोज करने से पता चला है कि, उदयपुर के सीसेदिया राजपूत शासकों के ही वंशज थे। उनके राज्याभिषेक की-बान छिड़ने पर ही उनकी जाति और कुल के विषय में श्रवण हुआ। चिचनवीस का इतिहास तत्कालीन निश्चित सिद्धान्तों के ही आधार पर लिखा गया है। तो भी उसमें जाना जाता है कि अभिषेकोत्सव ही के लिये काशीजी से गामाभट्ट नामक पंडित बुलाया गया था। परन्तु जब उसने अभिषेक-विषयक मंत्रों का उच्चारण करने से इन्कार कर दिया, तब उसको राजनीति की बात समझाई गई, जिससे उसका समाधान हो गया, और फिर विधिपूर्वक राज्याभिषेक समाप्त हुआ। दूसरे एक और काय में शास्त्रार्थ की स्वीचाना करनी पड़ी। राज्याभिषेक हाने के पूर्व, क्षात्रधर्म के लिये, यज्ञोपवीत-सस्कार के किये जाने की आवश्यकता होती है, इसीसे शिवाजी की ४५ वर्ष की अवस्था में, जब उनके दो पुत्र हो चुके थे तब कहीं, उन्हें जनेऊ दिया गया। इस शास्त्र-प्रसिद्ध कार्य को करने के लिये सभी ब्राह्मण और पंडितों ने सम्मति दी। प्राच्य ऐतिहासिक सामग्री से शिवाजी के वंशजों के अतिरिक्त किमी को भी जनेऊ नहीं पहिनाया गया था, और वह भी उनके राज्याभिषेक के समय ही। ऐसी दशा में चिचनवीस और सभामद के इस कथन के विषय में, कि

शहाजी सीसेादिया जाति का था, या जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह न शिवाजी को क्षत्रिय मानकर उनके राज्याभिषेक के पूर्व ही उनसे राटी-व्यवहार किया था, किसी को आशका हा तो वह क्षत्रिय है। अनंतर सितारा के राजा, स्वालियर के संधिया, नागपुर के भासले, घोरपडे और अन्य मराठे सरदार भी क्षत्रिय होने का दावा करने लगे। परन्तु शिवाजी के चरित्राचलोकन से हमें उक्त दावे के विषय में आश्चय नहीं हाता। सभासद ने लिखा है कि, शिवाजी के श्रेष्ठ स्वगत के कारण गामाभट्ट लट्ट हो गये, और उन्होंने कहा कि "जय कि मुसलमान बादशाह सिद्दासन पर बैठ कर क्षत्र चामरादि चिन्ह धारण करते हैं, तब स्वपराक्रम स राज्य स्थापित करने वाले शिवाजी के राजचिन्ह धारण करने में क्या हानि है?" शिवाजी को यह युक्तिवाद बहुत ही भाया और उन्होंने राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। वस, उसी समय शिवाजी की जाति का पता लगाकर उनके क्षत्रिय होने का प्रतिपादन किया गया। इस विषय की सभी बातों को विचार करन से ज्ञात होता है कि, केवल राजनीति की दृष्टि से जो सिद्धान्त स्थापित किये गये था, उसी की प्रमाण-सिद्ध मानने के लिये परिस्थिति और धर्मशास्त्रांतर्गत नियमों का बुद्धिपूषक अवलोकन करके धर्म सिद्धान्त की पुष्टि की गई। जो सामग्री हमें प्राप्त है, उससे उक्त प्रकार की चालवाजी और न्यूनधिक महत्त्व के धार्मिक नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की कई घटनायें मालूम होती हैं। उदाहरणार्थ—शिवाजी जय दिल्ली के कांगार से, सभाजी-सहित भाग निकले, और दक्षिण में पहुँचने के लिये मार्ग में अनेक झड़वनें देखी, तब उन्होंने मार्ग में

काशीपंत नामक एक ब्राह्मण के यहा सभाजी को छोड़ दिया । वह ब्राह्मण सभाजी को अपना पुत्र बतलाता था, पर तौभी आरङ्गजेय के पक्ष के कुछ लोगों को आशंका हुई, अतः उनके उम्र भ्रम को मिटान के लिये उस ब्राह्मण ने स्वधर्म के विरुद्ध मुसलमाना न कहने पर, एक ही थाली में सभाजी के साथ बैठ कर भोजन किया, आर सभाजी, न प्राण बचाये । चित्र-गुप्त का कथन है कि उम्र ब्राह्मण न अपने दस कर्म पर प्राय-श्चित्त मा किया था । भोजन के समय, सभाजी, को यज्ञापत्री धारण करने का अधिकार न होते हुए भी, उस ब्राह्मण का रूम दिया गया था । अनंतर सभाजी को युराज बगान की इच्छा ही स शिवाजी न सभाजी का सन् १६७६ के लगभग यज्ञापत्रीत सरकार कराया था ।

शिवाजी के उरान में उक्त प्रकार की एक और घटना हुई थी । शहाजी की मृत्यु हो जाने पर जब उनकी पत्नी जीजाबाई सती होने लगी, तब शिवाजी ने माता को बहुत कुछ समझा कर कहा कि यदि तुम सती हो जाओगी तो मेरे भी अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं, जिससे बना बनाया महाराष्ट्र-साम्राज्य मिट्टी में मिल जायगा । यह सुन कर जीजाबाई न अपना आग्रह छोड़ दिया । इसी प्रकार की कई घटनाएँ पेशवाओं के समय में भी हुई । पेशवा ब्राह्मण थे, और युद्ध करने का उनका पेशा न हान पर भी, उन्होंने धर्म-शास्त्र का उल्लंघन करके, उसको स्वीकार किया था, परन्तु उम्रका इतना अधिक प्रचार होगया कि, उसके धर्म गह्वे होने की किमी को आशंका भी नहीं हुई । जब पहले माधव-राव, पेशवा रतान-सध्यादि में अधिक समय बिताने लगे, तब

पंडित रामशास्त्री ने उनके कर्म का निषेध करके कहा कि, तुमने क्षत्रिय का पेशा स्वीकार किया है, अतः ब्राह्मणकर्म का अधिक अवलंबन करना योग्य नहीं है। इस घटना से बात होता है कि, धर्मशास्त्र का उल्लंघन हेय नहीं, चरन् वह कभी कभी आवश्यक भी माना जाता था। इसी प्रकार को इसी पेशवा की, एक और भी बात कही जाती है। एक बार हैदर-अली पर चढ़ाई करने की तैयारी हो रही थी, अतः नियमानुसार अपनी फौज सहित सम्मिलित होने के लिये नागपुर के भोंसला को पेशवा ने सूचना दी थी। भोंसला का वकील पूना में था ही, अतः उसने मखाराम वापू से परामर्श चांहा। उस समय वापू सरकारी नौकर नहीं थे, तौ भी पेशवा के मुहरिंर के पास ही होने के कारण स्पष्टरूप से वे कुछ भी कह नहीं सकते थे। परन्तु उस मुहरिंर को ज्ञात नहोते हुए भोंसला के वकील को समझाने की उन्होंने एक युक्ति निकाली। वह इस प्रकार कि, वहा पर दो मज्जन शतरंज खेल रहे थे, उनमें से एकको सवोधन करके वापू ने कहा कि 'अजी देख क्या रहे हो ? सामने के प्यादे बहुत आगे को उढ गये हैं, इसलिये अपने राजा को एक दो घर पीछे दटाओ। भोंसले का वकील उस मकंन को संभक गया। उसने शीघ्र ही नागपुर को सदेशा भेजा कि "पेशवा की इच्छा के अनुसार आप पूना भत आइयेगा। अगर नागपुर से चल दिये हों—एक दो मुकाम आगे भी बढ आये हों—तौ भी पीछे लोट जाइयेगा।" इस पर भोंसले वापिस चले गये। माधवराव पेशवा के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि उनके विषय में कोई बात चाहे जितनी गुप्त रखी जावे, तौ भी वे उसे जान लेते थे, अतः भोंसले के वापिस लौटन

का भी उन्हें पता चल गया। तब उन्होंने उस घटना का यथार्थ हाल जानने के लिये थापू के पास रहनेवाले मुहरिंर को बुलाकर उससे यथार्थ हाल पूछा, और सच्ची बात मालूम हो जाने पर भोंसले के वकील को बुला कर कहा कि, "थापू की सलाह से ही तुम्हारे स्वामी नागपुर को वापिस चले गये हैं। परन्तु अगर वे पंद्रह दिन के भीतर यहा पर हाजिर न होंगे, तो तुम्हारे ब्राह्मण हाने का कोई विचार न करके तबू की भेख से तुम्हारा सिर फोडा जावेगा।"

इससे भी बढ़ कर एक और दृष्टान्त लीजिए। एक ब्राह्मण मुहरिंर न, परशुरामपत पटवर्धन के अन्तकाल का धर्मान करते हुए, लिखा है, "परशुराम भाऊ का अन्त अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने पेशवा की नौकरी करके अन्त समय तक क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन किया।" अच्छा यदि परशुरामपत को एक गृहस्थ ब्राह्मण समझ कर उनके उदाहरण को छोड़ मा दिया जाये, तो भी हम कायगात्र के पुरोहित और धावडसी के स्वामी के उदाहरण बतला सकते हैं। वे बड़े धर्म-निष्ठ ब्राह्मण थे। तो भी ऐहिक और राजनैतिक विषयों में त्रिलकुल फँसे हुए थे। धावडसी के स्वामी के विषय में दत्त-कथाओं, चरनों और प्राट डफ के इतिहास की टिप्पणियों के अतिरिक्त असली फागजात हमें नहीं मिले। परन्तु कायगात्र के पुरोहितजी के विषय में जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वे पेशवा को ब्याज पर रुपया देते थे, राज-नतिक बातों में उनका दखल था, और सुावर्जनिक कार्यों में भी यदा कदा वे योग देते थे।

पंडित रामशास्त्री ने उनके कर्म का निषेध करके कहा कि, तुमने क्षत्रिय का पेशा स्वीकार किया है, अतः ब्राह्मणकर्मों का अधिक अवलंबन करना योग्य नहीं है। इस घटना से ज्ञात होता है कि, धर्मशास्त्र का उल्लंघन हेय नहीं, वरन् वह कभी कभी आवश्यक भी माना जाता था। इसी प्रकार की इसी पेशवा की, एक और भी बात कही जाती है। एक बार हैदर-अली पर चढ़ाई करने की तैयारी हो रही थी, अतः नियमानुसार अपनी फौज सहित सम्मिलित होने के लिये नागपुर के भोंसला को पेशवा ने सूचना दी थी। भोंसला का वकील पूना में था ही, अतः उसने सखाराम बापू से परामर्श चाहा। उस समय बापू सरकारी नौकर नहीं थे, तौ भी पेशवा के मुहर्रिंर के पास ही होने के कारण स्पष्टरूप से वे कुछ भी कह नहीं सकते थे। परन्तु उस मुहर्रिंर को ज्ञात न होते हुए भोंसला के वकील को समझाने की उन्होंने एक युक्ति निकाली। वह इस प्रकार कि, वहाँ पर दो मज्जान शतरज खेल रहे थे, उनमें से एक को संबोधन करके बापू ने कहा कि 'अजी देख क्या रहे हो ? सामने के ध्यादे बहुत आगे धो बढ़ गये हैं, इसलिये आपन राजा को एक दो धर पीछे हटाओ। भोंसले का वकील उस मकत को समझ गया। उसने शीघ्र ही नागपुर को सदेश भेजा कि "पेशवा की इच्छा के अनुसार आप पूना मत आइयेगा। अगर नागपुर से चल दिये हों—एक दो मुकाम आगे भी बढ़ आये हों—तौ भी पीछे लौट जाइयेगा।" इस पर भोंसले चापिस चले गये। माधवराव पेशवा के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि उनके विषय में कोई बात चाहे जितनी गुप्त रखी जाये, तौ भी वे उसे जान लेते थे। अतः भोंसले के चापिस लौटने

का भी उन्हें पता चल गया। तब उन्होंने उस घटना का यथार्थ हाल जानने के लिये वापू के पास रहनेवाले मुहरिंर को बुलाकर उससे यथार्थ हाल पूछा, और सच्ची बात मालूम हो जाने पर भाँसले के चकील को बुला कर कहा कि, "वापू की सलाह से हा तुम्हारे स्वामी नागपुर को वापिस चले गये हैं। परन्तु अगर वे पंद्रह दिन के भीतर यहा पर हाजिर न होंगे, तो तुम्हारे ब्राह्मण होने का कोई विचार न करके तबू की मेज से तुम्हारा सिर फोडा जावेगा।"

इससे भी बढ कर एक और दृष्टान्त लीजिए। एक ब्राह्मण मुहरिंर ने, परशुरामपंत पटवर्धन के अन्तकाल का धर्यान करते हुए, लिखा है, "परशुराम भाऊ का अन्त अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने पेशवा की नौकरी करके अन्त समय तक क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन किया।" अच्छा यदि परशुरामपंत को एक गृहस्थ ब्राह्मण समझ कर उनके उदाहरण को छोड भी दिया जाय, तो भी हम कायगाव के पुरोहित और धावडसी के स्वामी के उदाहरण बतला सकते हैं। वे उडे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। तो भी ऐहिक और राजनैतिक विषयों में बिलकुल फँसे हुए थे। धावडसी के स्वामी के विषय, म. दत्त-ध्याओं, बखरों, शार प्राण्ड डफ के इतिहास की टिप्पणियों के अतिरिक्त असली कागजात हमें नहीं मिले। परन्तु, कायगाव के पुरोहितजी के विषय में जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनसे ज्ञान होता है कि, वे पेशवा को अथवा पर रुपया देते थे, राजनैतिक बातों में उनका दखल था, और सार्वजनिक कार्यों में भी यदा, कदा बंध योग देते थे।

साथ अन्त्य सम्कार करानेवाला कार्य भी न निकला । अतएव अन्त में साधारण रीति से ही अग्नि-संस्कार किया गया ।

धर्म के अन्य विषयों में भी अज्ञान उस समय था, जिसकी एक कथा प्रसिद्ध है। परन्तु यह किसी तरह उपर्युक्त अज्ञान का अपेक्षा क्षम्य है। जिन धावडशी के स्वामी का पहले बाजीराव पेशवा और अन्य लोग महापुरुष कहते थे, उनकी मृत्यु के विषय में उनकी जखर में लिखा है कि, यद्यपि स्वामी की मृत्यु हो जाने पर, स्मशान-यात्रा के लिए गये हुए ब्राह्मणों ने, हाथ में उक्त क्रिया की पोथी लेकर, वह सम्कार कराया, तो भी उनमें एक भारी भूल हुई। महाराजा शाह ने जब पूछा कि, 'संस्कार-यथाविधि हो गया?' तब ब्राह्मणों ने कहा, 'जी हाँ, पूर्ण हो गया।' पर महाराज को ज्ञात था कि, किसी स्वामी के समाधि लेने पर शव, स शव का मन्त्र फाड़ा जाता है, अतः उनके इस विषय में पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी भूल स्वीकार की। तब उसके अज्ञान के विषय में महाराज ने निषेध प्रकट किया। हमने इस अज्ञान को ऊपर क्षम्य वत लाया है, क्योंकि सर्वनाधारण के अन्तिम-संस्कार के समय के मंत्रों की सर्वदा आवश्यकता रहती है, अतएव ब्राह्मणों को उनका ज्ञान होना विशेष आवश्यक है। सन्यासियों के लिए यदा कदा काम पड़ता है, इस लिए यह क्षम्य है। तो भी तत्कालीन परिस्थिति के देखते हुए उक्त अज्ञान भी आश्चर्यजनक ही है।

उक्त प्रश्न की एक और बात कही जाती है। बापू गोबले के काका धोंडोपत, बोडी वाघ नामक पिंडारे के हाथों मार गये थे। उस समय बापू भी वही पर थे और वे भी कुछ

घायल हुए थे। बापू ने अपने काका का शरीर वहीं पर जला कर जाति-धर्म नियम के अनुरार क्रियाकर्म जग्न के लिये पूना गये। उस समय धोडापत की पत्नी ने उनका निषेध करने कहा, 'जब तक शत्रु का पूरा बदला न ले लिया जाय, उनका श्राद्ध-देहिक कर्म न किया जाय।' अन्त में जब वह शत्रु मारा गया, और बापू ने उसका सिर अपनी काकी लक्ष्मीबाई को दिखाया दिया, तभी उनकी क्रोधान्ति शांत हुई। और धोडापत का उक्त कर्म किया गया।

परशुराम भाऊ क चरित्र में एक महत्त्व की कथा है, पर प्रकाशित या अप्रकाशित अन्य ऐतिहासिक कागज़ों में उसकी चर्चा नहीं है। भाऊ की बयाबाई नामक कन्या का विवाह शारामती के जोशी के यहां पर हुआ था। विवाह के समय उसकी अश्वस्था केवल सात या आठ वर्ष की होगी। विवाह के अनंतर पंद्रह दिन के भीतर ही उसके पति की मृत्यु हुई। जब भाऊ ने यह घटना रामशास्त्री न्यायाधीश को सुनाई, तब उन्होंने कहा, 'इसका पुनर्विवाह करने में कोई हानि नहीं।' यहां तक कि काशी के विद्वानों ने भी उसके लिए सलाह दी थी। पर जब अन्त में भाऊ के इष्टमित्र पुनर्विवाह क पक्ष में न हुए, और समाज क विरुद्ध कार्य करने का उनको धैर्य न हुआ, तब उन्होंने वह विचार खगित कर दिया। परन्तु यह घटना इतिहास की दृष्टि से महत्त्व की है। परशुराम भाऊ पेशवा-दरबार के प्रतिष्ठित सरदारों में से थे। उनके जैसे उर्म-निष्ठ पुरुष का उक्त प्रकार के विचार से सहमत होना वास्तव में विचाराणीय है। रामशास्त्री जैसे परम पूजनीय और श्रेष्ठ खडित की, जिनकी उज्वल कीर्ति सार महाराष्ट्र साम्राज्य में

फैली हुई थी, इस विषय में सम्मति प्राप्त होना भी कम आश्चर्य-जनक नहीं, तथा काशी के विद्वानों की तत्प्रीत्यर्थ सहानुभूति प्राप्त करना और भी अधिक आश्चर्य की बात है । इससे तत्कालीन स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है । ऐसी दशा में भी भाऊ का अपने विचार-पथ से विचलित होना उस समय के हिंदू-समाज की दशा का अच्छा दिग्दर्शक उदाहरण है ।

इसी प्रकार की एक और भी कथा है । परन्तु उसके लिये भी कोई प्रमाण नहीं है । वह हम फावर्स साहब के 'पूर्वीय लोगों का इतिहास' से उद्धृत करते हैं । वे महाशय सन् १७६६ और उसके बाद भी कई वर्ष तक पश्चिमीय भारत में रहे थे । उन्होंने लिखा है कि, "राघोवा दादा ने जिन दो ब्राह्मणों को इंग्लैंड भेजा था, उनके वापस लौटने पर उन्हें एक उत्तम सुवर्ण के स्त्रीलिंग से पार करके निकलना पड़ा, जो खास तौर पर बनवाया गया था । उक्त विधि होजाने पर उन ब्राह्मणों की वानधर्म करना पड़ा, और तब वे पहले की तरह अपनी जाति में मिलाये गये; क्योंकि अपवित्र देशों में प्रवास करने के कारण उनमें मत्नीनता उत्पन्न हो गई थी ।" इससे सिद्ध है कि जब भारतवर्ष एकलुत्री ब्राह्मण-साम्राज्य में था, तब भी "काला पानी" लांघने के महान् पातक का प्रायश्चित्त से क्षालन हो सकता था । परन्तु आजकल तो, कई लोगों के मतानुसार, द्विज लोग समुद्रयात्रा करके प्रायश्चित्त कर लेने पर भी, अपनी जाति में सम्मिलित नहीं हो सकते । इस सिद्धान्त से तत्कालीन लोग और शासक पेशवा भी सहमत नहीं थे ।

उक्त उदाहरणों से ज्ञात हो जायेगा कि, तत्कालीन प्रचलित नियमों की कठोरता जानबूझ कर कमजोर की गई थी ।

परन्तु इसके विरुद्ध भी दो चार बातें लिखना आवश्यक है । प्राप्त सामग्री से पेशवा के घराने में कई बाल-विवाहों के भी होने का पता चलता है । पेशवाओं में बालानी बाजीराव नौ, उनके पुत्र विश्वासराव आठ, माधवराव नौ, नारायणगाव दस और दूसरे माधवराव नौ वर्ष की ही अवस्था में विवाहित हो गये थे । केवल पेशवा के ही घराने में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी, किन्तु नाना फडनवीस के आत्मचरित से भी ज्ञात होता है कि, उनका विवाह भी दस ही वर्ष की अवस्था में हो गया था । इसी प्रकार प्रथम पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह करने के भी सैकड़ों उदाहरण हैं । पेशवाशाही के अंत में स्त्रियों के विषय में जो महत्व की घटनाएँ हुई, उनमें भी, मित्ती सहित, एक सची प्राप्त हुई है । शाके १७२६, धावण शुक्ल १० को पूना में नागभूरी के पास विधवा-स्त्रियों के केश व्रत की विधि हुई थी । ऐसे अमंगल कर्मा का अधिक हाल-ज्ञान हाता, तो आवश्यक थी । विवाहोत्सव के अनंतर वेश्या का नृत्य होता था, और धर्मपत्निया ही नहीं, बरन् वैठाली हुई स्त्रिया भी सती होती थी ।-

उक्त सभी घटनाएँ और फुटकर बातें, जो एकत्रित करके हमने लिखी है, उनसे-पूर्वकालीन राज्यों के मराठा मंडल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का कुछ पता चलता है । आजकल की प्रचलित बातें उस समय भी किसी न-किसी अंश में थीं । ब्राह्मणी पद्धति का स्वाभाविक ही उस समय अधिक प्रभाव था । परन्तु पूर्व-परंपरागत नियमों का कई बार उल्लंघन किया गया था, और जैसा कि ऊपर कहा है, इसके लिए नवीन नवीन युक्तियाँ भी निकाली गई थीं । आजकल

लोग कहते हैं कि इस देश में अंगरेजी राज्य के कारण पश्चिमी विचारों के फैलने से ही धार्मिक और सामाजिक नियमों में शिथिलता आई है। परन्तु यह बात निर्मूल है। हमारी समझ से यह शिथिलता पहले से ही थी। उपर्युक्त एक वी उदाहरणों में, उनके जो कारण लिखे गये हैं, उनसे कहा जा सकता है कि, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जिन नियमों का पालन किया गया, वे मराठाशाही की परिस्थिति के भी योग्य नहीं थे। सम्भव है कि, प्रथमतः खास खास धर्मों में श्रयाग्यता देख पड़ती है, और उस समय प्रचलित नियमों का उल्लंघन हुआ हो। इस प्रकार जब एक बार एक जगह मार्ग निकल आता है, तब दूसरी जगहों में भी वैसे ही मार्ग बन जाते हैं— फिर परिस्थिति चाहे उतनी अनुकूल न हो, तो भी कोई चिन्ता नहीं।

जनरल को न मानने के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं उनमें कई ऐसे हैं, जो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में लीकर, पूर्ण विचार करने के बाद, स्वीकार किये गये, पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, किन्तु परम्परागत नियमों की सर्वसाधारण शिथिलता जो उस समय हुई होगी, वही उनका भी कारण होगी। हमारा विश्वास है कि यदि पेशवा का राज्य नष्ट न होता, तो उक्त दोनों बातों में अधिक सुधार, नियमित सीमा तक, अवश्य, और शीघ्र ही, होते। यदि स्वदेशीय राजा ही राज्य करते होते, कि जिनके अधिकार-नियमों का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, तो धार्मिक और सामाजिक सुधारों में कोई असुविधा उपस्थित न होती, और वे सुधार, कुछ प्रयत्न और

कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, अवश्य ही होत। पर अब चूकि अंगरेजों के समान विदेशी लोगों का राज्य हो गया है, और वे अपनी ही पद्धति के अनुसार शासन-व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उपर्युक्त विषयों में सुधार होने में कठिनाई उपस्थित हो रही है। हा, इनके राज्य में पश्चिमीय शास्त्र और कला, इतिहास और साहित्य की शिक्षा का जो प्रचार हुआ, वह स्वदेशी राजाओं के समय में न हाता। पर धार्मिक और सामाजिक सुधार तो, सुविधा के साथ, अवश्य ही होते।

। बहुत दिन पहिले ही सर हेनरी ससर मेन नामक विद्वान् पुरुष ने कह दिया है कि, ब्रिटिश न्यायालयों के स्थापित हो जाने से ही हिन्दू धर्मशास्त्र की प्रगति रुक गई। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि, ब्रिटिश राजवत्ता के प्रभाव के कारण हिन्दुओं की सामाजिक उन्नति भी रुक गई। इस विषय में विशेष विवेचन करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। तथापि इतना अग्रथ्य कहा जा सकता है कि, हिन्दू-समाज में पहले जा शक्तिया फार्म करती था, व ब्रिटिश राज्य के कारण निर्यत हो गई हैं, और वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रचार हो रहा है। उदाहरणार्थ—नाना फडनवीस ने जन-कठि के विरुद्ध, जय कमी जो उचित जेचा, बही करने की अनुमति दी। पेशवा के मान लेने पर ब्राह्मणों ने भी पेशवा के निषेध नहीं किया। नाना ने कहा, "अशोच के लिए फिर देखा जावेगा, इस समय तो भोजन कीजिय।" परन्तु पीछे उसका कोई विचार नहीं किया गया, और यदि उसके लिए शास्त्र देखे जाते, तो कुछ न कुछ प्रमाण अग्रथ्य मिलते, क्योंकि समाज में चतनता होती है, और वह हिन्दू-समाज में भी थी। सभी लोगों की संमति

स—चाहे वह गुप्त ही क्यों न होती,—पहले के समाज-व्यवस्था
 आवश्यक ही दीले हुए होते, और कुछ समय के अनंतर जनता
 प्रत्येक सुधार को पसन्द करती। जो हो, हमारी समझ में ता
 पेशवाओं के जमाने में, और साधारण तोर पर सारे महाराष्ट्र
 साम्राज्य में, उस समय वैसी दशा थी। परन्तु आनकल को
 सुधार-विषयक दशा में उक्त बात बहुत कम दिखाई देती है।
 और जहा ब्रिटिश प्राबल्य अधिक है, वहां पर तो सुधार की
 गति और भा मद है। देखिये, प० कृष्णशास्त्री चिपलूनकर,
 जो समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने एक युरोपि-
 यन मित्र के साथ बैठ कर जब जलपान किया, तब लोगों ने
 उनके विरुद्ध कैसा शोर गुल मचाया। उसके अनंतर भी एक
 और वैसी ही घटना हुई थी। इससे यह तो आवश्यक ही कहा
 जा सकता है कि जो कुछ सुधार हो रहे हैं, या हुए हैं, उनकी
 गति बड़ी मद है। इसके सिवाय, पेशवाई राज्य में सुधारों
 की जो चर्चा थी, उससे भी लोगों ने समुचित लाभ नहीं
 उठाया।

अब इस विषय को अधिक न बढ़ाकर यही समाप्त करते
 हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि, बिखरी हुई सामग्री को एकत्र
 करके पिछले काल की कुछ बातों पर प्रकाश डाला जावे।
 उपर्युक्त बातों से क्या शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, इसके
 विषय में विशेष विचार अथवा वादविवाद यहां न करके
 अन्यत्र ही किया जाय, तो विशेष उपयुक्त होगा। हा, यह
 पर एक बात का खुलासा कर देना आवश्यक है कि, इस
 निबन्ध में जो बातें लिखी गई हैं, वे सब पुराने कागज़ पत्रों
 से ही ली गई हैं। हा, हमने इस बात को जाचने का प्रयत्न नहीं

किया कि, कौन से कागज पत्र उस समय के हैं कि, जब उक्त घटनाएँ हुई, और कौन से कागज-पत्र पीछे के हैं। हाँ, इतना अग्रश्य कहा जा सकता है कि, उनमें से अधिकांश कागज-पत्र समकालीन नहीं हैं। पर इस विषय में विशेष खुलासा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं दिखाई देती। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोट ने प्राचीन ग्रीक लेखों के विषय में लिखते हुए कहा है कि "पडदा ही चित्र है।" सच्चा चित्र छिप गया है। उसके देख पड़ने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसी दशा में उस चित्र को ढक लेनेवाले पडदा का मूल्य ही उस चित्र के समान समझना चाहिये। क्योंकि सच्ची दशा जानने के लिए और कोई साधन ही नहीं। ऐसी दशा में जिन कागज-पत्रों से, कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से ही, कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उन्हीं कागज-पत्रों का सहारा लेना पड़ा है। ये सब कागज पत्र बहुत प्राचीन काल के हैं, और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनमें जो बातें लिखी हैं, वे कितनी महत्वपूर्ण हैं, इस विषय में यहाँ विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती।

चौदहवां परिच्छेद ।

पेशवाओं के रोजनामचों से कुछ वृत्तान्त ।

परिशिष्ट (२)

(यह नियन्ध स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानाडे, महाशय, न बम्बई को रायल एशियाटिक सासायटी, में ३० जून, सन् १९०० में पढा था ।)

गत दो तीन वर्षों से हमने अपने अप्पनाश का प्रायः सारा समय पेशवाओं के रोजनामचों के चुने हुए अवतरणों को पढ़ने में बिताया है। ये चुने हुए अवतरण मूल मराठी कागजी से राघुबहादुर चाडने निकाले हैं। महाराज शाह के रिहासनाकूट होने के समय से लेकर दूसरे वाजीराव पेशवा के राज्य के अन्तिम समय तक का वृत्तान्त उन अवतरणों में आ गया है। चाड महाराज ने अंगरेजी भाषा में उपर्युक्त अवतरणों का सार निकाल कर लिखा है, उसको मिला कर इन अवतरणों के लगभग बर्षस हजार पृष्ठ होते हैं। इनमें सन् १७०५ ई० से लेकर सन् १८१६-१७ तक के सौ वर्ष से कुछ अधिक समय का इतिहास आता है। इस लम्बे और कान्ति युक्त समय में महाराष्ट्र लोगों के इतिहास का जो मन्था स्वरूप था, उसको जानने के लिए इन अवतरणों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है। स्वयं महाराष्ट्र में जो बखरों के रूप में मराठों का इतिहास उपलब्ध है, और प्रांट डफ के समान आंग्ल इतिहासकारों ने जो ग्रन्थ मराठों के इतिहास

पर लिखे हैं, उनमें प्रायः राजकीय बातों का ही वर्णन विशेष पाया जाता है। परन्तु तत्कालीन-हिन्दू लोगों की दशा, उनका जीवनक्रम, उनकी उन्नति के कारण, उनके मनोरजन के साधन, उनके विचित्र विचार, उनकी श्रद्धा, उनका आचरण, उनके रीति-रवाज, इत्यादि विषयों पर इतने ग्रन्थों से अथवा पत्रों से बहुत ही थोड़ा प्रकाश पड़ता है—अथवा यह कहने में भी आपत्ति न होगी कि, उपर्युक्त विषयों पर इन ग्रन्थों से बिलकुल ही प्रकाश नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त उक्त ग्रन्थों में इन बातों का भी कोई स्पष्ट वृत्तान्त नहीं पाया जाता कि, स्वदेशी राजद्वय के आश्रय में राज्य व्यवस्था का क्या हाल था, लगान-मालगुजारी का कैसा बन्दोबस्त था, किलों का क्या प्रबन्ध था, आयकारी, नमक, कर इत्यादि विभागों से जो घसूली होती थी, उसकी आमदनी और खर्च कैसे होता था, सेना की तैयारी और उसके खर्च का वितरण कैसे होता था, जहाजी, बेड़ा किस प्रकार उड़ा करन थे, सरकार कर्जा किस प्रकार निकालती थी, दीवानी फौजदारी कानूनों का अमल किस प्रकार होता था, पुलिस, डाक, टकराल, जेल, धर्मादाय, नियुक्तियाँ, लाकोपयोगी कारखाने, दवाखाने, स्वास्थ्य, इत्यादि भिन्न-भिन्न विभागों का प्रबन्ध कैसा था, उद्योग-धर्मों को उत्तेजना कैसे दी जाती थी, विद्या की वृद्धि कैसे की जाती थी, इत्यादि। निस्सन्देह यह बड़े-कीतूहल की बात है कि अभी, सिर्फ मी चर्च हुए उपर्युक्त भिन्न-भिन्न विभागों की ओर हमारे स्वदेशी राजाओं का पूरा पूरा ध्यान था, और, राज्य-प्रबन्ध-सम्बन्धी विद्वत्-प्रेमों का, वे, बड़ी खूबी के साथ, हल करते थे। सामा-

जिन सुधार का कार्य भी उन राजाओं ने, अत्यन्त धैर्य के साथ, अपने हाथ में ले लिया था। परन्तु आजकल अवश्य ही ऐसा माना जाता है कि, इस काम से सरकार को कोई सम्बन्ध नहीं है। उपर्युक्त सब बातों के विषय में, पेशवाओं के दफ्तर में, बड़े बड़े अधिकारियों ने, जो सरकारी रोजनामों के लिये थे— और जो सौभाग्य से उपलब्ध भी है—वे बहुत ही अमूल्य हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कोई त्रुटि नहीं। फिर भी, जब कि और कोई श्रेष्ठ साधन उपलब्ध नहीं हैं, तब उक्त रोजनामों से ही इन बातों पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है कि, उपर्युक्त सौ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक महाराष्ट्र के लोगों में क्या 'हलचल' मची थी, उनकी महत्वाकांक्षाएँ क्या थी, उन पर कैसे कैसे सफट आये, उनकी शक्ति क्या थी, और उनमें दुर्बलताएँ क्या थीं। सचमुच ही यदि सद्-बोध और सन्मार्ग-प्रदर्शन की दृष्टि से देखा जाय, तो युद्ध और चढाइयाँ, राजघराने की बड़ी बड़ी घटनाएँ और राज्यक्रान्तियाँ, कि जिनका प्रायः अधिकांश इतिहासों में चाहुल्य रहता है, उनकी अपेक्षा इन रोजनामों का महत्व अधिक है।

हमारा विचार है कि हम इस निबन्ध के द्वारा अपने मराठा-इतिहास-प्रिय पाठकों को पेशवाओं के उपर्युक्त कागज-पत्रों का कुछ वृत्तान्त बतलावें। इन कागजपत्रों में अनेक ऐसी बातें हैं, जिनसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मराठा-मंडलों की घरावर उन्नति होती गई, और उसका प्रभाव सारे भारत में फैल गया। यहा तक कि सब देशी राजा लोग, मुसलमान, हिन्दू, सिख, जाट, खेले, राजपूत, काठियावाड़ी, गुजराती, पोर्चगीज,

निजाम, तैलंग और द्रविड देश का महाप्रतापी हैदरअली के मराठा-मडल के प्रभाव में आगया था। फिर उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा-सब धीरे धीरे टूट गया, और अन्त में बंहे रिलकुले नष्ट ही होगया। मराठों के इन्म उत्थान और पतन के कारणों का भेद भी हम यहा दिखलाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें पाठकों को हमारे इस निबन्ध के आशय को समझने में सुविधा होगी। शिवाजी के वंशजों के हाथ से जिस समय राज्य चला गया, और शाहू महाराज का स्वर्ग-गान होगया, तब मराठा-राजधानी का स्थान सितारे से पूने को लाया गया—बस, यही समय उस शताब्दी को दो भागों में विभाजित करनेवाली रेखा है। उसी समय से सारी सत्ता ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में आई। महाराज शाहू ने अपने अन्त समय में मृत्युपत्र लिख कर इस शर्त पर पेशवाओं को सारा राज्यप्रबन्ध सौंप दिया कि, पेशवा सब राजकाज देखें, सिर्फ महाराज का नाममात्र चले, और राजघराने की प्रतिष्ठा बनी रहे। आगे चल कर शाहू के वंशज रामराजा ने भी उक्त मृत्युपत्र को स्वीकार कर लिया, और इस शर्त पर पेशवाओं को सारा अधिकार सौंप दिया कि, सितारे के आसपास का कुछ प्रान्त स्वयं हमारी देखरेख में बना रहने दिया जाय। आगे चल कर मराठा की चढ़ाईयों के प्रचण्ड प्रवाह को रुक करनेवाली पानीपत का घनघोर सप्राम हुआ। इस सप्राम को ही उस शताब्दी के पूर्वार्ध की ऐतिहासिक सीमा कह सकते हैं। इसके आगे के साठ वर्षों में राजकर्ता पेशवा, और सम्पूर्ण महाराष्ट्र की प्रजा, इन दोनों की अनेक झुटियाँ, एक के घाद एक, दिखाई देती हैं; और यह भलीभांति मालूम होजाता है

कि सन् १८१७ में, जब कि सारा देश अंगरेजों के अधिकार में चला गया, उसके पहले ही-राष्ट्र की कैसी दुर्दशा होगई थी। इस अन्तर के स्पष्ट रूप से मालूम हो जाते पर यह बात भली भाँति ध्यान में आ जायगी कि, शिवाजी ने जिन सिद्धान्तों पर राज्य को स्थापित किया था, और उनके बाद राजागम और शाह के समय में-भी, अधिकांश में, जिन सिद्धान्तों का पालन किया गया था, उन सिद्धान्तों से पेशवाओं की राजकीय नीति कैसी च्युत होती- गई; और सच्ची राजनीति की ओर उनका ध्यान नहीं रहा, किन्तु उनके अन्दर इस पुरातन ब्राह्मणी भावना का प्रादुर्भाव होगया कि, जो कुछ है, हम ही श्रेष्ठ हैं; और हम सब से निराले हैं ! वस, इन्हीं कारणों से मराठा-साम्राज्य-वृक्ष में दीमक लग गई, और अन्त में वह वृक्ष समूल उखड़ कर गिर-पड़ा।

राज्य-रचना ।

मराठा-साम्राज्य में समय समय पर राज्य-रचना में जो फेरफार हुए, उनकी ओर पहले ध्यान देना चाहिए। एशिया-टिक सोसाइटी में "शिवाजी की राज्यव्यवस्था" पर हमने जो निबन्ध-पढा था, उसमें मुल्की और फौजी अधिकारियों— अर्थात् मुख्य आठ प्रधानों के राजमण्डल, या अष्ट प्रधानमंडल, का स्थूल स्वरूप कुछ विस्तृत रीति से हमने दिखलाया था। महाराज शिवाजी ने जो राज्यप्रबन्ध सदैव के लिए स्थिर कर दिया था, उसमें दो सरनौबत अथवा फौजी अधिकारी रखे गये थे। एक के हाथ में-रिसाले का आधिपत्य दिया गया था, और दूसरा पैदल सेना का अध्यक्ष था। पेशवा के हाथ में मुख्य-प्रधान-कार्य था, और मंडल के कायदों को

अमल में लाने का अधिकार भी उन्हीं के हाथ में था। पन्त-अमात्य के हाथ में महसूल और हिसाब का कामकाज था। जमा-खर्च और जाच पडताल का कार्य पन्तसचिव के हाथ में था, और परराष्ट्र-सम्बन्धी कार्य सुमन्त के हाथ में था। राजमहल की भीतरी व्यवस्था का कार्य मंत्री नामक एक और ही अधिकारी के हाथ में था। इनके अतिरिक्त न्यायाधीश और न्यायशास्त्री अथवा पंडितराव नाम के दो केवल मुल्कों अधिकारी थे। एक के हाथ में न्यायविभाग और दूसरे के अधिकार में धर्मशास्त्र का विभाग था। इनमें से एक भी अधिकार वंशपरम्परा के लिए नहीं था, किन्तु बार बार अधिकारियों की बदली होती रहती थी। उदाहरणार्थ—पेशवाओं का अधिकार लगभग सौ वर्ष तक भिन्न भिन्न चार घरानों के पुरुषों में रहा, परन्तु फिर इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के घराने में वंशपरम्परा के लिए होगया। पन्त-प्रतिनिधि, सचिव और मंत्री के पद तीन घरानों में रहे, परन्तु फिर ये भी एक ही घराने में आगये। सेनापति का पद पालकर, गूजर, मोहिते, घोगपड़े, जाधव, इत्यादि आठ भिन्न भिन्न योद्धा घरानों में रहा, परन्तु फिर इनके बाद दाभाडे के वंश में यह भी परम्परागत हो गया। नीचे दर्जे के अधिकारिमण्डल का भी ऐसा ही हाल समझ लीजिए। इस अधिकारिवर्ग का दर्जा यदि देखा जाये, तो ऐसा जान पड़ता है कि पन्त-प्रतिनिधि की अपेक्षा पेशवा का मान कम था। पन्तप्रतिनिधि का पद राजाराम ने, जिजी में रहते समय, नवीन ही रचा, और उस पद पर प्रह्लाद नीराजी की नियुक्ति की। प्रतिनिधि का वेतन १५००० होना और पेशवाओं का

१३००० होन था । मंत्री, सेनापति और सचिव । में से प्रत्येक को १००००० होन मिलते थे । न्यायाधीश को सिर्फ एक ही हजार मिलता था । पहले के पन्त-अमात्य कोल्हापुरवालों के यहाँ चले गये । इस लिए सिनारे के अमात्य अथवा राजाजा का अधिकार बहुत कम हो गया था । उपर्युक्त अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त कुछ भ्रंजाम और नकद नियुक्तियाँ भी थी । ये बड़े बड़े विभाग स्थायी रूप से स्थापित किये गये थे, और उन पर दीवान, मुजूमदार, फडणीस, सधनीस, कार-पाननीस, चिटनीस, और पोतनीस, इत्यादि छोटे छोटे अधिकारी नियत थे । इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में, और प्रत्येक बड़ी फौजी छांवनी में, दरकदार, दीवान, फडनीस, मुजूमदार, इत्यादि कुछ पद जोड़े गये । इन नीचे दर्जे के अधिकारियों की नियुक्ति प्रधान सरकार की ओर से होनी थी, और सेनापति के समान बड़े अधिकारी लोग सिर्फ उन लोग से काम भर लिया करते थे । नौकरी से पृथक् करने का भी उन्हें अधिकार न था । यही छोटे अधिकारी हिमायत तैयार करके प्रधान सरकार के पाम भेजते थे । कार्य का विभाग इस रीति से किया गया था कि, प्रत्येक अधिकारी का दबाव दूसरे पर रहता था; और प्रत्येक की प्रत्येक की गरज रहती थी । वह परस्परावलम्बन और परस्पर-अधिकार तत्व किलेबन्दियों में, जहाँजी घेडों में, और कर विभाग के सब बड़े बड़े कार्यालयों में भी प्रारम्भ किया गया था । किलों का प्रबन्ध यह था कि, वहाँ जितने बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, वे सब तीन जानियों से नियुक्त किये जाते थे । हवलदार अथवा नाइक मराठा जाति का होना था, सब-

नीस ब्राह्मण होता था, और कारखाननीन प्रभू जाति का रहता था। इसी राज्यप्रबन्ध के कारण मराठा साम्राज्य की उस महान् संकट से रक्षा हुई थी कि जो शिवाजी के मृत्यु के बाद उस पर उपस्थित हुआ था। यह बात सच है कि सम्भाजी ने इस अन्तर्व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, परन्तु राजाराम ने अग्रगण्य ही शिवाजी के आदर्श का पूरा पूरा ध्यान रक्खा था, और जिजी में रहते समय भी उन्होंने अष्टप्रधानों की स्थापना की थी। इसके बाद जब शाह महाराज सिद्दासनारूढ हुए, तब उन्होंने प्रधानों की बदली कर दी, किन्तु प्रधानमंडल जैसा का तैसा कायम रखा। प्रत्येक प्रधान के हाथ में उसका स्वतंत्र विभाग रहता था। इसके निधाय सेनापति का कार्य भी उसको करना पड़ता था। हा, न्यायाधीश और पंडितराव को फौजी काम नहीं करना पड़ता था। शिवाजी के शासनकाल में, तथा शाह महाराज के सिद्दासनारूढ रहते समय भी, प्रतिनिधि, सचिव, मंत्री और अमात्य ने, सेनापति और पेशवा के समाने ही, लडाईं में बहादुरी दिखला कर सरकार को सहायता दी थी। जब कोई विशेष अवसर आ जाता था, उस समय मल्लाह मशविरा के लिए भी इस प्रधान-मंडल की बैठक हुआ करता थी। प्रधान मंडल के विषय में इसे प्रचार का वृत्तान्त जगह जगह लिखा हुआ पाया जाता है कि, आज अमुक राजकीय नीति का प्रारम्भ किया गया, अथवा अमुक न्याय-इन्साफ किया गया, स्वदेश और परदेश में मराठा सरकार की इज्जत कायम रयी गई, इत्यादि। पहले बाजीराव पेशवा ने राज्यविस्तार की यह नीति, कि "दिल्ली तक घाघा

में सैन्य लेकर नहीं गये थे, परन्तु फिर भी सैन्य का संचालन उन्हीं की आज्ञा से हाता था। इसी प्रकार सेनापति की नियुक्ति अथवा बदली उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकती थी। सारा सरदारमंडल तो अवश्य ही पूर्णतया उनके कब्जे में था। दुर्गाई की लड़ाई होने के बाद पेशवा और दामांडे अथवा गायकवाड़ के मध्य गुजरात का जो परावर विभाग हुआ, वह शाहू महाराज के प्रयत्न से ही हुआ था। बालाजी बाजीराव पेशवा जब बंगाल पर चढ़ाई करने को निकले, तब रघूजी भासला ने महाराज के पामे-सितारे जाकर इस विषय में रुका सुनी की। बालाजी बाजीराव की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी-चढ़ी हुई थी। पर शाहू महाराज भी काफी गम्भीर मिजाज के थे। उन्होंने पेशवा की महत्वाकांक्षा को साथ लिया, और रघूजी भासला को अपनी सत्ता बढाने का मौका देने के लिए उन्होंने भारत के पूर्वीय प्रान्तों को बिलकुल ही छोड़ देने के लिए बालाजी को बाध्य किया। शाहू के समय में बाजीराव पेशवा एक जवन्दस्त सेनापति थे, और प्रतिनिधि, भासला, निम्बालकर, दामांडे, गायकवाड़, कदम, वाडे, आंग्रे, घोरपडे, इत्यादि सरदार लोग उनकी आज्ञा का आदर करते थे। परन्तु महाराज शाहू के बाद इस सरदारमंडली पर अकुश रखने वाला कोई न रहा, और पेशवाओं की कोई परगाह ही न करने लगा। जानोजी नानले और दमाजी गायकवाड़ पर पेशवाओं ने अपना दबाव रखा था। इस लिए सिफलाचारी-वश, बडी नाराजी के साथ, ये दो सरदार पेशवाओं के हाथ में रह गये थे। सच तो यह है कि पहले चार पेशवाओं को जो सुयोग प्राप्त हुआ था, वह फिर आगे के पेशवाओं को प्राप्त

नहीं हुआ। उसमें भी वे पेशवा, जो आगे चल कर गद्दी के अधिपति हुए, अगस्था में विलकुल छोटे थे, इसके सिवाय उस समय पूने में भीनरी भगडे भी बहुत शुरु हो गये थे। ऐसी दशा में गायकवाड़ और भोंसले भां राष्ट्रहित की ओर विलकुल ध्यान नहीं देते थे। यह सच है कि संधिया, दोरकर और पटवर्धन इत्यादि सरदार न बहुत दिन तक स्वामिभक्ति की रक्षा की थी, परन्तु इसमें विलकुल ही सन्देह नहीं कि पहले की समतोल सत्ता का सिद्धान्त अब प्राय विलकुल ही नष्ट हो चुका था। नाना फडनवीस ने बड़ी कोशिश की, उक्त सब सरदार अपना अपना निज का हित एक ओर रख कर राष्ट्रहित की ओर पहला ध्यान दें, पर इस कार्य में उनको भी सफलता प्राप्त न हुई। ये सब सरदार लोग परराष्ट्रों से शान्ति की सन्धिया करन अपनी अपनी निज की सत्ता बढ़ाने की धुन में लग गये। नाना फडनवीस ने फिर भां प्रयत्न किया कि सराई माधवराव क पीछे नितारे के राजा को सत्ता स्थापित कर दी जाय कि जिमसे उक्त भूल की दुरुस्ती हो जाय, पर अन्त में उनको भी यह बात उस समय असम्भव ही ही मालूम हुई। क्योंकि सरदार लोगों में अब काफी फूट हो चुकी थी, इस लिए अब फिर से एकता होना विलकुल देहां स्वीर थी। पेशवा लोगों ने यदि प्राचीन राजमंडल को कायम रख कर अपने को सिफ परम्परागत राजाओं का प्रतिनिधि माना होता, पहले की राष्ट्रपद्धति को अबाधित रखा होता और शिवाजी ने कुछ विशिष्ट पदों और अधिकारों के लिए जो अनिष्ट प्रकार के लोगों की नियुक्ति की थी, उनको यदि पेशवाओं ने व्यर्थ का महत्व न दे दिया होता, और उन्हीं

के द्वारा यदि सम्पूर्ण राज्य शक्य हो हाकने का प्रयत्न न किया जाता, तो कोई कारण नहीं था कि शिवाजी, राजाराम और शाह के समय में राजमडल ने जैसे बड़े बड़े महान् कार्य सम्पादन किये थे, वैसे इस ब्राह्मण राज्य में वह न करता। वन, शिवाजी महाराज की राज्य-व्यवस्था, और उसके स्थान में पूने में प्रस्थापित होने वाली पेशवाओं की नवीन सत्ता में जो मुख्य भेद है, सो यही है। और यह भेद यदि न पड़े गया होता, तो महाराष्ट्र साम्राज्य की जो दुर्दशा हुई, सो भी न हुई होती। यह भेद कोई मामूली भेद नहीं है; किन्तु यह एक ऐसा भेद है कि जैसे सजीव सर्वांगीण सुन्दर देह पर निर्जीव मांस के गोले में रूपान्तरित हो जाय। वस, इसी भेद के कारण मुसलमान राज्यकर्ताओं की भांति मराठों में भी "अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग" की कहावत चरितार्थ होन लगी। छत्रपति शिवाजी ने राजमडल की स्थापना करके जिस घातक पद्धति को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया था, और जिसमें उन्होंने पूरी पूरी सफलता प्राप्त की, वही आत्मघातक पद्धति पेशवाओं के शासनकाल में फिर जारी हो गई।

जाति की बड़ाई ।

शिवाजी और शाह के शासनकाल और पूने के पेशवाओं के शासनकाल में एक और भी बड़ा भारी अन्तर दिखाई देता है, और वह यह है कि, पहले शासनकाल में प्रायः अधिकांश बड़े बड़े फौजी अधिकारी मराठा जाति के थे। सिर्फ पेशवा ही ब्राह्मण थे। परन्तु दूसरे शासनकाल में सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग प्रायः ब्राह्मण ही थे। पहले के "स्वार्थीनता के युद्ध" में वमाजी जाधव और सन्ताजी घोरपडे मराठों के

प्रभिद्ध सेनापति हुए । निम्बालकर, अतोले, भोंसले, पवार, आग्ने, दाभाड, सत्वाग ने लड़ाई में बड़ी शूरता दिखालाई । इन्हीं लड़ाई के कारण शाहू महाराज की, निनार को नदी पर, स्थापना हुई । शिवाजा के समय में मोरोपन्त पिंगले, हनमन्ते, थावाजी नागदप, दत्तो अन्नाजी इत्यादि रणशूरवीरों ने, तथा गूजर, माहिते, पालकर, करू, मालुम्बर इत्यादि थोड़ाओं ने भी अपना शौर्यवीर्य प्रकट किया । स्वार्थीनता के युद्ध में ब्राह्मण लोगों ने अपना कोशल राजनीति सलाह-मन्त्रिरे में ही दिखलाया था । नमरागण में उनकी प्रभिद्धि कभी नहीं हुई थी । दूसरे पेशवा बड वाजीराव के समय में भी महाररात्र हालकर, पिलाजी जावय, राणोजी मंधिया और उनके तीन लड़के, इत्यादि मराठा जाति के ही लाभ अगुवा थे । वालाजी राजीराव अथात् नाना साहय पेशवा के समय में भी मराठे सरदारों को ही श्रेष्ठता कायम थी । ब्राह्मण राजनीतिक सिर्फ मुल्की काम पर थे । हा, पेशवा घरान के लोग अग्रथ ही याद्धा का काम करते थे । पर जय न्न राजधानी का शहर पूना नियत हुआ, तभी से सारा कारोबार बदल गया । सन् १७६० के बाद जितने प्रतिष्ठित सरदार हुए, और जिन्होंने नवीन मुक्त जाता, सय प्राय ब्राह्मण ही थे । पूने के दरवार में प्रभू लागी का भी महत्त्व नहीं रहा । हा, बडौदे और नागपुर में अग्रथ ही प्रभू लोगों की बहुत कुछ चलती थी । इन्हीं प्रकार श्रेणवी और गौड सारस्वत ब्राह्मणों का प्रभाव संधिया क प्रदेश में बढ़ रहा था । इससे अग्रथ ही इन्दौर, बडौदा, ग्वालियर और नागपुर में ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो गया था । परन्तु जब हम महाराष्ट्र को और दृष्टि डालते हैं, तब चहा

हमें ब्राह्मणों की ही उन्नति, पेशवाओं के राज्य में, दिखाई देती है। विचूरकर, राजगहादुर, भुसकुटे, बुखेर, कानडे, पानशे, जिर्नीवाल, पटवर्धन, मेहंदले, गोवेहेरे, लागू, राम्ते, फडके, पेठे, इत्यादि के अतिरिक्त अनेक छोटे-बड़े ब्राह्मण सरदारों का नाम हमारे कथन का र्थनार्थ दिया जा सकता है। इन ब्राह्मण लोगों की आगे यह दशा हुई कि, इनमें से देशस्थ ब्राह्मणों ने तो राघोबा का पक्ष लिया, और 'कोणस्थ ब्राह्मण नाना' फडके इत्यादि पूने वालों के पक्ष में रहे। सयाराम बापू, जिर्नी और हिमणे राघोबादादा के पक्ष में मिल गये, और अन्य ब्राह्मण लोग उनका विरुद्ध हुए गये। आगे चल कर राघोबादादा के पुत्र दूसरे बाजीराव पेशवा पद पर आये तब नाना फडकेवाले और उनके अनुयायियों से उन पटी। यही नहीं, बल्कि पटवर्धन, राम्ते और नाना फडके को भी बाजीराव साहब अच्छी निगाह से न देखने लगे। समय के सरदार लोगों के मन में जो यह जातिभेद का फिर उसमें भी जाति जाति के उपभेदों का, जो भा हो गया, यही उस अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ध्यान में रखने योग्य बात है। सरदार लोगों में दलबन्दी आई थी; और फिर उस दलबन्दी में भी लोग आपस में 'दले' लगे थे, इस कारण शिवाजी, राजाराम और समय में जिस प्रकार सब जाति के और सब श्रेणियों के ने एकत्र मिलकर अनेक महत्कार्य सम्पादन किये थे, प्रकार अथवा सब लोगों में परस्पर सहानुभूति और काँ बनी उत्पन्न होना बिल्कुल अस्मभन्न हो गया था।

आश्चर्य की बात है कि उस शताब्दी के पूर्वार्ध में उस जाति-मत्सर और उपजातिमत्सर का नाम-निशान भी न था। पर, उत्तरार्ध में दूसरी ही दशा उपस्थित हो गई। जातिमत्सर की इतनी तरकी हो गई कि फिर से ए-ता का होना तिलकूल असं-भय ही हो गया, और राष्ट्रहित के बदले अपनी ही तूथी भरने की ओर प्रत्येक प्रयत्न सरदार प्रयत्न करने लगा। इस समय ग्राहण लोगों का तो विभाग ही आसमान पर चढ़ा हुआ था। वे समझने थे कि उस, सब्जे, राज्यकर्ता तो हमी है, हमको अन्य जातियाँ की अपेक्षा विशेष अधिकार और सुविधाएँ होनी चाहिए। शिवाजी की राज्य-चना में इन मूढ़ भावनाओं का लक्षमात्र भी न था। परन्तु अब पेशवाओं को देखिये। पेशवाई में सम्पूर्ण दक्षिण के जमाखर्च इत्यादि का काम जोरु राय्य ग्राहण के ही हाथ में था। इस विभाग में अन्य किसी की नियुक्ति ही न होती थी। उक्त ग्राहण कर्मचारियों को वेतन भा बहुत भारी दिया जाता- था। तिस पर भी वे लोग बाहर, से यदि अनाज, अथवा अन्य कोई माल मँगाते, तो उनसे उस माल पर किसी प्रकार का कर भी नहीं लिया जाता था। कल्याण प्रान्त और मावल प्रान्त में जो ग्राहण जमी-दार थे, उनसे जमीन की मालगुजारी भी अन्य जाति के जमी-दारा से आधा, अथवा इससे भी कम, ली जाती थी। फाजदारी बचहरा में तो ग्राहण को कानून की सब न अन्त ही सजा, अर्थात् देहान्त-दण्ड देने की कभी चाल ही न थी। बल्कि इसके विरुद्ध ग्राहण अभियुक्त ऐसे दण्ड के विरुद्ध अपील भी कर सकता था। किलों में यदि वे कभी कैद भी गिये जाते थे, तो अन्य जाति के कैदियों की अपेक्षा उनके साथ विशेष

उदारता का धर्नाय किया जाता था। इन रियायतों के अतिरिक्त ब्राह्मणों को धर्मादाय में सरकार उदारतापूर्वक दान भी खूब देती थी, क्योंकि यह जानि बहुत पवित्र मानी गई है। इस प्रकार की अनावश्यक रियायतों के कारण जो बुरे परिणाम घटित हुए, उनका परिचय पिछले बाजीराव के समय के रोजनामचों से मलीभाति मिलता है। 'दक्षिणा' दान का विचार चाम्तर में विद्यावृद्धि के लिए रखा गया था, पर आगे चल कर तो यह दक्षिणाफड सब ब्राह्मण भिक्षुओं के धर्मादाय के लिए ही हो गया, और फलतः बहुत जल्द पूना शहर में निरुद्योगी भिक्षुओं के झुंड के झुंड जगह जगह दिखाई पड़ने लगे। बटे बडे उत्सवों में तो बहुत दिनों तक तीस से चालीस हजार तक ब्राह्मणों को पच-पचासी भोजन कराया जाता था। और यह सब खर्च पेशवा सरकार का ही था। ब्राह्मण जाति की बटाई की ऊपर जो मिन भिन्न बातें बतलाई गई, वे उस शताब्दी के अन्तिम समय में तो बहुत ही अधिक बढ़ गई थीं। इस कारण राष्ट्र को जो अवनतावस्था प्राप्त हुई, उसकी वारतधिक कल्पना बहुत ही कम लोगों को हो सकती है। पहले जो लोगों का खयाल था कि सरकार सब जातियों का बराबर ही पालन करने वाली है, और सब को समान ही न्याय देने वाली है, सो यह खयाल उस समय लोगों को दूर हो गया। महाराष्ट्र साम्राज्य की, थीसमथ रामदास स्वामी की प्रचलित की हुई उच्च भावना लुप्त हो गई, और अथ पेशवा सरकार अपना मुख्य कर्तव्य गो-ब्राह्मणों का प्रतिपालन करना ही समझने लगे। इस प्रकार उच्च और श्रेष्ठ गुणों का ह्रास हो गया। ऐसी दशा में उसके स्वाभाविक परिणाम भी

यदि महाराष्ट्र को भोगने पड़े, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

फौज ।

फौज के विषय में भी शिवाजी की प्रणाली और पेशवाओं की प्रणाली में बहुत अन्तर दिखलाई पड़ता है। मराठा फौज को यदि महाराष्ट्र का पूरा पूरा प्रतिविम्ब कहा जाय, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। पूने के आसपास के और काफन प्रान्त के किले शिवाजी ने मायलों और हटकरी लोगों की सहायता से ही अधिग्रहण किये थे। उस समय की शिवाजी महाराज की फौज सिर्फ 'पेदल' ही थी। उनके हथियार तलवारों और तोडेदार गन्दूकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। आगे चलकर जब वे शत्रुओं का सामना करने लगे, तब शत्रुओं पर हमला करने का मराठों का साधन घुडसवार सेना हुई, पर पहले के मायलों और हटकरीयों को उन्होंने नौकरी से अलग नहीं किया किन्तु उनको पहाड़ी किलों के गन्दे-बमन पर रक्ष दिया। शिवाजी के घुडसवारों ने औरगजेय की मुगल सेना का मुकाबला करके सारे भारतवर्ष में मराठों के नाम का आतक उत्पन्न कर दिया। ये घुडसवार केवल माडे के टट्ट ही थे—पेस। कदापि नहीं रुहा जा सकता। चाहे जाडे के दिन हों, चाहे गर्मी के दिन हों, वे अकेले ही, अथवा अपने अपने घोडा और आगमियों के साथ, फौज में आकर भरती हात थे, और घरसान क लगते ही अपने अपने घर जाकर अपने पूर्वजों की जमीन जातने वीते थे। बड़े बड़े आनदानी लोगों का भी शिलेदार और थारगीर बनने में अपना गौरव जान पड़ता था। और उनके अधिकार में जितने ही अधिक सिपाही अथवा जितने ही अधिक दल होते थे, उतना ही

उनको विशेष अभिमान मालूम होना था। सैन्य की भरती में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होती थी। जहाँ लड़ाई का विगुल बजा कि तुरन्त ही 'नालबन्दी,' अर्थात् घोड़े और घुड़सवार के खाने-पीने तथा अन्य सामान के लिए अग्रिम द्रव्य दिया जाता था। प्रत्येक सवार का नायक अलग रहता था। वह जितना लेजाता, उधर ही सवार जाने का तैयार रहता था। इस प्रकार सन् १७५० ई० तक मराठा घुड़सवार मराठा फौज की एक मुख्य शक्ति माना जाता था। परन्तु जब अंगरेजों और फ्रेंचों की सेना के साथ युद्ध करने का अनुभव हुआ, तब यह मालूम हुआ कि नियमित शिक्षा देकर तैयार की हुई पैदल सेना और उसके साथ अर्वाचीन युद्धपति का तीसरा अस्त्र तोपखाना ही विशेष उपयोगी है। मराठों ने जब देखा कि अंगरेजों और फ्रेंचों को इस शिक्षित सेना के कारण ही विजय मिली, तब उन्होंने भी उसी पद्धति का अनुकरण करना उचित समझा, और गार्दी लोगों की पलटन सज्जी की गई। परन्तु मराठा सैन्य की इस नवीन तैयारी में एक दोष था। वह यही कि पहले के मावलों और शिलेदारों के पास कुछ जमीन रहती थी, और सरकार को नौकरी वे सिर्फ भाड़े के टूट्टू ही बनकर नहीं करते थे; किन्तु स्थायीरूप से उनका उपयोग होता था। अर्थात् जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, तभी ये लोग अपने अपने धंधे से फुरसत पाकर लड़ने का तैयार रहते थे। परन्तु गार्दी लोगों का यह हाल न था। वे तो केवल वेतनभोगी नौकर होते थे, अनक जाति के परकीय सिपाहियों की उनमें भरती होती थी, और बारह महीने उनको निश्चित वेतन देना पड़ता था। इनके

अनिरिक जो सेनापति उनके वेतन वाटना, उसी की आज्ञा में रहना वे जानते थे, राष्ट्रीयता किम्विदिये का नाम है—सा उन्हे स्वप्न में भी मालूम नहीं था। मद्राशिवराय भाऊ न पहले पहल जो गार्दी पलटन तैयार की थी, उसमें उस पलटन के निकाले हुए लोग थे, जो अग्निद्व. इब्राहीम गार्दी के अधिकार में फ्रेंच लोगों ने तैयार करवाई थी। उस इब्राहीम-खा पर, भाऊ साहब का विश्वास भी खूब था। पानीपत की लड़ाई के समय मराठे सरदारों ने भाऊ साहब को यह सलाह दी कि शत्रु के सामने ही अपनी छावनी डालकर अफगान लोगों के साथ आमन सामने से मुठभेड़ करना उदात्तरनाक बात होगी। अतएव श्रीमान् का ऐसा सादस न करना चाहिये। परन्तु भाऊ साहब को यह सलाह पसन्द नहीं आई, किन्तु उन्होंने इब्राहीम गार्दी की सम्मति का ही आदर दिया, परन्तु उस अनावश्यक विश्वास के कारण उस लड़ाई में मराठों की कौसी दुर्दशा हुई, सा इतिहास के पढ़नेवालों से छिपा नहीं है। परन्तु फिर भी मराठा न उससे कुछ उपदेश ग्रहण नहीं किया। आगे चलकर दस वर्ष के भीतर ही यूरोपियन पद्धति से तैयार की हुई कनेक पलटन दिखाई पड़ने लगी। गार्दी पलटन में अरब, सिद्दी, अगिसीनियन, मिर, इत्यादि बाहरी लोगों की खूब भरती होगई। इन लोगों के वेतन शिलेदार घुडसवारों के समान ही मिलता था। इन्हीं गार्दी लोगों ने द्वारा जय नारायणगढ़ पेशवा का खून हुआ, तब वही मराठा को इस बात का अनुभव हुआ कि ये लोग सिर्फ भाड़े के टट्टे हैं। इनके बाद कुछ समय के लिए इन लोगों की भरती बन्द होगई। परन्तु इस शिक्षित पलटन से लाभ भी

नहीं रहा था, बल्कि बहुत सा द्रव्य उन्होंने निजी तौर-पर भी एकत्र कर लिया था।

आमदनी की व्यवस्था ।

बालाजी दाजीगाव, माधवराव और नाना फडनवीस के समय वसूली की व्यवस्था बहुत उत्तम थी। आमदनी के नवीन नवीन साधन उत्पन्न करके पुराने साधनों में भी सुधार किया गया था। पेशवाओं के समय की लगान मालगुजारी की पद्धति से यह जान पड़ता है कि, उस समय प्रजा पर जुल्म न करत हुए सरकार के सब अधिकारों को बचाने में विशेष सावधानी रखी जाती थी। आवश्यकता के समय प्रजा को तीन से लेकर सात वर्ष तक की मुहलवन्दी पर जमीन जोतने-बोने को दी जाती थी, और उसका लगान क्रमशः घटाया जाता था। किसानों के असमर्थ होने के कारण जो लगान शेष रह जाता था, उसको वसूल करन का कभी प्रयत्न न किया जाता था, किन्तु इसके विरुद्ध प्रजा की दशा की ओर, और सम्पूर्ण राष्ट्रोन्नति की श्राव, ध्यान रख कर ऐसा लगान ठहरा लिया था कि, जो वास्तव में वसूल हो सकता था, और इस कारण आमदनी में घाटा भी रहता था। युद्ध और दुर्भिक्ष के मौकों पर यदि यह विश्वास हा जाता कि, लोगों की शिफामूर्ति उचित है, तो उपर्युक्त निश्चित लगान में भी बहुत कुछ छूट मिल जाती थी। जहाँ जहाँ बाँटारे अथवा खड़ी फसल लेन की पद्धति थी, वहाँ वहाँ बयाना और रैयत का अन्य अर्चा छोड़ कर, आर्धा अथवा एक-तृतीयांश फसल रैयत के लिए रख कर जोय सरकार स्वयं लेती थी। शिवाजी के शासनकाल में यह परिमाण तीन पंचमांश और दो-पंच-

माश था, अर्थात् तीन-पंचमाश प्रजा के लिए रखकर द्वा-पंच-माश सरका लती थी। दक्षिणी कोरन में प्रति बीघे दस मन धान लन की चाल थी। कितने ही परगनों में जय प्रजा ने यह शिकायत की कि उक्त लगान का परिमाण अधिक है, नव दस मन से घटा कर ना और आठ मन तक कर दिया गया। जब नकद द्रव्य की आवश्यकता हानी अथवा नकद द्रव्य देना गियाया के लिए सुभाते भी गत होती, तब फसल देखकर, पैदावार के अनुसार, यथाचित लगान लिया जाता था। उत्तरी राकन में, प्राइनों में प्राय बहुत कम परिमाण में लगान लिया जाता था। नीरा ताल्लुके का जमाग्रन्दी करते समय, जमीन की उत्पादनशक्ति दृष्ट कर, प्रति बीघे तान स पाच रुपय तक लगान लगाया गया था, और जहा इम की खेती होती थी, वहा पाच रुपया बीघा लगान लगता था। नासिक परगने और पिपलगाव सम्बन्ध में नकद लने की चाल थी। वहा काली जमान पर प्रति बीघे दो रुपया, मामूली, जमीन पर एक रुपया धार फलफलदारा भी जमीन पर पाच छै रुपया प्रति बीघा लगान लिया जाता था। अन्तिम बाजोगाव के समय में घूना जिले के खेड ताल्लुके में प्रति बीघा तीन रुपया लगान लिया जाता था। सितारे जिले का कुछ भाग चूकि उपजाऊ नहीं था, इन कारण जमीन की शक्ति देख कर प्रति बीघे पौन टा से छ मन तक लगान लिया जाता था। गुजरात में लगान की दर अधिक थी।

छूट ।

यदि किसी साल फलत अच्छा ग हाती, तो छूट भी काफी परिमाण में दी जाती थी। पहल की भूमिकर-प्रणाली

में खड़ी फसल पर ही लगान लिया जाता था । अतएव दुर्भिक्ष के साल में आमदनी में बहुत घाटा रहता था । इसके अतिरिक्त बार बार छूट देने के लिए भी बहुत पड़ो वड़ी रकम घाटे में डाली जाती थी ।

‘कमाविसी’ पद्धति ।

दूसरे बाजीराव क शासनकाल क आरम्भ में आमदनी की स्थिति कमाविसी पद्धति पर चल गयी थी । अर्थात् जमाविसदार अथवा तहसीलदार, उसकी अन्य सटला और आवश्यक सब सच सरकार स मिलता था, अर्थात् साधारणतया सब आमदनी स सादस फी सदो उक्त खर्च होना था । कारकुन लागों की सरया, उनका वेतन, तथा लष्कर, अर्थात् घुडमजार आर निपाहियों का वेतन अनुमानपत्रक में निश्चित रहता था । अतएव प्रजा पर जुल्म करने की नीयत उस कमाविसदार या तहसीलदार को नहीं आने पाती थी । यदि वह जमावन्दी भी करता, तो उस सूना अथवा सरसूना नामक श्रेष्ठ अधिकारी की स्वीकारी लेनी पडती थी । इसके सिवाय जमीदार, पटेल, कुलकर्णी या पटवारी और प्रजा के लोग यदि उक्त अधिकारी के वर्तमानके विषय में किसी प्रकार की शिकायत करते थे, तो फिर उसे नौकरी से अलग कर देते थे, अथवा यथाचित दण्ड देते थे । इन कमाविसदारों की नियुक्ति सिर्फ एक वर्ष के लिए हुआ करती थी । परन्तु यदि उसका वर्तमान अच्छा दिखाई देता था, तो आगे के लिए भी उसी की नियुक्ति हो सकती थी ।

इजारे या ठेके की पद्धति ।

दूसरे बाजीराव क शासनकाल में कमाविसी पद्धति को

धना बतया गया, और उसकी जगह इजार की पद्धति, प्रथात् ठेके से आमदनी प्रसूल करने की प्रणाली जारी हुई। इजारेदार अपना निज का खर्च सरकारी लगान और खुद पेशवा का कुछ निजी देना निकाल कर, फिर जो कुछ बच जाता, वह इजार में लेता था। ये निजी रकमें सरकारी हिसाब में न रखत हुए पेशवा के निजी विभाग में जमा होती थीं। अन्तिम पेशवा का चलाई हुई इस अनुचित प्रणाली को यदि हम छोड़ दें, तो देशी राजाओं प्रथवा अंगरेजी राज्य की सउ उत्तम व्यवस्थाओं के समान ही मराठा साम्राज्य की रुमाविली पद्धति भी उहुन उत्तम रीति से चलती रही। उपर्युक्त पद्धति के दोषों से प्रजा की अपेक्षा सरकार का ही विशेष नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा महाराष्ट्र में, उपजाऊपन को देखते हुए, प्रजा विशेष सुखी थी। इस बात को ग्राट डफ साहब न भी स्वीकार किया है।

बसूली की सुविधा के लिए विभाग ।

महाराष्ट्र १० सूबों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सूबे में परगने अथवा वर्तमान तालुकों का समावेश था। सूबों के नाम — (१) यानदेश में बागलान सहित ३० परगने थे (२) नीमाड प्रांत, हंडिया ५ (३) पूना और अहमदनगर ७ (४) कोरन १५ (५) गगथडी नासिकप्रदेश मिलाकर २५ (६) गुजरात प्रांत २० (७) कनाटक (८) सितारा, वाई और कराड मिलाकर (९ और १०) सायर सूबे पूना और जुन्नर, कल्याण और भिवडी (११ और १२) दा जलसना-सूबे, त्रिजयदुर्ग और बसई ।

ग्राम-व्यवस्था ।

ग्राम-व्यवस्था में सरकार विलकुल हस्तक्षेप नहीं करती थी। लगान वसूली के लिए पटेल और कुलकर्णी (पटवागी) जिम्मेदार थे, और उनके वेतन सरकार की ओर से नहीं, बरन् राहदारी ही बाहर मिला करते थे। एक वर्ष का लगान वसूला रहने पर साहूकार लोग किसानों से जमानत लेते थे। इसका अतिरिक्त किसानों पर भी जिम्मेदारी रहती थी। माराण, देश में गाँवों के लोग सुखी थे।

वेतन और भाव ।

नौकर-चाकर और सिपाहियों का वेतन ३ रुपया से लगानर ७ रुपया तक होता था, और श्रेष्ठ कारीगरों को, आज-कल के बड़े बड़े नगरों को छोड़कर, अन्य स्थानों की तरह, छैं आन स लगाकर दस आन तक रोजाना मिलता था। मुहारिरा का वेतन प्राय ७ रु० से १० रु० मासिक तक होता था। अनाज के भाव में वर्तमान काल की अपेक्षा बड़ा चढ़ाव-उतार होता था। परन्तु ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज का भाव अन्न की अपेक्षा कई गुना सस्ता था। अन्न स कुछ वर्ष पहले वेतन की जो शरह था, उससे आधा उन्न ममय दिया जाता था, परन्तु अनाज कई गुना सस्ता था। इसीसे लोग धनसंपन्न थे। मीपण अकाल पडने का कहीं भी उद्भव नहीं पाया जाता। हा, छोटे मोटे, सो भी कहीं कहीं, अनाज सुनाई देते थे। अन्न के प्राप्ति पर चढाइयां करने के कारण मराठी नो बहुत सा द्रव्य मिलता था। इसीसे मराठाशाही में लाभदायक रोजगार भवे घटते से हुआ करते थे, इससे जमीन सम्बन्धी व्ययवा अन्य करों का लोगों को बोझा नहीं मालूम होता था।

हा, युद्धों के कारण उनडे हुए नीमान प्राणों के लिए तो वे अग्रगण्य ही अस्सह मालूम देते थे। अन्याय भी बहुत कम दिखाई पड़ता था; क्योंकि उनके दालने के साधन लोगों के ही हाथों में थे। अन्यायी या ता' निकाल दिये जाते या कुछ काल के लिए उम प्रात से निर्वासित कर दिये जाते थे।

तगाई ।

बीज-पिनपारं वा रेल बंगौरह बगीदने के लिये कई प्रकार की रियायत थी; और आग स घा जल जान पर तथा कृषि की उन्नति के लिए भी पेशवाशाही में तगाई बन नी प्रथा थी।

लोकोपयोगी कार्य ।

पानी के बांध, चढाव के मार्ग, नदी के तट पर घाट बनाना, तालाब खुदवाना, चर्तों में पानी की सुविधा, आदि काया नी और भी सरकार सज्य ही ध्यान देती थी। किसानों को एर दो साल की मुदत पर अग्रिम रुपया दिया जाता था। परन्तु तहसीलदार बडे ब्यालु होते थे, और उननी दी हुई रकम नसत हो जाने तक वे निकाले नहीं जात थे। अथवा उनके गद के कर्मचारी को पहले की दी हुई रकम बसल करके वनी पडती थी। आवश्यकता हान पर सरकार प्राय तहसीलदारों से कुछ पेशगी रुपया लिया करती थी और जय तक वह अदा न हा जाता, तहसीलदार को (१२) मैक्टा ब्याज भी दिया जाता था।

वेगार ।

पहले के पेशवाओं के समय वेगार की प्रथा प्रचलित थी, जिसस गरीब लोगों और कारीगरों-मजदूरों का बडे रूप होते

थे। पहले माधवराव न इस प्रथा को मिटाने का प्रयत्न भी किया और बेगार के बदले, दोनों वर्गों की सुविधा के लिये, नरुद रकम ली जाने लगी। अन्य न्यामियों की अपेक्षा सरकार ही अधिक दया दिखलाती थी। 'रोजनामचौ' का उक्त विषय से संबंध रखनेवाले भाग का, देखने से पाठकों को पेशवा के सुराज का अनुभव हो सकता है। गत ६० वर्षों में इस विषय में कोई सुधार नहीं किये गये, और इस प्रथा का स्वरूप जैसा का तैसा माजूद है।

अन्य कर ।

लगान घसूली के अनिर्दिष्ट छोटे-बड़े और भी कई कर लिये जाते थे। मकानों का कर, दुकानों का कर, इत्यादि के अनिर्दिष्ट कोफ्त के रेंवडडा और अन्य बंदरों पर आयात तमाखू पर भी महसूल लिया जाता था।

नमक ।

नमक के कारखाने नागोठना और वसई के पास भायंदर स्थान पर थे, और उनसे कुछ आय भी होती थी। नागोठने में प्रतिखडी (२० मन) दो रुपये दस आना और भायंदर में एक रुपया छै आना कर घसूल किया जाता था। परन्तु आजकल अंग्रेजी सरकार उससे बीस गुने से लगाकर इस्तीस गुने तक अधिक कर घसूल करती है।

आवकारी ।

वसई और कोफ्त के किनारे पर के प्रदेश में, जो पहले पुर्तगालवालों के अधिकार में था, शराब के लिये जो 'ताड' इत्यादि के वृक्ष रखे जाते थे, उन पर कर लगाया जाता था।

उस प्रदेश में भडारी और अन्य जानि के लोग रहते थे । उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि, किसी न किसी प्रकार की सगम पिये बिना हम कोई-किसी गम-धधा नहीं कर सकते । इसी से उक्त प्रकार का कर वसूल किया जाता था । कोकन के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में आरकागी मुहकमे की आय तिलमुल ही अदा नहीं होती थी । केवल पूना के पास कुछ स्थानों से थोड़ा सा कर वसूल होता था । इसी प्रकार, धी, चगागाड, हुडियां, मैसां को पालने, कहीं कहीं पर मछलिया पकड़ने आदि के लिए कर वसूल किये जाने थे ।

नौकाएँ ।

प्रायः सरकार की ओर से ही नौकाएँ रानी जाती थीं, अतएव मुसाफिरों से भाडा नहीं लिया जाता था । परन्तु जहा अधिक् मुसाफिर-आते जाते थे, वहा पर ठीके से आम-दनी वसूल की जाती थी । वास्तव में यह विचार कुछ जुद्ध-ठेकेदारा की मुहत्याकात्ता से उत्पन्न हुआ था । इससे कोई विशेष आय नहीं हुई । दुन्दरे-याजीराव के समय जब इजारे की प्रथा शुरू हुई, तब ठीके के घुरे परिणाम दिखाई देने लगे; और लोगों को अनेक कष्ट तथा अन्याय सहने पड़े । पहले की तहसीलदारी प्रथा में अन्याय की ओर प्रवृत्ति ही दिखाई नहीं देती थी; और यदि कहीं थी भी, तो उसका असंगत ही होना था । इसके अतिरिक्त सूया और सर-सूया (वर्तमान काल के कमिश्नर) का तहसीलदारों पर बड़ा दबाव भी रहता था । कोकन, कर्नाटक, रानदेश, गुजरात और वागलान, इन पांच प्रांतों में पांच सरसूरे रहते थे । मन्च तो यह है कि, पेशवाओं का राजप्रबहुत ही दशापूर्ण माना जाता था ।

चुगी ।

पेशवाशाही में कुलसेना-विभाग के हाथ में सिपुर्द जिये हुए वसूली मामलों के अतिरिक्त समुद्रीय कर के लिये अलग विभाग नहीं था । परन्तु आयात और निर्गत माल पर जो चुगी लगती थी, उससे बड़ी आय होती थी । कल्याण, भिवडी, पूना और जुन्नर के चुगी विभाग अन्तर्गो स्थिति में थे । गंगालाजी बाजीराव के समय कल्याण और भिवडी सेना की आय ५५००० थी । यह आय बढ़ कर उस सदी के अंत में तीन लाख हो गई थी । खास पूना शहर का चुगी विभाग ठीके पर था, और उससे आय भी पर्याप्त थी । शहर के आयात और निर्गत माल पर तथा कपडा, तमकू आदि नगर-निवासियों की आवश्यकता की वस्तुओं पर काफी चुगी वसूल होती थी । इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में दिल्लीपतियों के बनाये हुए पूर्व-नियमानुसार ही चुगी ली जाती थी । सागरा यह है कि चुगी-विभाग की सुव्यवस्था से पूना का ब्राह्मण प्रधान-मंडल तथा उनके प्रांत और परगनों के अधिकारियों की चतुरता और सगठन शक्ति भली भाँति प्रकट होती है । इस प्रकार की आमदनी के साधन बढ़ा कर उनको व्यवस्थित रूप देन की पेशवा की प्रणाली में किसी प्रकार का दोष नहीं दिखाई देता ।

न्याय-विभाग ।

जमीन का लगान, कर-विभाग और चुगी की अपेक्षा यदि दीवानी और फौजदारी कायदा का ठीक अमल होता हो, तो कहा जा सकता है कि स्वराज्य में सरकार अपने अंतव्य का अन्तर्गो तरह से पालन करके यश प्राप्त करती है । वरन् यह कहने में भी श्रत्युक्ति नहीं होगी कि, कायदों का योग्य पालन

करना ही स्वायत्त की कार्यक्षमता और शक्ति की योग्य वसोटी है। पेशवा इस कमीर्दी पर, पूरी तरह से उत्तम लैचे, अनन्त उन्नत अभिनन्दन करना आवश्यक है। पहले के राजमंडल के अन्य बड़े बड़े अधिकारियों के स्थान पेशवा ने, पूर्ववत् कायम नहीं रखे, पर न्यायाधीश का स्थान तो उन्होंने पुनः ही में कायम किया, और सभी दीवानी फौजदारी मामला का निपटारा करने के लिए अधिकार उन्हें का सोपे—फिर चाह वे मामले अपील के स्वरूप में हों, प्राथमिक हा या उद्योग प्राणीय कर्मचारियों की ओर से मजूरी के लिए ही क्यों न आय हों, परन्तु अन्तिम फेसला करन का अधिकार इस न्यायाधीश को ही दिया गया था।

रामशास्त्री ।

सन् १७६० ई० के लगभग न्यायाधीश का पद कायम किया गया। उस स्थान पर रामशास्त्री जेम्स नरसेण्ट का स्थापित किया जाना मराठों के अन्वेषण की बात थी, जिन से पेशवा की कीर्ति चारों ओर फैली। रामशास्त्री के प्रन्तर भी वेह पदें कायम रखा गया था, और उन्हीं की तरह विद्वान् धर्मशास्त्र की आयेजाना उस स्थान पर की जाती थी। दूसरे बाजीराव पेशवा के समय के अन्तिम विद्वान् न्यायपति बालकृष्ण शास्त्री टोण्डीकर थे। न्यायविभाग का यह हाल था कि प्रत्येक नहमीलदार को दीवानी और फौजदारी के अधिकार सोपे गये थे। किन्ती को पीटने की चेष्टा, चोरी या इसी प्रकार के अपराधों के अथवा कृत्य का उमर्नि म, तथा मुकदमा लड़नेवालों के—चाह वे जीतें या हारें—जमा करण हुए (कॉर्ट फीस, स्ट्राप आदि) का भी जो प्राय हाता

थी, उसी में से तहसीलदार का वेतन निकल आता था। पन्तु उसे उसका हिसाब भी पेश करना पड़ता था। यदि निश्चिन रकम की अपेक्षा अधिक आय होती तो वह सरकारी खजाने में जमा की जाती थी। पूना में स्थापित किये हुए मुख्य न्यायालय के अतिरिक्त तहसीलदार और मूदेदार को सहायता के लिये अन्य छोटे छोटे प्रांतीय न्यायालय भी खोले गये थे, जिनको आवश्यकतानुसार अधिजाग दिये गये थे।

दीवानी मामले ।

दीवानी और फौजदारी मामलों में विजेता पक्ष से प्रमूल की हुई रकम को 'हेरकी' और प्रतिपक्षी की रकम को 'गुन हगारी' कहते थे। दीवानी मामलों में २५ रु० मैकडा फीस लगती थी, और किसी 'अपराध' पर जुर्माने की रकम 'हेरकी' से टूनी होती थी।

रुपयों के दावे ।

कर्जदार से रुपया वसूल करने के लिये, इस समय की तरह, उस समय बहुत ही कम दावे होते थे। उस समय धनियों को अपनी रकम वसूली के विषय के बहुत कुछ अधिकार प्राप्त थे। हा, यदि कोई कर्जदार बलवान् होता, तो सभ्य देनेवाले को सरकार से सहायता लेनी पड़ती थी। कर्जा चुक जाने पर २५ रु० मैकडा, सरकारी सहायता के लिए काटकर बाकी रकम साहूकार को मिलती थी।

जायदादी दावे ।

दीवानी के झगड़े मुख्यतः जायदाद, दत्तक, हिंसा-ब्राह्मण, हिस्सेदारी, सीमा, आदि विषयों के हुआ करते थे। इनके

फैसले उभय पक्षों के प्रमाणों पर अवलंबित रहते थे । गवाही देने वाले पहले सौगन्दे खाते और गमाजी का स्मरण करके गवाही देते थे । पहले दोनों पक्षों के इजहार लेकर फिर गवाहा के बयान लिये जाते थे । अनंतर दोनों पक्षों को स्वयं अपने गाव, या पड़ोसी गावों के पंच पसद करने की आज्ञा दी जाती थी और पक्षों की राय के अनुसार ही तहमीलदार अमल कराने थे । कभी कभी यदि साक्षियों में गटगड होना, और प्रमाण न मिलता, तो 'दिव्य' (अग्निपरीक्षा) किया जाता था, और उसके अनुसार फैसले होते थे । पेशवाओं के रोजनामचों में ७६ दावों का उल्लेख है, जिनमें ६ दावों में 'दिव्य' किया गया था । उनमें से दो दावों में दोनों पक्षों ने अग्नि का दिव्य करने की परस्पर चुनौती दी थी । शेष भगडों में नदियों में नहान पर ही सच्ची बातें मालूम हो गईं । बर्काल करने का भगडा भी नहीं था, क्योंकि मुख्य सरकार तक अपील करने का अवसर मिलता ही था । पक्षों का फैसला सरकार को पसद न पडने पर नये पंच कायम करने का वादी प्रतिवादियों को हुस्म दिया जाता था, और उनसे दुबारा राय मांगी जाती थी । उड़े बड़े दीयानी मामलों में जो फैसले होते थे वे मुख्य सरकार के यहाँ भेजे जाते थे, और वहाँ से मजूरी प्राप्त करने पर ही उनका अमल किया जाता था ।

फौजदारी मामले ।

फौजदारी मामलों में यह रहना आवश्यक है कि, छत्रपति राजाओं और पहले दो तीन पेशवाओं के समय में कानून के अनुसार केवल दान्य, कागगृह, जमीन-जायदाद की जमी, हुर्माता या कभी कभी देशनिकाले की सजाओं दी जाती थी ।

फडनवीस के समय में तो डाकुओं को केंद्र करके फांसी देते थे । एक बार एक मामले में २० अपराधियों के सिर-काटे गये, दूसरे में १३ अपराधियों के हाथ-पांव काटे गये और तीसरे में १८ अपराधियों में से किसी के हाथ, किसी के पांव और किसी के मान काटे गये । जान पड़ता है कि लोगों पर प्रभाव डालने के लिए ही ऐसी कड़ी सजाएँ दी जाती थीं । अनंतर डाके या डाकुआ से सवध न रखने वाली बड़ी बड़ी चारियों के लिए भी उक्त प्रकार की ही कड़ी सजाएँ दी जाने लगी थी ।

बड़ी चोरियाँ; व्यभिचार ।

बड़ी चोरिया करने में जुमनि या मारागृह की सजा दी जाती थी । व्यभिचार करनेवाली स्त्रियों को भी कठोर कारागार की सजा और पुष्यो को जुमनि या कठोर कारागार की सजाएँ दी जाती थी ।

गुलाम ।

कठिन कारावास पानेवाली स्त्रियों की कुलानना प्रायः नष्ट होजाती थी । वे दासिया बनाई जाती थीं । उनकी सतान लाधारिम भ्रमभी जाती थी, और वह माता के नाम से ही पहिचानी जाती थी । उन अपराधी स्त्रियों में व्यभिचार करके निर्वाह करनेवाली नीच जाति स्त्री-स्त्रिया तथा दूसरे प्रातो से बजारो-और लमाण जाति के लोगों के द्वारा भगानर विक्री के लिये लाई हुई लाधारिस्त्री लड़कियों की सद्य ही बहुतायत से होनी थी ।

इस प्रकार भर्ती-किये हुए दास-दासियों स्त्री एक, स्वतंत्र ही, टोली हुआ करती थी । गुँगे जानबरो की तरह उन दास

पुरुष-स्त्रियों को रुपये दकर एक स्वामी दूसरे स माल ले सकता था । बृद्ध हा जान पर वे लाग सत्रा स मुक्त कर दिये जाते थे । खानगी दास, धर्म क नाम पर, मुक्त हो जाते थे । परन्तु दासा के साथ भी दया का बर्ताव किया जाता था । पेशवाओं की जोड़ी में, अथवा खानगी तौर पर, काम करने वाली अन्य स्त्रिया के साथ तो और भी अधिक दया दिखाई जाती थी ।

देवताओं का चढ़ाना ।

वर्तमान कानूनानुसारेण जाने वाला पेशवा के समय में एक और अपराध माना जाता था, और उसके लिये बड़ी बड़ी सजा दी जाती थी । यह अपराध है देवी-देवताओं या भूत-प्रेतों का किसी दूसरे पर चढ़ाना । मुख्यतः कोकन प्रांत में देवी-देवता के चढ़ाने के अपराध फौजदारी में गिने जाते थे । अनिमित्त पेशवाओं के समय तो देवी-देवता चढ़ा कर पडानिशा को कष्ट पहुँचाने वाले को दंड देने के लिये स्वतंत्र कर्मचारी नियत थे । भूत-प्रेतों को नष्ट करना प्रांतीय अधिकारियों का एक कर्तव्य ही माना जाता था ।

बुरा कर्म:—गोवध ।

भूठी गवाही देना और भूठे का गजात तैयार करने के अपराध में जुर्माना, और अनमथ गरीबों को कारागृह की सजा दी जाती थी । गोवध के लिये भी कठिन सजा थी ।

अन्य अपराध ।

जाली सिक्के बनाना और कम ताल के चादर व्यवहार में लाना इत्यादि अपराधों के लिए जुर्माने और कैद की सजा नियत था । धोखे से अथवा कपट स भगाना, स्त्रिया का

पानिब्रत श्रष्ट करना, चोरों करना, आरंभ देना जैसे अपराधों के लिये जुमाना किया जाता था। जो नदीगी मामलों की जांच, अपराधियों को पकड़, आदिना जो विवेचन हम ऊपर देखेंगे, उससे जान हो जायेगा कि, नाना फटनवाँस के समयों के अनिश्चित अन्वय समय में कानून का गमल दूरनापूर्ण नहीं था परन्तु दयापूर्ण और न्यून था। ऐसा न तो नदी पदल हुआ और न भविष्य ही में होगा। अपराध के अनुसार ही सजाएँ दी जाती थीं। वे अधिक सठोर नहीं होनी थीं। नाना फटनवाँस के समय के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजनेतृ शक्तियों के साथ भी नाना बड़ी फटोरना का व्यवहार करते थे।

राजनैतिक अपराधी ।

संवसारा में वापू किसी समय पेशवाशाही के आधार स्तंभ थे। परन्तु जब वे गद्दो गद्दाओं के पक्ष में हो गये, तब वे किले में कंद किया गये। गद्दो गद्दाओं के अन्य मित्र भी, जो सभी प्रभु जाति के थे, जैसे ग्छुनाथ हरि, वापूराव हरि आदि खोला की भी वही दशा की गई। नाना के निकट सग मोरा वापूराव का भी किले में बंद किया था। दूसरे गजौरा के समय नाना के साथ भी वही प्रतीति किया गया। पहा तान पेशवाओं की अपेक्षा अतिम पेशवा के समय में पारस रिक भंगडों बहुत बढ गए थे। पेशवाओं के समय में राजनेतिक कदियों के साथ दया का प्रतीति किया जाता था परन्तु गद्दो गद्दाओं के मित्रा और अनुयायियों तथा वनाय सदाशिवगत्र भाऊ के अनुयायियों के साथ, यद्यपि वे सभी ब्राह्मण और उच्च कर्तवारी थे, वह दया नहा दिखलाई गई।

पुलिस ।

पेशवाशाही में तहसीलदारों के पास पैदल और घुड़-सवारों की जो फौज-रहा करती थी, वही पुलिस का काम करता था । अपने-अपने प्रांतों में शांति रखना उसी का काम था । छोटे गाँवों में पटेल, पटवारी तथा महार और माग, इत्यादि नीच जाति के चौकीदार अपने गाँवों का प्रबंध करते, और बड़े बड़े गाँवों तथा शहरों में प्रत्येक-मनुष्य को घारी घारी से, थाने पर पहरा देना पड़ता था ।

शहर-कोतवाल ।

रक्त सेना और छोटे छोटे गाँवों की पुलिस के अतिरिक्त अपराधों को दूढ़ निकालने और उतका फँसला करने के लिये कोतवाल कायम किये जाते थे । पूना, सितारा, पठरपुर, नासिक, आदि बड़े बड़े नगरों में कोतवाल थे । घर के मालिकों से वसूल किये जानेवाले कर से ही भगियों की तनखाह दी जाती थी । पूना, अहमदनगर, नासिक आदि जगहों में भगी नौकर भी रखे जाते थे । पूना, अहमदनगर, जुन्नर और नासिक के कोतवालों को साधारण अपराधों की जांच के लिये, मजिस्ट्रेट के अधिकार भी थे । परन्तु जिलों में तहसीलदार ही मुकदमे करते थे ।

टकसालों ।

अन्य फुटकर विभागों के देखने से पता चलता है कि टकसालों को भी बड़ा महत्व प्राप्त था । रायल-एशियाटिक सोसाइटी के एक अधिवेशन में पढ़े-हुए निबन्ध में मराठों के समय की टकसालों के विषय में बहुत कुछ विवरण किया जा चुका है ।

डाक-विभाग ।

पेशवा के समय में डाक-विभाग उन्नतावस्था पर नहीं था। जब 'उत्तरीय भारत अथवा कर्नाटक की शौर मराठी सेना जाती थी, तब खासकर डाक के ही लिये कुछ लोग नौकर रखे जाते थे। वे मुख्यतः जासूस या हरकारे कहलाते थे। उन्हें थालनेर से दिल्ली पहुँचने के लिये १८ और महेश्वर से २३ दिन लगते थे। उन्हें रोजाना ३ रुपये मिलते थे। उसमें भी प्रवास के अनुसार न्यूनाधिक हो जाता था। जब पेशवाओं को कलकत्ते से पत्र व्यवहार करना पड़ता, जब वे हरधरों को बुरहानपुर भेजते, वहाँ से वे काशीजी जाते, और वहाँ से अंग्रेजी डाक-विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कलकत्ते भिजवाते थे। कर्नाटक की लड़ाई के समय जब पूना से वदामी नक डाक ले जाने की आवश्यकता जान पड़ी, तब युद्धकाल में रोजाना डाक लाने और ले जाने के लिये ६० मनुष्य नियत किये गये थे। इस प्रकार के सामयिक प्रबन्ध के अतिरिक्त, निजी अथवा सरकारी डाक ले जाने के लिये कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया था। सेठ साहूकार लोग अपनी हुडिया दूरी पर भेजने के लिये अपने ही नौकर रखते थे। वे निश्चित समय पर जाते थे। दूरी के सम्बन्धियों और मित्रों को पत्र भेजनेवाले भी उन्हीं के हाथ अपने पत्र भेज देते थे।

शौपधियों ।

वीमारों को सेंटमेन दवा देने के लिये प्रसिद्ध और कुशल वैद्य-हकीम रखे जाते थे। उन्हें उस कार्य के लिए गांव इनाम दिये जाते थे। उन्हें और भी कुछ सहायता मिल जाती थी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था। फौज में भी

हकीम नियत किये जाते थे । वे शस्त्रक्रिया के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध थे । नासिक में एक गुजराती वैद्य मुसल दवा देता था । उस धार्मिक कार्य के लिये उसे जागीर भी दी गई थी । दवादाना जारी रखने के लिए उसके पुत्र के पाम भी वह जागीर बनी रही थी । एक और वैद्य बनस्पतियो से रामबाण और उत्तम दवाइया बनाता था । अतः उसे एक बनरपति-वाटिका दी गई थी, और ओषधिया बनान के लिये अन्य सहायता भी उसे दी जाती थी । सार्वजनिक दवागाने जैसे महत्त्व के धार्मिक कार्यों के विषय में पेशवाओं ने जो कुछ व्यवस्था की थी, उसका और अधिक वृत्तान्त जानने के लिए अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है ।

सैनिक नियुक्तियाँ ।

युद्ध में हताहत होनेवाले गिणाहिया को बड़ी बड़ी इनाम देने में पेशवा बड़े उदार थे । मृतों के चारिसों को इनाम या उनका बाल-बच्चों के निर्वाह का पूरा पूरा प्रबंध कर दिया जाता था । प्रायः पिता की नौकरी पुत्र को भी मिलती थी । इस प्रकार की सैकड़ों बातें पेशवाओं के रोजनामचों से जानी जा सकती हैं । इस प्रकार को इनाम देते समय ब्राह्मण, मराठा अथवा हिन्दू और मुसलमान में बिलकुल भेद नहीं किया जाता था । बायला और सेत रहनेवालों के साथ एक सा ही उदारता का बर्ताव किया जाता था ।

धर्मादाय ।

पेशवाओं ने धर्मादाय के लिए जो नियुक्तियों की थी, उनमें भी उक्त प्रकार की ही उदारता देख पड़ती है । हा, यद्यपि ब्राह्मणों को उसका अधिकार मिलता था, तथापि मुसलमानों

को दमार्गों और, मस्जिदों की व्यवस्था भी पूर्ववत् ही रखी थी। कोकन में क्रिश्चियनो के लिये भी नई व्यवस्थाएँ कर दी थीं। धर्मादाय करने में जातिभेद अथवा धार्मिक पक्षपात बिलकुल नहीं था, यह पेशवाओं के लिये बड़े गौरव की बात है। मराठा-साम्राज्य में देवस्थानों और धर्मों हुए धार्मिक ढानों के लिए लोगों रुपया खर्च करने में पेशवा कर्ण जैसे दानशूर थे।

सम्मान-दर्शक पदधियाँ।

महाराजा शाहू के समय में लायक अफसरों को बड़े बड़े खिताबात दिये, जान का सिलसिला था। दिल्ली के बादशाहों की तरह हिन्दू सेनापतियों और सैनिक अफसरों पर लगी-चौड़ी उपाधियों की वर्षा होनी थी। पेशवाओं के समय में भी वह सिलसिला जारी था, परन्तु आगे चलकर फिर उसमें बहुत कमी कर दी गई। परन्तु फिर भी यदि किसी को सम्मान देने की आवश्यकता जान पड़ती थी, तो पालकी में बैठने अथवा छत्र धारण करने का अधिकार दे दिया जाता था। और इसके धर्मे के लिये सरकार की तरफ से ही कुछ धार्मिक द्रव्य नियत किया जाता था।

व्यापार को उत्तेजना ।

पेशवाओं के रोजनामचों में इसके विषय में लिखा है कि, मुद्देलखंड में मुन्ना की हीरे की खाना में से हीरे निकालने के लिये पेशवाओं ने कई सहूलियतें दी थीं, अतएव उनसे अच्छी आय होगी लगी थी। अरब के व्यापारियों को कोकन बंदर में बसाने के लिये भी प्रयत्न किया गया था। व केवल घोड़ों का ही व्यापार करते थे। चुगी इत्यादि के कर उनके लिए माफ थे। इसी प्रकार माल लानेवाले, यूरोपीय व्यापारियों को भी

रियायतें दी गई थीं। बड़े बड़े शहरों में ग़ाहर के लोगों को घर बनाने या बाज़ार और मुहल्ले बनाने के लिए मुफ़्त ज़मीनें, फ़र्र की माफ़ी, इत्यादि के समान सुविधाएँ दी जाती थीं। क्योंकि इससे शहर की आबादी और व्यापार बढ़ता था। पूना में रेशम और कलाबत्तू के कारख़ाने कायम होने का कारण यही था कि, वहाँ बुरहानपुर, पैठन आदि नगरों के कारीगरों को घर बनाने के लिए मुफ़्त ज़मीन तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ दी गई थीं। बड़े बड़े शहरों में दुकानें खोलने के लिए पेशवा राया भी दिया जाता था।

पूना नगर की उत्पत्ति ।

पूना, पेशवाओं की राजधानी होने के कारण, अधिक प्रसिद्ध था। इसलिए ग़ाहर से अनेक प्रकार के लोग वहाँ आकर बसे थे। सन् १७४८ के पहिले तो वह एक छोटा सा कसबा था, किन्तु उन साल के बाद ही वह १६ मुहल्लों और बाज़ारों का विशाल नगर बन गया। ये मुहल्ले और बाज़ार पेशवाओं के आश्रय से ही बसे थे; और बड़े बड़े सरदारों तथा स्वयं पेशवा के घराने के पुरुषों के नाम पर ही उनमें से अधिकांश का नामकरण हुआ था।

विद्या की उत्तेजना ।

शास्त्री, पंडित और वेदशास्त्रों को दी जानेवाली दक्षिणा का हम उल्लेख कर ही चुके हैं। पहलें उसे सेनापति खडेरवाव दाभाडे ने शुरू किया था। उनके अनन्तर, दाभाडे की आय कम हो जाने से, दक्षिणा देने का कार्य पेशवाओं ने उठाया। बढते बढते नाना फेडनरॉस क समय में तो वह रकम ६०००० तक पहुँच गई थी। अन्तिम धाजीराव भी धर्मदाय में बहुत

सा द्रव्य उड़ाते थे, और उनमें से कुछ रूफ दक्षिणा में भी खर्च होती ही थी, जिससे उनके उड़ाऊपन से भी कुछ लाभ अवश्य ही होता था। बंगाल, उत्तरीय भारत, तथा दक्षिण कर्तल, द्रविड, कर्नाटक आदि भारत के सब प्रान्तों से सस्कृतज्ञ पंडितों के भुड के भुड पूना में आते रहते थे, और उनकी विद्वत्ता के अनुसार द्रव्य इत्यादि से, उनका आदर-सत्कार किया जाता था। इसके सिवाय उनको प्रशसापत्र भी दिये जाते थे। इन पत्रों का उन्हें बड़ा उपयोग होता था। अंतिम बाजीराव के समय में ४ लाख रुपये धर्मादाय में खर्च होते थे। सर्व साधारण ब्राह्मणों के लिए "रमणा भोजन," अर्थात् दान-दक्षिणा के साथ सत्कार किया जाता था, पर जो ब्राह्मण रमणे में जाने में हलकापन समझते थे, उन्हें महल में न्योता देकर, योग्यता के अनुसार, दुशाले, द्रव्य वा अन्य वस्तुओं से उनका सम्मान किया जाता था। विद्वानों के दान-दक्षिणा में लाख-सवालाय तक द्रव्य खर्च हो जाता था। शेष ३ लाख रमणे में खर्च होता था। इस प्रकार की उदारता के कारण पूना पाठशाला का केन्द्र गिना जाने लगा, और पेशवाशाही के नष्ट हो जाने पर भी मि० प्लफ्रिन्स्टन और उनके अनंतर के अंगरेजी अधिकारियों ने उसी दक्षिणा फंड में से पहले की पाठशाला जब तक कायम रखी, तब तक पूना की प्रसिद्धि पूर्ववत् ही बनी रही। परन्तु फिर समय के बदल जाने से दक्षिणाफंड का रुपया अन्य कार्यों में खर्च होने लगा, जिससे सभी जाति के विद्यार्थियों में सस्कृत-साहित्य और शास्त्रों की अभिरुचि उत्पन्न हुई। सस्कृत पंडितों के अतिरिक्त अन्य लोगों को उत्तेजना नहीं मिली,

पर पुराण कहने वाले कीर्तनियों का सम्मान वेद्यों और शास्त्रियों की ही तरह होने लगा । प्रसिद्ध मराठी कवियों के काव्यों का अच्छा विवेचन करके उनका अर्थ खोल कर सम्मानने का कौशल उक्त पैगणिकों और कीर्तनकारों में भली भाँति पाया जाता था । बड़े बड़े सरदार भी मातृभाषा को आश्रय देते थे । प्रसिद्ध त्रि मोगेपत वारामती के जोशी नामक सरदार के आश्रय में थे । अन्य जाति के लोगों को पोसाड़े और लावनिया अच्छी लगती थीं, इससे शृङ्गारिक गद्य पद्य का प्रचार हुआ । हमारे बाजीराव ने कुछ भाट और गोंधलियों (चारणों) को भी आश्रय दिया था । इस प्रकार अनेक कार्यों में सरकार से सहायता मिलती थी । इतिहासप्रेमियों को इस विवेचन से यह विषय अचर्य ही विचारणीय मालूम होगा; और वे प्राचीन सामग्री ढूँढ कर इस ज्ञान की वृद्धि अचर्य ही करेंगे ।

विचित्र सामाजिक विचार ।

पेशवाओं के राजनामचौ में अत्यन्त मनोरंजक और उपयोगी बात यह है कि मराठा-सरकार ने सामाजिक विषयों में भी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया था । यह नहीं कहा जा सकता कि, जिन ब्राह्मण नेताओं पर राष्ट्र का कारोबार सोपा गया था, उनका तत्कालीन प्रचलित बातों पर अविश्वास होगा । अपने शत्रु का नाश करने के लिए अनेक लोग भूत-प्रेत आदि अदृष्ट शक्तियों की सहायता लेने का प्रयत्न करते हैं । यह खयाल उस समय भी प्रचलित था । अतः उसके लिए कानून बनाये गये थे, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । शकुन, प्रश्न और भविष्यदाणी पर तो सभी जातियों का पूर्ण विश्वास था । एक घर, एक विद्यार्थी ने अपनी जीभ काट

डाली थी, और एक गुजराती भक्त ने अपने इष्टदेव को अर्पना
 शिर्षार्पण कर दिया था। तब वहाँ के अफसरों ने ये घट-
 नाएँ सरकार पर प्रकट कीं, तब ऐसे अपवित्र बलिदानों से
 आने वाले संकटों को टालने और उन देवालियों को पवित्र
 करने के लिये बहुत सा द्रव्य व्यय किया गया। कल्याण प्रात-
 में एक बार भूकंप आया। उस समय लोगों को यह भय
 हुआ कि अब हमारा देश रसातल को चला जायगा। घाट मर-
 के एक किले का कुछ हिस्सा टूट गया। इसका कारण जल
 लगाना बतलाया गया। कुछ वर्षों के अनंतर एक और कित्ता
 रहने के लिये अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि वहाँ पर एक
 प्रकार का रोग, जिसे कोई भी नहीं पहिचान सकते थे, फैल
 गया था, अतः भूतों के कोप का शमन करने के लिये चारों
 ओर पूजन-अर्चन, होम हवन आदि किये गये। एक जागीर-
 दार ने सरकार से प्रार्थना की कि मेरे जागीर के गावों में
 भूतों का उपद्रव है, अतः उसके बदले में दूसरा गाव दिया
 जावे। छोटे छोटे अर्पणों के कारण प्रजा दुःखित थी, अतः
 देवालियों को हमेशा पानी में रखने अथवा ब्राह्मण और
 सिद्धुओं को देवालियों पर पानी की अभिषेक धारा छोड़ने के
 लिए बहुत सा द्रव्य खर्च किया जाता था। इयबकेश्वर की
 एक देवी को भैंसा बलि दिया जाता था। कुछ दिनों तक तो
 वह प्रधा बन्द कर दी गई थी; पर ब्राह्मण, पुजारियों के विशेष
 अनुरोध से वह फिर से शुरू की गई। नामिक के स्वतन्त्र
 पत्र पर एक व्याघ्र मनुष्यों को मारता था। इसलिए वहाँ के
 तहसीलदार को हुक्म दिया गया कि, देवी का कौल या हुक्म
 होने पर उस क्रूर पशु को मारा जावे।

पठरपुर की श्रीविठ्ठल-मूर्ति पर एक बार एक छिपकली गिर पड़ी। अतएव उस दीप का प्रज्ञालेन करने के निमित्त शांति-कर्म कराने के लिये वहाँ के पुजारियों को हुक्म दिया गया। कसाइयो को गौएँ न बँधने का भी हुक्म था, और उसकी अवज्ञा करने पर कुछ मुसलमानों को सजाएँ भी दी गई थी। एक ब्राह्मण को, गाय की पूछ काटने पर सजा हुई थी। इस विचार से कि, प्राचीन यज्ञ-यागादि और कई-दिनों तक, अर्थात् सप्ताहों तक, किये गये कर्मों से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, उक्त कर्म फिर से शुरू किये गये। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जिनके लिए द्रव्य, धान्य आदि सामग्री सरकार से ही दी जाती थी। इसके लिये सरकारी खजाने से हजारों रुपये खर्च किये गये। पूना और उनके आसपास देवालियों की ग्यूँ वृद्धि हुई। सन् १८१०-११ ई० में लगभग ५० देवालियों का खर्च पेशवा की ओर से किये जाने का उल्लेख राजनामर्चों में पाया जाता है। वे देवालय भिन्न भिन्न देवताओं के थे। निम्नलिखित शर्कों से यह बात मालूम हो जायगी कि, किस देवता के अधिक पूजक थे। रामजी के देवालय १८ थे, और उनके सेवक हनुमान के ५२, विष्णु के ६, विठ्ठल के ३४, और बालाजी के १० थे। इस प्रकार राम और कृष्ण के अंतारों के कुल ७३ देवालय थे। ब्राह्मणों के पूज्यदेव महादेवजी के ४० और गणेशजी के ३६ देवालय थे। देवालियों की संख्या से, शिव और विष्णु के भक्तों की संख्या बराबर ही जान पड़ती है। मूल देवताओं के ३२ और देवी के १० देवालय थे। मुसलमानों की दस दर्गाहें ऐसी थीं जिनको हिन्दू भी पूज्य मानते थे। दत्तात्रेय का केवल एक ही देवालय था।

लोगों की श्रद्धा और, उनके विचारों के विषय में हमने जो कुछ लिखा है, उसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मारे भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ही महाराष्ट्र की स्थिति थी। इसीलिये किसी भी मनुष्य या मनुष्य-समूह को, उस समय की प्रचलित परिपाटी के अनुसार, धर्ताच रखने के कारण दोषी ठहराना ठीक नहीं है। पेशवा ने तो, उदार तत्वों का प्रचार करके, हिंदू-समाज के प्राचीन कठोर नियमों के बदले, सुविधा-जनक और सुधार-पूर्ण नियम प्रचलित किये थे, जिसके लिए उनका अभिनंदन करना आवश्यक है। उस समय चारों ओर युद्ध और चढा-इयो की गडबडी मची थी, और शांति का नाम-निशान भी नहीं था। ऐसी दशा में बेवश होकर, अन्याय या किसी के धोखे में आकर अनेक लोग परंपरागत स्वधर्म से भी च्युत हो गये थे। परन्तु संतोष का विषय है कि उन पतित ब्राह्मणों या मराठों को, उनकी जातियों में पुनः सम्मिलित करने की केवल चेष्टा ही नहीं की गई, वरन् सभी जातियों के अनुमोदन, तथा पेशवा की आज्ञा से, वे फिर से पवित्र किये गये। पुताजी बडकर नामक मराठा जवरन् मुसलमान बनाया गया था। एक वर्ष के बाद उसने दिल्ली जाने वाली, पहले पेशवा बालाजी की, सेना में भर्ती होकर महाराज शाह से शुद्धि के लिए प्रार्थना की, और उसकी इच्छा पूर्ण की गई। एक कोकणस्थ ब्राह्मण को हैदरअली ने, राजनैतिक कैदी के नाते, कागानार में रखा था, और उसके विषय में आशका की गई थी कि, आत्मरक्षा के लिए वह मुसलमान बन गया है। अन्त में सभी ब्राह्मणों और सरकार की सम्मति से वह शुद्ध

क्रिया गया। एक ब्राह्मण घोखे से गुसाईं बनाया गया, और दूसरा गणनष्ट होने की आशा से गुसाईं बना, परन्तु अन्त में पश्चात्ताप होने पर ब्राह्मणों और अधिकारियों की सम्मति से वे शुद्ध किये गये। इनमें से एक घटना अहमदनगर जिले के पुणतांबे ग्राम में हुई थी, और दूसरी निजामशाही के पैठन ग्राम में। शराब तैयार करने, और बेचने की भी मनाई थी। परन्तु पुर्तगालवालों से जीते हुए बसई, चोल आदि जिलों में भडारी, मछवाहे आदि लोगों की अत्यावश्यकता के कारण उन्हें आज्ञा दे दी गई थी। उक्त जातियों के अतिरिक्त, अन्य ब्राह्मणादि जातियाँ यदि इस विषय की आज्ञा भंग करती थीं तो उन्हें सजा दी जाती थी। नासिक के ब्राह्मणों पर मद्यपान का दोषारोपण किया गया था। और सरकारी तहसीलकान होने पर भी जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार न किया, तो वे किले में कैद किये गये। खेड ताल्लुके के एक धनवान मृगाठा पटेल का शरावीपन छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, परन्तु जब वह किसी प्रकार न माना, तब अन्त में उसकी आधी इनामी जमीन जप्त कर ली गई।

कोकन और बसई प्रदेश में वहाँ कहीं लडकी बेचने की चाल थी। इसको बन्द करने के लिए कठोर आज्ञायें दी गई थीं। दलाल और लडकी का पिता जितना द्रव्य लेता, उतना ही जुर्माना उनसे वसूल किया जाता था। इस प्रथा को नष्ट करने के लिए ६ वर्ष से अधिक उम्र वाली कन्या को अविवाहित न रखने का हुक्म था। सारांश यह है कि हिंदूधर्मशास्त्र में भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी। कई बार दबाव के कारण जब छोटी छोटी कन्याओं के विवाह होगये

की सजारी घोड़े पर निकालना चाहते थे, पर-बदर्यों के बाधा उपस्थित करने पर भी सरकार ने कुम्हारों के ही अनुकूल हुक्म दिया। फसेरों को जलूस निकालने का स्वत्व न होने की लिगाइत लागों न शिकायत की। पर उनकी कुछ नहीं चला। नारायणराव पेशवा के समय में प्रभुओं को वेदाधिकार न होने की बात उठी, पर दूसरे बाजीराव के समय में उस मामले को फिर स उठाकर प्रभुओं के अनुकूल ही निपटारा किया गया। कोकन के एक कलवार ने एक गुजराती कलाल को अपनी लडकी व्याही, अत वह बहिष्कृत किया गया। परन्तु सरकार ने उसका बहिष्कार नहीं होन दिया। उपजातियों में परस्पर-विवाह करने का उदाहरण तो स्वयं पेशवा नानासाहब ने ही सन् १७६० ई० में, बखरे नामक देशस्थ की कन्या से विवाह करके, उपस्थित किया था। हमने ऊपर जा कुछ लिखा है, उसका उद्देश यह नहीं है कि, पेशवा को इस विषय में कहां तक सफलता मिली। किन्तु उससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि, सामाजिक और धार्मिक बातों में भी शासक लोग हस्तक्षेप करते थे, और नवीन सुविधा के नियम बनाकर सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के दुष्परिणामों को टालने की चेष्टा करते थे। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अपना अधिकार उन्होंने एक हुक्मनामों में आघोषित भी किया है। यदि सूबा-अधिकारी किसी को बहिष्कृत करवाता, तो मुख्य सरकार की आज्ञा पाये बिना वह फिर से शुद्ध नहीं किया जा सकता था। समान अपराध होने पर भी अन्य लोगों की अपेक्षा माहलशा को कम दण्ड दिया जाता था, तथा प्रायश्चित्त और जुमाने की युक्ति उनक लिये निकाली

थी । जातिभ्रष्टों का शुद्ध करना, उभजातियों में परस्पर-विवाह, कन्या-विक्रय की मनाई, मद्यपान का निषेध, फण्ट या ढवाच से विवाह निश्चिन होने, अथवा विवाह कर्म यथाविधि न होने, पर दूसरा विवाह करने, जाति-कृत्यों और उनके स्वेच्छा-चारों पर अधिकार रखने तथा विभिन्न जातियों के साथ समान व्यवहार रखने, इत्यादि बातों से स्पष्ट है कि, देशी राजा साम्राजिक सुधार के विषय में उदारमौन नहीं थे । इस विवेचन से न्यायमूर्ति तैलंग-लिखित पूर्वोक्त निबन्ध के विचारों की भी पुष्टि होती है । उनका कथन है कि मराठा-साम्राज्य में, अर्थात् हिन्दुओं के राज्य में, वर्तमान लोगों की अपेक्षा नही अधिक, मानसिक धैर्य और उदारता थी । सच है, केवल १०० वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों में प्रगति के प्रतिकूल जो प्रवृत्ति और मानसिक दुर्बलता थी, उसकी अपेक्षा यदि इन समय हम लोगों में अधिक दोष दिखलाई दें, तो यही कहना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा से हमें जो कुछ लाभ हुए, वे हमारे लिए कभी सन्तोषकारक नहीं । वे तो एक प्रकार से हमारे लिये बहुत ही महँगे ठहरे । अस्तु । पेशवाओं के रोजनामचों का यह सङ्क्षिप्त विवेचन अब यहाँ समाप्त करना उचित होगा ।

उत्तमोत्तम हिंदू राजाओं और मुसलमान बादशाहों की राज्यव्यवस्था से पेशवाओं की राज्यव्यवस्था किसी प्रकार कम नहीं । हा, महात्मा शिवाजी अथवा अकबर की श्रेष्ठ राजनीतिज्ञता का पेशवाशाही में अभाव था, पेशवाई के नाशकारक बीज पेशवाशाही में ही पड़े थे । यह सच है कि महाराज शिवाजी की उदार राजनीति का जब पेशवा ने त्याग किया, और अंग्रेजों के समान बलवान शत्रु के साथ मुकाबला

करने का अवसर आया, तभी पेशवाशाही के नष्ट होने का रगढग देल पडा । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि पेशवा ने वली चतुरता और योग्यता से राज्य किया । हा, पारस्परिक भगडे के कारण जब सार्वजनिक शांति के नष्ट होने का समय आया था, उसकी बात अलग है । जाति की घडाई और ब्राह्मणे के मिथ्या अभिमान की गुप्त बातें जब प्रकट होन लगी, और उच्च सुधार-विषयक ज्ञान प्राप्त करने, नरीन कलाशौशल और शास्त्र मीयने, तथा उदार सामाजिक नीति और धार्मिक विचार ग्रहण करने की ओर जब लोगो ने प्रमाद दिखलाया, तभी, बाहरी शक्ति का प्रभाव होने के पहले ही, हमारा सारा काम विगड खुका । बस, इतिहास जिज्ञासुओं को यही पाठ पढाने के लिए यह निबन्ध लिखा गया है । सो हमारे सब ग्रन्थकर्ता ओर नीतिधर्म निपुण लोग यदि उपर्युक्त पाठ को ध्यान में रख कर इसमें कुछ लाभ उठा सकेंगे, तो आज के इस निबन्ध का परिश्रम सफल समझा जायगा ।



तरुण-भारत-ग्रन्थावली ।

भारतीय नवयुवकों में नवजीवन का संचार करने के लिए इस ग्रन्थावली में इतिहास, जीवनचरित और सदाचार के ग्रन्थ निकलते हैं। जो महाशय, आठ आन प्रवेश फीस दाखिल करके, इसके स्थायी ग्राहक बन जाते हैं, उनको सब पुस्तकों पौन मूल्य पर मिलती रहती हैं। अभी तक निम्नलिखित ग्रन्थ निकल चुके हैं.—

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (१) अपना सुधार ॥=) | (६) रोम का इतिहास १) |
| (२) फ्रांस की राज्यक्रांति १=) | (७) इटली की स्वाधीनता ॥) |
| (३) एवाहम लिफन ॥=) | (८) दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्थ ॥) |
| (४) महादेवगोविन्दरानाडे ॥॥) | (९) सदाचार और नीति १) |
| (५) ग्रीस का इतिहास १=) | (१०) मराठों का उत्कर्ष १॥) |

व्यवस्थापक

तरुण-भारत ग्रन्थावली,

दारागंज, प्रयाग ।

